राजस्थान विधान सभा

सत्रहवीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—२५ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ८ बज कर ४० मिनट
(मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(प्रातःकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न। श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या ४६७

पुलिस थानेदार देवीलाल द्वारा दो व्यक्तियों को मारपीट करके रुपया व जेवर लेना

श्री हनवन्तसिंह (वि० सं० ५०.)— क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि चूनिया पुत्र सीतू व हिम्मतिया पुत्र देसला, ग्राम बाधा, तहसील जेसलमेर, को पीट कर ११४०) (एक हजार एक सौ चालीस) तोला चाँदी, ४१० रु० (चार सौ दस रुपये) रोकड़ी और ९०० रु० के नोट पुलिस थानेदार देवीलाल सीटी इन्चार्ज ने ले लिये ?

(ख) क्या एस० पी० जैसलमेर को इस विषय में कोई रिपोर्ट दी।

(ग) अगर दी तो उन्होंने इस विषय में क्या कार्य-वाही की ? क्या यह चाँदी व रकम कहीं सरकार में जमा हुई ? अगर यह रकम सरकार में नहीं जमा हुई तो फिर इस रकम का क्या हुआ ?

(घ) चूनिया व हिम्मतिया ने कोई रिपोर्ट दी ? क्या सरकार ने कोई इन्क्वारी बैठाई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या सरकार अब भी इसकी जाँच कराने को तैयार है ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(क) इस बाबे की जैसलमेर के अधिकारियों के पास कोई सूचना नहीं आई।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नहीं।

(ङ) हां, यदि शिकायत आई।

श्री हनवन्तसिंह—क्या जैसलमेर के अधिकारियों के पास कोई शिकायत ही नहीं आई?

श्री नरसिंह कछवाहा—शिकायत नहीं की गई।

श्री हनवन्तसिंह (वि० सं० ५०)—क्या अब भी कोई कार्यवाई की जायगी?

श्री नरसिंह कछवाहा—हाँ।

प्रश्न सं० ४६८

जयपुर शहर में खरड़ उद्योग का दिनोदिन रास

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग व व्यवसाय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि जयपुर शहर में खरड़ उद्योग का दिनोदिन ह्रास होता जा रहा है?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रही है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य तथा उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)—जवाहरात के व्यापार के साथ साथ खरड (नकली जवाहरात) उद्योग के लिए भी जयपुर सदा प्रसिध्द रहा है। भारत में खरड जेकोस्लोवाकिया से आयात किया जाता है और जयपुर में इसकी कटाई, छंटाई व पॉलिश होकर नगीने बनाये जाते हैं। बेगड़ी लोग इसे अपने घरों पर ही बनाते हैं और बाद में व्यापारियों को दे देते हैं। इस उद्योग पर लगभग बीस हजार व्यक्तियों की जीविका निर्भर है। यह उद्योग युद्ध के दिनों में बहुत उन्नति पर था, परन्तु युद्ध के बाद अन्य वस्तुओं की तरह इसके व्यापार पर भी आर्थिक संकट का प्रभाव पड़ा और इस उद्योग के ह्रास का मुख्य कारण आर्थिक संकट ही है। इसके साथ साथ इसका निर्यात भी पहले की अपेक्षा कम होता जा रहा है।

(ख) इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उद्योग एवं व्यापार विभाग द्वारा व्यापारियों की उचित आवश्यकतानुसार खरड व कोवोरेन्डम पाउडर के आयात सर्टीफिकेट बराबर

[श्री जयनारायण व्यास]

दिये जाते रहे हैं। जिस प्रकार की सुविधायें दूसरे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये दी जाती हैं वे इस उद्योग के लिये भी दी जाती हैं तथा इसकी अधिक बिक्री व प्रचार के लिये राजस्थान गृह उद्योग विक्रय केन्द्र पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या निर्यात कम होने का कारण इस उद्योग के लिए जो माल बाहर से आता है उसके ऊपर इम्पोर्ट में रेस्ट्रिक्शन होने के कारण है?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने पहले कहा था कि दुनिया की जो स्थिति है व्यापार और उद्योग की, उसका इस व्यापार पर असर पड़ता है: यह भी एक फैक्टर हुआ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कमीशन नियुक्त किया है।

श्री जयनारायण व्यास—मुझे कोई सूचना नहीं है। यह प्रश्न केन्द्रीय पार्लियामेन्ट में किया जाना चाहिए।

प्रश्न सं० ४६६

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने वाली पक्की सड़कों पर डाम्बर

श्री खेतसिंह—क्या सामुदायिक योजना विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) पंचवर्षीय योजना के मातहत जिन सड़कों को पक्का बनाने का सरकार ने निश्चय किया है उन सड़कों पर डाम्बर भी डाला जायगा अथवा नहीं?

(ख) क्या कोई नई सड़कें भी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं? यदि हाँ, तो कौन कौन सी?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—कुछ सड़कों पर डाम्बर डाला जायगा और कुछ पर नहीं।

(ख) हाँ, नई सड़कें भी शामिल की गई हैं।

श्री खेतसिंह—जिन पर डाम्बर डाला जायगा उनके नाम पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री तेजमल बापना—जोधपुर में किन-किन सड़कों पर डाम्बर डाला जायगा यह बतला दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद—कोटपूतली से बैराठ।

Page No.4

श्री अध्यक्ष—जोधपुर के और खास करके शेरगढ़ तहसील के नाम बताइये।

श्री चन्दनमल वैद—ग्रेवल रोड जोधपुर से जालोर तक बनाई जायगी।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जोधपुर से जालोर तक की सड़क कब बन जायगी?

श्री चन्दनमल वैद—इसी पंच वर्षीय योजना में बनेगी।

श्री मोहब्बतसिंह—कौनसे साल?

श्री चन्दनमल वैद—५ साल के अन्दर अन्दर।

श्री मोहब्बतसिंह—कितने साल और हैं?

श्री चन्दनमल वैद—२ साल निकल गये ३ साल और हैं।

एक सदस्य—क्या नागोर से अजमेर तक सड़क बनाई जायगी?

श्री खेतसिंह—मुझे एक लिस्ट मिलनी चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद—आपको लिस्ट मिल जायगी।

श्री रघुराजसिंह—I think the list should be placed on the Table of the House so that other Members can also see it.

श्री अध्यक्ष—If the answer was so lengthy, the answer ought to have been supplied to the Hon'ble Member earlier.

श्री चन्दमल वैद—ये सारी चीजें एक पुस्तिका में छप चुकी हैं और सबके पास पहुँच भी चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष—Then the question is redundant.

प्रश्न संख्या ४७०

अध्यक्ष—श्री मोतीराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७१

गंगानगर के लच्छीराम को रेलवे स्टेशन गंगानगर के पीछे औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का नियतन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to answer:-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) Has Shri Lachhiram of Ganganagar been allotted any land behind the Railway Station, Ganganagar, for industrial purposes ?

(b) If so, when were the orders for such an allotment passed ?

(c) Was it one of the conditions of allotment that Shri Lachhiram should start the industry within a stipulated time or else his allotment will be cancelled ?

(d) Did Shri Lachhiram start the industry during the stipulated period ?

(e) If not, was his allotment cancelled ?

(f) Is the Government aware that this very area was selected and reco-mmended for allotment to the refugees ?

(g) If so, why was the scheme given up ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(ए) नहीं। उक्त प्लॉट राजस्थान कोटन प्रेस लिमिटेड जिसके कि चेयरमेन श्री लच्छीराम हैं, को दिया गया।

(बी) राजस्व विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ ३ (५११) रेवेन्यु। ५१, ८ फरवरी, सन् १९५२ द्वारा।

(सी) नहीं। उद्योग और व्यवसाय विभाग ने इस शर्त पर फैक्ट्री खोलने की मंजूरी दी थी कि प्लॉट पर कब्जा मिलने के तीन महीने के भीतर काम शुरू कर दिया जायगा, नहीं तो फैक्ट्री खोलने की मंजूरी वापस ले ली जायगी। प्रेस का समय पर काम शुरू नहीं करने का कारण कोयला नहीं मिलना था।

(डी) नहीं।

(इ) नहीं, उद्योग-व्यवसाय विभाग द्वारा ऐसा करने की इत्तला नहीं आयी।

(एफ) हाँ।

(जी) इस इलाके को उद्योगों की स्थिति के लिए सुरक्षित रखना उचित समझा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने (एफ) का उत्तर 'हाँ' में दिया है; क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों के आधार पर आपने यह उत्तर दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इन्डस्ट्रियल एरिया के लिये रिजर्व रखने के कारण।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस एरिया को रिफ्यूजीज़ के लिये एलोट किया गया है, ऐसी सूचना डिपार्टमेंट के पास थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हाँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बतलायेंगे कि जब कि युनिवरसल रिकमनडेशन (Universal recommendation) थी विभागीय अधिकारियों की कि यह रिफ्यूजीज को दे दी जाय तो फिर क्यों नहीं उनको दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें अधिकारियों का प्रश्न नहीं है। रिलीफ रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने रिकमन्ड किया था, लेकिन सरकार ने स्वीकृति नहीं दी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि जिला अधिकारी भी इस राय में सम्मिलित थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—भारत सरकार के रिहेबिलिटेशन विभाग को रिकमण्ड किया गया, लेकिन सरकार ने मन्जूर नहीं किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह रिकमन्डेशन भारत सरकार के अधिकारी आये उस समय की गई थी या सम्बन्धित अधिकारियों से सलाह-मशविरा करके की गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके बारे में जानकारी की जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस बात की जानकारी करवायेंगे कि इस प्रकार की रिकमन्डेशन को बदलने के लिये कोई आधार मुकर्रर किया गया है या बगैर आधार के ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका आधार निश्चित तौर से मुकर्रर किया गया है।

प्रश्न संख्या ४७२

सन् १९५३ में जैसलमेर में रिलीफ कार्यों के लिये व्यय

श्री हनवन्तसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् ५३ में जैसलमेर सब डिवीजन में रिलीफ के कामों में क्या-क्या काम हुए ?

(ख) जैसलमेर में अकाल-सहायता के रूप में कितने रुपये दिये गये, तथा ये रुपये किस ऐजन्सी की मारफत खर्च हुए ?

(ग) क्या यह सच है कि जिन ऐजेन्सी के मारफत रुपये खर्च हुए उन्होंने अभी तक हिसाब नहीं दिये हैं ?

[श्री हनवन्तसिंह]

(घ) क्या यह भी सच है कि रुपये तहसीलदार ने कमेटी के मेम्बरों को दे दिये और खर्च नहीं होने पर भी झूठे हिसाब पेश कर दिये ?

(ङ) अगर ऐसा नहीं, तो क्या सरकार हिसाब की जाँच कराने को तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(a) The following type of relief works were undertaken and got executed in Sub:Division Jaisalmer:—

1. Relief Works excavation of tanks and wells .60 villages.

2. Water Supplied arrangements . 11 villages.

3 Gratuitous relief was given to 280 persons.

(b) The following amount was spent in Jaisalmer sub-Division on the various Relief Works through the agency of the Revenue Department:

	Amount sanctioned	**Amount spent**
Relief Works	96,500/-	76,650/10/6
Water Supply arrangement	15,500/-	11,402/10/0
Gratuitous Relief	4,000/-	3,868/ 4/0

(c) The accounts on these Relief measures have been submitted to the Accountant-General, Rajasthan. No account of relief works is pending there.

(d) This is not a fact that fictitious accounts were made. No instance of this nature did ever come to the notice of this Department. All the Relief Works were inspected during the course of their execution by the Officers and Officials of the Revenue Department. The Relief Committees were associated to assist the Revenue Department.

(e) The Accounts were being audited by the parties appointed by the Accountant-General, Rajasthan, Jaipur.

प्रश्न संख्या ४७३

किशनगढ़ स्थित केसरीसिंह असहाय आश्रम का वार्षिक व्यय तथा सन् ५३-५४ में व्यय

श्री चाँदमल मेहता—क्या धर्मार्थ और देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) किशनगढ़ स्थित केसरीसिंह असहाय आश्रम का वार्षिक व्यय का बजट कितना है और ५३-५४ के वर्ष में कुल कितना व्यय हुआ है ?

(२) उक्त आश्रम में कितने व्यक्ति रहते हैं और उनके भोजन-वस्त्र पर ५३-५४ वर्ष में कितना व्यय हुआ है ?

(३) उक्त आश्रम की व्यवस्था का इन्चार्ज कौन है और व्यवस्था-सम्बन्धी इस आश्रम का सालाना खर्च कितना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (धर्मार्थ एवं देवस्थान मन्त्री)—केसरीसिंह असहाय आश्रम का वार्षिक व्यय बजट २६०८ रु० का है। १९५३-५४ के वर्ष में कुल ११५३ रु० ६ आ० व्यय हुये।

(२) इस वक्त सिर्फ १ व्यक्ति है। दो का देहान्त हो गया। भोजन-वस्त्र सम्बन्धी व्यय सन् ५३-५४ का २६५ रु० ६ आ० हुआ है।

(३) सब डिवीजनल ऑफिसर किशनगढ़ हैं। व्यवस्था सम्बन्धी ३४८ रु० का वार्षिक खर्च है।

श्री चाँदमल मेहता—इस वर्ष के बजट में इस असहाय आश्रम में कितने व्यक्तियों को रखने का प्रोवीजन रखा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रोवीजन तो ज्यादा आदमियों का था लेकिन एक ही आदमी मिला।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये जो अस्वीकार कर दिये गये।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, किसी का आवेदन-पत्र अस्वीकार नहीं किया गया। जिस किसी असहाय के कमाई का आधार दूसरा नहीं है उसको सहायता देने का अलग तरीका है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक व्यक्ति पर मकान किराया, रसोई-व्यवस्था आदि में काफी खर्च किया जा रहा है और नये आदमी नहीं लिये जा रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नये आदमियों को इन्कार करने की बात तो मेरे ध्यान में नहीं आई लेकिन एक व्यक्ति पर मकान किराया, व्यवस्था आदि का खर्च ज्यादा आता है इसलिये सरकार सोच रही है कि उसको कहीं और जगह भेज दिया जाय।

श्री चाँदमल मेहता—क्या किशनगढ़ एस. डी. ओ. से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने आदमियों के आवेदन पत्र इस सम्बन्ध में ना मन्जूर किये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य ने यह सूचना अब दी है। जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

प्रश्न संख्या ४७४

गोठन लाइम सिन्डिकेट के ठेकों की अवधि

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गोठन लाइम सिन्डिकेट के ठेकों की मियाद कब समाप्त हुई ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ठेका डेढ़ साल हुये समाप्त हो गया और उसके मालिक अभी तक काम कर रहे हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो ठेका समाप्त हो जाने के बाद किस नियम के अनुसार चूना बनाने का कार्य जारी है ?

(घ) सरकार को सालाना गोठन लाइम सिंडिकेट से कितनी रकम रोयल्टी की मिलती है ? क्या यह कुल रकम वसूल हो गई है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य एवं व्यवसाय तथा उद्योग मन्त्री)—

(क) ३०.७. ५२ को।

(ख) हाँ।

(ग) ठेका समाप्त होते ही कम्पनी ने उचित शर्तों पर उनके पिछले सालों के काम व योग्यता को ध्यान में रखते हुए आगे ठेका देने की अर्जी दी जो कि सरकार के विचाराधीन है।

(घ) ठेके की सालाना रकम स्लाइडिंग स्केल पर थी और १९५१-१९५२ में इस क्रम के अनुसार २,३५,००० रुपया थी। २०.७.५२ तक की रकम वसूल हो चुकी है और बाकी रकम की वसूली की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस एरिया को छोटे-छोटे प्लॉटों में बँटवा कर ज्यादा लोगों को एन्करेज (उत्साहित) करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—छोटे-छोटे प्लॉटों में नहीं, बल्कि उचित प्लॉटों में करने की योजना विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कोई स्टेन्डर्ड ले डाउन किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—हाँ, विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह फैसला करना चाहती है कि भारत सरकार के जो मिनरल रूल्स है उनको अपने यहाँ भी ऐसे केसेज़ में लागू करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—ये मिनरल रूल्स माइनर मिनरल्स पर लागू नहीं होते, मेजर पर लागू होते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कैसे, फर्स्ट क्लास मिनरल्स पर ?

श्री जयनारायण व्यास—बेशक फर्स्ट क्लास पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस बीच में जब तक कि यहाँ माइनर मिनरल रूल्स नहीं बन जाते, सरकार यहाँ जो पुराने लॉज़ (laws) हैं उनके सिलसिले में कदम उठायेगी।

श्री जयनारायण व्यास—उन लॉज के टर्मिनेशन (termination) में कदम उठाना सिद्धान्ततः सिद्धान्तों का नाश करना है; और बंधन आते हैं इसके लिये।

प्रश्न संख्या ४७५

राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों की वे जिनिंग फेक्ट्रीज जो सरकार के अधीन हैं

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों की कितनी जिनिग फेक्ट्रीज़ राजस्थान सरकार के कब्जे में हैं और वे कहाँ-कहाँ पर हैं ?

(ख) उक्त जिनिंग फेक्ट्रीज़ से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ?

(ग) क्या उक्त जिनिंग फेक्ट्रीज़ को सरकार बेचने या लीज पर देने के विषय में सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य तथा उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)—(अ) राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों की ६ जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं और वे निम्नलिखित स्थानों में हैं—

Page No.11

[श्री जयनारायण व्यास]

उदयपुर डिवीजन १६५२-५३

	नाम	स्थान
१.	गवर्नमेंट कॉलेज जिनिंग प्रेसिंग फेक्ट्रीज़	भीलवाड़ा
२.	,, ,, ,, ,, ,,	कपासन
३.	,, ,, ,, ,, ,,	गुलाबपुरा
४.	,, ,, ,, ,, ,,	चित्तौड़
५.	,, ,, ,, ,, ,,	छोटी सादड़ी
६.	,, ,, ,, ,, ,,	शाहपुरा
	जयपुर डिवीजन	
७.	,, ,, ,, ,, ,,	मंडोवर
८.	,, ,, ,, ,, ,,	टोंक
	कोटा डिवीजन	
६.	,, ,, ,, ,, ,,	पेच की बावड़ी

(ब) उक्त जिनिंग फेक्ट्रीज़ से सरकार को १६५२-१६५३ में निम्नलिखित आय हुई :

उदयपुर डिवीजन

	स्थान	खर्चा कटे बाद आमद रु०	आ०	पा०
१.	भीलवाड़ा	१,१६,१८५	११	३
२.	कपासन	४७,६६६	०	३.
३.	गुलाबपुरा	१,६२,४६३	३	६.
४.	चित्तौड़	५८,३६४	१२	०.
५.	छोटी सादड़ी	२२,२६८	१०	६.
६.	शाहपुरा	१,६६२	११	६.
	जयपुर डिवीजन			
७.	मंडोवर	७,०५१ (लीज पर दे रखी है ।)	०	०
८.	टोंक	बन्द है		
	कोटा डिवीजन			
६.	पेचकी सादड़ी	बंद है ।		
		४,१८,८१२.	१.	६.

Page No.12

[श्री जयनारायण व्यास]

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आपजी श्री रघुराजसिंह—पेच की बावड़ी की फेक्ट्री के बन्द रहने का क्या कारण है?

श्री जयनारायण व्यास—इससे लाभ नहीं होता था इसलिए बन्द कर दी गई। उसे फिर से चालू करने पर विचार किया जा रहा है।

एक सदस्य—लीज़ (lease) के लिये किन किन की दरख्वास्तें आई?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिये।

एक सदस्य—लीज़ दी जायगी, तो किस प्रकार एप्लीकेशन्स (प्रार्थना-पत्र) ली जायंगी; नोटिफिकेशन द्वारा या वैसे ही?

श्री जयनारायण व्यास—ओपन एप्लीकेशन्स इन्वाइट करके ही लीज़ की जायगी।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सोजत रोड की जीनिंग फेक्टरी सरकार के कब्जे में है?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे इसकी इन्फोर्मेशन नहीं है।

प्रश्न संख्या ४७६

बारां व लाडपुरा सामुदायिक योजनाओं व राष्ट्रीय विस्तार योजना के कार्यों की प्रगति

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बारां व लाडपुरा सामुदायिक योजनाओं व राष्ट्रीय विस्तार योजना क्षेत्र के कार्य की अब तक क्या प्रगति हुई?

(ख) इन सामुदायिक योजनाओं की एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग इस वर्ष में कितनी बार हुई?

(ग) सामुदायिक योजनाओं की एडवाइज़री समिति व सरकार द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट ऑफिसर के कार्य में सामंजस्य के लिए क्या सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है? यदि हाँ, तो

[श्री कँवरलाल जेलिया]

वह क्या है ? क्या उस नीति के आधार पर जन-शक्ति व जन-सम्पर्क का कार्य इन क्षेत्रों में हो रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद—(उप मन्त्री)

१. बारां सामुदायिक योजना खंड की प्रगति ।

(क) मुख्यतः इस खंड में उन्नत बीज के वितरण का काम हुआ है । जनवरी १९५४ के अन्त तक प्रायः २,५०० मन बीज बाँटा गया । लगभग ५० एकड़ भूमि में जापानी ढङ्ग से चावल की काश्त की गई, ७०० मन के लगभग रसायनिक खाद बाँटा गया । १,४०० खाद के गड्ढे खोदे गये । २२७ प्रदर्शन क्षेत्र कायम किये गये । ६५ एकड़ भूमि में फलों के और ३६ एकड़ में सब्जियों के उत्पादन का प्रबन्ध कराया गया । १,६०० एकड़ भूमि को चूहों और दीमक आदि जीवों से बचाया गया । १०,००० पेड़ लगवाये गए । १५,००० मवेशियों के टीके लगवाए गए और ५,००० मवेशियों के इलाज का प्रबन्ध कराया गया । ५ कच्चे और ८ पक्के कूए बनवाये गये । इस इलाके में ५ पम्पिंग सेट लगे जिनसे कुल १४० एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई हुई । २,००० एकड़ भूमि पर कन्टूर बैंडिंग किया गया । बारां अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिणत करने का प्रबन्ध भी हो गया है और वहाँ एक पर्यटक (मोबाइल) डाक्टर और प्रसूती केन्द्र के लिए लेडी डाक्टर का भी प्रबन्ध हो गया है । कुछ आवश्यक औषधियाँ और औजार मंगाये जा चुके हैं और बाकी मंगवा रहे हैं । १८ नये प्राईमरी स्कूल खोले गए और तीन प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया गया । १८ छोटे-छोटे पुस्तकालय कायम किए गए । २५ स्वास्थ्य और मनोरन्जन केन्द्र स्थापित किए गए । २ पंचायतों को रेडियो के लिए ५० प्रतिशत खर्चा दिया गया । मेलों पर नुमाइशें की गईं । उनके द्वारा स्वावलम्बन की इस नई प्रणाली का प्रचार किया गया । २१ मील कच्ची सड़कें बनाई गईं ।

२. लाडपुरा विस्तार सेवा खण्ड की प्रगति

लाडपुरा विस्तार सेवा खंड में अभी ग्रामों की सर्वे का काम हो रहा है, जिसके आधार पर लक्ष्य नियत किये जायेंगे । अभी तक ६४ खाद के गड्ढे खोदे गए । २७० मन रसायनिक खाद और ३२५ मन गेहूँ के बीज का वितरण हुआ है । २८ प्रदर्शन क्षेत्र कायम किये जा चुके ।

(ख) बारां की परामर्शदात्री समिति की अब तक कुल ११ सभायें हुईं और लाडपुरा परामर्शदात्री समिति की ४ सभायें हुईं ।

(ग) सलाहकार समितियों के अध्यक्ष जिलों के कलेक्टर हैं और योजना अधिकारी उनके मन्त्री । कलेक्टर पदेन जिला विकास अधिकारी भी हैं । आदेश यह है कि वे खण्डों में विकास कार्य की योजना बनाने में और उसको कार्यान्वित करने में सलाहकार समितियों से पूरी सहायता लें । इसीलिये सलाहकार समितियों में खंड के प्रमुख समाज-सेवकों के अतिरिक्त संसद व धारा सभा के सदस्य और सरपंच शामिल किये गये हैं ।

[श्री चन्दनमल वैद]

शुरू शुरू में इन खण्डों की परामर्शदात्री समितियों और योजना अधिकारियों में यथेष्ट सामंजस्य का अभाव रहा लेकिन इस ओर कलेक्टर के अधिक ध्यान देने से अब स्थिति अच्छी हो रही है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—इन पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद—नोटिस दीजिए, आना पाई सहित बताऊंगा।

श्री संतोषसिंह--कितना इर्रिगेशन होता है पम्पिंग सेट से ?

श्री चन्दनमल वैद—१४० एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई होती है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—ये सेट्स बिजली से चलते हैं या ऑइल एन्जिन से ?

श्री चन्दनमल वैद—ये सारी माइनर डिटेल्स अलग से ही प्रश्न पूछें तो बताई जा सकती हैं।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि ११ मीटिंगें एडवाइज़री समिति की हुईं, उनमें से एक की भी समय पर इत्तला सदस्यों को नहीं दी गई।

श्री चन्दनमल वैद—यह सही नहीं है।

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या यह सही है कि एक वर्ष का इस एडवाइज़री बोर्ड का जितना काम हुआ, वह सब सदस्यों की राय लिए बिना ही हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद--राय ली गई। यदि सरकार के ध्यान में यह बात लाई जाय कि नहीं ली गई तो सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री कँवरलाल जेलिया--प्रोजेक्ट ऑफिसर और एडवाइज़री बोर्ड के सदस्यों के बीच सामन्जस्य किस भाँति बैठे ?

श्री चन्दनमल वैद—प्रोजेक्ट ऑफिसर सलाहकार कमेटी की ज्यादा से ज्यादा राय ले।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या यह सही है कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्यों के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों की जैसी मन्शा होती है उसको प्रोजेक्ट ऑफीसर कार्यान्वित नहीं करता ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

आपजी श्री रघुराजसिंह--इस योजना के अन्तर्गत बारां में अभी तक अध्यापक नहीं पहुँचे हैं, क्या यह बात सही है ?

Page No.15

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई सूचना नहीं।

आपजी श्री रघुराजसिंह—अगर अध्यापक नहीं पहुँचे हैं तो क्या सरकार एक्शन लेने का प्रबन्ध करेगी?

श्री चन्दनमल वैद--एक्शन ही नहीं बल्कि प्रबन्ध करेगी।

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या यह सही है कि जन-सम्पर्क जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ है?

श्री अध्यक्ष—यह राय है। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७७

पीलवा व गच्छीपुरा के थाने तहसील हैडक्वार्टर से सड़क द्वारा मिलाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या निर्माण मन्त्री यह बतलायेंगे—

(क) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि पीलवा और गच्छीपुरा, परबतसर तहसील के दो महत्वपूर्ण पुलिस थाने हैं जो तहसील हैड क्वार्टर से सड़क द्वारा मिले हुए नहीं है?

(ख) क्या सरकार उक्त थानों को तहसील हैड क्वार्टर से सड़क द्वारा मिलाने के लिए शीघ्र व्यवस्था करने वाली है?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) परबतसर तहसील से गच्छीपुरा रेलवे लाइन द्वारा मिला हुआ है। यह सड़क द्वारा मिला हुआ नहीं है। पीलवा जाने के लिए परबतसर से बसी को जाने वाली ग्रेवल रोड मौजूद है, इससे पीलवा करीब ३ माइल दूर रह जाता है।

(ख) अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस तीन माइल के टुकड़े को बनाने का काम पंचवर्षीय योजना में रखने का सरकार के वीचाराधीन नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

एक सदस्य—क्या ये दोनों थाने महत्यपूर्ण हैं?

श्री चन्दनमल वैद—हर पुलिस थाना महत्वपूर्ण है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—हर एक पुलिस थाना महत्वपूर्ण है तो क्या हर पुलिस थाने के लिए भी सड़क बनवाई जावेगी।

श्री चन्दनमल वैद—मुमकिन होगा तो हर एक गाँव तक सड़क बनाई जावेगी।

Page No.16

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इन दो पुलिस थानों तक ही सड़क क्यों बनवाई गई ?

श्री चन्दनमल वैद—प्रश्न पूछा गया, इसलिए जवाब दिया गया है।

प्रश्न संख्या ४७८

उदयपुर तथा जयपुर में नल के पानी की दरें प्रति युनिट

श्री जगतसिंह झाला—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) उदयपुर व जयपुर में पानी के मीटर को व पानी जो नल से पहुँचाया जाता है उसके टेक्स की क्या दरें (Rates) हैं ?

(आ) इनमें अन्तर होने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) उदयपुर एवं जयपुर के पानी की तथा मीटर के किराये की दरें निम्नलिखित हैं—

उदयपुर		जयपुर	
दर पानी	दर मीटर	दर पानी	दर मीटर
१।) हजार गेलन;	½" १) माहवार	१) हजार गेलन के	½" के ॥)
	¾" १॥) ,,		
	१" २) ,,	कम से कम मासिक खर्च पर	२) माहवार

(ख) हर जगह की दरों में अन्तर होना सम्भव है क्योंकि हर एक जगह की दर वहाँ की व्यवस्था और पानी शुद्ध करके वितरण करने के आयोजन के मूल्य पर निर्भर है।

श्री सन्तोषसिंह—मीटरों की कीमतें तो सब जगह एक ही है, फिर किराया भिन्न-भिन्न क्यों लिया जाता है ?

श्री चन्दनमल वैद—पानी के शुद्ध करने की व्यवस्था जो अलग-अलग जगह पर है रेटस पर निर्भर करती हैं।

श्री सन्तोषसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि जब मीटरों की कीमतें सब जगह बराबर है, तो रेटस भी किराये के बराबर होनी चाहिये; मगर किराये में अलग-अलग रेटें क्यों ?

श्री चन्दनमल वैद—पाइप का भी तो सवाल आता है, कहीं पाइप ज्यादा होते हैं और कहीं कम।

श्री सन्तोषसिंह—आपने जयपुर और उदयपुर में अलग-अलग रेटस बताई हैं, जब कि मीटर की लागत तो फिक्सड ही है।

Page No.17

श्री चन्दनमल वैद—वहाँ मेन्टेनेन्स पर ज्यादा खर्चा होता है; कहीं पाइप ज्यादा लगे होते हैं और कहीं पाइप कम होते हैं। खर्चा ज्यादा होता है।

श्री सन्तोषसिंह—पानी के चार्जेज़ ज्यादा-कमती हो सकते हैं, लेकिन मीटर के रेन्ट चार्जेज़ में क्यों फर्क होता है ?

श्री चन्दनमल वैद—पानी के चार्जेज़ तो व्यवस्था के अनुसार ही आते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा घरों में पाइप हो या कम घरों में पाइप हो, इसका भी मेन्टीनेन्स पर असर पड़ता ही है। इसलिये मीटर की रेटों में भी फर्क है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई जगह जहाँ पर लोगों ने मीटर की प्राइसेज़ जमा करा दी हैं फिर भी उनसे रेन्ट लिया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि कहीं ऐसा हुआ है तो सरकार इस सिलसिले में जाँच करेगी और सूचना प्राप्त करेगी।

श्री चन्दनमल वैद—(अश्रव्य)।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जोधपुर में ऐसा हुआ है, आप वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या मीटर जो लगाये जाते हैं उनकी एक ही कीमत होती है या कीमतों में कोई फर्क होता है ?

श्री चन्दनमल वैद—आधा इन्च और एक इन्च में फर्क होता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मीटरों की कीमतें एक हैं या अलग-अलग, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री चन्दनमल वैद—जितना पानी खर्च होता है, उसी के अनुसार मीटर भी लगाये जाते हैं। कहीं ज्यादा पानी खर्च होता है......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह कहा जाता है कि कहीं मकानों में आधा इन्च का पाइप है और कहीं एक इन्च का पाइप है; मगर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आया कीमतें सब जगह एक हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—मीटरों की कीमतें तो फिक्सड ही हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—फिर मीटरों में अलग-अलग किराया होने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—(अश्रव्य)।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह तो जानते ही हैं कि सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि हर एक काम में अव्यवस्था है; मगर फिर भी मीटर में यह कैसे हुआ है ?

श्री चन्दनमल बैद—उनकी समझ में नहीं आ रहा है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या बाद में...

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर! आॅर्डर!! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७९

लैंड रेकर्ड विभाग के पटवारियों का व सेटलमेंट विभाग के अमीनों का फिक्सेशन

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या यह सच है कि राजस्थान में लेन्ड रेकार्ड डिपार्टमेंट के पटवारियां का व सेटिलमेंट डिपार्टमेंट के अमीनों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हो पाया है?

(आ) क्या इस कारण से इन महकमों के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है?

(इ) क्या यह सच है कि इनमें भी केवल उदयपुर डिवीजन के कर्मचारियों को इसके कारण काफी नुकसान है?

(ई) सरकार कब तक इस कार्य को पूरा करने का विचार करती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(अ) सेटलमेन्ट विभाग के अमीनों का एकीकरण हो चुका है। पटवारियों का एकीकरण, कानूनगोज़ और इन्सपेक्टर्स का एकीकरण होते ही कर दिया जायगा।

(आ) नहीं।

(इ) नहीं।

(ई) पटवारियों के एकीकरण का कार्य कानूनगोज़ और इन्सपेक्टर्स के एकीकरण के पश्चात् शीघ्र ही हाथ में लिया जायगा।

प्रश्न संख्या ४८०

किशनगढ़ सब डिवीज़न में इस वर्ष तकावी

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

किशनगढ़ सब डिवीज़न में इस वर्ष कितने रुपये तकावी के किसानों को दिये गये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किशनगढ़ सब डिवीज़न में इस वर्ष कुल ३०,०००) रु० की तकावी के लिए निश्चित रकम में से २०,०००) रु० तो बाँट दिये गये हैं और शेष १०,०००) रु० भी तहसीलों द्वारा वितरित किये जा रहे हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या तकावी उन्हीं लोगों को दी गई जो स्वयं काश्त नहीं करते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या एक आदमी ने ५, ५ दफे दरख्वास्त देकर तकावी ली है, ऐसी भी कोई चीज़ सरकार के सामने आई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई है; अगर आप दें तो अवश्य उस पर कार्यवाही की जावेगी ?

श्री चांदमल मेहता—यह रकम कितनी दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तकावी, साल खत्म हो रहा था तब दी गई और किसानों और काश्तकारों को मालूम भी नहीं हो पाया कि तकावी मिल रही है और दूसरे लोगों ने ही तकावी ली ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर साल खत्म पर मिली होती तो फिर २० हजार रुपये कैसे तकावी के रूप में खर्च हो जाते।

श्री चांदमल मेहता—काश्तकारों को नहीं मिली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बिल्कुल संभव नहीं। यदि साल के अन्त में दी जाती तो ये १० हजार रुपये भी खर्च हो जाते।

श्री चांदमल मेहता—क्या वे जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी जानकारी कर ली जावेगी, मगर तकावी लेट दी गई। यह बात ठीक नहीं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे समय में तकावी दी गई कि किसानों को मालूम नहीं हुआ। इसलिये क्या सरकार गजट में भविष्य में शाया कराएगी कि अब तकावी दी जा रही है और किसान इसके लिये अपनी-अपनी अर्जियें दे जिनको तकावी की जरूरत हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लोगों ने उसी वक्त दरख्वास्तें दी हैं। अगर जानकारी उनको नहीं होती तो फिर कैसे अर्जियें देते।

श्री चांदमल मेहता—जो तकावी दी गई है वह ऐसे काश्तकारों को, जो खुद-काश्त नहीं करते और व्योपारियों को दी गई है। इसीलिये मैं यह निवेदन करूँगा कि आप इसकी जानकारी हासिल करेंगे, ताकि आयन्दा ऐसा न हो और तकावी समय पर दी जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किन-किन व्योपारियों ने बिना जमीन के तकावी ले ली, उसकी जानकारी करने के लिये सरकार हमेशा तैयार है।

श्री चांदमल मेहता—वे स्वयं लिस्ट मंगा कर देते तो मालूम होगा कि उसमें कितने माफीदार हैं, कितने जागीरदार हैं और कितने किसान ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर खेती करने वाला जागीरदार भी हुआ तो उसका कोई सवाल नहीं है, उसको भी दी जा सकती है। व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति को दी गई हो तो सरकार इस बात को देखने के लिए तैयार है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार स्वयं काश्त न करने वाले और दूसरों से काश्त कराने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहती है ?

आपजी श्री रघुराजसिंह—क्या सरकार बताएगी कि तकाबी जिस काम के लिए दी गई उसी काम के लिए खर्च की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हाँ।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार गजट में तकाबी देने का नोटिस शाया करवाएगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गजट में तो क्या पत्रों में प्रकाशित कराती है क्योंकि, गजट तो सबको नहीं मिलता लेकिन पत्रों को तो पढ़ते ही हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या किशनगढ़ तहसील से आपके पास यह इत्तिला पहुँच गई कि तकाबी देना जिनको वाजिब था उनको दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं तो यह समझता हूँ कि सरकार इस बात को मान कर चलती है कि वाजिब व्यक्तियों को ही तकाबी दी जाये और देती है।

एक सदस्य—क्या इसके लिए नियम बने हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Ordor !!

प्रश्न संख्या ४८१

मथुरेशजी की कोटा में चल व अचल सम्पत्ति

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) श्री मथुरेशजी की चल व अचल संपत्ति कितनी है ? उक्त सम्पत्ति अब तक किसके कब्जे में है ?

[श्री कंवरलाल जेलिया]

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने श्री मथुरेश मूर्ति को कोटा में इस समय काफी अरसे से मौजूद न होने की वजह से इनकी चल व अचल सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है ?

(ग) अब मथुरेशजी की मूर्ति के कोटा लाने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा क्या कोई कदम उठाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो वह किस स्तर पर ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) श्री मथुरेशजी की चल संपत्ति का पता नहीं है। श्री मथुरेशजी को गाँवों से करीब ४५,००० रु० की व दुकानों वगैरह से करीब ५,००० रु० की वार्षिक आय होती है। इस वक्त संपत्ति पर सरकार का कब्जा है।

(ख) हाँ।

(ग) हाँ। सिटी मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा चोरी का मुकद्दमा दर्ज करके जारी किये गये वारन्ट के आधार पर मूर्त्ति जतिपुरा में बरामद की गई और रु० २५०००–२५००० की दो जमानतों पर जमानतियों के सुपुर्द की गई है। गोस्वामी जी ने मुकदमे को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत से हटाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

श्री कँवरलाल जेलिया—सरकार की जमीन जो दी गई, वह सरकार के कब्जे में है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हाँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

संख्या ४३७

भूतपूर्व बांसवाड़ा सरकार के समय मुख्यतया आदिवासियों की औद्योगिक शिक्षा के लिए आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल का विलीनीकरण के पश्चात्, बन्द करना

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने क कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि भूतपूर्व बाँसवाड़ा सरकार के समय मुख्यतः आदि वासियों के औद्योगिक शिक्षा के लिए स्थापित किया गया आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स स्कूल विलीनीकरण के बाद बन्द कर दिया गया है और उक्त स्कूल का औद्योगिक सामान व्यर्थ पड़ा हुआ है ?

(ख) क्या सरकार उस स्कूल को पुनः चालू करने के लिए विचार करेगी ?

Page No.22

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य तथा उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)

यह स्कूल फॉर्मर (former) राजस्थान बनने के समय से ही बन्द पड़ा हुआ है, किन्तु उसमें औद्योगिक सरजाम अब तक पड़ा हुआ है या नहीं इस विषय में जाँच करने के आदेश जारी कर दिए गये हैं। इसको पुनः चलाने के प्रश्न पर अब सरकार विचार करेगी। किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले सारी स्थिति का अवलोकन करना होगा। सम्बन्धित विभग को आदेश दे दिये गये हैं कि वह इस विषय में जाँच कर शीघ्र रिपोर्ट भेजे। रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलावेंगे कि इस सम्बन्ध में कई बार सुझाव दिये गये हैं और प्रार्थना पत्र भी भेजे गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--सुझाव के ऊपर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल।

प्रश्न संख्या ४८३

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५१-५२, ५२-५३, तथा ५३-५४ में प्राप्त धन-राशि तथा उसका व्यय

श्री धर्मपाल पंवार— क्या योजना मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में विकास कार्यों के लिए गत ३ वर्षों में (५१-५२, ५२-५३ व ५३-५४) कितनी-कितनी सालाना धन-राशि प्राप्त हुई और इन में राजस्थान सरकार ने किस-किस साल में अपनी ओर से कितनी-कितनी धन राशि सम्मिलित की ?

(ख) उक्त तीन वर्षों में उपरोक्त राशियों में से किन-किन विकास कार्यों में कितनी-कितनी धन-राशि वास्तव में लगी और कितनी मन्जूरी की रकमें लेप्स (lapse) हुईं ?

(ग) विकास-सम्बन्धी कार्यों में उक्त तीन सालों में प्रत्येक साल उदयपुर व अन्य डिवीजन में कितना खर्च किया गया और बीकानेर डिविजन में कितना खर्च किया गया ? उक्त दोनों डिवीजनों में कितनी-कितनी मन्जूरी की रकमें लेप्स हुईं ?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य एवं योजना मन्त्री) (क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में विकास कार्यों के लिए गत तीन वर्षों में यानि सन् ५१-५२, ५२-५३ तथा ५३-५४ में भारत सरकार से जो धन-राशि प्राप्त हुई और राजस्थान ने सम्मिलित की वह इस प्रकार है—

[श्री जयनारायण व्यास]

कृषि	भारत सरकार से प्राप्त हुई	राजस्थान सरकार द्वारा सम्मिलित की गई
५१-५२	५,६०,३७५	३,०७,०४८
५२-५३	२५,५८,१३५	३,०३,६००
५३-५४	७४,०८,६००	४,४६,५३०
सिंचाई		
५१-५२	२५,००,०००	५,४४,०००
५२-५३	६४,२३,०००	१,८१,०००
५३-५४	६७,८४,०००	५८,६००
गृह उद्योग		
५१-५२	३१,१५६	३,४७,११३
५२-५३	कुछ प्राप्त नहीं हुआ	३,८६,१०० राजस्थान सरकार ने लगाया।
५३-५४	,, ,,	६,१४,००० ,,
सड़कें		
५१-५२	भारत सरकार की तरफ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ।	२४,७३,५००
५२-५३	१६,००,०००	२५,६४,३३५
५३-५४	७१,००,०००	२०,६१,३१८
जन-स्वास्थ्य		
५१-५२	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५२-५३	१,००,०००	,,
५३-५४	६,४७,०००	,,
बेकवर्ड क्लासेज़ वेलफेयर		
५१-५२	५,००,०००	६,५०,०००
५२-५३	६,७०,०००	६,४०,०००
५३-५४	१३,५७,१००	६,५०,१३०

श्री अध्यक्ष—Is it a very lengthy answer ?

श्री जयनारायण व्यास—No, sir, finished now.

पॉवर प्रोजेक्ट	भारत सरकार से प्राप्त	राजस्थान सरकार द्वारा लगाई गई।
५१-५२	कुछ नहीं	३०,००,०००
५२-५३	,,	१०,८०,०००
५३-५४	२६,११,०००	१५,३०,०००

(ख) उक्त तीन वर्षों में निम्न प्रकार धन-राशि वास्तव में लगी और लेप्स हुई।

कृषि (एग्रीकल्चर)	खर्च हुई	लेप्स हुई
५१-५२	६,४८,५४८	२,४८,८७५
५२-५३	२१,५२,६६७	७,०६,३६८
५३-५४	५०,६६,१६२	लेप्स का अभी प्रश्न नहीं उठता।
सिचाई		
५१-५२	५६,१२,०००	१६,८१,०००
५२-५३	५८,१२,०००	१६,६८,६००
५३-५४	१,४०,१२,०८०	लेप्स होने का प्रश्न नहीं उठता।
गृह-उद्योग		
५१-५२	२,०७,५४१	१,७२,८०८
५२-५३	२,४३,०८६	१,४३,०१४
५३-५४	५,६८,७००	लेप्स होने का प्रश्न नहीं उठता।
सड़कें		
५१-५२	२०,२१,४४८	लेप्स नहीं हुई।
५२-५३	३१,८७,७६१	,,
५३-५४	१,०८,६६,४२३	अभी प्रश्न नहीं उठता।
जनस्वास्थ्य		
५१-५२ व ५२-५३	कोई खर्चा या लेप्स नहीं हुई।	
५३-५४	६,४६,२६३	लेप्स होने का प्रश्न नहीं उठता।

[श्री जयनारायण व्यास]

बेकवर्ड वेलफेयर

५१-५२	७,६३,०६६	२,८१,६०१ लेप्स हुई।
५२-५३	११,१२,६१८	१,६७,३८२
५३-५४	आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	

पॉवर प्रोजेक्ट

५१-५२	३६,९६,६४६	लेप्स नहीं हुई।
५२-५३	१६,२४,७००	लेप्स नहीं हुई।
५३-५४	३१,४१,०००	प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकास सम्बन्धी कामों में उक्त तीनों सालों में निम्न प्रकार डिवीजनों में खर्च किया गया :

उदयपुर डिवीजन

५१-५२	१३,१५,४०६
५२-५३	२३,४२,८७७
५३-५४	२६,२३,५५१

बीकानेर डिवीजन

५१-५२	१५,३५,४७६
५२-५३	४,८१,८६४
५३-५४	२२,८५,२२१

अन्य तीनों डिवीजनों में खर्च हुआ

५१-५२	६३,७०,२६८
५२-५३	८५,५२,५४४
५३-५४	१,६८,०७,२६८

छोटे कार्यों में जो खर्च हुआ

५१-५२	७,८७,०६६
५२-५३	५,४८,२६०
५३-५४	८,०२,३५३

श्री अध्यक्ष—It will save time if it is placed on the Table. A copy must be given to the Members and placed on the table.

श्री जयनारायण व्यास—दो ही रकमें बाकी रहती हैं।

जो रकमें लेप्स हुई :

उदयपुर डिविजन

५१-५२	१०,६४,०७४
५२-५३	१३,०२,३१४
५३-५४	६६,३८०

बीकानेर डिवीजन

५१.-५२	२०,०००
५२.-५३	५५०

श्री धर्मपाल—बीकानेर में रकम क्यों लेप्स हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—सबसे कम बीकानेर डिवीजन में लेप्स हुई है।

श्री संतोषसिह—लेप्स जो रकम हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? कौन अफसर इसका जिम्मेदार है ?

श्री जयनारायण व्यास—जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। जैसा सिस्टम चाहता है हमें करना पड़ता है।

(विरोधी दल के नेता द्वारा "हियर,-हियर")

कहीं खाना-पूरी में कमी हो जाय तो उसकी वजह से लेप्स होती है। यह जिम्मेदारी हमारे सिस्टम की है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—३० लाख की रकम को क्या माननीय मन्त्रीजी छोटी रकम समझते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—छोटी रकम नहीं समझता, इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या उस सिस्टम में तब्दीली करने का विचार तक किया गया।

श्री जयनारायण व्यास—यह ए. जी. से ताल्लुक रखता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियन्त्रित है और कभी-कभी इस वजह से हमको भी दिक्कत आती है।

कुँ० श्री जसवन्तसिह—क्या इस सम्बन्ध में कभी सरकार ने एतराज उठाया है, क्या कोई रिप्रेजेन्टेशन किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—बराबर एतराज उठाया जाता है, बात-चीत की जाती है और सिस्टम को सिम्पल करने के लिए कॉन्फ्रेन्स करते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उन कॉन्फ्रेन्सेज़ (Conferences) का क्या नतीजा निकला ?

श्री जयनारायण व्यास—दो मेम्बरों के बोलने से मैं दोनों की बात नहीं सुन सका, यह नतीजा निकला।

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं दुबारा अर्ज करूँगा, उस बीच आप जवाब सोच लीजिये कि जो कॉफ्रेन्स इतनी तेजी से हुई उसमें क्या निश्चय किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—रकम के लेप्स होने की संख्यां कम होने लग गई है और दूसरे मामलों में भी थोड़ी-थोड़ी जल्दी होने लगी है।

प्रश्न संख्या ४८४

नयी खानें देने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रूवल की स्वीकृति

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मन्त्रीनिम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) नई खानों को देने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रूवल कौन स्वीकार करता है ?

(ख) पिछले ४ सालों में किन-किन व्यक्तियों को किन-किन खनिज पदार्थों के लिये ऐसे सर्टीफिकेट दिये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य एवं उद्योग मन्त्री)—(क) खनिज विभाग के संचालक द्वारा प्रदत्त सम्मतियों के आधार पर ही राजस्थान सरकार अनुमोदित प्रमाण पत्र (certificate of approval) अनुदान करती है।

(ख) वर्तमान सभी खनिजों के अनुमोदित प्रमाण-पत्र राजस्थान के अनुदान किये गये हैं जिनकी अब तक वितरित संख्या ८६८ है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह अनुमोदित सर्टीफिकेट कितने समय के अन्दर दिये जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जाँच-पड़ताल के बाद में जल्दी से जल्दी दिये जाते हैं। किसी केस में देरी हो सकती है क्योंकि जब तक जाँच-पड़ताल नहीं हो जाती तब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह डिपार्टमेंट द्वारा जो सर्टिफिकेट दिये जाते हैं उनको लेने वालों की क्या योग्यता के अनुसार वे दिये जाते हैं ?

Page No.28

श्री जयनारायण व्यास—योग्यता का जो पूछा गया है इसके लिए अलग से प्रश्न करिये, जवाब दिया जायगा।

श्री सम्पतराम—क्या सर्टिफिकेट देने में रंग-भेद रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

प्रश्न संख्या ४८५

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४८६

सन् १९५३ में सरवाड़ के खारियां व गोविन्दसागर तालाब के विस्तार में व्यय

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरवाड़ के खारियां एवं गोविन्दसागर तालाब के एक्स्टेन्सन कराने में सन् ५३ में कितना खर्चा हुआ ?

(ख) उक्त खर्चे के परिणाम-स्वरूप पिछले साल कितने बीघा जमीन की अधिक आबपाशी हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (सिंचाई मन्त्री)—(क) इसकी उन्नति के लिये २९,७०० का अनुमानित तखमीना था जिसमें से लगभग २६,००० दिसम्बर, सन् ५३ तक खर्च हुये और काम खत्म हो गया।

(ख) इस खर्चे से लगभग १००० बीघा अधिक सिंचाई हुई।

प्रश्न संख्या ४८७

डीडवाना में दलित वर्ग से अभी तक खरडा नामक उपकर की वसूली

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to answer :—

(a) Is the Government aware that cess known as Kharda is still being recovered from the backward classes in Didwana ?

(b) Has the Didwana Mazdoor Union made any representation against it to the Government ?

(c) Will the Government order for the cancellation and prohibition of the levy of this unjust cess ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) हाँ।

(ब) चराई के रूप में वसूल की जाती है।

(स) लाग-बाग जाँच के लिए एक कमेटी बनायी गई है, जो इसके बारे में सरकार के सामने सिफारिश करेगी।

प्रश्न संख्या ४८८

खरड़ा लाग हटाने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में अब भी क्या खरड़ा लाग चल रही है ?

(ख) खरड़ा लाग शीघ्र ही हटाने का जो आश्वासन इस सदन में मन्त्री महोदय की ओर से दिया गया उसका क्या हुआ ?

(ग) अब खरड़ा लाग के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) जोधपुर डिवीजन में सिरोही और जेसलमेर के सिवाय खरड़ा लाग वसूल की जाती है।

(ख) व (ग) राजस्थान में प्रचलित सब लाग-बाग की जाँच सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी द्वारा की जा रही है और उसकी सिफारिशें पेश होने पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरूं सिंह—जो कमेटी मुकर्रर की गई है उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चेयरमेन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू सेक्रेटरी, जागीर कमिश्नर, आदि।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब तक इसका निर्णय हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगले सेशन से पहले।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कमेटी कब से विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी मैं निश्चित सूचना नहीं दे सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्री ने जो फरमाया कि इस कमेटी की रिपोर्ट अगले सेशन तक आ जायगी, क्या इससे मतलब बजट सेशन का है या उससे पहले के सेशन का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सदस्य से मैं आशा करता था कि वे दोनों में भेद समझ सकते हैं।

प्रश्न संख्या ४८६

तहसील बनेड़ा (भीलवाड़ा) के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

श्री कस्तूरचंद--क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

डि० भीलवाड़ा, तहसील बनेड़ा में शिडयूल्ड कास्ट (हरिजन्स) विद्यार्थियों में से कितनों को छात्रवृत्तियाँ मिली हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--तीन विद्यार्थियों को।

प्रश्न संख्या ४९०-९१

श्री अध्यक्ष--विश्वम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४९२

जोधपुर की उद्योग तथा कृषि प्रदर्शनी में विद्युत शक्ति की प्रति युनिट दर तथा समस्त प्राप्त धन-राशि

श्री सन्तोषसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी में बिजली कुल कितने यूनिट्स किस रेट से दी गई और कुल बिजली का बिल तारीख २८,२,५४ तथा इसके बाद कितने रुपयों का बना ?

(ख) पॉवर हाउस से प्रदर्शनी तक बिजली की लाइन लगाने व स्टेशन वगैरह बनाने में सरकार के कुल जितने रुपये खर्च हुए, क्या प्रदर्शन-कर्त्ता से वसूल किये जायेंगे ? नहीं तो, क्यों नहीं ?

(ग) इस प्रदर्शनी में लाइट देने के पहिले प्रदर्शनी के संयोजक से कुल कितने रुपये एडवान्स के जमा कराये गये ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) बिजली का कनेक्शन ६. २. ५४ को अस्थायी तौर पर दिया गया था और १६. ३. ५४ तक रहा। कुल ४०२५७ युनिट खर्च हुये। नियमानुसार बिल अवधि समाप्ति पर बनाया जाता है अतः २८. २. ५४ को मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी। अस्थायी कनेक्शन के लिए सप्लाई दर १२ आने प्रति युनिट है। इस प्रदर्शनी से किस दर से वसूली की जाय, यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) नियम यह है कि लाइन आदि अस्थायी तौर पर लगा दी जाती है और कार्य समाप्त होने पर सामान वापिस स्टोर में ले लिया जाता है। इस प्रकार जो सामान की टूट-फूट होती है उसका मूल्य मजदूरी तथा सामान का किराया पार्टी से वसूल कर लिया जाता है। क्योंकि प्रदर्शनी अभी ही खत्म हुई, वास्तविक खर्च अभी ज्ञात नहीं हुआ है: परन्तु अनुमान है कि लगभग खर्च ७०० रु० होगा जो प्रदर्शनी के अधिकारियों से वसूल किया जायगा।

(ग) एडवान्स की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—दूसरों से एडवान्स लिया जाता है तो उनसे क्यों नहीं लिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद—विश्वास था कि पेमेन्ट कर देंगे इसलिए नहीं लिया गया।

प्रश्न संख्या ४६३

विद्युत विभाग से बिजली तथा अन्य सामान के टेन्डर

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के बिजली विभाग से बिजली एवं अन्य सामान की सप्लाई के लिए जो टेन्डर माँगे जाते हैं उनका विज्ञापन काफी समय के पश्चात् होता है और सामान सप्लाई करने की मोहलत दो या तीन हफ्तों के बीच दी जाती है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पॉवर हाउस को केबिल वायर सप्लाई करने के लिए एक विज्ञापन निकला था जिसमें सप्लाई करने का समय बहुत कम दिया गया था ? यदि ऐसा था, तो क्यों ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) नहीं। भावी आवश्यकता का विचार रखते हुये सामान की सप्लाई के लिये टेन्डर काफी समय पहले माँगे जाते हैं। परन्तु जब कभी सामान की भावी आवश्यकता का ठीक-ठीक अनुमान नहीं हो सकता है अथवा जब सरकार से पैसे की मंजूरी देर से मिलती है और उसे चालू साल में ही खर्च करना पड़ता है, तो आवश्यकतावश सामान सप्लाई का समय कम दिया जाता है।

(ख) हाँ। लेकिन उतने ही सामान का जो वर्तमान लाइनों के पोषण के लिये अत्यावश्यक था और यदि उन्हीं टूटे-फूटे केबिलों को टीपटाप करके काम में लाया जाता तो वह जनता की सुरक्षा के लिये बहुत घातक सिद्ध होता।

प्रश्न संख्या ४६४

जयपुर डिवीजन में डिवीजनल कमिश्नर द्वारा प्रारम्भ की गई पाइलोट योजना में शासकीय व्यय

श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर डिवीजन में डिवीज़नल कमिश्नर द्वारा चालू की गई पायोलेट स्कीम में सरकार को कितना अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा ?

(ख) क्या यह स्कीम अब भी चालू है ? नहीं तो, क्यों नहीं ?

(ग) किन-किन तहसीलों में यह स्कीम लागू की गई थी ?

(घ) क्या इन तहसीलों का काम सन्तोषपूर्ण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ा।

(ख) हाँ।

(ग) जिन-जिन तहसीलों में यह स्कीम लागू की गई थी उसकी सूची सदन की मेज पर रख रहा हूँ।

(घ) हाँ। इस स्कीम के लागू होने के काम में सन्तोषजनक प्रगति हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४६५

एक्स सोल्जर्स (विशेषतया भरतपुर के) को भूमि तथा काश्त करने योग्य बनाने के लिए रुपये उधार

श्री तेजपाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में, विशेषतया भरतपुर जिले में, कितने एक्स सोल्जर्स को राज्य की ओर से भूमि और उसको काश्त के योग्य बनाने के लिए कितना रुपया उधार दिया है ?

(ख) इनमें से कितनों ने इसका सही उपयोग किया है ?

(ग) ऐसे कितने सिपाही हैं कि जिन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया है ?

(घ) ऐसे कितने सिपाही हैं कि जिन्होंने यह भूमि दूसरे किसानों को काश्त के लिये पट्टे पर उठा रखी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—(क) भरतपुर जिले में २०३ एक्स सोल्जर्स को राज्य की ओर से भूमि काश्त के लिए दी गई। आर्थिक सहायता नहीं दी गई। इसके अलावा जयपुर डिवीजन में २५० एक्स सोल्जर्स को जमीनें दी गई।

कोटा में २०३ बीघा ११ बिस्वा भूमि दी गई

बीकानेर डिवीजन में गंगानगर जिले में ६४६ एक्स सोल्जर्स को जमीनें बेची गई और इसकी कीमत किश्तों में वसूल की जा रही है।

जोधपुर व उदयपुर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) (ग) (घ) इस बारे में जिलाधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है कि इन एक्स सोल्जर्स ने इन जमीनों का सही उपयोग किया है या नहीं।

(ङ) जाँच के बाद अगर यह मालूम हुआ कि कोई गैर कानूनी बात हुई है तो मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ४९६

दलित जातियों के लिये खोले गये तालाब, कूए, मन्दिर इत्यादि

श्री लालूराम—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) आज तक राजस्थान में ऐसे कितने सरकारी कूये, तालाब, बावड़ी, मन्दिर और धर्मशालायें हैं जो कि दलित जातियों के लिए खोल दी गई हैं और जिनमें हरिजन बिना किसी ऐतराज के प्रवेश कर सकते हैं ?

(ख) क्या सरकार अब इस विषय में कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—(क) इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ख) अस्पृश्यता निवारण विधेयक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, उसके पारित होने पर।

प्रश्न संख्या ४९७

राजस्थान निर्माण के पश्चात् जन-सम्पर्क विभाग द्वारा राजस्थान के प्रशासनिक आंकड़ों की प्रकाशित पुस्तकें

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १९)—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

(क) राजस्थान-निर्माण के पश्चात् जन-सम्पर्क विभाग द्वारा राजस्थान के प्रशासनिक आँकड़ों (administrative statistics) की जनता की जानकारी-हेतु किस-किस प्रकार की कितनी पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं ?

(ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार अब इस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) राजस्थान के मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित प्रशासनीय सांख्यिक रिपोर्ट उनके सामयिक पत्र एवं प्रकाशनों द्वारा की जाती है। अतएव सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा तत्संबंधी प्रकाशन निकालना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४६८

श्री अध्यक्ष--श्री हरिदत्त।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६६

कुओं में पानी भरने के लिए मेड़ता सिटी में बोरिंग मशीन किराये पर रखी जाना

श्री भोपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बेरों में पानी भरने के लिये बोरिंग मशीन मेड़ता सिटी में किराये पर रखी जायगी ?

(ख) यदि हाँ, तो मशीन का किराया किस हिसाब से वसूल किया जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद—इस प्रश्न का सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--On a point of order, Sir, I would be grateful if you could kindly give a ruling that in case a question is wrongly addressed, what is the procedure ? Would the Minister concerned give a reply or it would lie in the mouth of the Minister to whom the question has been addressed that it does not relate to him ? After all it is a joint responsibility and some Minister or the other must be held reponsible. Reply cannot be evaded to a question on the ground that it is none of his business to give a reply... ..

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—The joint responsibility is there, but the joint knowledge is not there (करतल ध्वनि) Unless the question is directed to a right man, he cannot all at once give a reply.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जब क्वेश्चन्स १५ दिन पहले मिनिस्टरों के पास भेज दिये जाते हैं तो इससे १५ दिन का नोटिस मन्त्री महोदय को मिल जाता है। अगर वे समझते हैं कि इस सवाल का इस महकमे से ताल्लुक नहीं है तो उन्हें चाहिये कि १५ दिन के अन्दर दूसरे मन्त्री महोदय के पास जवाब के लिए वह भेजा जाय। इस पर, माननीय अध्यक्ष, आपकी रूलिंग की आवश्यकता है।

श्री श्रीदास गोयल—इसके लिए प्रोसीजर में २८ वाँ क्लॉज़ है जिसमें इसके लिए प्रोसीजर ले डाउन (lay down) किया गया है। उसमें "must" वर्ड साथ में है :—

"28 (1) it must relate to the public affairs with which the Minister to whom it is addressed is officially connected or to a matter of administration for which he is officialy responsible;"

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो आपत्ति उठाई गई है एडमिसिब्ल है। एक बार क्वेश्चन एडमिट हो जाता है तो मन्त्री महोदय के लिए जवाब देना लाजमी हो जाता है। इसलिए यह जो पोइन्ट रेज़ किया गया है यह इस पर लागू नहीं होता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—बहुत बहुत से, क्वेश्चन विचित्र होते हैं, जैसे क्या बेरों में पानी भरने के लिए बोरिंग मशीन मेड़ता सिटी में किराये पर रक्खी जावेगी, इसमें यह नहीं समझ में आता कि बेरों में पानी भरने के लिए इससे माननीय सदस्य का क्या आशय है ?

कु० श्री जसवन्तसिंह –On a point of order, Sir, I want a ruling from the Chair and not from any other Member.

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—He has drawn attention to the Rule.

श्री अध्यक्ष—(श्री जसवन्तसिंह को संकेत करके) If they can satisfy you !

(विराम)

You press the point ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Yes, because we see that the Ministers generally shirk the responsibility and we want to tell that they should not do so.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—They do not.

Page No.36

श्री अध्यक्ष—Ordinarily the admissibility of a question is decided according to the provision laid down in Rule 28, and every care is taken that a question is rightly addressed; but due to pressure of work or due to some other reasons, a question which is not rightly addressed is accepted by the office and is directed to be replied on the floor of the House. It should be expected that if it is wrongly addressed to a Minister then either he should seek time and reply it at any time or request in the House that the question is wrongly addressed and it shall be replied within a particular time.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान प्रश्न की भाषा की तरफ दिलाना चाहता हूँ......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह दूसरी बात है......

श्री जयनारायण व्यास—जिस भाषा से कोई अर्थ भी नहीं लगता, मतलब भी समझ में नहीं आता यह, किससे ताल्लुक रखता है, किस विभाग से सम्बन्धित है, तो वह सम्बन्धित विभाग जिसको यह प्रश्न दिया गया है यह पता ही नहीं लग सका कि किस विभाग को इसे भेजा जावे, तो इसमें प्रश्नकर्ता का दोष है, सरकार का दोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष—It is not about the merit of a particular question.

श्री जयनारायण व्यास—इस प्रश्न के बारे में कहते हैं, पर यह प्रश्न अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि असेम्बली में इसका जवाब दें या असेम्बली से बाहर जवाब दें।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह तो हम समझते हैं कि जब कोई मुश्किल सवाल होता है तो वह गवर्नमेंट की समझ में नहीं आता है!

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज! श्री तेजपाल।

प्रश्न संख्या ५००

बयाना कस्बे में बिजली की व्यवस्था

श्री तेजपाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बयाना कस्बे में बिजली की व्यवस्था सरकार कब तक कर रही है ?

(ख) सरकार द्वारा उक्त विषय में कई बार घोषणा किये जाने एवं वहाँ की जनता की बेहद माँग और इन्जीनियरों द्वारा दो वर्ष पूर्व सर्वे भी कर लेने के बावजूद यह व्यवस्था वहाँ अब तक क्यों नहीं की गई ?

(ग) देरी का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद्—(क) बयाना में इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपनी चालू योजना से किया जावेगा। पाँच-छः साल में इससे बिजली पहुँचेगी।

(ख) आर्थिक व्यवस्था ठीक न होने के कारण।

(ग) आर्थिक व्यवस्था ठीक न होने के कारण।

श्री अध्यक्ष—Now, the Question hour is over.

श्री श्रीदास गोयल—On a point of Order, Sir, कुछ थोड़ी सी देर से काम शुरू हुआ था आज, इसलिए थोड़ा समय और दिया जाए तो अच्छा हो क्योंकि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन्स भी दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—They will come. There are two perhaps.

So answer to the remaining questions will be laid on the table.

अल्प-काल सूचना प्रश्न

बंध मोरेल के निर्माण पर डूब में आने वाली सम्पत्ति का मुआवजा

Short Notice Question, Shri Sridas Goel.

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बंध मोरेल के निर्माण के सिलसिले में तहसील मलारना चौड के किस किस गाँव के निवासियों की सम्पत्ति पर सरकार द्वारा अधिकार किया गया ?

(ख) इन गाँवों के निवासियों को कब कितना रुपया बतौर मुआवजा दिए जाने का सरकार द्वारा निर्णय किया गया ?

(ग) इस मुआवजे की रकम अब तक ग्रामीणों को क्यों नहीं दी गई ?

(घ) क्या सरकार को मालूम हुआ है कि पीलूखेड़ा ग्राम के निवासियों का पूरा ग्राम उक्त बंध की डूब में आ गया और वहाँ के किसानों की हालत कई वर्षों से बड़ी दयनीय है ?

(ङ) क्या यह सही है कि ४-५ वर्षों से यहाँ की जनता सरकार के संबंधित अधिकारियों से मुआवजा दिए जाने की प्रार्थना कर रही है ?

(च) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने अब तक इस मामले में लापरवाही रक्खी ?

(छ) सरकार द्वारा कब तक इन ग्रामीणों को मुआवजा मिल जावेगा ?

Page No.38

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) बंध मोरेल के निर्माण के सिलसिले में ग्राम पीलूखेड़ा और मोरन्दा की जमीनें एक्वायर की गई।

(ख) इन गाँवों के निवासियों को ४८,२५६ रुपया सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजा के तौर पर देना तय हुआ है।

(ग) सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजा कायम नहीं होने के कारण।

(घ) हाँ।

(ङ) यह मामला २०-११-५० से चल रहा है।

(च) इस विषय को शीघ्र ही तय करने के लिए सिंचाई विभाग से लिखापढ़ी की जा रही है।

(छ) इस वर्ष के सिंचाई विभाग के बजट में इस रकम का प्रोवीज़न कर दिया गया है और शीघ्र ही अदा कर दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—यह फरमाया गया कि सिंचाई विभाग ने इसके मुतल्लिक कोई रकम कायम नहीं की थी तो फिर चैक किस तरह से चला गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अब भेजा गया, देर लगने के कारण ही।

श्री श्रीदास गोयल—जब बन्ध बनाया जा रहा था तो सरकार द्वारा बन्ध बनने से पहिले लैंड एक्विज़ीशन एक्ट में कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कार्यवाही की गई थी, पर रकम तय करने में समय लग गया। २०-११-५० से मामला चला था और इस वर्ष तय होकर रुपया भेज दिया गया।

श्री धूलजी भाई—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाँसवाड़ा जिले में जो तालाब खुद रहे हैं......

श्री अध्यक्ष—It is not a Banswara question.

गंग नहर क्षेत्र में पानी की दरें बढ़ाने पर आन्दोलन

Next, Shri Jaswant Singh.

कुँ श्री जसवन्तसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state ..

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—This question is also wrongly addressed, but the reply will be given.

श्री अध्यक्ष—The Members should address the Chair and not talk amongst themselves.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state :--

(a) Whether there is an agitation going on in Gang Canal Colony against increased water rates ?

(b) Who are the people who are agitating ?

(c) Whether any arrests have been made ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हाँ।

(ख) किसान आन्दोलन संयुक्त मोर्चा समिति।

(ग) हाँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—किस गुनाह में ये अरेस्ट्स की गई हैं ? डेमोक्रेसी में आन्दोलन करना तो स्वाभाविक है।

श्री भोगीलाल पंड्या—इन लोगों ने गैर कानूनी कार्यवाहियाँ की है, इसलिए।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या गैर कानूनी कार्यवाहियाँ की हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गवर्नमेंट ने वहाँ पर सिंचाई की कुछ रेट्स बढ़ाई थीं, इसको लेकर आन्दोलन की शुरुआत की और इसके बाद कुछ और माँगें भी कीं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या माँगें पेश करने से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे माँगें ही नहीं थीं, बल्कि वे जनता को लगान नहीं देने के लिए उकसा रहे हैं, इसलिए।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ये जो रेट्स बढ़ाई गई हैं कितनी-कितनी तादाद में बढ़ाई गई ? पहले क्या रेट्स थीं, अब और कितनी कर दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ये सब जो रेट्स पहले थीं उनसे करीब-करीब ड्योढ़ी कर दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष—It is exactly not within the scope of the question.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I am coming to the agitation.

Page No.40

श्री अध्यक्ष—Asking about rates, what is the enhancement and all this, does not come in the Short Notice Question.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—They come in this way that the agitation is based on the increased water rates.

अब ये जो रेटस बढ़ा दी गई हैं उनकी वजह से गवर्नमेंट की आमदनी में कितनी ज्यादा आमदनी और हो जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इससे १०,४६,६१२) रुपये की आमदनी बढ़ेगी, किन्तु वहाँ के कुछ जमींदार लोग आये थे; उनके साथ सरकार ने बातचीत की और उसके अनुसार २,६१,२४८ रुपये की कमी कर दी जायगी। इस तरह से ७,५५,६६४) रुपये की आमदनी बढ़ेगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या वहाँ भूख-हड़ताल भी चालू हो गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सुना था कि कुछ ने भूख-हड़ताल की थी। अभी यह मालूम हुआ है कि वह बन्द भी कर दी गई है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या कृपा कर माननीय मन्त्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि बीकानेर में आन्दोलन हुआ था उससे हमें यह अनुभव हुआ है कि सरकार द्वारा किसी सही बात के होने पर भी सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय पूरा ध्यान नहीं देता है और जनता को पूरी बात नहीं बतलाई जाती है कि कहाँ ठीक कदम उठा रही है और कहाँ गलत कदम उठा रही है ? इस पर गवर्नमेंट का रुपया बेकार जाता है। वह नहीं बतलाता है कि गवर्नमेंट क्या, कितना ठीक काम करती है जिससे जनता में गलतफहमी होती है।

श्री जयनारायण व्यास—सार्वजनिक-सम्पर्क-कार्यालय जहाँ करने का होता है, करता है। लेकिन जो जानबूझकर गलतफहमी फैलाते हैं उनके दिलों से वह गलतफहमी दूर नहीं कर सकता है।

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—सरकार के जितने भी ऐसे कदम होते हैं, उनकी सही हालत जनता को वह नहीं बतलाते हैं।

श्री जयनारायण व्यास—वे बराबर करते हैं लोगों से बातचीत, लेकिन सही या गलत आन्दोलन चलाना ही जिनका कार्य होता है उनके दिलों को बदलने का कार्य नहीं कर सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सम्बन्धित लोगों से बातचीत की या अपनी पार्टी के लोगों से ?

श्री जयनारायण व्यास—जो एजीटेटर्स हैं और जिनका काम सिर्फ बखेड़ा करना है उनसे बातचीत करना वाजिब नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लाखों लोग जो कि एजीटेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों से ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपसे ही यह सूचना मिली कि लाखों लोग हैं। मेरा ऐसा ख्याल पड़ता है कि कुछ फीगर्स गलत होने चाहिए या कुछ समझने में गलती होनी चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—समझने की गुंजाइश होनी चाहिए। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसकी सूचना देंगे मन्त्री जी, अगर लाखों नहीं हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—११।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस जुर्म के मातहत ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लोगों को लगान नहीं देने के लिए उकसाने आदि-आदि के बारे में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उन पर क्रिमिनल प्रोसीज़र के मातहत मुकद्दमे चलाये जायेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जानकारी प्राप्त करके कहूँगा कि किस-किस दंड विधान के अनुसार उनको सजा मिलेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी उनकी गिरफ्तारियाँ भी कौन से दंड-विधान के अनुसार की गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनकी, हरेक व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करके आपको सूचना दी जा सकती है बाद में।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार जो एजीटेशन को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी गिरफ्तार करने के विषय में सोच रही है या नहीं ? (हँसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या गंगानगर में जो वाटर रेट्स कायम किये गये हैं वह पंजाब के पास का जो इलाका है उससे ज्यादा है या कम ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहाँ से कम।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को पता है कि जहाँ-जहाँ भी वाटर रेट्स बढ़े हैं चाहे वह पंजाब हो, बिहार हो या यू० पी० हो, आन्दोलन नहीं हुआ है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इस बात को नहीं जानता। वही रेट्स कायम रहे हैं।

श्री कँवरलाल जेलिया—इस आन्दोलन के पीछे......

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

Page No.42

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय तक के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्दिष्ट है अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :—

श्री अमरसिंह—२२ मार्च से २८ मार्च तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विशेषाधिकार समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र तथा उनके स्थान में अन्य सदस्य मनोनीत होना

श्री अध्यक्ष—I have to inform the House that Shri Hari Deo, having resigned from the Committee of Privileges, a vacancy has occurred on the same and I have nominated Chaudhri Shri Ram Chandra Singh in his place.

सदन की भविष्य की बैठकों सम्बन्धी कार्य-क्रम

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Speaker, Sir, can we have any idea about the programme of the session ? Yesterday we had talks between the Chief Minister and myself and the Revenue Minister, and we tried to chalk out a programme. Many of the Members are in suspense and they would like to know the future plan as to what we are going to do and how long we will meet.

श्री अध्यक्ष—I wanted to know what is the wish of the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The leader of the House will be able to throw more light on the point.

श्री जयनारायण व्यास—मैंने इस सम्बन्ध में लीडर ऑफ दी ऑपोज़ीशन से बातचीत की थी और टेन्टेटिवली (tantatively) आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि अभी २६ तारीख तक बजट पर बहस खत्म कर दी जाय और २७ तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल.....

एक सदस्य—२७ को या २८ को ?

श्री जयनारायण व्यास—२८ तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल पास कर दिया जाय, अगर २७ को हो जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यह लीडर ऑफ दी ऑपोज़िशन से मैं चाहूँगा कि वे इस बात को सोच लें।

Page No.43

एक सदस्य—27 th is Saturday.

श्री अध्यक्ष—Will the Hon'ble Members like to meet on Saturday?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—There will be certain technical difficulties, because the Appropriation Bill will have to require at least three days' notice.

श्री अध्यक्ष—Now it is a bad precedent we are going to establish. If we look to the Central House of the People and all other Legislatures, nowhere the Appropriation Bill is discussed. When you can devote as much time for the demands, and once you pass the demands, there is no use discussing the Appropriation Bill. Either you do not pass the demands or if you do and come to the stage of the Appropriation Bill and inflict the same arguments on the House, I do not think, it is proper. I will appeal to all the Members of this House to build healthy conventions, conventions which have been established in the Central Parliament and other Houses.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—If that is the ruling, well, we are......

श्री अध्यक्ष—If the occasion arises, there will be ruling also but I appeal to all the Members of the House to......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—We are prepared to establish healthiest possible conventions in the House, this I can assure you; but at the same time, where we are faced with difficulty and our privileges and the question of rights come, - of course that is not the question at this stage - at present, we are to settle the programme. According to the rules, I may be wrong, but as far as I understand, according to the rules, any Bill will require 3 days notice, after introduction and therefore I say on technical grounds-probably some difficulty has arisen, and that difficulty may arise. Therefore, I thought that on the 26th the demands way be passed, then at the same time the Appropriation Bill may be introduced and then discussion may take place and on the 29th and 31st we will take it. It is actually what, as I understand, the Government might propose. We might not raise the issue of merits and demerits; whether the Appropriation Bill can be discussed or not.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर २६ तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल लिया जाय और प्राइवेट मेम्बर्स के रिज़ोल्युशन्स भी २६ तारीख को हो जाँय और ३१ को भी हो जाँय; और अगर २७ को भी हो जाँय तो मुझे कोई एतराज नहीं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--That is all right

श्री हरिदेव जोशी--29th is a non-official day

श्री जयनारायण व्यास--२६ और ३१ को कर दिया जाय। सब मेम्बरों की यही राय दिखती है।

फिर मेरा ऐसा खयाल है कि कुछ दिन के लिए विश्राम देना चाहिए और १६ तारीख को फिर वापिस मिला जाय। उस बीच में थोड़ा बहुत हम भी दफ्तरों का काम करेंगे, सिलेक्ट कमेटी का कोई काम-काज हो तो वह भी हो जायगा और सदस्य लोग भी अपना काम कुछ देख सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--After that we adjourn ?

श्री जयनारायण व्यास--२६ को एप्रोप्रिएशन बिल और नोन ऑफिशियल बिज़नेस (non official business) भी हो सकता है। उसके बाद एड्जर्न हो जाय, १६ तारीख को दुबारा मिल लें। अप्रेल में मेम्बरों को कुछ भी काम हो तो वे जा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य (विपक्ष की ओर के)--we approve.

श्री अध्यक्ष--Then should we meet on the 31st or 29 ?

श्री जयनारायण व्यास--On the 31st.

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, बड़ी गड़बड़ हो जायेगी अगर यह प्रोग्राम रखा जायगा तो। राजप्रमुख के द्वारा २ ऑर्डिनेन्सेज़ निकाले गये हैं। कायदा यह है कि जिस वक्त असेम्बली हो तो उसके ६ हफ्ते के अन्दर-अन्दर वे असेम्बली के द्वारा पास हो जाने चाहिए। ३१ तक ही रखा गया तो ६ हफ्ते निकल जायेंगे और अगर वे पास नहीं होंगे तो कानूनी दिक्कतें पैदा हो जाँयगी, हाईकोर्ट वगैरह में। इसलिए जो २ ऑर्डिनेंसेज़ ६ हफ्ते के अन्दर-अन्दर पास हो जाने चाहिये उनको जरूर ले लिया जाय और फिर बाकी चीज़ बाद में ले ली जाँय।......

श्री अध्यक्ष--This is a friendly advice.

डा० श्री मंगलसिंह--For the first time !

श्री जयनारायण व्यास--यह बहुत ही वाजिब सलाह है और मैं श्री गोपीलाल जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। ऐसी हालत में हम और भी १-२ दिन ३१ मार्च से आगे रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--You take it by heart ?

श्री जयनारायण व्यास--I thank him by heart.

माँग संख्या १-भू-राजस्व (क्रम में)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष जी, लेंड रेवेन्यु के सिलसिले में जो माँग कल सदन के सामने प्रस्तुत हुई उस पर मैंने ४ कटौती प्रस्ताव रखे हैं और मैं एक ही साथ चारों को मूव कर देता हूँ। एक ही साथ मूव किये जाँय, क्या यही आज्ञा है।

श्री अध्यक्ष—Yes, all at a time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—[1. That the demand No. I, relating to 7-Land Revenue, be reduced by Rs. 60,00,000/-; (Economy-Retrenchment of item II-compensation).

2. That the demand No. I, relating to 7-Land Revenue be reduced by Rs. 99,000/-; (Economy-Retrenchment of expenditure on Assignment and compensation).

3. That the demand No. I, relating to 7-Land Revenue be reduced by Rs. 1000/-; (to discuss failure to recover charges from Jagirdars and Thikanedars).

4. That the demand No. I, relating to 7-Land Revenue be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the extremely high rent rates being evolved).]

दो तो मेरे कटौती के प्रस्ताव इकोनोमी से सम्बन्धित हैं और दो अलग दूसरे विषयों से। सब से पहला कटौती का प्रस्ताव है कंपेन्सेशन की जो रकम रखी गई है उस बारे में। जागीर पुनर्ग्रहण के बाद उनको मुआवजा देने के लिये सरकार ने जो ६० लाख की रकम रखी है मेरी राय में

(डा० श्री मंगलसिंह, सभापति, पदासीन)

वह न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि जनता पर एक बड़ा भारी बोझा है। माननीय चेयरमेन, हाउस में खलबली ज्यादा हो रही है, इसलिये यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी आवाज की वोल्यूम और बढ़ा दूँ, ये जो ६० लाख रुपये आज खर्च किये जा रहे हैं, इसके विषय में बतला दूँ। कल माननीय मुख्य मन्त्री जी के मुँह से सुना था कि ५ लाख रुपये की रकम छोटी-सी रकम है, इसे यदि महाराणा उदयपुर को दे दें तो इसमें क्या हो जायगा। वैसी ही छोटी-सी रकम आज उनके लिये ६० लाख रुपये की रकम है, जो अगले साल बढ़ कर ७५ लाख हो सकती है और उससे अगले साल राजस्थान की रेवेन्यु के २५ करोड़ रुपये उनको मुआवजा देने में खर्च करने पड़ें तो भी उनको छोटी सी रकम ही नजर आयगी। माननीय चेयरमेन, ऐसे खर्च के लिये पाँच लाख रुपये की रकम छोटी सी मालूम होती है लेकिन जब आम लोगों से सम्बन्धित ५ हजार रुपये का खर्चा करने का सवाल आता है तो कहते हैं कि बजट में उनके पास पैसा नहीं है। सारा जगत इस बात से परिचित है और सारा सदन इस बात से परिचित है कि ये मुआवजे के रुपये दिये जाते हैं तो वे व्यर्थ ही जायेंगे। ऐसी राय केवल मेरी ही नहीं है। मेरी राय के लिये तो यह कहा जायगा कि यह केऑस (Chaos) पैदा करना चाहता है या

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अनर्गल बक रहा है। लेकिन वे ऐसी बात करते हैं। राजस्थान में काम करने वाले भारत सरकार के आई. सी. एस. हैं उनका नाम है श्री वेंकटाचार, जिनको राजस्थान में जागीरी प्रश्न की जाँच करने के लिये नियुक्त किया था। उन भारत सरकार के आई. सी. एस. अफसर महोदय ने यह राय दी और यह नतीजा निकाला कि राजस्थान में जागीरों का मुआवजा देना कोई कानूनी प्रश्न नहीं है। मुझे ताज्जुब और अफसोस है, उधर बैठने वाले मेरे मित्र जो आई. सी. एस. लोगों की सेवाओं के खिलाफ कभी कभी गला फाड़ते हैं और वाजिब गला फाड़ते हैं; लेकिन उन आई. सी. एस. महोदय की राय के बावजूद भी उनसे भी नीचा काम करने को आप तैयार हैं। माननीय चेयरमेन, क्योंकि सदन में अब आॅर्डर आगया है, मैं अपनी आवाज की वोल्यूम कम कर रहा हूँ।

दूसरा कारण मुआवज़े की रकम का विरोध करने का यह है कि इधर तो ६० लाख रुपये जागीरदारों को मुआवजे के रूप में दिये जाने की माँग की जा रही है और उधर १० लाख रुपये वसूल करने के लिये गंगानगर जिले के किसानों को तंग किया जा रहा है, जिनकी आबादी २ लाख से ज्यादा है। उन दो लाख लोगों से ज्यादा कर वसूल करने के लिये आज वहाँ गिरफ्तारियां की जा रही हैं और मन्त्री जी को मालूम भी नहीं है कि ये गिरफ्तारियाँ किस के आॅर्डर से की जा रही हैं। जिन लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक ओर ६० लाख रुपयों का मुआवजा दिया जा रहा है १०, २०, १०० या २०० आदमियों को और दूसरी ओर २ लाख आदमियों से १० लाख रुपये वसूल करने के लिये दमन किया जा रहा है। यह साफ जाहिर करता है कि राजस्थान में इस प्रकार का कदम उठाना वाजिब नहीं कहा जा सकता। आप कहते हैं कि विधान आड़ा (बीच में) आता है। लेकिन उसको भी किसी न किसी प्रकार से हल करने का तरीका है और उसके लिये यदि मन्त्री महोदय काॅंस्टीट्युशनल वे (Constitutional way) से काम करने को तैयार हैं तो मैं कहूँगा कि आप सदन में इस चीज़ को लाकर मुआवजे की रकम तय करा सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि मुआवजा सौ साल तक मिलेगा और पहले पाँच साल तक कुछ नहीं मिलेगा। जो छोटे-छोटे लोग हैं उनको चम्बल पर बसाने का प्रोविजन किया है लेकिन आज जो रकम खर्च की जा रही है उसका बड़ा भाग आप किसानों की बहतरी के लिये क्यों नहीं खर्च करते?

यह महत्वपूर्ण मांग है इसलिए इसका कल एडजोर्नमेन्ट प्रस्तुत हुआ था। मैं अब दूसरे कटमोशन पर कुछ कहूँगा, जिसके बारे में कम से कम ५ बार इस सदन में बहस हो चुकी है। सब से पहली बहस २३ अक्टूबर, सन् १९५२ को हुई थी जब कि प्राइवेट मेम्बर्स के लिये वह दिन नियत था और सेटलमेंट के सिलसिले में मैंने एक प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया था। यदि आप उस दिन की प्रोसीडिंग्ज पर गौर फरमायेंगे तो उसमें रेवन्यु मिनिस्टर साहब के शब्द छपे हुए हैं कि बहुत जल्द सेटलमेंट मेन्युअल तैयार करके शाया किया जायगा और जो रेन्ट की रेटस बढ़ी हुई हैं उनको ठीक किया जायगा। अक्टोबर ५२ से मार्च ५४हो गया और मेरा ख्याल है कि अक्टोबर ५४ होने में कोई खास कठिनाई नहीं होगी। दो साल बीत जायेंगे, डेढ़ साल बीत चुका है लेकिन अब तक वह मेन्युअल सेक्रेटेरियट के बाहर भी नहीं पहुँचा और किसानों के पास पहुँचने में तो अभी बहुत समय चाहिये। नतीजा यह होता है कि मन्त्री जी कहते हैं कि हम सब बातों पर विचार करते हैं, ओब्जेक्शन्स सुनते

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं लेकिन मेरी शिकायत यह है कि ऑब्जेक्शन सुनते हैं लेकिन उनका फैसला नहीं देते। केवल सुनने से ही क्या होता है?

आज से दो साल पहले मेड़ता तहसील में लगान की दरें मुकर्रर हुई थीं और मेरा खयाल है कि इस सदन में बैठने वाले बहुत से सदस्य और उस तरफ से चुन कर आए हुए सदस्य इस बात की साक्षी देंगे कि उसके खिलाफ किसानों ने सालों तक आन्दोलन किया। दो साल पहले चौथे हिस्से पर जो दरें मुकर्रर ३ रु० ८ आ०, ३ रु० १२ आ० थीं, वे दो साल के बाद, माननीय चेयरमेन, अब दरें प्रकाशित होती हैं।

जोधपुर की जमीन मेड़ता की जमीन से कुछ कम कीमत की, कम उपजाऊ जमीन है ऐसा सरकार के रेकर्ड से साबित है, जोधपुर की तहसील को नीचा बताया है। जो मेड़ता का लगाने मुकर्रर करते समय $\frac{1}{4}$ हिस्सा था उसको घटा कर $\frac{1}{6}$ कर दिया गया लगान का हिस्सा कम हुआ पर राजस्थान सरकार की गणित दुनिया से न्यारी पड़ती है कि लगान की दर डेढ़ गुनी हैं, ४ रु० ६ आ० की दर जोधपुर तहसील में हो गई। मैं माननीय रेवेन्यु मन्त्री से चाहूँगा कि वे इसका स्पष्ट उत्तर दें, गोल-माल में उत्तर न दें। चाहें तो अर्थ शास्त्र, गणित शास्त्र के एक्सपर्ट को बैठा दें, चाहे सेटलमेंट करने वाले ऊँचे से ऊँचे अधिकारी को बैठा दें, कोई फरक नहीं पड़ता। तो फिर लगान की दर डेढ़ गुनी कैसे की जाती है, इसका वे माकूल सबूत दें।

मेड़ता के नजदीक नाँवाँ आता है, साँभर का इलाका आता है। वह इलाका जमीन की किस्म से खारा पड़ता है इसलिये हल्की जमीन है लेकिन वहाँ की दर ८रु० ७ आ० हुई है। मैं सारे राजस्थान में, पिछले दो वर्षों में राजस्थान की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं उसके जरिये बता सकता हूँ कि जसवन्तपुरा तहसील में सेटलमेंट के रेकॉर्ड में यह बात मौजूद है। दो सेटलमेंट ऑफिसर्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो ४, ४॥ मन फी बीघा जसवन्तपुरा तहसील में गेहूँ की प्रोडक्शन निकली।

जोधपुर-फुलेरा तहसीलों में एवरेज गेहूँ की पैदावार ली जाती है ६ मन। जसवन्तपुरा से डेढ़ गुना उपजाऊ जोधपुर का बंजर इलाका लिया जाता है। तो इस तरह साफ है कि दर मुकर्रर करने का राजस्थान में कोई साइंटिफिक आधार नहीं, मन-माना तरीका हो रहा है। इस तरह लगान बढ़ाया जा रहा है, सरकार की तरफ से उसूल ही यही है कि इसको बढ़ाया जाय। (घन्टी)

मैं कुछ मिनट और चाहूँगा।

बाँदीकुई के सदस्य बिजली के बारे में यहाँ सदन में सवाल उठावें, पर (अश्रव्य) में साढ़े तेरह और जमवा रामगढ़ में साढ़े सत्रह रुपया दर लगी है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती। दो साल पहले मेन्योर का आश्वासन दिया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल पेश करना चाहता हूँ। वह यह है कि न सिर्फ लगान की दर बढ़ाई जाती है बल्कि कानून की दुहाई देने वाली सरकार के अपने किसानों के अनाज पर डाका पड़ता है और राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री की ओर से उसकी पीठ थपथपाई जाती है। यह किस्सा है सुरायताँ के जागीरदार का। वहाँ के किसानों ने तहसीलदार के सामने अर्जी पेश की कि हमारा जागीरदार जबरदस्ती चौथा-पाँचवाँ बाँटा लाटना चाहता है, हम छठे हिस्से से ज़्यादा नहीं देना चाहते, अमीन भेजिये।

तहसीलदार के कोर्ट में इस अर्जी की सुनवाई होती है। ६ तारीख को जागीरदार की की एप्लीकेशन तहसीलदार रिसीव करता है। जागीरदार कहता है कि मेरी जमीन है और ये मेरे नौकर हैं। तहसीलदार इस नतीजे पर पहुँचता है और फैसला देता है कि यह नौकर रखने का झूठा बहाना है और अमीन भेज कर छठे हिस्से से लाटने का हुक्म देता है।

७ तारीख को अमीन वहाँ पहुँचता है, तो क्या देखता है कि सुरायताँ के ठाकुर ट्रेक्टर, ट्रोली लिये हुए वहाँ पहुँचे हैं, आठ-दस आदमी खड़े है और धड़ाधड़ गेहूँ उठा-उठा कर ले जा रहे हैं। अमीन बोलता हैं तो ४ तमाचे रखता है। वह रोता हुआ तहसीलदार के पास आता है और रिपोर्ट देता है कि मैंने रोका, पर जागीरदार के आदमी किसानों का अनाज जबरदस्ती ले गये। किसान आकर एप्लीकेशन पेश करते हैं, परन्तु आज तक एक चप्पा भी कार्यवाही जागीरदार के खिलाफ नहीं होती है। जागीरदार जोधपुर में आकर मिलता है। जोधपुर के उपचुनाव के समय काँग्रेस के केन्डीडेट के मकान में राजस्थान के मुख्य मन्त्री, उन सुरायताँ के जागीरदार से मिले। वहीं आई. जी. पी. को बुलाया और कहा कि यह छोटी-सी शिकायत मालूम होती है, तुम इसमें देखना।

उस दिन से आज तक उस केस में कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। जागीरदार के इशारे पर नाच कर खुले आम डाका किया, उसको राजस्थान के मुख्य मन्त्री द्वारा दबा दिया गया।

दूसरे एक केस इसी तरह पर है। जोधपुर के बहुत ही नजदीक भँवर गाँव है, वहाँ का बहुत दिलचस्प किस्सा है। आज से कई साल पहले वहाँ चकबन्दी हुई। वह गाँव जागीर के और सरकार के बीच में बंटा हुआ था, हिस्सा बंटा हुआ था, एरिया बंटा हुआ नहीं था। लगान सरकार वसूल करती थी, आधा सरकार रखती थी और आधा जागीरदार को देती थी। जागीरदार ने देखा कि पैसों में लगान मुकर्रर हो गया तो मुझे आमदनी कम होगी। उसने अर्जी की कि मेरा गाँव आधा बाँट दिया जाय और इस तरह उस गाँव का एरिया बाँट दिया गया और आधा जागीरदार को दे दिया गया। आधे गाँव की काँकड़ जागीरदार की और आधी काँकड़ उस समय की जोधपुर सरकार की तरफ हो गई।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन चकबन्दी वैसी ही कायम रही। आज तक उस चकबन्दी को रद्द करने के लिये एक भी हुक्म जोधपुर सरकार के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं हुआ। वहाँ के किसान आये और कहा कि हमारे यहाँ चकबन्दी हो गई, उन्होंने पट्टे दिखाये। माननीय रेवेन्यु मन्त्री जी साहब ने हुक्म निकाला कि इस सवाल की जाँच की जाय और तब तक लटाई रोक दी जाय। लेकिन होता यह है, माननीय चेयरमेन, कि वह हुक्म यहाँ से जोधपुर की तहसील से उस गाँव तक पहुँचता ही नहीं कि इसी बीच में माननीय चीफ मिनिस्टर साहब दौरे पर जोधपुर पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ कुचामन हाउस में पधारते हैं, वहाँ उनके कान में फूंक भरी जाती है और कहा जाता है कि मेरा यह मामला है। मेरा यह इलजाम है माननीय चेयरमेन, कि कुचामन हाउस में जब उनके कान में फूंक भरी जाती है तो गैर कानूनी तरीके से हुक्म बदल दिया जाता है और कहते हैं कि लाटे वापिस चालू कर दिये जावें। एक सरकारी मन्त्री ने जाँच की और हुक्म दिया और दूसरे मिनिस्टर जाकर कहते हैं कि मैंने जाँच कर ली है और इस हुक्म की जरूरत नहीं रही है। हकीकत में ये सब बहाने लिये जा रहे हैं और कहा जाता है कि हमने जाँच कर ली है, उनके बहुत पुराने पट्टे थे। पुराने पट्टे थे इस बात को मान कर भी उस एरिया में रेवेन्यु सेटलमेंट हुआ। मैं माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि वे इस सदन में क्या एक भी इस प्रकार का कॉम्पीटेन्ट ऑर्डर बतला सकते हैं जिसके मुताबिक वे पट्टे रद्द किये गये? मैं माननीय मन्त्रीजी को ३-४ ऐसे ऑर्डर बतला सकता हूँ जहाँ कि चकबन्दी हुई और उसको जागीर में दे दिया और वे पट्टे अब भी चालू हैं। भूतपूर्व रियासत जोधपुर में चकबन्दी होने की हालत में लोग जागीर के इलाकों में भी अगर चले जाते थे और २० साल तक कोई रिविजन चकबन्दी नहीं होती थी, फिर भंवर के गाँव में ऐसा क्यों नहीं किया ?

मैं यह कहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर सिर्फ ६० लाख रुपये देकर या २५ करोड़ रुपये देकर जागीरदारों से वादा करते हैं लेकिन वे बड़े-बड़े जागीरदारों के इशारों पर चलते हैं और कठपुतली की तरह नाचा करते हैं और उनके पक्ष में उनके केसों में भी दखल करते हैं। आज राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं, किन्तु वे जागीरदारों के इशारों पर चलने वाले कठपुतली बन गये हैं। इसलिये मैंने यह कट मोशन पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन सब बातों को वे लोग गोलमटोल नहीं करेंगे और माननीय चीफ मिनिस्टर इनका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—(To discuss the lawlessness prevailing in the administration of the department and its disastrous policy of exploiting the kisans more and more)

माननीय अध्यक्ष, रेवेन्यू विभाग के सम्बन्ध में मुझे कुछ शिकायत है और इसी कारण मैंने अपना कट मोशन पेश किया है।

[श्री गोपीलाल यादव]

सबसे पहली शिकायत तो मुझे यह है कि जमीन के एलॉटमेंट के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की नीति बड़ी गलत है। गवर्नमेंट ने यह कर रखा है कि इस कार्य के लिये उन्होंने कांग्रेस सदस्यों की कमेटी जिले और तहसीलों में बना दी है। भरतपुर और अलवर में इसी तरह की कमेटियें हैं, वे कमेटियें जो कर रही है अगर उस पर मेरे मित्र ध्यान दें तो उनका कलेजा धधक उठेगा और मैं बतलाऊँ कि अगर वे कांग्रेस के सदस्यों से भी पूछें तो वे भी बतलावेंगे, वे भी तजुर्बा रखते हैं कि कांग्रेस कमेटियें क्या करती हैं? ये कमेटियें यह करती हैं कि जिनके पास जमीनें ५०, ४० या ३० साल से पहले से है उनको उनसे छीन कर दूसरों को दे देते हैं। इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि आया यह उसकी जमीन है या नहीं। इस सम्बन्ध में नये-नये कानून रोज बना लेते हैं। पहले सरकार की तरफ से कानून बना था कि ३० बीघा जमीन हो, उसके बाद १५ बीघा बनाया गया। मगर रेवेन्यु मिनिस्टर ने कहा कि यह नई जमीनों के लिये १५ बीघा का कानून है। मैं उन कमेटियों में रहा हूँ, मुझे इसका अनुभव है; वे नई जमीनों के लिये ही नहीं बल्कि पुरानी जमीनों के लिये भी हैं। मैं यह कहूँगा कि पुरानी जमीनें भी लोगों से छीनी जा रही हैं और दूसरे ऐसे लोगों को दी जा रही हैं जिनका कोई हक नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर खरेनी गूजर, बैर तहसील जिसमें दरोगा गुजर के पास ५० साल से जमीन चली आ रही है उसको पिछले चार वर्षों से हर वर्ष उससे छीन कर दूसरों को दे देने के सम्बन्ध में जब उससे जमीन छीन ली जाती है तो वह कोशिश करता है, आफिसरों के पास जाता है; कहीं से उसको न्याय मिलता ही है और उसकी जमीन उसको वापिस मिल जाती है। फिर दूसरे साल उससे छीन ली जाती है और फिर वह उसको वापिस लेता है और फिर उसी जमीन को तीसरे साल दूसरे को उससे छीन कर एलोट कर देते हैं। फिर वह सैकड़ों रुपया खर्च करता है और ओफिसरों के पास जाता है और फिर कहीं उसको इन्साफ मिलता है और वापिस जमीन उसको मिलती है। तीसरे साल यह हुआ कि जो जमीन बंजर थी उसको तो छोड़ दी और जिस जमीन में उसने काश्त करने के लिये कूआ आदि बनवाया था वह छीन ली और यह कहा कि यह जमीन ३० बीघा से बाहर है और इस प्रकार दूसरे को दे दी तथा कब्जा दूसरे को दिलाने के लिये पुलिस भिजवा दी गई। वह जब मुकाबला करने के लिये खड़ा हो गया तो उसको गिरफतार करवाकर हवालात में बन्द करा दिया। अलवर-भरतपुर के बीसियों ऐसे मामले हैं जिनमें पट्टा कमेटियें अन्याय कर रही है इसलिये यह एक दम बन्द कर दिया जावे और दूसरी बनाई नहीं जावे और अगर बनाई भी जावे तो कम से कम उसमें किसी भी कांग्रेसी आदमी को न लिया जावे। इसका कारण यह है कि कांग्रेसमैनों के हाथ में गवर्नमेंट है। कांग्रेसमैन गवर्नमेंट की ताकत के भरोसे पर बेईमानी करते हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार की कमेटी बनाई ही नहीं जावे और बनाई जावे तो एक भी कांग्रेसी उसमें नहीं लिया जावे। मैं यह कहूँगा कि हमको हमारे सरकारी अफसरों की ईमानदारी पर भरोसा है और उन्हीं से हमको इन्साफ मिलता है। जब हमको कलेक्टर आदि से न्याय मिल सकता है तो फिर पट्टे-कमेटियों की क्या आवश्यकता है? पट्टा कमेटियों की मौजूदगी में कलेक्टर और दूसरे अधिकारी दखल नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई उनके (पट्टा कमेटियों के) खिलाफ किया तो उन ओफिसरों का ट्रान्सफर जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर कर दिया जावेगा। यह फेक्ट है। इसलिये वे ऐसा जवाब नहीं देंगे कि आप केस की पैरवी कर रहे हैं। यह पैरवी का सवाल नहीं है, यह फेक्ट है जिसको मैं इन्साफ के लिये आपके सामने रखता हूँ।

[श्री गोपीलाल यादव]

दूसरी चीज़ रेवेन्यु डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में है। वह यह है कि रेकॉर्ड्स ऑफ राइट (Records of Right) में घोटाला होता है। मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर देते हुए कहा कि ऐसी चीज नहीं हो रही है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जयपुर में बैठे रहें फिर भी पटवारी को ५०) रुपये देकर एक जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज करा लीजिये। ऐसे हजारों केसेज़ में हुआ है और होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रिपोर्ट मांगें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। हजारों आर. पी. टी. ओ. इस प्रकार की अर्जियों का फैसला करते हैं कि इन्द्राज ठीक दर्ज नहीं किये हुये हैं. और गलत हैं। इसलिये मैं अर्ज करूँगा कि एस. डी. ओ. आदि के नाम रेवेन्यू बोर्ड एक सर्क्युलर निकाले जिसमें जितने भी केसेज़ लेन्ड रेवेन्यु में रेकॉर्ड्स ऑफ राइट में करप्शन (भ्रष्टाचार) के हों या जितने मुकदमों में पटवारियों ने गलत इन्दराजात किये हों उनके मुतल्लिक जो हुक्म दिया गया हो, उन हुक्मों की नकलें आपके पास भेज दें ताकि आपको पता हो जावेगा कि यह धाँधलीबाजी और बेईमानी किस प्रकार चल रही है। पटवारियों की तरफ से जो गड़बड़ हो रही है उसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह चीज हमेशा चलती रहेगी।

इसके अलावा सबसे बड़ी शिकायत जो है, वह यह कि किसानों को बरबाद करने की सरकार की नीति है। मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट के समय में किसानों के मोजू रहा है। अगर गवर्नमेंट के दूसरे अधिकारियों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई भी तो रेवेन्यू विभाग ने और उनके अधिकारियों ने उसका मुकाबला किया और उन्होंने किसानों को बरबाद होने से बचाया। राजा-महाराजाओं के जमाने में भी उन्होंने उनकी मदद की। लेकिन आप खुद इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे और किसानों की रक्षा नहीं करेंगे तो किसानों की रक्षा नहीं हो पावेगी। आज भरतपुर-अलवर के किसान दो रुपये लगान देते हैं। वहाँ का सरकारी लगान ४ आने से एक रुपया तक है, लेकिन वे लोग दो रुपये देते हैं। आप एक तरफ तो किसानों के हित के लिये यह हुक्म निकालते हैं कि दो रुपयों से ज्यादा लगान नहीं लिया जावे और उधर दूसरी तरफ आप राजस्थान में १३), १७), १८) रुपयों तक लगान ले रहे हैं। अगर आप १७) रुपये बीघा लगान लेते हैं तो आपको यह कहने का कोई हक नहीं है कि फलां जगह इतना लगान लगता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह १७), १५), १३), १२), या ८) रुपये और ३) रुपये लगान के लिये जाते हैं ये सब किसानों को लूटने के लिये हैं। आपकी रेट है वह पंजाब, यू० पी० आदि में जो रेटें हैं उनसे ज्यादा किसी हालत में राजस्थान के किसी भी हिस्से में रेट नहीं लगानी चाहिये। उससे कम जरूर है, बारह आने हैं, आठ आने हैं और चार आने भी हैं। किन्तु, आपने १७), १८) लगाया है और ऑर्डिनेन्स निकाला है। मैं प्रार्थना करूँगा कि किसान गूँगा है, बहरा है और उधर बैठे हुए उसके प्रतिनिधि नहीं बोल सकते हैं। किसानों में तो एक तरह से बवंडर मचा हुआ है। आप चाहे ⅙ से लेकर ⅛ रेन्ट रेट मुकर्रर करदें किन्तु इसको आप वापिस ले लीजियेगा। आप चाहें तो उसकी नेट प्रोड्यूस का ⅙ ले लें, किन्तु ग्रोस प्रोड्युस का नहीं। आप अगर हिसाब लगावें तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि सारे परिवार वाले जो कि मेहनत करते हैं उसका खर्चा निकालें तो उसके पास ⅙ बचेगा नहीं और जब कि आप ⅙ लगान लेना चाहेंगे और जब लगान केश (Cash) में मुकर्रर हो जायगा तो आधा खातेदार टिनेन्ट्स से लिया जायगा और खातेदार टिनेन्ट स दूसरे टिनेन्ट्स को आधा, जो कानून के माफिक है, दे सकता है। तो इस

[श्री गोपीलाल यादव]

हिसाब से दूना लगान ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ½ आपने लिया, दूना वह लेगा और इस हिसाब से ½ तो उसका चला गया जो कि बुरा से बुरा, ऐसा तो जागीरदारों की जागीरों में भी कभी नहीं किया गया, आप करने जा रहे हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि "Charity begins at home"; तो जो आप करना चाहते हैं ईमानदारी से तो पहले आप शुरू करिये। आपने कानून बनाया टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। इससे किसान मुसीबतों से बच गये। किन्तु, दूसरी तरफ आप क्या करने जा रहे हैं? आपने दूसरा कानून बना दिया है, राजस्थान संरक्षण कानून और यह कानून सरकारी जमीनों पर लागू नहीं होगा। राजस्थान के अन्दर तो सिवाय अलवर, भरतपुर और कोट कासिम के और दरअसल जो कि पंजाब से मिले हुए हैं और जहाँ-जहाँ सेटलमेन्ट हो चुका है, बाकी सब सरकारी जमीन है राजाओं और जागीरदारों की; उन पर आपने कह दिया है कि वह कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? आप छोटे-छोटे टिनेन्ट्स को तो बेदखल नहीं कर सकते हैं और जो लाखों बीघा के स्वामी हैं और मालदार होकर रहते हैं वे किसानों को बेदखल कर सकते हैं। इसी तरह से सरकारी जमीनों के लिए भी सरकार का उद्देश्य एक होना चाहिए। आप चाहें जिस किसान से जमीन छीन कर आप जिस किसी को उससे खुश करना चाहें, तो यह चीज़ बन्द हो जानी चाहिए। यह कानून सरकारी और गैर सरकारी सब ही जमीनों पर एक जैसा होना चाहिए। एक यह नीति गवर्नमेंट कानून पास करते वक्त बना लेती है कि इस कानून को सरकार इस इलाके में जब लागू करना चाहेगी, करेगी, इसकी मुझे बड़ी शिकायत है। आप ठीक ढंग से फिर उसको रखिये। करौली के अन्दर इस कदर हाई रेट्स थे कि वहाँ ५) और ८) बीघा तक रेन्ट है, इससे वहाँ का किसान पिस रहा है। वहाँ के लेण्ड लॉर्ड्स पांच से दस और आठ से १६ ले रहे हैं। किसान पांच रुपया खुशी से दे रहा था किन्तु आप कहते हैं, यदि आप चार आना देते हैं तो दो आना आप ले लीजिये और दो आना गवर्नमेंट लेगी। तालाबों के बारे में आपने कोई हिसाब नहीं लगाया। वहां एक-एक बीघा में पचास-पचास मन अन्न पैदा होता है। कानून बनाते वक्त इन चीज़ों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक शिकायत खास रेवेन्यु डिपार्टमेंट से करनी है और जिसके बाबत मैं कह रहा था कि जो सुविधाएँ हमें किसानों को और उनके बच्चों को देनी चाहिए वे हम नहीं दे रहे हैं। जैसा आप एक कानून बना रहे हैं और बनाया हुआ भी है कि एक किसान मिलिटरी में चला जाता है तो वह अपनी जमीन वापिस लौटकर ले लेगा, लेकिन अगर एक किसान सरकारी नौकरी में आता है तो नौकरी छोड़ने पर वापिस जमीन नहीं ले सकता है किन्तु उसको बेच सकता है। पंजाब के किसान सबसे अच्छे रहे। वहाँ की गवर्नमेन्ट ने किसानों की जमीनें नहीं बिकने दीं। अगर आप भी किसानों की हिफाजत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ किसानों की मदद हो सकेगी।

इसके अलावा जो मुझे खास बात कहनी है वह यह है कि कूओं पर जो आपकी ढाई रेट्स हैं वे ज्यादा हैं और वह उस हालत में है, जब कि आप उन पर एक पैसा भी इनवेस्ट का खर्च

[श्री गोपीलाल यादव]

नहीं करते हैं। कांग्रेस का सारा प्रोपोगेन्डा अंग्रेजों के जमाने में यह रहा कि कुए हम बनावें और सरकार क्यों ढाई रेट्स ले। यह तो इन्साफ की चीज़ है कि तालाब बनावें, बन्ध बनावें तो आप सिंचाई का पैसा लें, किन्तु किसान कुआ बनाता है अपने पैसे से और फिर आप उस पर लगान करदें दुगुना और तीन गुना। ऐसा होने पर दुगुना और तीन गुना लगान क्यों लिया जाय? उन चीज़ों पर आप जरूर ले लीजिये जिससे सरकार की आमदनी बढ़ती है और डेवलपमेन्ट के कामों में खर्च होती हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसान कुआ बनाता है तो अपने (उसके) पैसे द्वारा बनाये हुए कुओं पर भी आप दुगुना और तीन गुना लगान ले लें। कुछ ले लीजिये, लेकिन इतना नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे एक चीज़ और कहनी है और फिर मैं खत्म कर दूँगा और वह यह है कि अफसरों के ट्रान्सफर्स में अजीब चीज चल रही है। जो रेवेन्यु के काम में माहिर हैं उनको तो ज्युडिशियल में लगा दिया जाता है और जो रेवेन्यु का काम नहीं जानता उनको तहसीलदार या एस. डी. ओ. बना दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि सेटलमेन्ट का काम नहीं जानने वाला सेटलमेन्ट में चला जाता है और दूसरा दूसरी जगह। यह आम तौर पर हो रहा है तथा भरतपुर और अलवर में ऐसे अफसर बता सकता हूँ जो रेवेन्यु के काम को नहीं जानते और वहाँ बैठे हुए सारा काम चौपट कर रहे हैं।

इसके बाद जो मुख्य चीज़ है वह यह कि आप जागीर रिज़म्पशन को जितना टाल रहे हैं, उतनी ही उसमें देरी हो रही है और महरबानी करके अब इससे ज्यादा दिन न छोड़ा जाय। समय नहीं है। इसमें देरी हुई तो किसानों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जावेंगी।

श्री अध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

श्री कपिलदेव।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता

श्री चांदमल मेहता—[1. "That the demand for Grant No. I in respect of 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the false entries made by Patwaries in 'Gasht Girdawari')."

2. "That the demand for Grant No. I in respect of 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government in removing 'Lag-dustoors' in Kishengarh Sub-Division)."

[श्री चाँदमल मेहता]

3. "That the demand for Grant No. I in respect of 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the prevailing corruption in the Survey and Settlement Department)."

4. "That the demand for Grant No. I in respect of 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of Government in appointing number-dars in Kishengarh Sub-Division).

5. "That the demand for Grant No. I in respect of 7-Land Revenue be reduced by Re: 1/- (to discuss the failure of the Government in providing facilities for the construction of houses and 'Badas' in village Miapur, Tehsil Parbatsar)."]

मेरे इस सम्बन्ध में पाँच छः कटौती प्रस्ताव हैं। मैं सबसे पहले लाग-बागों वाला कटौती प्रस्ताव लेना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान की उस काँग्रेसी सरकार को धन्यवाद दूँगा जिसने भूतपूर्व राजस्थान में लगी हुई पुरानी लाग-बागों को खत्म किया। जब भूतपूर्व राजस्थान बना था तो उन्होंने उन लाग-बागों को खत्म किया। वृहद् राजस्थान के निर्माण के साथ-साथ जयपुर रियासत के कुछ गाँव किशनगढ़ सब डिवीजन में मिलाये गये। वे ६ गाँव हैं, जहाँ कई तरह की लाग-बागें चली आ रही हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं, और कुछ विशेष रियासतें जिनके आधार पर कुछ से कम लिया जाता है और कुछ से ज्यादा। उदाहरण के तौर पर एक 'गिणती' की लाग है, जहाँ साधु, ब्राह्मण और चौकीदार हैं उनको यह माफ है और जो गूँगे-अन्धे लोग हैं उनको नहीं। दूसरी कई लागें हैं जैसे पलचा, दायना और बट्टा। राजस्थान की भूतपूर्व रियासतें अपने नाम पर बट टे जैसी लाग कायम पट टे रख सकती हैं, काँग्रेस सरकार के नाम पर बट्टा रखना कतई अनुचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने यह बताने की कृपा की कि लाग-बागों के सम्बन्ध में जाँच करवाई जावेगी और वे एक कमेटी बनाने जा रहे है और वह कमेटी निर्णय करेगी। मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज करूँगा कि वह कमेटी निर्णय करे। उस वक्त तक जो लागें चल रही हैं उनको स्थगित कर दिया जाय। एक लाग लगती है सेस के नाम से। सेस जो लगता है उसकी आमद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जाती है। ये नौ गाँव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के क्षेत्र में नहीं आते हैं। यह लाग आधी रेवेन्यू में जाती है और आधी सरकार में डिपोजिट हो जाती है। अतः जो आधी रकम डिपोजिट है उसको लोग लौटाना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो डिपोजिट रकम है वह वापिस लौटा दी जायेगी।

किशनगढ़ सब डिवीजन में भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने लागें माफ कर दी थीं। कुछ तहसीलों में तो खत्म हो गई थीं, किन्तु एक लाग ऐसी है जो कि सरवाड़ में लगी रही और, वह है चौपाया फोजदारी। एक किसान दूसरे किसान को यदि चौपाया, गाय, भैंस, बैल आदि बेचता है तो

[श्री चाँदमल मेहता]

उसको लाग देनी पड़ती है। दूसरी तहसीलों में तो यह लाग बन्द हो चुकी है, किन्तु सरवाड़ तहसील में यह लगी हुई है। मेरी यह मान्यता है कि जब दूसरी तहसीलों में बन्द हो चुकी है तो सरवाड़ तहसील में भी यह लाग हटा दी जावेगी।

अभी हाल में किशनगढ़ और रूपनगर तहसीलों का नकदी सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें तीन लागें मलबा, सेस और पटवार रखी गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है, सेस लाग राजस्थान सरकार के खजाने में नहीं जमा होगी और सेस लाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जाने को है। मलवा से जो आय होती है उसकी आमदनी नंबरदार को दी जाती है, लेकिन खेद है कि अभी तक किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का क्षेत्र नहीं बना और नम्बरदारों की भी नियुक्ति नहीं हुई, फिर भी ये लागें किसानों से वसूल की जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये राजस्व मंत्री से निवेदन करूँगा कि अराईं और सरवाड़ का सेटलमेंट भूतपूर्व राजस्थान सरकार के वक्त में हो चुका था। उनमें कहीं भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं बने, नम्बरदारों की नियुक्ति नहीं हुई। इसी कारण से उन तहसीलों से ये लागें वसूल नहीं की जा रही हैं। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये राजस्व मंत्री से अर्ज करूँगा कि जब तक फाइनल आज्ञा आप न दें, कम से कम इस तरह की लागें जिनकी आमदनी सरकार में नहीं आती है, उनकी वसूली स्थगित कर दी जावे।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव नम्बरदारों की नियुक्ति के बारे में था। अराईं और सरवाड़ तहसील का सेटलमेन्ट हुए आज पाँच साल हो गये हैं और किशनगढ़ और रूपनगर तहसीलों का सेटलमेन्ट डेढ़ साल पहले हो चुका है, किन्तु खेद है कि अभी तक वहाँ पर नम्बरदार मुकर्रर नहीं हुए। जयपुर कलेक्टर की की ओर से एक आज्ञा पहुँची है एस. डी. ओ. के नाम, उनसे नम्बरदारों की नियुक्ति के बारे में सजेशन माँगे हैं। नम्बरदारों की नियुक्ति के लिये माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक-एक आदमी से १००), १५०) रुपये लेकर हरेक को नम्बरदार नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरह से कोई मिकदार मुकर्रर नहीं। एक, दो, तीन, चार जो रुपया दे उसी को नम्बरदार मुकर्रर कर दिया जाता है, उनको सनदें दे दी जाती हैं और कई नम्बरदार ऐसे हैं जो यदि तहसीलदार की रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ करता है तो उसकी, नम्बरदार की सनद को कैन्सिल कर दिया जाता है। मैं निवेदन करूँगा अध्यक्ष महोदय, कि इन नम्बरदारों की नियुक्ति में किशनगढ़ सब डिवीज़न में १ लाख रुपये से कम का भ्रष्टाचार नहीं हुआ।

इसी तरह से शायद नम्बरदारों की नियुक्ति में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जिस तरह की सरकार की नीति रही उसके बारे में मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूँगा कि वे इस सम्बन्ध में कुछ उचित तरीके और नियम बनायेंगे कि कितनी आबादी पर कितने नम्बरदार होंगे, उनका कितना समय होगा, किस अधिकारी द्वारा वे नियुक्त किये जावेंगे और किनको उनके अधिकार समाप्त करने के अधिकार हैं? इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूँगा कि इन नम्बरदारों की जो नियुक्ति होती है वह किसी विशेष अफसर द्वारा होनी चाहिये, जो हर गाँव में जाये और वहाँ की जनता की राय जानकर नम्बरदारों की नियुक्ति करे। इस तरह से जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के जरिये नम्बरदार बन जाते हैं वे नहीं बन सकेंगे और सही और वास्तविक आदमी ही नम्बरदार बन सकेंगे। मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण

[श्री चाँदमल मेहता]

मसला मानता हूँ। माननीय राजस्व मंत्री इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कदम उठायेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है परबतसर तहसील के एक गाँव भीयापुर के सम्बन्ध में, मकानों और बाड़ों के सम्बन्ध में। जिस तरह से मनुष्य के लिये खाना और कपड़ा जरूरी है, उसी तरह रहने के लिए मकान भी उतना ही जरूरी है और मवेशियों के लिए बाड़ों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि मनुष्य के लिए खाने, पीने और रहने के लिए मकान की आवश्यकता है। भीयापुर गाँव के निवासियों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। उनकी माँग है कि उनको मकान बनाने के लिए जमीन दी जाय लेकिन उनको जमीन नहीं दी जा रही है। आज इसके कारण यहाँ तक नौबत आ गई है कि वहाँ से कई किसानों को मकानों की तंगी की वजह से भीयापुर के गाँव को छोड़ना पड़ा। अभी यह स्थिति है कि वहाँ के दो किसानों ने भियापुर गाँव को छोड़कर पीलवा ग्राम में शरण ली।

बाड़े के लिए मेरा यह निवेदन है कि वहाँ जो मवेशी हैं वे बाड़े के अभाव में बाहर रहते हैं, नये बाड़ों के लिए जमीन नहीं दी जाती; नई जमीन तो दूर रही मौजूदा बाड़ों को भी उठा दिया गया, और आज यह स्थिति हो रही है कि जिन बाड़ों को उठाने की आज्ञा दी गई। तो उन मवेशियों के लिए बाड़े नहीं होंगे तो उनके मालिकों का रहना कैसे होगा? इस तरह जो कठिनाई वहाँ के लोगों को रहने के मकान के अभाव में और बाड़ों के अभाव में हो रही है, वहाँ के लोग उस गाँव को छोड़ रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि यह अहम मसला है, इसके लिये विशेष आज्ञा निकाल कर भियापुर गाँव में आबादी की जमीन की जो कमी है तो, जहाँ पर काश्त की जमीन है उसमें से कुछ जमीन दे दी जाय या जो रिज़र्व फोरेस्ट है उसमें से जमीन किसानों के रहने के लिए और बाड़ों के लिए दी जाय।

चौथा कटौती का प्रस्ताव है मेरा गश्त गिरदावरी के बारे में। जैसा कि अभी माननीय यादवजी ने बताया गश्त गिरदावरी के वक्त में जो दर्ज (entries) होती हैं, वे इस तरीके से दर्ज होती हैं कि ५०) रुपये में आप कोई भी आदमी गश्त गिरदावरी में अपना नाम दर्ज करा सकता है, लेकिन मैं उनसे यह कहूँगा कि किशनगढ़ सब डिवीज़न में १ रुपये में आप यह काम करवा सकते हैं। वहाँ की गश्त गिरदावरी की दर्ज (entries) देखने से पता चलता है कि २५ प्रतिशत गिरदावरी दर्ज है, बाकी का कहीं पता ही नहीं। एक किसान जो काश्त करता है काश्त करने के बाद में एक दूसरा आदमी पहुँचता है वह कहता है कि मेरा नाम दर्ज कर दीजिये, तो उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। इस तरह से उस जमीन का पट्टा उसके नाम हो जाता है और तरफदार इन्कार कर देता है। एक साल, दो साल तक फरदों में उनका नाम दर्ज होता है। एक साल, दो साल के बाद केस चलता है, सरकारी कागजों में जो दर्ज होता है उसको देखा जाता है। इस तरह से जिस काश्तकार की २०-२० साल से जो जमीन रही है लेकिन गिरदावरी उसके नाम की दर्ज हो जाती है। इस तरह से जो किसान कई वर्षों से कृषि करता आया है बेदखल कर दिया जाता है।

[श्री चांदमल मेहता]

मैं एक किसान के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ, मोहनपुरा के किसान के बारे में, जो जिस जमीन पर २५-३० साल से काश्त कर रहा है जिसके पास सेटलमेन्ट की पानड़ियां हैं किन्तु उसकी जमीन पर दो साल से एक दूसरे किसान ने अपना नाम दर्ज करा दिया और आज यह स्थिति है कि वह जमीन उससे छीनी जा रही है।

काली डूँगरी गाँव के लादू जाट के बारे में भी गलत इन्द्राजात किये गये। पटवारी ने गलत बयानात भी दिये हैं। जब कोर्ट का फैसला हो गया कि पटवारी ने गलत बयान दिये हैं, गलत बात कही है तो उस फैसले की नकल रेवेन्यु अधिकारियों के पास, कलेक्टर्स व कमिश्नर के पास ले जायी जाती है। जो गलत इन्दराजात करते हैं, गलत बयानात देते हैं उनको सजा देने की माँग की जाती है, लेकिन महीनों हो गये, उस पटवारी को किसी तरह की सजा नहीं दी गई।

सर्वे और सेटलमेन्ट के करप्शन के बारे में मैं अर्ज करूँगा कि जो इन्दराजात किये गये हैं, खास तौर से रूपनगर तहसील के लिए, उसमें २५ प्रतिशत तो ऐसे मिलेंगे कि जमीनों पर किसान काश्त करते हैं, और जागीरदारों के नाम दर्ज की गई है। किसानों में से जो पैसा दे सकता था उन्होंने अपने नाम के इन्दराजात करा दिये हैं, और जिनके पास पैसा नहीं वे बेचारे जमीन से महरूम रह जाते हैं। वहाँ तो आज यह हालत हो रही है कि वे (सेटिलमेंट अधिकारी) साफ तौर से कहते हैं कि जो हम को दूध खिलायेगा उसको गांय देते हैं, जो दही खिलायेगा उसको भैंस देते हैं और जो पैसा देता है उसको जमीन दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के पास पट्टे हैं और जमीन पर बरसों से कब्जा है उनकी जमीनें भी दूसरों के नाम दर्ज कर दी गई हैं। कहीं कहीं पट्टे की जमीन से कम दर्ज कर दी गई है। कहीं ऐसा भी हुआ है कि जमीन एक व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई है और बेरा दूसरे के नाम। सेटिलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में कितने प्रतिशत इन्द्रराज सही हैं इसकी जाँच करना हो तो रूपनगर तहसील की जाँच करें।

एक बार राजस्व मन्त्री को किशनगढ़ तहसील के किसानों ने निवेदन किया था कि किशनगढ़ में जो झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए जो ऑफीसर आ रहा है उसे आप न भेजें क्योंकि वह भ्रष्टाचारी है, उसकी एवज में दूसरा भेज दीजिये। उन्हों,ने दूसरा अफसर भेजने के लिए कह भी दिया, पर वह दूसरा अफसर नहीं भेजा गया। जो अफसर रूपनगर में थे वे ही आये जिन्होंने वहाँ भी काफी पैसा कमाया था। मैंने राजस्व मन्त्री को उस अफसर के बारे में कहा और यह भी कहा कि आपके हुक्म की तामील नहीं की गई है, उन्होंने सर्वे और सेटिलमेन्ट के पर्चे बाँटे उन्हें ही आप भेज दीजिये, पर रूपनगर के महाशय ही को भेज दिया गया वहाँ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह की चीजें ये अधिकारीगण करते हैं और जो भी मौका आता है यही सोचते हैं कि यहाँ किस तरह से कमाई की जावे, इसके लिये वे अपने मन्त्री लोगों के आदेशों को भी तामील नहीं करते।

[श्री चांदमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, एक मेरी सबसे मोटी बात है, किशनगढ़ तहसील में इल्लीगल लटाई के बारे में। नकदी लगान मुकर्रर होने के बाद भी जबरन लटाई की गई और खूबी यह कि उस लटाई का माल भी सरकार के खजाने में जमा नहीं किया गया। यह एक गाँव का ही किस्सा नहीं, तीन गाँवों का किस्सा है ; बड़गाँव, पाटन और चुर्लीका।

जब इस बारे में रिपोर्ट की गई और उन्होंने देखा कि इसको दबाया नहीं जा सकता तो उन लोगों ने फरजी खसरे बनाये, लेकिन खसरों में वे नहीं बता सकते थे कि यह माल सरकारी खजाने में आ गया है और अब कोशिश यह है कि इसका इन्दराज थर्ड पार्टी के नाम से करके दर्ज करें और वास्तविकता यह है कि २०० मन अनाज के बदले में ५० मन का सुपुर्द नामा लिया गया है। तिल जैसा बेशकीमती माल तो मदनगंज में जाकर बिक भी चुका है। अब आगे यह कार्यवाही हो रही है, इन्हीं लोगों के विरुध्द कि जिनके जहाँ से जबरन लटाई की गई है उल्टे लगान वसूली की कार्यवाहियां करके कुर्किया की जा रही हैं। इसके लिये शिकायत की गई पर आज तक इसके लिये सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मेरा माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि यह नकदी के रूप में जो वसूली की जा रही है उसको स्थगित कर दिया जावे और जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनको सजा दी जावे। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि आज का दुखी किसान, आज का इस तरह से सताया हुआ किसान बड़ी आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहा है और उम्मीद करता है कि आप जिस तरह से सेवा करने वाले हैं और जिस सेवा का आपका उच्च विचार है, आप अपने उन उच्च विचारों को किशनगढ़ की ओर आकर्षित करेंगे और इन दुखी, सताये गये और भयभीत किसानों को राहत देने की कृपा करेंगे।

श्री किस्तूरचन्द—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री चाँदमलजी मेहता ने अपने कट मोशन को पेश करते हुए बयान किया है उसके समर्थन में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय! मैं भी उसी रोग से ग्रस्त हूँ। जिस तरह आपने (श्री चाँदमल मेहता) ने बताया उसी तरह हमारे यहाँ बनेड़ा तहसील में किसानों और जागीरदारों में झगड़े चल रहे हैं। बनेड़ा जागीरदारी एरिया है और वे लोग इस साल बहुत बड़ी तादाद में किसानों को अपने खेतों से बेदखल कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एस० डी० ओ० और कलेक्टर के पास भी गए और उन्हें मौके पर भी ले गए। कलेक्टर साहब ने इसको महसूस किया है कि वास्तव में यह बहुत बुरा हुआ है। मगर इसको कानूनी कार्यवाही के चक्कर में डालकर मामले को खत्म किया जा रहा है। आज एक रासिगपुरा गाँव के आस-पास पचास या साठ गाँव के लोग जो हैं उनको ज्यादा तादाद में जिन ठाकुर साहब ने बेदखल किया है वह बनेड़ा के ठाकुर साहब हैं।

इसी तरह घर का गाँव है। वहाँ का मूला जाट किसान है। उसकी गत साल की फसल श्रीमान् ठाकुर साहब लूट ले गए खलिहान से। इसकी इत्तिला माननीय राजस्व मन्त्रीजी के पास दी

श्री किस्तूरचन्द]

गई। मगर न मालूम हमारे मन्त्रीजी साहब ने उसके लिए क्या किया ? हमें, उस इत्तला का कोई जवाब माननीय मन्त्री महोदय के यहाँ से नहीं मिला। इसकी फसल का नाज आज भी अब तक नहीं लटा और श्रीमान् एस० डी० ओ० साहब ने उसका मुकदमा भी खारिज़ कर दिया। इस साल फसल बोना शुरू किया तो जागीरदार साहब अपने आदमियों के साथ लकड़ियाँ लेकर आये और उनको मारा-पीटा और उसके हाथ-पैर भी तोड़ दिए, मगर अध्यक्ष महोदय, उसको खेत बोने नहीं दिया। तहसीलदार बनेड़ा इत्तला मिलने पर भागकर आए। वहाँ हमें लेकर कलेक्टर के पास पहुँचे, वहाँ से पुलिस की मदद लेकर उस खेत को बोया गया। अध्यक्ष महोदय, अब जब कि उसकी फसल खेत में खड़ी हुई है, तो इस बीच में ठाकुर साहब उदयपुर कमिश्नर के पास जाकर खेत को वापिस अपने कब्जे में लेने का आर्डर ले आये। तहसीलदार ने उस बिचारे की खड़ी फसल ठाकुर साहब को दिलवा दी और ठाकुर साहब ने उस फसल में अपने मवेशी ले जाकर और गाँव की मवेशी इकटठी कर, लेजाकर गाँव में ढोल पिटवा कर, उसके खेत में मवेशियों को छुड़वा दिया और इस प्रकार उसकी २० बीघा खड़ी फसल को बरबाद कर दिया गया। गत साल उसका नाज लूट लिया गया और इस साल उसकी फसल बरबाद कर दी गई। वह बिचारा किसान नंगा, भूखा और कंगाल हो गया, वास्तव में वह कंगाल हो गया। मैं उसका लूटा हुआ अनाज का नमूना कल सदन में दिखाने के लिए लाया था, पर मौका नहीं मिला इसलिए बतला नहीं सका। आज मुझे मौका मिल गया है। आज राजस्व मन्त्री महोदय भी अच्छी तरह से सुन रहे हैं; इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वे इसके बारे में क्या करेंगे यह बताने की कृपा करें। इतनी भारी तादाद में हमारी तहसील में बेदखलियाँ हो रही है कि जिसका कोई पार नहीं है। किसान सैंकड़ों की तादाद में मरे जा रहे हैं, पर हमारे एस० डी० ओ० साहब जागीरदारों के मुलाइजादार हैं, इसलिए जागीरदार साहब का ही भला हो रहा है। इसके साथ-साथ एक और बात अर्ज करूँगा, अध्यक्ष महोदय। तहसील बनेड़ा में सर्वे होकर सेटलमेंट हो गया है। पर्चे भी बँट गए हैं पर फिर भी कुछ करने का किसानों को अधिकार नहीं है, बापी पट्टा कराने का अधिकार नहीं है।

कुछ काश्तकार बरसों और पीढ़ियों से जिन खेतों को जोतते चले आ रहे हैं, कब्जा उन पर उनका सिद्ध है, उन पर उन्होंने कूए खुदवा रक्खे हैं, उनका सारा सब कुछ अधिकार उन पर है, जिन्दगी और पीढियाँ उन खेतों पर उनकी गुजर गई, पर आज तक भी उनको उसे बेचने का अधिकार नहीं है। समझ में नहीं आता, इसका क्या मतलब है ?

अभी प्रश्न भी मेरा एक इस तरह का हाउस में था। पर न जाने क्या जवाब दिया जाता है, समझ में नहीं आता। अब मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मन्त्री महोदय इसका जवाब अपने सफाई के भाषण में देंगे।

इसके साथ-साथ एक नजीर इस बेदखली की मैं इस हाउस के सामने और देना चाहता हूँ। एक जागीरदार एम० एल० ए० हैं जो शाहपुरा की तरफ से पधारे हैं। वहाँ के किसान इतने गरीब हैं कि उनकी दशा देखकर आँखों में आँसू आ जाते हैं। वहाँ के ऐसे ही एक गरीब दुखी

[श्री किस्तूरचन्द]

किसान को उन्होंने बेदखल कर दिया, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे खेत से । इतना गरीब किसान है वह कि उसकी हालत देखी नहीं जाती, पहनने के लिए लंगोट भी नहीं उसके तन पर और खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है। उसको बेदखल किया है उन्होंने। इसका दुख आज हमारे भीलवाड़ा के कॉंग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं। कॉंग्रेस का नाम जरूर आता है जो उस बिचारे की मदद पर आये। सारे कॉंग्रेसमैनों ने वहां उसका दुख देखा, पर उनसे भी देखा नही जाता। फिर समझ में नहीं आया ऐसे गरीब किसान को कैसे बेदखल कर दिया गया? इतने से ही सन्तोष नहीं हुआ उन जागीरदार साहब को। उन्होंने उस पर १०७ की कार्यवाही भी लगा रक्खी है, अगर वह पेशी पर नहीं आवे तो। ८० साल का उसका डोकरा है, उस तक को पेशी पर बुलाने पर तुले हुए हैं। वह बिचारा खाट पर पड़ा है, पर एस० डी० ओ० साहब पुलिस भेजकर डोकरे को पेशी पर बुलाते हैं और माननीय अध्यक्ष, मैं इस बात का माननीय मन्त्री महोदय को चेलेंज देता हूँ कि वे इस बात की इस सदन के सामने सफाई दें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बेजा बातें हो रही हैं। एस० डी० ओ० के पास जाते हैं तो वह सुनवाई नहीं करता और कलेक्टर के पास जाते हैं तो वह भी कोई ध्यान नहीं देता। सारे के सारे मार्ग उसके लिए बन्द हो गए हैं। उस बिचारे की कहीं सुनवाई नहीं है। मैं इस बात के लिए माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे इन बातों पर अच्छी तरह से सफाई दें।

रावत श्री शम्भूसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है।

श्री किस्तूरचन्द—मैं इसको साबित कर सकता हूँ। (श्री जयसिंह राणावत की तरफ इशारा करते हुए) इन तक को यह सब मलूम है।

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदर व्यास।

श्री शम्भूसिंह—On a point of personal explanation, Sir, जो श्री किस्तूरचन्द ने एलीगेशन्स लगाये हैं वे सब झूठे हैं और उनमें सत्य का लेशमात्र भी अंश नहीं है।

श्री किस्तूरचन्द—वह बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री किस्तूरचन्द—अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए...

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य खतम कर चुके हैं। श्री दामोदर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, लेन्ड रेवेन्यू के बारे में मेरे २-३ कटौती के प्रस्ताव हैं, उन सब को...

श्री अध्यक्ष--Only Two.

श्री मानसिंह महार—[1. To discuss the indiscriminate policy of settlement Department in reducing rates.

2. To discuss the prevailing Corruption due to the low pay of the Ministerial and Feld-staff of the Land Records Department.]

उन दोनों को मूव करते हुए मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही अहम महकमा है। इस महकमे का अगर सुधार हो जाता है तो राजस्थान की आधी से ज्यादा दिक्कतें मिट जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह महकमा वह है जो कि राजस्थान के ९० परसेन्ट किसानों से डील करता है। इस महकमें में जो सबसे बड़ी कमी है उसे मुझे बताना है। वह यह है कि जो नीची तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। अभी मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि पटवारी रिश्वत लेते हैं, किसी ने कहा कि सेटिलमेन्ट के अमीन रिश्वत लेते हैं, किसी ने कहा कि सेटिलमेन्ट के इन्सपैक्टर रिश्वत लेते हैं, किसी ने कहा कि गिरदावर कानूनगो रिश्वत लेते हैं, मगर यह किसी ने नहीं कहा कि वे रिश्वत क्यों लेते हैं? यह दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष महोदय, कि उनका वेतन इतना कम है कि उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, वे मजबूर हो जाते हैं। कम तनख्वाह पाने की वजह से उनको रिश्वत लेनी पड़ती है। अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम करना चहता है, तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक पटवारी जो ३०), ४०) रुपया माहवार तनख्वाह पाता है, वह अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा सकता है, घर में अगर ४-५ बच्चे हैं, माता है, स्त्री है तो इन सब को धाप कर, भरपेट, रोटी दे सकता है। यह बात हो ही नहीं सकती। इसलिए यह कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की जो गड़बड़ियाँ हैं वह वे खुद नहीं करते हैं, मगर उनकी ईमानदारी को उनका पेट बिकवाता है। इसलिए सरकार के लिए जो सबसे पहले सोचने की बात है वह यह है कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अन्दर घूँसखोरी बन्द करना है, तो हमारे इन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ायें। जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, मेरे इस (सरकारी) पक्ष के मित्रों ने और मेरे उस (विरोधी) पक्ष के मित्रों ने जो कुछ शिकायतें की हैं वे रुक नहीं सकती, चाहे आप मिनिस्टरों के जरिये कोशिश कर लीजिये, अध्यक्ष महोदय, या डिपार्टमेन्टल हेडस् के जरिये कोशिश कर लीजिये, वे पार (पूरी) नहीं पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर कोई ईमानदार आदमी हो, तो आप देखेंगे कि उसके बच्चे भूखे मरते हैं। इसलिए पहली बात जो मुझे इस विभाग के बारे में कहनी है, वह यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इनको इतनी तनख्वाह देनी चाहिए जिससे की उनका किसी प्रकार से गुजर चल सके।

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी बात इस विभाग के बारे में जो कहनी है वह यह है कि मेरे साम्यवादी मित्र ने जागीरदारों के बारे में और जागीरदारों को मुआवजा देने के बारे में बहुत कुछ बातें कहीं। उनकी जुबान से मैं कल से राजप्रमुख, उप-राजप्रमुख व जागीरदारों की यह सारी बातें सुनता आ रहा हूँ। मैं मेरे साम्यवादी मित्र से, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये प्रार्थना करूँगा कि उनकी जमीन, जायदाद वगैरह जोधपुर में है जिसका हजारों रुपया किराया आता है। मगर वे यह कह सकते हैं कि मेरी नहीं, मगर मुझे मालूम है कि उन्होंने अपने भाइयों और अपनी धर्मपत्नि और अपने आसपास के रिश्तेदारों के नाम करा रखी है। मुझे यह भी मालूम है कि वह एक बहुत बड़े साधन-सम्पन्न व्यक्ति के पुत्र हैं, तो उनके पास भी बहुत सी जायदाद है। अगर वह जायदाद इस सदन के सामने सेरन्डर करने को तैयार हैं तो जागीरें भले ही अगर बिना मुआवजा दिये खत्म कर दी जाय तो शायद हम एतराज नहीं करेंगे, लेकिन खुद पूँजीपति बने हुये बैठे रहें और यह कहें कि पूँजीवाद ढकोसला है, जागीरदारों को बिना मुआवजा दिये खत्म किया जाय, तो यह कोई न्याय की चीज़ नहीं है। यह दुनिया को धोखा देना है, अपने आपको धोखा देना है। उनकी जो बातें हैं उनकी तरफ, मैं समझता हूँ कि सदन को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो आदमी हैं, वे करते कुछ और हैं, और कहते कुछ और हैं; वे बिल्कुल धोखे की टट्टी है।

इसलिए यह मैं जरूर कहूँगा कि हमारी सरकार ने जागीरदारी के प्रश्न को हल करने में जो तरीका अपनाया है वह थोड़ा गलत जरूर है, उसको मैं समझता हूँ। यह मैं कहूँगा कि सरकार ने मुआवजे की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है और खुदकाश्त की समस्या को हल नहीं किया है। यह सरकार ने बहुत भारी भूल की है। अगर खुदकाश्त की समस्या को सरकार हल कर देती है, तो जागीरी समस्या का अन्त शान्ति-पूर्वक हो सकता है। अगर खुदकाश्त की समस्या का हल नहीं होता है, केवल मुआवजा देकर ही आप इस समस्या को हल पूरा किया समझ लेते हैं तो मैं बताता हूँ कि मुआवजा देने से केवल ७ पर्सेन्ट या ८ पर्सेन्ट आदमियों की ही समस्या हल हो सकती है, इससे जो ९० पर्सेन्ट आदमी हैं, उनकी समस्या हल नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस सदन में यह पुकार उठाते हैं कि जागीरदार अन्याय कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि बड़े-बड़े जागीरदारों को किसी को लाख रुपया दिया जाता है मुआवजे किसी को २ लाख दिये जाते है, किसी को ५० हजार दिये जाते हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह उन गरीब राजपूतों के लिए कहना चाहता हूँ जिनकी कि जागीर एबोलीशन के बाद में गरीब किसान से भी खराब हालत होगी। मैं हमारे मन्त्री महोदय का, अध्यक्षजी, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस विषय में कि जागीरी उन्मूलन के बाद उन राजपूतों को रोटी के सांसे पड़ेंगे। रोटी के सांसे पड़ने वालों को चोरी, अन्याय या डकैतियाँ करनी पड़ेंगी (हियर, हियर) मैं हमारे राजस्व मन्त्रीजी से, आपके जरिए अध्यक्षजी, प्रार्थना करूंगा कि उन गरीब राजपूतों की समस्या को हल करने की ओर अगर ध्यान देंगे तो बहुत बेहतर होगा। यह सोच लेना कि कुछ जागीरदारों ने दिल्ली जाकर या देहरादून जाकर या इधर-उधर जाकर बातचीत कर ली है और यह कह दिया हैं कि

[श्री मानसिंह महार]

जागीर-उन्मूलन समस्या पर बातचीत होकर वह समस्या हल हो गई है, तो मैं आपको सही बताना चाहता हूँ कि वह समस्या हल नहीं होती। अगर कुछ लोग इस प्रकार की जिम्मेवरी लेते हैं तो वह सरकार को मुगालते में डाल रहे हैं और अपने आपको मुगालते में डाल रहे हैं। यह मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। इस चीज़ का जो असर जोधपुर डिवीजन और जयपुर डिवीजन में हो रहा है वह हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहूँगा कि हमारी सरकार को अगर वाकई सही मायने में जागीरी समस्या को हल करना है, तो उसके लिए उसको छोटे जागीरदारों की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए।

अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बात बताना चाहता हूँ कि जो छोटे राजपूत हैं उनके पास एक कोठी है। उस कोठी का एक साल का अनाज आज ६० मन आता है तो उसको ५ मन अनाज महीने के हिसाब से भी पड़ जाता है। उस ५ मन से उसके खाने की समस्या हल हो जाती है और वह १०), २०) रुपए का इधर-उधर का काम करके अपनी रोटी का गुजर-बसर करता है। किन्तु जब जागीरदारी उन्मूलन प्रभावशील हो जायगा तो मैं कहता हूँ कि आप जो कहते हैं कि हम १० टाइम्स देंगे, हम २० टाइम्स देंगे, और आप उसको वह देते हैं, तो खर्चा-वर्चा काट कर उसको ५००) रु० देंगे।

५००) रुपयों में न तो वह कोई व्यापार कर सकता है और न कोई दूसरा काम कर सकता है। होगा यह कि साल-दो साल में ५००) रुपए खा-पीकर समाप्त कर देगा। इन रुपयों को खाने के बाद उसके पास कमाई का और कोई चारा नहीं रहेगा। इन पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा की वजह से न तो वह पढ़ा-लिखा है और न जाकर वह कहीं नौकरी कर सकता है। उसकी उम्र आज ६० साल की है इसलिए वह मजदूरी भी नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसी हालत में चोरी करने, डकैती करने के सिवाय उसके पास और कोई काम नहीं रहेगा या राजस्थान के और बेकारों की तरह पड़ा रह कर भुखमरी को बढ़ायेगा। यह भुखमरी तभी रुक सकती है जब कि उसके लिए खेती का प्रबन्ध किया जाय। इस बारे में मैं जानता हूँ कि जो बात मैं सदन के सामने रखूँगा वह शायद दूसरों को अजनबी लगेगी और चमकेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कोठी में जमीनदार ने अपना एक हजार रुपया खर्च किया और उसको उससे कुछ रिटर्न मिल रहा है; यदि आप उस कोठी की कुछ जमीन उसको नहीं दिलायेंगे तो उनके साथ सरासर अन्याय होगा। यह अन्याय इस-लिए है कि वह जागीरदार यदि १ हजार रुपया खेती में न लगाता तो एक हजार रुपये का मकान जयपुर में खरीद लेता और उससे उसको १५), २०) रुपया माहवार की आमदनी हो जाती। उसके विपरीत आज आप उसको कुछ नहीं दिलाना चाहते। यदि बड़े जागीरदारों को मुआवजा और छोटे जागीरदारों को खुद-काश्त की जमीन नहीं दी गई तो मैं अर्ज करूँगा कि उन पूँजीपतियों से, जिनके पास लाखों रुपया है और जो गरीबों का खून चूस कर रुपया इकट्ठा करते हैं, उनसे इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जायगी और दोनों के बीच असमानता का व्यवहार होगा।

[श्री मानसिंह महार]

श्री अध्यक्ष—आपका कट मोशन कुछ और है और आप बोल कुछ और रहे हैं।

श्री भैरूँ सिंह—बहुत कुछ तो यह बोल गए , अब थोड़ा और बोलना है ।

श्री मानसिंह महार—यह जागीरदारों के जीवन-मरण का प्रश्न है और इस पर दूसरे लोग कोई बोलनेवाले नहीं है, इसलिए मुझे कुछ और बोलने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, यदि इन सारे पूँजीपतियों को खत्म किया जाय और राजस्व मन्त्री यदि लाल झण्डेवाले मित्र का जोधपुर का मकान जब्त कर लेते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा । जब कि हमारी जागीर को बिना मुआवजा या बिना खुद-काश्त की जमीन के खत्म किया जा रहा है तो यह हमारे साथ असमानता होगी। सरकार का यह स्टेन्ड होता है कि जागीरदारी इसलिए खत्म की जा रही है कि जागीरदार किसानों से ज्यादा लगान लेते हैं। यदि ज्यादा लगान लेते हैं तो उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जैसे आपने फोर्मर राजस्थान में रेवेन्यु पॉवर्स जागीरदारों के ले लिए थे उसी तरह यहाँ भी कर लीजिए। बिना मुआवजा या खुदकाश्त की जमीन दिये खत्म किया जायगा तो यह सरासर अन्याय है। जो सरकार सब वर्गों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती वह सरकार सरकार कहलाने लायक नहीं है। यह कहा जाता है कि जागीरदार २ वर्षों का कब्जा छुड़ा रहे हैं परबतसर से आये हुए मित्र ने कहा कि जागीरदार गरीब किसानों को बे दखल कर रहे हैं, गरीब किसानों की हत्या कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहता हूँ कि जिन जमीन-जायदाद पर जागीरदारों का पीढ़ियों से कब्जा था उनको आप बिना मुआवजा के अलग कर रहे हो, यह क्या सोचने-विचारने की बात नहीं है ? क्या आप गरीब राजपूतों की हत्या नहीं कर रहे हैं ? और वह भी चन्द पूँजीपतियों के इशारे पर कर रहे हैं। यदि सरकार खुदकाश्त की जमीन और मुआवजे की समस्या हल करती तो मैं उसको धन्यवाद देता और कहता कि समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से हल किया गया है। जब हमारे मित्र पंडित पंतजी से मिलने के लिये नैनीताल गये थे तब उन्होंने हमको क्या दिया ? दुर्भाग्य से हमको उनके पास जाने से कुछ नहीं मिलता है। वे कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज़ ज्यादा काटे जायेंगे उनका परसेंटेज कम कर दिया जायगा। उसमें १० पर्सेन्ट की कमी करने से हमारे जैसे बड़े जागीरदारों को कुछ फायदा हो सकता हैं लेकिन गरीब राजपूतों को उससे कोई फायदा नहीं होता । यदि पन्तजी यह कहते कि खुदकाश्त की समस्या भी हल की जायगी तो मैं कहता कि न्याय किया गया, लेकिन जब तक इस विषय पर मौन रहते हैं या गोलमाल करते हैं तो हम कतई उसे न्यायपूर्ण कहने को तैयार नहीं हूँ।

अब मैं एक-दो बातें सेटलमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूँ जिसके बारे में जो मेरा प्रस्ताव है वह इस प्रकार है : " to discuss the indiscriminate policy of the Settlement Department in reducing the rates."

श्री चन्दनमल वैद—Now he has come to the point, Sir.

श्री मानसिंह—I am always to the point.

श्री अध्यक्ष—He was absent at the Rajpramukh's Address, discussions. He was absent at the general discussions on the Budget and therefore, the Hon'ble Member is to get advantage of that. Now within 5 minutes.

श्री मानसिंह—I will finish.

(विराम)

माननीय अध्यक्षजी, यह दुर्भाग्य की बात है कि आमेर में 'ए' और 'बी' की सीटें इस इनअपरचून टाइम में खाली हो गई। इन सीटों के खाली हो जाने से सरकार के दिल में यह धड़पकड़ मच गई है कि किस प्रकार इन सीटों को केप्चर (Capture) किया जाय।

श्री सम्पतराम—On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, चुनाव से सेटलमेंट का क्या सम्बन्ध है ?

श्री मानसिंह—I am coming to my cut motion. Have some patience, थोड़ी सबर रखिये।

मेरा समय बरबाद कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष, इस चुनाव को लेकर इस समय आमेर तहसील में परचे बाँटे हैं। वहाँ पर वहाँ के सेटलमेन्ट के अफसर जो उदयपुर के एक बाबूलालजी हैं उनसे मिलने के लिए मैं चला गया और उनसे पूछा कि गवर्नमेंट क्यों रेट्स बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि रेट्स काफी नीची करदी गई है; जिनसे पहले ५००) रुपये लिए जाते थे उनसे अब केवल ८०) रुपये लिए जाते हैं और आप यह कहते हैं कि रेट्स ऊँची कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो यह चाहते हैं कि रेट्स कम हों क्योंकि अब हमारी जागीरें तो चली ही जायेंगी। यदि रेट्स कम होंगी तो हमको अपनी खुद काश्त की जमीन का लगान कम देना पड़ेगा, लेकिन आपको सरकार के लिये तो सोचना चाहिये, जो सरकार घाटे में चलती है, सिक्योरिटीज़ से काम चलाती है या सेन्टर से कर्जा लेकर काम चलाती है तो उसकी तरफ तो कोई ध्यान देनेवाला होना चाहिये। सरकार की आमदनी क्यों मारी जाती है ? इस चुनाव के खातिर वहाँ पर इस आमेर तहसील में ६ असिस्टेन्ट सेटलमेंट ओफिसर्स काम कर रहे हैं और उनको यह इन्स्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक इन्सट्रक्शन्स (specific instructions) हैं कि जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा हो सके उतना काम निपटाओ। क्या यह महज इसलिये नहीं हो रहा है कि चुनाव होने जा रहा है ? वहाँ के लोगों के वोट्स को सिक्योर (secure) करने के लिए सरकार इस तरह का कार्य कर रही है। मैं प्रार्थना करूँगा कि इस प्रकार की पॉलिसी को रोका जाय। यदि इसी प्रकार की पॉलिसी सरकार की रही तो इससे आगे जाकर सरकार को नुकसान होने वाला है। क्या वजह है कि आमेर तहसील में बासा गाँव में जो रेट लगाई गई है उसको १।४ रेट लगाई जा रही है ?

वहाँ सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने जो सेटलमेन्ट किया था, यह दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ की रेट से १/४ रेट लगाने पर भी कहीं ज्यादा ही रेट्स हुई हैं।

श्री मानसिंह महार]

दूसरी बात रेट्स के मुतल्लिक यह है कि कुछ स्वार्थी लोग सेटलमेन्ट के कर्मचारियों के पास जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे यहाँ रेट्स ऊँचो है, कुछ इधर-उधर से पैसे देते हैं और रेट्स को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार की सरकार की इन्डिस्क्रिमीनेट पोलीसी (indiscriminate policy) जो है उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सेटलमेन्ट के बारे में आमेर तहसील में एक नई बात हुई है कि वैसे सोइल क्लासिफिकेशन (soil classification) के लिए एक महीने की मयाद होती है, लेकिन इस गरज से कि आयन्दा सरकार (काँग्रेस) को फायदा हो, बाइ इलेक्शन में फायदा मिले इस इरादे से सोइल क्लासिफिकेशन मयाद २ महिने के बजाय बढ़ाकर ३ महिने की कर दी जाय; इस तरह का आॅर्डर रेवेन्यु मिनिस्टर साहब निकालते हैं, इस प्रकार की वे बातें करते हैं। अगर आपको सोइल क्लासिफिकेशन की मयाद बढ़ानी है तो आप सारे राजस्थान में बढ़ा दीजिये। जब कि आमेर तहसील की दोनों सीटें खाली हैं तो ऐसा आॅर्डर होना जरा शक पैदा करता है। ये सेटलमेन्ट के बारे में दो बातें कहीं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे दो कट मोशन्स थे फिर भी १० मिनिट ही दिये......

श्री अध्यक्ष--You have taken 25 minutes.

श्री मानसिंह महार--(अपना भाषण जारी रखते हुए) दो मिनट में समाप्त करता हूँ।

तो, माननीय अध्यक्ष, मैं अब अपनी बात वाइन्ड अप (wind up) करते हुए आपके जरिये रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि जागीर एबोलिशन के वक्त सारे राजपूतों की ओर ध्यान देना चाहिये। अगर वे यह सोच कर बैठे हों कि उनका मामला तय हो गया है, तो वह सही नहीं है।

आमेर के सिलसिले में यह अर्ज करूँगा कि सही प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स दीजिये। सरकार के सामने सब बराबर हैं, सरकार को न्याय की नीति अपनानी चाहिये। वहाँ के आॅफिसर्स के दिमाग में यह बात घुस गई है कि हमें रेट्स घटानी हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं। यह क्या किसी के लिए शोभा की बात हो सकती है? जो आॅफीसर्स हैं उनको निष्पक्षता से काम करना चाहिए।

इस विभाग के लोगों के बारे में जब ऐसी बातें कहते हैं, तो सरकार के मन्त्री कहते हैं कि तुम रिश्वत खोरी-घूँसखोरी की बातें कहते हो, प्रमाण पेश करो।

मैं एक प्रमाण पेश करता हूँ। एक हमारी गोविन्दगढ़ सब तहसील में अहलकार था। चार साल पहले रिश्वत के मामले में सस्पेन्ड कर दिया गया। चार साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वह भी होशियार था......

श्री अध्यक्ष—He was from your constituency.

श्री मानसिंह महार—No, sir, he was from Amber where-as I am from Jamwa Ramgarh.

उसने दूसरी जगह नौकरी कर ली। ३ साल से दूसरी जगह नौकरी करके सरकार से तनख्वाह पा रहा है। जहाँ से सस्पेन्ड हुआ वहाँ उसे ३५) रुपये मिलते थे, अब दूसरी जगह नौकरी कर ली, वहाँ उसे १०५) रुपये मिलते हैं, आप मन्त्रीजी नोट कर लें, चाहेंगे तो सुबूत करूँगा कि १०५) रुपये वह पा रहा है। सब से बड़ी बात यह है कि उसके लिए नाजिम साहब ने यह हुक्म दे दिया है कि सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह दे दी जाय। कितना सरकारी रुपये का दुरुपयोग होता है? ४ साल तक जोड़-तोड़ के लिए कोई इन्क्वायरी नहीं होती है, दूसरे डिपार्टमेंट में तिगुनी तनख्वाह पर नौकर हो जाता है और वहाँ फिर यह बात कि रिश्वत के मामले को दबवा देता है। यहाँ यह कोशिश करता है कि उसे वापिस रीइन्स्टेट (reinstate) किया जाय। उसने रीइन्स्टेट होने की क्या-क्या कोशिशें, क्या-क्या तरकीबें की हैं, वह कहूँ तो घंटों लग जाँय। निजामत आमेर से उसके लिए आॅर्डर हो चुका है कि इसे रीइन्स्टेट कर दिया जाय और सारी तनख्वाह दे दी जाय। हजारों की तादाद में रुपये होते हैं। मैं चेलेन्ज देता हूँ कि सरकार इसकी जाँच करे। अगर इस केस को मैं साबित नहीं करूँ तो मैं असेम्बली से स्तीफा दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष—I will not permit that.

(हँसी)

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

मैं चेलेन्ज देता हूँ सरकार को कि जिसने यह ४२० की है सस्पेन्शन के पीरियड में धोखा देकर नौकरी की है उसको सजा दी जाय, जिन्होंने सस्पेन्डेड हैन्ड (Suspended hand) को नौकर रखा है उसको सजा दी जाय। जिस एस. डी. ओ. ने यह कार्यवाही की है कि उसको सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह भी दे दी जाय उसका भी कुछ न कुछ किया जाय। कलेक्टर जयपुर के यहाँ से कागजात वापिस तहकीकात के लिये पहुँच गये हैं।

यह सरकार का इम्तिहान, टेस्ट लेने के लिए कॉन्क्रीट (Concrete) नजीर लाया हूँ।

श्री किशनलाल शाह—माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय विरोधी पक्ष के मित्र ने एक तथ्य की बात कही कि सरकार को सभी वर्गों को सन्तुष्ट करके चलना चाहिये और सरकार पर जो आरोप लगाया उसमें दूसरी भावनाओं के साथ एक भावना यह थी कि जैसे कि हमेशा सुना जा रहा है और जैसे लालझण्डे के मित्र की आलोचना उन्होंने की, लालझण्डे वाले मित्र का यह कहना है कि उनको अनुचित तरह से दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member is aware of the Cut-motions that he has moved. Other things are obiter dicta.

श्री किशनलाल शाह—श्री मानसिंह ने एक वर्ग को रिप्रेज़ेन्ट किया और अध्यक्ष महोदय ने दया करके उनको रिप्रेज़ेन्ट करने का मौका दिया। वास्तव में उनकी बातों का जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। जब लालझण्डे वाले मित्र की तरफ और श्री मानसिंह महार की तरफ देखते हैं तो दोनों में असन्तोष देखते हैं। दोनों का दृष्टिकोण भिन्न है, एक का कहना है कि एक वर्ग से कुछ लिया है और उसके एवजाने में जो दिया जाना चाहिए वह कम है। दूसरे मित्र का यह कहना है कि दूसरे वर्ग को ज्यादा दिया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से दिया जा रहा है। दूसरे वर्ग का यह कहना है कि हमसे गैर कानूनी तरीके से लिया जा रहा है। दोनों नाखुश हैं तो इसके माने यह हैं कि सरकार सन्तुलित मार्ग पर चल रही है, सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था की नीति अपना रही है। उन दोनों के तर्कों से साबित है कि सरकार अच्छे रास्ते पर चल रही है।

दूसरा सवाल रखा कि राजपूतों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक कॉम्युनिटी के नाते यह माँग करना अर्थ-व्यवस्था की नीति के विरुद्ध है। इस तथ्य को भूलते हुए जाति के नाम पर, छोटे और बड़ों के नाम पर माँग करके कि सरकार अन्याय कर रही है, इसका परिणाम गलत निकलेगा और सरकार को इसका नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा, यह वे कहते हैं। वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि जिस क्लास की वे वकालत करते हैं उसका कारण उन्हीं का शोषण है। यह स्पष्ट है कि जब कोई पाटवी जागीर का मालिक बनता है तो ठाटवी को जमीन आदि जो उसको उसके हिस्से की मिलनी चाहिये, नहीं देते। पाटवी करता क्या है कि जमींदारी का जो मुआवजा मिलता है, उसका हिस्सा भी नही देता और वह यह समझता है कि वह शाही घर में पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिये ठाटवी भी उनसे अपना हिस्सा माँगने के बजाय गवर्नमेंट से अपना हिस्सा दिलाने के लिये प्रार्थना करते हैं। वह यह कहते हैं कि मेरा फैसला या तो गवर्नमेंट करे या कॉंग्रेस पार्टी करे या तो वह गवर्नमेंट को अपना माध्यम मानेगा या कॉंग्रेस को माध्यम मानेगा। उस पर जाति विशेष के नाम पर या राजपूती खतरे के नाम पर आज यह कहा जा रहा है और गल्तफहमी पैदा की जा रही है। गैर इन्साफ तो वे लोग करते हैं और बाद में वह सब कॉंग्रेस सरकार के जिम्मे थोपा जाता है। (घंटी)

इसके बाद सेटलमेंट के लिये कई बातें कही गई और उस पर कई आरोप लगाए गये, लेकिन मैं उन आरोपों से सहमत नहीं हूँ। एक बात यह कही जाती है कि सेटलमेंट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जावे। कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के बारे में आवाज हो सकती है, मगर यह नहीं कहा जा सकता कि वेतन बढ़ जाने से भ्रष्टाचार रुक जावेगा। आज एक व्यक्ति को ६०) रु० वेतन मिलते हैं, यदि उसके ४०) रु० बढ़ा कर १००) कर दिये जाते हैं तो क्या इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? जिसकी जो बान (आदत) हो जाती है वे उस बान को नहीं छोड़ सकते। अब रेट की बात कही जाती है। आज तो स्पष्ट जनता का शासन है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता दूँ कि पुराने जमाने में जब राजा लोग शासन करते थे उस समय में खास-खास विभाग, जो आमदनी के जरिये थे जैसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स, रेवेन्यू आदि उसमें खास जाति विशेष के लोगों की भरमार थी तथा कानून व रेट किसने कायम की, किसने बनाए? उन्होंने किस तरह से रेट बढ़ाई? हमारे जोधपुर रियासत में पुराने ३० साल में लाग-बाग, हासिल आदि के हिसाब से आज का जो सेटलमेंट है वह काफी कमती है। उस जमाने में जो अन्याय होते थे, उनकी तरफ ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि वस्तु-परिस्थिति क्या है। जो दलीलें दी जाती हैं वह दूसरे वर्ग के साथ न्याय

[श्री किशनलाल शाह]

के लिये दी जाती हैं, न कि भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये। इसलिये जो दलीलें दी गई हैं उनको वाजिब नहीं मानते और जो कट मोशन रखा गया है वह गलत है।

श्री भैरूँसिंह (वि. सं. १६)—(बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will Speak only on the cut-motion.

श्री भैरूँसिंह—मुझे कट मोशन पढ़ कर सुना दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—This cut-motion is un-riped, still I allow. "That the Demand for Grant No. I, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Rupee 1/-(to discuss the all-round prevailing corruption in the Department.)"

श्री भैरूँसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सेटलमेंट विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में इस सदन में काफी चर्चा हुई है और बाहर भी जब देहातों में जाने का काम पड़ता है उस वक्त ये चर्चायें आम चर्चा का रूप धारण करती हुई मालूम होती है सेटलमेंट डिपार्टमेंट के पास जो काम है, इस वक्त उसको देखते हुए, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जल्दी ही यह भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब तक इन अधिकारियों में नैतिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वह सब असंभव है। जब तक इस कार्य-प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जावेगा तब तक इस भ्रष्टाचार को मिटाना असंभव-सा ही है।

आज सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि एक तहसील के लगान में और दूसरी तहसील जो उसके पास ही है उसके लगान में काफी अन्तर है। इसके लिये कई प्रकार के आँकड़े रखे गये। इस अन्तर के दो मुख्य कारण हैं। एक तो सेटलमेंट में फैला हुआ भ्रष्टाचार और दूसरा सेटलमेंट मेन्युअल का अभाव। मगर मेरे विचार से इन दोनों चीजों को भी, जिनकी कमी है पूरा किया जावेगा तो भी भ्रष्टाचार नहीं रुक सकेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि सेटलमेंट की प्रणाली के मूल में कोई खामी है और उसको लेकर मैं माननीय अध्यक्ष, आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करूँगा।

सेटलमेंट की प्रथा पुरानी नहीं है। यदि हम हमारे शास्त्रों को देखें तो मालूम होता है कि सेटलमेंट जिस रूप में आज हमारे सामने है उसका कहीं भी जिक्र नहीं। अगर आप मनुस्मृति को उठा कर देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ मिलेगा कि १।६, १।८, १।१० ले लिया करते थे। शुक्र से भी यही पता चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी धार्मिक ग्रन्थ हैं उन सबमें यही चर्चा मिलेगी कि अनाज में लटाई की जावे। यह जमीन-नपाई की प्रथा अकबर बादशाह के जमाने में राजा टोडरमल ने शुरू की और सारी भूमि का नाप कराया और उस प्रथा को लागू करने के लिए कायदे बनाये और सेटलमेंट की प्रथा चालू की। उस वक्त से लेकर आज तक भारत के सभी

[श्री भैरूँसिंह]

प्रान्तों में भूमि-सम्बन्धी जो कानून हैं या सेटलमेंट मेन्युअल हैं उनको देख लीजिये। आपको कहीं भी कोई कायदा नहीं नजर आवेगा कि जिससे कि एक रियासत में एक प्रकार की रेट कायम कर दी गई। उनकी सबकी रेट्स वहाँ की जलवायु, भूमि और कोस्ट ओफ प्रोडक्शन (Cost of Production) पर लगी हुई हैं। सब जगह इन तीनों चीजों को लेकर, आधार मान कर, लगान की दरें मुकर्रर की जाती हैं, परन्तु समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमारी सरकार ने लगान की दरें कायम की हैं। जमुआ रामगढ़ ही ले लीजिये। वहाँ की जलवायु, भूमि, कोस्ट ओफ प्रोडक्शन दूसरी तरह की है और वहाँ से कुछ दूर मालपुरा को लेंगे तो उसमें भिन्नता आपको मिलेगी। इसी तरह एक गाँव से लेकर दूसरे गाँव तक जावेंगे तो आपको अन्तर मिलेगा। इन चीजों को आधार मान कर एक मेन्युअल बनाया जावे और उसको पब्लिश किया जावे। विशेष परिस्थितियों के कारण एक ही तरह की रेट कायम नहीं रह सकते हैं। सरकार की अपने पर्चे बनवाने की नीति है, उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा और जब तक यह परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक मेन्युअल नहीं बन सकता और मेनुअल के अभाव में सब कुछ हमको बर्दाश्त करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में बेकारी की समस्या काफी बढ़ गई है और इसका खास कारण यह है कि आज हमारे सारे के सारे काम रुपयों पर आधारित कर दिये गये हैं। हमारा देश एक कृषि-प्रदान देश है और यदि हम रुपयों के बजाय धान को आधारभूत मान कर चलें तो मैं विश्वास दिला कर कहूँगा कि अगर गाँवों में इस प्रथा को लागू कर दिया जावे तो आज यह बेकारी की समस्या हमको जो देखने को मिलती है वह नष्ट तो नहीं होगी, लेकिन इसमें सरकार और पब्लिक दोनों को काफी राहत मिलेगी।

उनसे आठवां बांटा लिया जा सकता है, लेकिन बांटा लेने के बाद में भी एक प्रकार की प्रणाली हमारे सामने आ सकती है और वह है कोस्ट ओफ प्रोडक्शन (उत्पादन मूल्य) की। अगर कोस्ट ओफ प्रोडक्शन भी चाहेंगे तो दे देंगे। जैसे पांच बीघा जमीन है और अगर १ बीघा में दो मन अनाज की पैदावार है तो १ मन अनाज ले सकते हैं। काश्तकारों से लगान किस्म में लिया जाना चाहिए। उनसे आठवां बांटा लिया जा सकता है और उससे यह होगा कि अनाज एक जगह एकत्रित हो जावेगा और उस अनाज को पंचायतों द्वारा इकट्ठा करवा दिया जावेगा, जिस तरह से पंचायतों द्वारा लेन्ड रेवन्यू इकट्ठा किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को भी पंचायतों द्वारा तनख्वाह देनी पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में एक चीज़ है। हमारे यहाँ का काश्तकार उसके गृह का राष्ट्रपति है, उसकी औरत राष्ट्रपति की पत्नि, उसका लड़का राष्ट्र का प्रधान मन्त्री और उसकी आश्रित जनता जैसे छोटे व्यवसाय वाले आदमी जो हैं; जैसे लोहार, खाती, नाई, नीलगर इत्यादि, यह सारी उसकी आश्रित जनता है। वे उस लगान को जिसको हमें आज पैसे के रूप में देने के लिए तैयार हैं। यदि हम अनाज के रूप में लगान लेंगे तो काश्तकारों को भी कोई दिक्कत नहीं आवेगी। वे आधा लगान अन्न के रूप में सरकार को देंगे और आधा आश्रित जनता को। तो इससे उन लोगों के पास भी व्यवसाय होगा और खाद्य की गम्भीरता भी सामने नहीं होगी। इससे दूसरा फायदा यह होगा कि खाद्य की समस्या हल हो जावेगी। सरकार की ओर से एक अड़चन आ सकती है। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि

[श्री भैरूँसिंह]

सरकार किस तरह अनाज वसूल करेगी। जो बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं उसके लिए रुपये-पैसे कहाँ से आवेंगे? अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज करना है कि जागीरदारों के लिए कहा जाता है कि जागीरदार काश्तकारों का खून चूसते हैं, किन्तु वास्तव में बात यह है कि काश्तकारों का बराबर खून चूसने वाले वे महाजन हैं जो कि उनके बीच रहते हैं और व्यापार करते हैं, काश्तकारों को उधार देकर अधिक व्याज कमाते हैं। किसान उनसे भी पिन्ड छुड़ाना चाहते हैं। जागीरदारों से पिन्ड छुड़ाने के लिए तो आपने योजना बना दी किन्तु उन लोगों से पिन्ड छुड़ाने के लिए आपने किस तरह की कोई योजना नहीं बनायी है और काश्तकारों का व्याज से पिंड नहीं छुड़ाया गया।

(घंटी)

मुझे समय और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—समय दिया गया था।

श्री भैरूँसिंह—मुझे पाँच ही मिनिट मिले हैं। यदि यह नहीं मिलते तो कोई बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—That is sufficient. I can't allow you going beyond your cut-motion.

श्री भैरूँसिंह—मैं भ्रष्टाचार के कारणों पर कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—You can wind up within a minute.

श्री भैरूँसिंह—आपकी मर्जी है। दूसरे लोगों को तो आपने २५–२५ मिनिट बोलने के लिए समय दिया है।

(घण्टी)

मुझे भ्रष्टाचार के बारे में कहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

Then you stop it.

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय यादवजी ने जो कट मोशन प्रस्तुत किया है, मैं भी उसके सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। माननीय अध्यक्ष, माननीय श्री यादवजी ने डिपार्टमेन्ट्स में बढ़ती हुई लॉलेसनेस (lawlessness) की ओर इशारा किया है और इस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में.....

श्री अध्यक्ष—I wanted to know whether the Hon'ble Member wants to support any cut-motion or wants to move his cut-motion, which has already been dis-allowed,

रावत श्री शंभूसिंह—Sir, I have already made it known that I am going to support the Cut-motion of Hon'ble Shri Yadav.

श्री अध्यक्ष—Yes, begin.

रावत श्री शंभूसिंह—तो इस तरह सदन में रेवेन्यु के ऊपर भिन्न-भिन्न प्रकार की चर्चाएँ हुई हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। लॉलेसनेस के ऊपर अगर हम विचार करें, तो यह कहने के मैं एक कारण देता हूँ। वह कारण यह है कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ता जो कि चीप पोपुलेरिटी गेन करने के वास्ते या अपना और इन्ट्रेस्ट बढ़ाने के वास्ते उन अधिकारियों के सिर हो जाते हैं, जिससे उनको स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने का अवसर नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, केवल रेवेन्यु डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ही बात नहीं है, किन्तु गवर्नमेन्ट के दूसरे विभागों में भी हम यही देखते हैं कि कार्यकर्ता डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियरेन्स (interference in day-to-day administration) करने से बाज नहीं आते। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि कुछ दिनों पूर्व जब श्री त्यागी जी अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने एक इन्स्टान्स साइट किया था और वह था हाईकोर्ट का जजमेन्ट। इससे हमको वह भली भाँति विदित होगा कि हाईकोर्ट ने क्या जजमेन्ट दिया? एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारियों पर दूसरे व्यक्तियों का इन्टरफियरेन्स कितना नाजायज था और उससे कितनी भलाई होने वाली थी, उसकी हाईकोर्ट ने कितनी निन्दा की! तो अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस संस्था सेवा-भावी व्यक्तियों की थी, किन्तु उसमें बहुत से अवसरवादी व्यक्ति सम्मिलित हो गये और उन लोगों ने कांग्रेस की उच्च भावना को गिराकर अपने स्वार्थों को आगे लाकर गवर्नमेन्ट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखलअन्दाजी शुरू करदी, जिसका नतीजा यह हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं चल सक रहा है। आज हम यह देखते हैं कि केवल रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि ज्युडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी उससे प्रभावित हो रहा है। हिन्दुस्तान का ज्युडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन संसार के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में से माना जाता था, पर वहाँ भी अब कुछ प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तक ही नहीं वकील वर्ग, जो कि न्याय का साधन समझा जाता है उनको भी वे इस पार्टीबाजी में घसीटने से बाज नहीं आते। जब तक डिपार्टमेन्ट स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पायेंगे और इस तरह से कार्यकर्त्ताओं और पार्टीबाजी के झगड़ों में पड़े रहेंगे तब तक चाहे रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट हो या और कोई डिपार्टमेन्ट हो उनको इस प्रकार के वाक्य सुनने पड़ेंगे। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे कम से कम अपने डिपार्टमेन्ट को तो गुटबन्दी का अखाड़ा न होने दें ताकि वह डिपार्टमेन्ट जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें।

श्री हंसराज—अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है और मैं मन्त्री महोदय से भी यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसी चर्चा चल रही है जिसका आम जनता से ताल्लुक है। इसी पर हमारा सब-

[श्री हंसराज]

कुछ निर्भर है, इस सम्बन्ध में हमको समय अधिक मिलना चाहिए। श्री भैरूंसिंहजी बोल रहे थे। अच्छा विषय है। किसानों के सम्बन्ध में जब चर्चा आती है तो उसको रोक दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें अधिक समय जरूर दिया जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद इब्राहिम—श्री गोपीलाल जी यादव ने जो कट मोशन रखा है उसके मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूँ। जमीन के मामलों में हम यह इन्तजार कर रहे थे कि हुकूमत बहुत ज्यादा ध्यान देगी। जैसा कि माननीय अध्यक्ष, किसानों को ऊपर उठाने की बात आती है, माननीय मिनिस्टर साहबों का दौरा होता है तो वे रेस्ट हाउसेज़ में जाकर ठहरते हैं। गाँधीजी ने कहा था कि गाँवों में ठहरो, हरिजनों के झोंपड़ों में ठहरो, किन्तु वे लोग रेस्ट हाउसेज़ में ठहरते हैं; यह नहीं कि गाँवों में उस किसान के झोंपड़ों में जाकर ठहरें।

हमारे मिनिस्टर महोदय गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, अच्छी दावतें जहाँ मिलती हैं वहाँ ठहरते हैं; वे कभी किसान के झोंपड़े में नहीं ठहरते। जो किसान रात-दिन पटवारी तहसीलदार के दुख से पीड़ित रहता है वहाँ जाकर आजतक हमारे मिनिस्टर नहीं ठहरे।

पट्टा कमेटियों के बारे में मेरी अर्ज है कि पट्टा बांटने का जिम्मा तहसीलदार को दे देवें या एस. डी. ओ. को पट्टा तकसीम करने का जिम्मा दिया जावे ताकि इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत हो सके, लेकिन जो पट्टा कमेटियों द्वारा पट्टा तकसीम किया जाता है उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा इसके बारे में कि अलवर और भरतपुर में जो दिक्कतें हैं वहाँ किसी भी शरणार्थी मेव को इसके बिना रोजाना दिक्कतें पेश आती हैं। आज उसके पास पट्टा है तो कल उसके पास पट्टा नहीं। अगर इसका जिम्मेदार कलेक्टर या एस. डी. ओ. या तहसीलदार को कर दिया जाय तो हम उनके पास जा सकते हैं और उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पाकिस्तान से जो शरणार्थी उजड़ कर आये हैं उनको जमीन दी जावे और उनसे जो जमीन बचे वह पाँच साल के लिए पट्टे पर दी जावे। एक आदमी को जब तक इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि यह जमीन उसके पास इतना अरसा रहेगी उस वक्त तक वह उस जमीन पर न पैसा लगायेगा और न अच्छी तरह से जुताई कर सकता है और न वे अच्छी तरह बुवाई ही करते हैं और न अच्छी तरह से खाद डालते हैं और इस तरह से अच्छी तरह फसल भी नहीं हो सकती है। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि सन् ४७ में मेव बुरी तरह तबाह और बरबाद कर दिये गये थे। महात्मा गाँधी ने मेवों को पहिचाना था। वे इन्हें हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी समझते थे। वे इसलिये रीढ़ की हड्डी कहते थे क्योंकि वे तवारीख से वाकिफ थे। महात्मा गाँधी जानते थे कि मेवों ने देश की आजादी के लिए जान की बाजी लगायी थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ मेरे दोस्तों ने हमारे लिए कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई हैं। हमारे बसाने के लिए हमारी सरकार ने काफी काम किया

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

है लेकिन फिर भी जितना ध्यान देना चाहिये, नहीं दिया गया। जिला गुड़गाँव, पंजाब ने जिस प्रकार मेवों को बसाने के लिए काम किया उसी तरह हमारी सरकार को भी करना चाहिये। सरदार उज्वलसिंह आते हैं, तीन दिन ठहरते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लोगों को बसाने के लिए; हरेक आदमी वहाँ बस जाता है लेकिन हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर आज तक हमारे इलाके में नहीं आये और न उन्होंने हमारे केसेज़ को समझने की भी कोशिश की। मैं आपसे अपील करूँगा कि वे इन केसेज़ को समझें और हमारे यहाँ आकर वहाँ की हालत को देखें।

इसके साथ-साथ मैं उन मोअज्जिज मेम्बरान साहब, खास कर कुम्हेर से डीग कोन्सटुएँसी आये हुए हैं, उन्होंने जो इल्जाम मुझ पर लगाये उस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मौजूदा सरकार ने एक कमेटी मस्जिद खाली कराने की बनायी थी। उसमें मैं और दो गैर मुसलमान मेम्बर साहबान थे। वे मस्जिदें जिनकी जगह आज गुरुद्वारे या मन्दिर बना लिए हैं उनकी जगह मस्जिदें खाली कराने के लिए एक कमेटी सरकार ने बनाई थी......

श्री खेतसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, रेवेन्यु की ग्रान्ट पर के कट मोशन पर बहस चल रही है; यह बीच में मन्दिर-मस्जिद का जिक्र माननीय सदस्य कैसे कर रहे हैं !

श्री मोहम्मद इब्राहीम—जनाबे सदर, मैं गुजारिश करूँगा कि मैं राजप्रमुख के भाषण पर बोलना चाहता था, किन्तु मुझे समय नहीं दिया गया। मुझ पर जो आरोप लगाये गये थे उनका जवाब देना जरूरी है।......

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो कट मोशन पर बहस हो रही है, आप उसके लिए अलग समय ले सकते हैं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

मैं गुजारिश करूँगा कि कमेटी के मेम्बरों की राय थी कि जो मस्जिदें, गुरुद्वारे या मन्दिर बना दिये गये उसमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की जैसी पोलिसी रही है वैसी पालिसी हमारे यहाँ भी अख्तियार होनी चाहिये। इसके सिवाय मैंने कोई बात नहीं कही थी और कोई बात नहीं हुई। लेकिन अखबारों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगन्डा किया। जनाबे सदर, में आपके जरिये हाउस को यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि हाउस इसकी जाँच करे। यदि जाँच में मेरी गलती पायी जाय तो हाउस की मरजी आये वह सजा मुझे दे; मैं उसको मानने के लिए हमेशा तैयार हूँ।

सन् ४७ में हजारों मेवों का खून किया गया। मस्जिदों को, मन्दिरों और गुरुद्वारों में तबदील किया गया। आज वे मेम्बर हमें ताना देते हैं। जैसे एक उर्दू में मसल है जिसका मतलब है, लोटा तो

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

बोले सो बोले छलनी भी लौटकर ताना दे; जिसमें हजारों छेद वाली नजीर यहाँ लागू होती है। उस समय हजारों मस्जिदें स्वाहा की गई। मैं Challange करता हूँ Honourable member को कि उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है और मेरे दिल में मन्दिर, गुरुद्वारों व मस्जिदों की एक सी इज्जत है।

श्री हंसराज आर्य—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

मेव हमेशा मुल्क के प्रति वफादार रहे हैं। उन्होंने वतन की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। जिन लोगों ने तवारीख पढ़ी है वे लोग जानते हैं कि मेवों ने देश के लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी हैं? महात्मा गाँधी ने तवारीख को पढ़ा था, वे जानते थे कि मेव देश के प्रति कितने वफादार हैं। जैसे हसनखाँ मेवाती राणा सांगा के साथ मिलकर बयाना के मुकाम पर बाबर के मुकाबले में डटकर लड़े और एक लाख मेव शहीद हुए; जब तक एक भी मेव जिन्दा रहा देश की हिफाजत के लिए खून बहाया। आज उन्हीं मेवों के साथ ऐसा बरताव किया जाता है। आज भी मेव लोग उसी तरह तैयार हैं देश की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। आज हर मेव अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस तरह से जो झूठे इल्जाम लगाये जाते हैं, इस सेकुलर स्टेट में बड़ी अफसोस की बात है।

जमीन के मामले में रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि हर शख्स को उसका हक मिलना चाहिये, हर शख्स के लिए जितनी जमीन की जरूरत हो मिलनी चाहिये। उसके लिए तकावी लोन भी मिलना चाहिए। आज हम क्या देखते हैं कि बड़े आदमियों को, जिनके पास पहले ही बहुत पैसा है उनको फिर तकावी दे दी जाती है क्योंकि उनके पास मोटरें रहती हैं, वे झट से (फौरन) मिनिस्टरों के बंगलों में घुस जाते हैं। हम बेचारे गरीब मजदूरों के पास मोटर कहाँ? हम कभी मिलने भी मिनिस्टरों के बंगले पर जाते हैं तो हम बाहर बैठ जाते हैं और वक्त होता है तो मिल लेते हैं, नहीं तो वापिस लौट आते हैं क्योंकि वक्त मिलेगा तो फिर मिलेंगे। यह चीज़ नहीं होनी चाहिये। गरीब किसानों को तकावी दी जानी चाहिये।

मैं अब खासतोर से तहसीलदारों के महकमों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तहसीलदार लोग जब किसी जगह पर रहते हैं तो उनको ज्यादा दिन वहाँ नहीं रहने दिया जाता, जब तक वे लोग उस जगह तजुर्बा हासिल कर लेते हैं उससे पहले ही उनका तबादला दूसरी जगह कर दिया जाता है, ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिये। जिन-जिन इलाकों में तहसीलदार का नेक चलन रहता है वहाँ तहसीलदार को जल्दी-जल्दी नहीं बदलना चाहिये। मैं आपके सामने ५-६ मेव पटवारियों की नजीर रखता हूँ। उनको बेचारों को सन् ४७ से आज तक कहीं भी नौकरी पर नहीं रखा गया, वे आज तक इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं, परेशान होकर फिर रहे हैं; अर्ज यह कि आज तक उनको कहीं नहीं लगाया

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

गया। प्रतापसिंह गुड़गाँव में मेवों के मामलात को सुलझाने के लिए आये, तब उन्होंने किसी पटवारी को खाली देखा तो कहा कि पटवारी तो हमारे मुल्क की कीमती चीज हैं, लेकिन अलवर और भरतपुर के ये पटवारी जिनको २०-२० साल का तजुर्बा है उनको काम पर नहीं लगाया गया। इसलिये मैं खास तौर से गुजारिश करूँगा कि इस तरह खास तौर से गौर करें और इन पटवारी मुलाजिमानों को काम पर लगावें।

जमीन के सिलसिले में जैसी कि मैंने पहले गुजारिश की कि मेव और शरणार्थी, इन लोगों को जमीन ईमानदारी से दी जावे। नगर कमेटी के एक मेम्बर (Constituency के मेम्बर) ने कहा था आप तो मौलाना आजाद के पास जाते हैं, पाकिस्तान रेडियो को बयान देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद ही गलत है। हम तो उसकी बुनियाद को ही गलत समझते हैं। मेव सही मायने में कभी भी पाकिस्तान के हिमायती नहीं रहे, जिस शरियत पर पाकिस्तान की बुनियाद जमाई गई है उसको मसर की पाकिस्तान ने उस बुनियाद को उखाड़ दिया। हमारा ताल्लुक कभी पाकिस्तान से नहीं रहा। हम पर यह झूठा इल्जाम लगाया जाता है। रहा मौलाना आजाद का सवाल, हम तो वहाँ श्री अजीतप्रसाद जी जैन साहब के पास जाते हैं जो हमारे Rehabilitation मन्त्री हैं। हमारी जमीन और मकानों के लिए हम उनसे दरख्वास्त करने के लिए जाते हैं। यह हमारा बुनियादी हक है। यदि हमारे हकूकों को छीना जायगा तो हम अपील करेंगे, कानून के मुताबिक आवाज उठायेंगे। इसलिये रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि यह हमारी (मौत-जिन्दगी का) अहमियत का मसला है। गांधीजी उन लोगों को रीढ़ की हड्डी समझते थे, जो वतन की आजादी के लिए खून बहा चुके हैं। आज वे लोग हथेली पर सरसों उगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे हमारी, वतन के प्रति जो कुर्बानियाँ हमने की है उनकी कद्र करें। राणा साँगा के वक्त में हम लोगों ने देश की वफादारी के लिए कितनी कुर्बानी दी, यह तवारीख से पता चल सकता है। शहंशाह गयासुद्दीन ने एक लाख मेवों को फांसी पर लटकाया, लेकिन उस समय भी मेवों ने अपनी बहादुरी का इजहार किया। आज भी हम उसी प्रकार देश के प्रति वफादार हैं। हमारी वफादारी पर किसी को किसी प्रकार का शक-शुबहा नहीं होना चाहिये।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जिस विभाग पर चर्चा चल रही है उसके ऊपर मैं भी सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि आज-कल जमीनों के बटवारे के लिए जमींदार लोग किस तरह अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं; उसी के ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूँगी। संविधान के अनुसार यह है कि जो कमावेगा सो खावेगा, जो परिश्रम करेगा उसको जमीन मिलनी चाहिये। पर इधर यह है कि जमीन के बटवारे का समय आया, जागीरी प्रथा का खात्मा आया तो जागीरदार लोगों ने अपनी पत्नियों के नाम से, अपनी माताओं के नाम से अलग-अलग जमीनों का बटवारा कर दिया और उनके नाम से वे जमीनें दे दो गई। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि जो जमीन उनकी पत्नियों के नाम दी गई क्या वे इस पद्धति के मुताबिक भी चलते हैं कि जो एक स्त्री का पति जब जीता है तो उसके मरने के बाद क्या वह जमीन का पट्टा जो

[श्रीमती यशोदा देवी]

उसके रिश्तेदार व भाई आदि होते हैं, उसी के नाम से रहने दिया जाता है या नहीं? अगर यहां स्त्री और आदमी को बराबर हक है तो अपने पति के मरने के बाद उस प्रोपर्टी पर पत्नी का ही हक होता है और उसी को हक मिलना चाहिये।

अब जब जमीनों के सही बँटवारे का समय आया, तो वह चाहे उस पत्नी के नाम से कर दें और चाहे बहन के नाम से कर दें, पर उस वक्त जब सही समय वहाँ आता है वह कभी नहीं मन्जूर करेंगे कि विधवा पत्नी के नाम से जमीन दी जावे, या बहन के नाम से दी जावे। यह भी है। और जो अब जिस तरह से नाम की जाती हैं, ज्यादातर पत्नियों के नाम से की जाती हैं तो मैं पूछती हूँ क्या कभी उन्होंने खेत देखे भी हैं कि कहाँ उनके खेत हैं, कौनसा रास्ता जाता है, किस किस्म का अनाज किस मौसम में कैसे बोया जाता है, खेत की मिट्टी कैसी है? यह भी उन्होंने नहीं देखा और न जाना होगा।

इसके बजाय अगर जो सही माने में एक गरीब जमींदार किसान है, उसको वह जमीन दी जावे तो मैं जहाँ तक समझती हूँ वहाँ तक कह सकती हूँ कि यह करना ज्यदा उत्तम होगा।

अभी जिला प्रतापगढ़ में मैं गई। वहाँ पर मुझे दो-तीन किसान स्त्रियाँ मिलीं जिनके घर में दो-चार छोटे-छोटे बच्चे भी थे और दो-तीन बीघा जमीन के टुकड़े पर अपना निर्वाह किसी तरह से करते थे। वे विधवा स्त्रियाँ थीं। एक ने तो अपना पट्टा बताया और कहा कि मेरे पास डेढ़ बीघा जमीन थी और उसी के ऊपर मैं अपना गुजर-बसर करती थी, पर उस जमीन पर भी वहाँ के ग्राम पंचायत वालों ने यह कह कर अधिकार कर लिया कि हम इस जमीन पर एक स्कूल खोलना चाहते हैं। उसने प्रोटेस्ट किया और कहा कि मैं विधवा औरत हूँ, मेरे दो-तीन छोटे बच्चे हैं और हम सब इसी पर अपना गुजारा कर रहे हैं, पर उसकी एक नहीं सुनी गई और वह जमीन उससे छीन ली गई (श्री मानसिंह द्वारा 'शेम-शेम' की आवाज) यह किस्सा प्रतापगढ़ में गाँव सालमगढ़, तहसील अर्णोद का है। वह जमीन मैं स्वयं देखकर आई, स्कूल बनाया गया है। दो बरस हो गये। खुशी की बात है कि स्कूल कायम किया गया। पर, उस विधवा स्त्री के तीन बच्चे हैं और इस गरीबी में और असहाय अवस्था में उस डेढ़ बीघा जमीन के टुकड़े पर अपना जो निर्वाह करती थी उसको यह लालच दिया गया था कि उस जमीन का मुआवजा तुम्हें दिया जावेगा या जमीन के बदले जमीन दी जावेगी; पर आज २॥ बरस हो गये इसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत में जब वह रपोर्ट करती है तो वे उसे डाँट देते हैं, दुत्कार देते हैं। आज तीन बरस हो गये, पर दुख है कि उसको जमीन नहीं मिली। तो आज ये चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो जिसने जमीन का मुँह नहीं देखा उस बहन के नाम जमीन की जाती है और दूसरी तरफ जो परिश्रम कर सकती है और काश्तकार की बहन अपने छोटे-छोटे बच्चों का निर्वाह कर सकती है उनको जमीन नहीं दी जाती और यही नहीं किन्तु उनके प्रति इस प्रकार के छोटे-छोटे अत्याचार होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो मुआवजा जागीरदारों को दिया जा रहा है वह उनको नहीं दिया जाकर उनके एवज में उन लाखों की तादाद

[श्रीमती यशोदा देवी]

में जो गरीब किसान विधवाएँ हैं, अनाथ किसान बच्चे हैं और जो परिश्रम के द्वारा जमीन तैयार करके खेत जोतकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं उनकी तरक्की के लिए और इसके साथ ही साथ होने वाली काश्त की उन्नति के लिए यह पैसा दिया जाना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो कितनी अच्छी बात होगी ? आप इस पैसे से काश्तकारों की तरक्की करें, उनके बच्चों को बताएँ कि खेती की तरक्की इस तरह से की जाती है, तुम अपना परिश्रम इस तरह से काम में लाओ; तो उससे अधिक से अधिक फायदा हो सकता है। उनको हर सम्भव साधन दिये जावें और उनके परिश्रम का अधिक से अधिक लाभ देश को और हमारे प्रान्त को दिया जावे, पर यह नहीं हो रहा है। यह जागीरदारों को मुआवजा देना ऐसी गरीब बहिनें, किसान बहिनें, परिश्रम से खेती करने वाली बहनें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी और काश्तकारों की बहिनें भी आज इस चीज़ को समझ रही हैं कि यह हमारा अधिकार है, न कि उन बड़े-बड़े जागीरदारों का जो कि अपनी पत्नियों के नाम से जमीन का बँटवारा करके यह समझ रहे हैं कि हम अपनी जमीनें अपने अधिकार में रख लेंगे। उनको यह पता नहीं होगा कि इस बात का पता आज किसान को हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर जागीरदारी प्रथा खत्म करने के लिए जो हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने नारे लगाये थे, उनके आज के कारनामों को देखा जावे तो ऐसा लगता है कि वे आज उस चीज़ को भूल गये हैं। जिस जागीरदार ने हमारी माताओं और बहनों पर अपनी सत्ता के मद में, शराब के नशे में अत्याचार किये, गरीब किसान भाइयों पर अत्याचार किये, उनके छोटे-छोटे बाल-बच्चों के मुँह का कौर छीना, उस सब अत्याचारों को हम भूले नहीं हैं आज और इसको हमारी आज की काश्तकार की बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी। यह चीज़ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन जागीरदारों के मुँह से भी मैंने सुनी हैं, कि जो हजारों विधवाएँ हैं उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। यह सही है और इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिये।

(सर्वश्री ईश्वरीसिंह, मोटाराम, लादूराम और घीसीसिंह एक साथ बोलने की अनुमति लेने खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—ईश्वरीसिंहजी बैठ जाएँ, श्री घीसीसिंह।

एक माननीय सदस्य—मोटारामजी को बोलने दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी उधर के कांग्रेसियों का फैसला कर दीजिये कि कौन बोलें।

श्री चन्दनमल वैद—घर में ही निपट लेंगे हम तो।

श्री उपाध्यक्ष—लादूरामजी बैठ जावेंगे। अच्छा, घीसीसिंहजी।

एक माननीय सदस्य—मोटारामजी को बोलने दीजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा मोटारामजी !

श्री मोटाराम--जो कटौती श्री गोपीलाल जी यादव ने रक्खा है, उसके बारे में मैं भी हमारी तहसील में जो तकलीफ है, वह अर्ज कर देता हूँ। हमारे एक मित्र ने बात बताई कि जब मिनिस्टरों के दौरे होते हैं, तो उनसे गरीब आदमी नहीं मिल सकते हैं। तो, मैं उण बात ने नहीं मानता। हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारी तहसील में जब दौरे पर पधारे हैं, उण वगत में गरीब आदमी उणा सूँ जरूर मिलिया हा। पर, खास बात तो आ है कि सरकारी कर्मचारी जो आवे है, वे नहीं मिले हैं। हमारे मन्त्री महोदय हमेशा इस बात का खयाल रखते हैं और गरीब आदमियों की इच्छा ही वे जल्दी मालूम करे हैं और गरीब आदमियों की हालत सुणे हैं। मगर सरकारी कर्मचारी और कुछ बड़ा अफसर सेटिलमेंट रा जो सरकारी आवे है वे तो जागीरदारों के मकान पर ठेरादेते हैं, कुछ लालस देहकर किसान की इनकारी को पुरी करा देते हैं करसां की फसल को खारज कर जागीरदार के मन माफिक फैसला बलोतरां एसे उरी ताकत ठाकराँ रे सामने बोलने की नहीं होवे और ऐ जीतरा भी बड़-डियु ने कीया है, गाँव सरवड़ी तहसील भीवाना के कस्बा ने खेत से बेहदकल किया है। सरकारी कर्मचारी आवे वे ठाकराँ रे साथ रेवे और मौज करे। उनका बड़ा-बड़ा बंगला में सीरा पडीयां के खातर रीसफ के खातर सूँ जागीर सेटलमेन्ट रा अफसर बैठ जावे, ऐडा रौब दौब सूँ रेवे तो ऐसा ने गरीब किसान आदमी सही बात बता वे तो धमकी देहकर बार नीकाल देते हैं कभी नहीं बता सके वे तो, सरकारी कर्मचारी जो होवे और जो बड़ा अफसर होवे वे गरीब लोगां री बातां नहीं सुणे। अबार-अबार पचभद्रा के रेन्ट के बारे में उजरदारी पेश करी, पर उरे वास्ते भी ऐ सरकारी कर्मचारी कोई सुणवाई नहीं करे कि हमारे इलाके में जो रेन्ट गजट में निकलो है, वह बहुत ज्यादा था, इसलिए काश्तकारों ने उजरदारी की। और सेटलमेन्ट का सवा चार साढ़े चार रुपया रक्खा। यह भी रेट हमारे यहाँ बहुत ऊँची है। हण री भी उजरदारी सरकार रे सामने है। कई फैसला देगा और क्या तसफिया होगा मुझे मालूम नहीं। जागीरदाराँ ने रेट बढ़ाने के बारा में पचभदरा तसीहल जागीरदाराँ ने सेवा कर निकाली हुई रेट ने काइम करने के बारे में पूरी मेनत की है, सरकार इस रेट के बारे पूरी साँस करे तो मालूम होगा कि ४। सवा चार रुपया बोत जादा है खरचा नहीं चल सकता कम करने में सरकार ले साँसवी लेह तो सइ फैसला कर कम रेट करे तो गरीब बच सकता है, वरना नहीं रेट कम की जावें।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बामसी फारम के बारा में पानीवाला महाराज ने फारम खोला था, उस फारम के सम्बन्ध में सरकार ने सेटिलमेंट करवाया था, और वा फारम कामयाब हो चुका था। उस फारम में लाखों रुपये सरकार के लगे थे। उसका हिसाब सरकार के सामने होगा। उसका सेटिलमेंट होने के बाद में एक, साल का ठेका दिया गया था और कहा गया था कि बाद में पक्के पट्टे कर दिये जावेंगे। लेकिन बाद में वह जमीन जागीरदार के सुपुर्द कर दी। लाखों रुपया सरकार का खर्च हुआ, मगर अफसरां ने मिलकर वह जागीरदार के सुपुर्द कर दिया। (शेम, शेम) पब्लिक की वह चीज थी, गवर्नमेंट की वह चीज थी तो क्यों सोंपी गई ? हमारे यहाँ बाड़मेर के एक सेठ ने उसका ५० हजार रुपया थामा था, वह देने को तैयार थे, मगर वह फारम उनको नहीं दिया गया। उन्होंने कहा था कि ५० हजार रुपया देने के लिए तैयार हूँ, मगर वह फार्म उनको नहीं दिया, बल्कि वहाँ के बामीनी के ठाकर को दिया गया है। उसमें कम से कम ४, ५ हजार रुपये अफसरों ने खाकर जागीरदारों को दिया है।

[श्री मोटाराम]

हमारे यहाँ के जागीरदार ने गये साल में, सं० २००६,२००० में १/४ लटाई ली। इसके बारे में मैंने तहसील सिवाना और तहसील पचभद्रा में रिपोर्ट पेश की कि १/४ की लटाई हो रही है, मदद करो उन गरीब आदमियों की मगर सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया और वहाँ १/४ लटाई ली।

श्री जवानसिंह—क्या उस फार्म में माननीय सदस्य का भी हिस्सा था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे हजारों और लाखों आदमियों का हिस्सा था।

श्री मोटाराम—यानें रुसंद के हिस्से का सवाल नहीं है, जनता के नुकसान का सवाल है। विरोधी दल के नेता ने पूछा वो ठाकर की हैसियत से।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूँगा कि बामसीन के जागीरदार ने किसानों की घोड़ियाँ जबरदस्ती खेतों में छोड़कर खेत चरा दिया है। गाँव मांगला खालसा का गाँव है। काश्तकारों की खड़ी फसल को चरा दी है! उसके नुकसान का दावा एस० डी० ओ० बालोतरा में किया है, मगर सुनावाई नहीं हुई तो कलेक्टर साहब ने थाना समदड़ी को लिखा, लेकिन थाना पुलिस समदड़ी ने ठाकुर से गोट खाकर कुछ नहीं लिखा। उन काश्तकारों ने तहसील बालोतरा से जाकर कहा तो ठाकर ने कहा कि मार डालेंगे और एक किसान को बुरी तरह मारा। (शेम, शेम) उस ठाकर ने १०-१५ घोड़ियां को बन्द किया था, उसकी रसीद भी मौजूद है और गवर्नमेन्ट का रेकार्ड मौजूद है। उनको कहा गया कि इतना नुकसान किया। वह ४,५ किसान फिर रहे हैं। उन्होंने वकील भी किया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ठाकुर को अभी तक पेशी पर नहीं बुलाया है। मुकद्दमा छ-सात माह से चल रहा है, बालोतरा एस० डी० ओ० के कोर्ट में।

वहाँ लटाई भी १।४ ली जाती है। बामसीन में १, २ या ५ साल पहले सेटिलमेंट हुआ था, बामसीन के तमाम कस्बों में उसके पट्टे भी नहीं मिले हैं। वह अनपढ़ आदमी है, तो जागीरदार ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और खुदकाश्त में लगा दिया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि जो सेटिलमेंट पानीवाला महाराज ने करवाया था उसकी तहकीकात करेंगे कि कितना खर्चा किया, ४,५ किसानों को बेदखल कर दिया है, उसके लिये पट्टा दिलाने की कोशिश करेंगे। बामीनी ठाकुर ने २० बेरों पर कब्जा कर खुदकाश्त में ले लिया है। बेरा-खेत तमाम काश्तकारों का था, मगर पर्चा नहीं मिला।

वहाँ सिवाना तहसील में जागीरदारों ने खेत में जो लीले रोहिड़े थे, हरेक खेत में लीले रोहिड़े थे वह कटवा दिए थे।......(अश्रव्य)।

मैंने पहले के सेशन में आपके द्वारा मन्त्री महोदय से प्रार्थना की थी, लेकिन आज तक इन्क्वायरी नहीं की है। सिवाना तहसील में हजारों दरख्त काटे हैं, वे मौजूद हैं, पड़े हैं। एक माह में तहकीकात करें तो पता पड़ेगा।

[श्री मोटाराम]

हमारी सिवाना तहसील में सेटिलमेंट के बारे में जो अमीन वगैरह हैं वह सेटिलमेंट के लिए गाँव में जाते हैं तो तमाम गाँवों में उनको खाने का खर्चा देते हैं और वे कहते हैं कि एक हजार रुपया देना पड़ता है और एक हजार रुपयें अफसर सहित जो आते हैं काश्तकारों को देना पड़ता है। हरेक गाँव में इन्क्वायरी कराई जाय तो मालूम होगा कि वहाँ के काश्तकारों को देने पड़ते हैं। उनका खाने का खर्चा और एक हजार रुपया हरेक गाँव से, छोटा गाँव हुआ तो ५००) और बड़ा गाँव हुआ तो एक हजार रुपया अमीन को देने पड़ते हैं। वह पहले तय करना पड़ता हैं, नहीं तो वे ६, ७ महीने लगा देते हैं, सेटिलमेंट के इस काम में। (शेम, शेम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मेम्बर मेंसवाड़ा के ठाकुर साहब के निस्बत जिक्र कर रहे हैं? (हँसी)

श्री मोटाराम—मेंसवाड़ा ठाकुर ने साल २००६ रेकड़ के बजाय लटाई की है। मुझे मालूम है। मैंने इन्क्वायरी के लिए हाल ही में भेजा था।

(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) सेटिलमेंठ में सबसे ज्यादा रिश्वत का सवाल है। अमीन का है, सेटिलमेंट के अफसर का चलता है। वह सबसे ज्यादा गरीब आदमी वहाँ के हैं। हमारे महात्मा गांधीजी कहा करते थे कि हमें गरीब आदमियों को ऊँचा उठाना है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि गरीब आदमियों के पास खाने को खाना नहीं हैं। खाने को उन्हें गुजारा नहीं मिलता है जो कि उनकी खेतों और बेरों में निबजता है। पैसा दें तो वहाँ से दें? रेट बहुत ज्यादा है। खेत बेरा जो गरीब किसान के हैं उनको खाली कर जागीरदार ने अपना खुदकाश्त किया है सो गरीबों के वास्ते कोई ऐसा आदमी लगाकर जाँच की जावे तो पता लगेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

सेटिलमेंट होने के बाद में......

(घन्टी तथा हंसी)

हमारे वहाँ १।४ की लटाई लेते हैं। (घन्टी) २ मिनट।

श्री अध्यक्ष—कोई खास बात कहेंगे तो २ मिनिट दूँगा।

श्री मोटाराम—(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) १।७, १।८ लटाई ली गई कई गाँवों में। राज का हुक्म १।६ लटाई लेने का है तब भी १।४ लटाई वहाँ ली है और हमने २।३ काश्तकारों ने वहाँ बालोतरा में शिकायत पेश की तो हमारी किस्मत से जो एस० डी० ओ० साहब के आने के बाद सब किसानों की बात १।६ के बारे में थी, लेकिन वह १।४ में दिलचस्पी लेते हैं...... (अश्रव्य) १।६ की लटाई की है, इसके कागज वहाँ मौजूद हैं, एस० डी० ओ० साहब सेटिलमेंट के रेकॉर्ड में जो दर्ज हुआ उसको देखते, लेकिन वह गरीब आदमियों से प्रमाण माँगते हैं। लेकिन उन्होंने जागीरदारों की बात मानी। अध्यक्ष महोदय, सिवाना के काश्तकारों की चराई की जमीन बाका-

[श्री मोटाराम]

यदा सेटिलमेंट में दर्ज हुई है। उसकी नकल लेकर दावा किया है, लेकिन जागीरदार कहता है कि मेरा खेत है, मेरा बेरा है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि वहाँ मिसल मौजूद है, वहाँ रेकार्ड मौजूद है, नकल मौजूद है। आज भी मन्त्री महोदय देखें तो दिखा सकता हूँ। गाँव सरवड़ी के काश्तकारों को एस० डी० ओ० ने बेदखल किया है। कब्जा खुद ने छुड़ा दिया रिश्वत खाकर।

हमारे बीठोड़ा में जागीरदार ने गोचर की जमीन पर कब्जा कर लिया। यह जमीन ८००, ६०० बीघा थी। हमने बालोतरा में दावा किया और कहा कि गऊओं के लिए दूसरी कोई जमीन नहीं है और सारे गाँव की गायें चरने आती हैं इसलिए यह जमीन छोड़ दी जाय और हमको दिलादी जाँय ताकि गाँव की गायें यहाँ चर सकें। जिन्होंने इस पर कब्जा किया है, वह मालदार आदमी है, जागीरदार हैं, बीटड़ा के ठाकुर हैं, इसलिए उससे यह जमीन छुड़ानी चाहिये। फैसला हमारे हक में होता है। रिश्वत खाकर बालोतरा एस० डी० ओ० काश्तकारों के खिलाफ फैसला देगा, कारण कि टाकर ने रिश्वत देकर अपना मतलब किया है।

(पुनः समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

एक माननीय सदस्य—इनको एक मिनिट और बोलने दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या अनकम्फरटेबल स्पीच (Uncomfortable) छोड़कर मन्त्री महोदय बाहर चले गए?

श्री उपाध्यक्ष—Your speech was more uncomfortable than this.

श्री ईशरीसिंह—सभापति महोदय, इस विषय पर कई लोग अच्छी तरह सूं बोल्या, कई नयी नयी बातां बताई। मैं अब कठातांई बताऊँ। मेरा भी जो इलाका है जिण में ३ आना बीघा हा, जठे १२ आना बीघा कर दिया अब और भी दुगुण बढ़ाना चावे है। आज जो महात्माजी रा तिलक लगाया बैठा है वे लोग आ बात कररया है। महात्मा गांधी ने तो बहुत थोड़ा लोगां ही देख्या होवेला, पर कुछ आज अठे मिनिस्टर है वे सन् ४६ में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में गया हा। मैं भी पटेल का गाँव में गयो हो। जठे आगे जाकर बहस उठी कि राजस्थान में प्रजामण्डल संस्था खोली जाय। महात्माजी इन्कार हो गया और ए लोगां क्यो कि हमारे काश्तकारों को दुःख है वो दुःख में इण संस्था रे जरिये दूर नहीं कर सकां तो हमारो जीणो व्यर्थ है और हमारो उठे रेणो बेकार है। सास्त्रीजी और व्यासजी दोनों जिणा उठे मौजूद हा। जी वक्त ओ ध्यान हो कि काश्तकारों रे वास्ते इणांरो ओ ध्यान है तो इणोरें द्वारा काश्तकारों ने ऊंचा उठाया जावेला और जनता में अमन चैन होवेला और दुनिया सुखी सन्तोष रह सकेगी। जागीर खतम हो जायगी। जमीन रो बंटवाड़ो होजावेलो और दूध री वैतरणी चल जायगी। पर अब देश ने आजाद हुए ६ साल से ऊपर हो गया है लेकिन गरीबां रो कोई भलो नहीं होयो आज बड़ों बड़ों ने तो फायदो देवण री कोशिश की जारही है। जागीरदारां ने मुआवजां

[श्री ईश्वरसिंह]

दियो जारह्यो है और छूट में जमीन दी जारही है पर छोटे लोगां ने कोई फायदो नहीं पहुँचावण री कोशिश की जारही है। जागीरदारों में खुद में जो बड़ा लड़का होता है उसको तो जागीर का मालिक बनाया जाता है और छोटे जो रह जाते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता। एक जागीरदार रे चार लड़का है तो बड़ो लड़को तो जागीर रो मालक बणेलो और छोटे ने कुछ नहीं मिलेलो। छोटा लोग तो पहले ही इण तरेसूं पीसिया गया और अब मुआवजो भी बड़े लोगां ने मिलेलो। यदि जागीरदारों को कुछ देना चाहती है तो सरकार को चाहिए कि उनको न देकर छोटे छोटे लोगों को दे जो कि बरसों से पिछड़े हुए हैं और कुचले जा रहे हैं। सरकार जागीरदारां को मुआवजे के जो २५ करोड़ रुपया कुल देना चाहती है वह उनको न देकर गरीब किसानों और मजदूरों में बांट दे तो आज घर घर जागीर हो सकती है और किसान और मजदूर सुखी हो सकते हैं। लेकिन किसान और मजदूर अगर पैसा भी मांगे तो उनको बदले में पत्थर मिलता है। उनकी लगान की दर बढ़ाई जाती है। घी की बेतरणी के स्थान पर आज घी पर ८० रुपये मण की जगात लगाई जा रही है। बाहर से तेल आकर यहाँ पर घी के स्थान पर बिकता है और अपने यहाँ का घी बाहर जाता है। इण तीन दिनों में कई दूसरी बातों रो सवाल आयो। ढांढों में रोग है नारू और दूसरो रोग है काश्तकार लोग और भी मुसीबत में है। खेतां में रूंखड़ी फैल रही है। आप लोग आ भी नहीं जाणतो होवोला कि रूंखड़ी कई चीज़ है। चोमासो होवे तो रूंखड़ी लाकर आपने बताऊं। जठे पहली ३ मण बाजरो एक बीघा में होवतो उठे ५ सेर भी बीघा में नहीं होवे इण रूंखड़ी रे कारण सूं। लगान बढ़ावणरो कोई हिसाब होणो चाहिये। मैं कूं हूँ कि कम से कम आदमी को यह बात तो देखणी चाहिए कि एसेम्बली है उण में न्याय कियो जावेला। न्याय बिना दुनिया में राज्य टिकिया नहीं है। आपको राज्य भी न्याय के बिना नहीं टिक सकेलो। काश्तकारां और मजदूरां के लिए कार्य कुछ नहीं कर रया है। और लोग तो सुख चैन सूं बैठा रेवे और काश्तकारों पर जुल्म किया जावे। जागीर के वास्ते सब प्रबन्ध हो रया है। जागीर के लिए तो पहले भी प्रबन्ध बढ़ा हा आज और भी बढ़ गया। महात्माजी री पवित्र टोपी उण टोपी रे सर पर ओढ़कर काश्तकारो पर नया कर उगाणा उणां रो नाम गँवाणो है। आ चीज़ नहीं होणी चाहिये। मैं इती बात ही कहूँला।

श्री घीसीसिंह— उपाध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख के अभिभाषण से लेकर आज तक वाद-विवाद हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके जरिये सदन का ध्यान आपके पीछे लगे हुए परदे की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर लिखा है 'सत्यमेव जयते'। सत्य के बिना हमारा क्या हाल होगा। हमें अपने सदन में सत्य की ही परम्परा कायम करनी चाहिये। आज जितना वाद-विवाद हुआ है उसमें यह नहीं है कि सारी ही बातें अनर्गल और मिथ्या ही कही गई हैं, उनमें सत्य भी है लेकिन असत्य के साथ सत्य का लोपन भी होता है। ईर्ष्या से जो बातें कही जाती हैं वे ईर्ष्या से कही जाती है, वे सत्य का लोप करती हैं इसलिये हमारी जो सारी बातें हैं, मतलब की चीजें हैं वे लोप हो जाती हैं। उनमें हमें सबसे पहले सत्य की परम्परा कायम करनी चाहिये और गवर्नमेन्ट को भी अपनी जो कमी हो उसे स्वीकार करना चाहिये और काम जो उन्हें करने हैं उन्हें पूरा करने के लिये कटिबद्ध होना चाहिये। जब कि हमें राजस्थान में उसकी उन्नति के लिये कुछ काम करने हैं तब तो हमें सबसे पहले

Page No.84

[श्री घीसीसिंह]

इस परम्परा को कायम करना चाहिये कि जो बातें बोलनी हैं वे ही बोलें, न कि दिल में जो बात आई उसे ही कहदी। किसी ने कांग्रेस पर आरोप किया, किसी ने गवर्नमेन्ट पर आक्षेप किया, यह ठीक नहीं। वास्तव में राजस्थान के फायदे की जो चीजें हैं उस पर तवज्जोह नहीं दी।

सैटलमेन्ट ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक जगह की जमीन की किस्म और तादाद अलग-अलग तरह की होती है। सेटलमेन्ट का काम एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं और जहाँ तक उनके विचार में है वह ठीक ही है। जैसी जमीन है वैसी ही उसकी किस्म अलग-अलग छांटी जायगी।

श्री मानसिंह महार—क्या एक्सपर्ट केवल पैसा ही कमा रहे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं?

श्री घीसीसिंह—वे पैसा कमाते हैं तो क्या बात है? पैसा कमाने के लिये ही हम और आप यहाँ आते हैं (हियर हियर) वाकई में हम जनता के जो नेता थे यदि सही ढङ्ग से चलते, जनता के हित की बातें सही ढंग से कहते तो अच्छा था, पर भाषणों में ऐसा नहीं किया गया है।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा......(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—रेवेन्यु डिपार्टमेंट या सेटलमेंट की तारीफ या आलोचना के बारे में बोलिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जब भी रोचक स्पीच होती है तो आप घंटी बजा देते हैं।

श्री घीसीसिंह—अब मैं, मौलाना साहब ने कुछ बातें कही उनके बारे में कहूँगा...

श्री उपाध्यक्ष—मानसिंह जी से ताल्लुक रखने वाली बातें कहिये।

श्री घीसीसिंह—मौलाना साहब ने जो मेवों के बसाने के बारे में बातें कहीं वे सही हैं।...

श्री उपाध्यक्ष—इन दूसरी बातों को छोड़ कर सेटलमेंट के बारे में बोलिये।

श्री घीसीसिंह—...बातें कहीं वे सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन उन्होंने जो गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर छींटा-कशी की है उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसमें मौलाना साहब कुछ अपनी तरफ देखें कि वे कहाँ तक सही हैं। दूसरी बात कुम्हेर के मेम्बर साहब के मुतल्लिक है, उसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

[श्री घीसीसिंह]

मौलाना साहब ने जिस जोशो-खरोश के साथ सदन में बातें कही हैं वह उन्हें इस तरह नहीं कहनी चाहिये। ये बातें बाहर कहें या कहीं और कहें; सदन में ऐसी बातें होने से जोश बढ़ जाता है। इसके सिवा द्वेषाग्नि फैलने के कोई फल नहीं होता। इसलिये उन्हें जोश, उत्तेजना की बातें सदन में प्रचलित नहीं करनी चाहिये।

श्री मोहम्मद इब्राहिम—मैंने ऐसी कोई बातें नहीं कहीं। मालूम नहीं ठाकुर साहब उस वक्त कहां थे, कह नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—कोई बहस जैसी बात नहीं है।

श्री घीसीसिंह—मौलाना आजाद साहब की यहाँ आने, न आने की बातें कहीं। इससे हमें कोई द्वेष नहीं। वे हमारे नेता हैं लेकिन उनके नाम से दबाव डालना चाहिए, तो हम उसे मानने को तैयार नहीं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मैंने मौलाना आजाद की धौंस की या दबाव डालने की कोई बात नहीं कही।

श्री हंसराज आर्य—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे एक घण्टा दें।

माननीय उपाध्यक्ष, रेवेन्यु विभाग पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसमें मैं भी माननीय चाँदमलजी मेहता के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले सेटलमेंट के बारे में कुछ अर्ज करूँगा। सेटलमेंट के समय जो लगान कायम किया जाता है, यानी शरह पड़त कायम किया जाता है और खास करके उस इलाके में जहाँ के गाँव आज तक जागीरदारी के तहत में रहे हैं, वहाँ लगान कायम करते समय इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया है और न अब भी खास तौर पर रखा जा रहा है कि लगान की शरह किस आधार पर कायम करें। बहुत से ऐसे जागीरदार हैं जिनके पास पहले से कोई रेकर्ड कायम नहीं था कि फी बीघा क्या लगान लिया जाता रहा है और न आज भी उनके पास कोई रेकर्ड है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था कि कभी ६ आना फी बीघा ले लिया तो कभी ११ आना फी बीघा ले लिया। न कभी इस बात का ध्यान रखा कि जिस गाँव में शरह लगान कायम किया जा रहा है, उसके आस-पास खालसे के गाँवों में सरकार द्वारा क्या लगान वसूल किया जाता है?

इन दोनों आधारों को मद्दे नजर रखते हुए लगान कायम करना चाहिए। कहीं ऐसा शरह लगान लगाया है कि जो बिल्कुल गैर-वाजिब है। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जिला चूरू में इतना लगान लगा दिया और बाद में खुद सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने महसूस किया कि वास्तव में हमने बहुत बड़ी गलती की, वास्तव में आज भी उस जमीन की पैदावार और जलवायु को देखते हुए

[श्री हँसराज आर्य]

लगान ज्यादा है। उस जमीन की पैदावार, किसान के रहन-सहन को देखें तो पता चलेगा कि वास्तव में लगान बहुत ज्यादा मुकर्रर हुआ है। उसी डिवीजन में लगान ठीक है जहाँ का किसान खुशहाल है, जहाँ लगान काफी लगा हुआ है। आज भी वहाँ के किसान दर ब दर भटक रहे हैं। लगान चाहे जागीरदार के कहने-सुनने से, कायम किया या जागीर सेटलमेंट एरिया वालों की भूल से कायम किया या किसान उस समय नहीं समझ सका कि अब जो लगान लगेगा वह छूटने वाला नहीं है, इस वजह से हो गया हो, लेकिन लगान बहुत ज्यादा कायम हुआ हैं, जिसकी वजह से किसान बेजार है, दुखी है और भटक रहा है।

सेटलमेंट में काफी गड़बड़ी हुई, सेटलमेंट के कानून-कायदों के खिलाफ शरह लगान कायम कर दिया गया। एक गाँव में, चाहे कोई गाँव हो, बंजड़ जमीन जो कि किसान के कब्जे के बाहर है एक रुपया फी बीघा कायम कर दिया। किसान के कब्जे में बंजड़ जमीन हो तो बन्दोबस्त का उसूल है कि काश्त की जमीन और बे-काश्त की जमीन की दर अलग-अलग हो। फर्ज किया कि ४०० बीघा जमीन बंजड़ एक किसान के कब्जे में है तो उसका लगान बसरे बंजड़ कायम किया गया है, वही कागज तैयार होकर वसूली के लिये जब पटवारी या जागीरदार के पास जाये तो वसूली बजाय बंजड़ के काश्त के हिसाब से हो और बन्दोबस्त कानून भंग हो जाता है। यह प्रयास कानून के खिलाफ है और किसी भी जमीन पर लगान कायम किया जाता है वह एक दफे लागू होने के बाद आगे आनेवाले बन्दोबस्त तक लागू रहना ही चाहिये, चाहे वह भूमि बंजर हो चाहे काश्त जमीन हो। लेकिन यह उसके खिलाफ है। आज जिला चूरू में ५०-६० गाँव ऐसे हैं जिनमें लगान बहुत ज्यादा कायम हुआ है और उसके लिये जब कहा गया कि यहाँ लगान बहुत ज्यादा है तो एस. डी. ओ. ने खुद ने माना है कि यहाँ लगान ज्यादा है और कम होना चाहिये। वास्तव में वह लगान कम हुआ या नहीं, उसके बारे में मैं जानकारी नहीं रखता लेकिन यह सही है और सरकार के अधिकारियों ने यह माना है कि लगान ज्यादा कायम हुआ है जो कम होना चाहिए।

इसके साथ ही यह भी बातें होती हैं कि पैमायश करते वक्त गड़बड़ी कर दी जाती है। मौके पर जमीन मेरे नाम पर काश्त होती है, मैंने उस जमीन पर पेड़ उगाये, पेड़ मौजूद हैं और दूसरे भी चिन्ह मौजूद होते हैं; मगर जब वही जमीन दर्ज की जाती है तो दूसरे के नाम से दर्ज कर दी जाती है और जब पर्चे बन कर आए तो दूसरे के नाम से। जमीन किसकी और पर्चा किसके नाम आ जाता है मैं इस प्रकार के बन्दोबस्त के लिये आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि इसके बारे में ध्यान दिया जावे और खास तौर से लगान की ओर जहाँ लगान की शरह नहीं थी और नये सिरे से लगान कायम किया जा रहा है, वहाँ पर बहुत सोच-विचार के बाद और जाँच करने के बाद कायम करना चाहिये, वरना वह लगान इतना बोझिल हो जावेगा कि किसानों के लिये, सिवाय उजड़ने के और कोई चारा नहीं रहेगा।

इसके बाद मुझे कुछ दरख्तों के बारे में अर्ज करना है......

श्री भोलानाथ—माननीय उपाध्यक्षजी, समय हो गया है। शाम को ये अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका कट मोशन तो नहीं है।

श्री हंसराज आर्य—मेरा कट मोशन तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत सी बातें अभी कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष—थोड़ा समय आपको फिर दे दिया जावेगा।

अब संध्या के ४ बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थागित की जाती है।

[सदन की कार्यवाही १ बज कर ३० मिनट (मध्यान्होत्तर) पर आज की संध्या के ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

विधान सभा भवन,
जयपुर.
दिनाँक—२५ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४६४ का उत्तर देखिये)

तहसील फहरिस्त

जयपुर डिवीजन

१. जयपुर
२. आमेर
३. बैराठ
४. बसवा
५. फागी
६. सरवार
७. अराई
८. अलीगढ़
९. मालपुरा
१०. सवाई माधोपुर
११. गंगापुर
१२. हिन्डौन
१३. खन्डार
१४. बामनवास
१५. करोली
१६. भरतपुर
१७. डीग
१८. बयाना
१९. धौलपुर
२०. अलवर
२१. बेहरोर
२२. तीजारा
२२. राजगढ़
२४. झून्झूनू
२५. नीमकाथान
२६. दाँता रामगढ़
२७. थाना गाजी
१८. नीवाई

---

१. चाकसू
२. जमवारामगढ़
३. सब तहसील पावटा
४. दौसा
५. रूपनागर
६. फुलेरा
७. टोडा रायसिह
८. नादोती
९. मॉड्रेल
१०. महवा
११. किशनगढ़ (अलवर)
१२. तहसील बन्सोर
१३. लछमणगढ़
१४. सब तहसील नीमराना
१५. बादी
१६. नदबई
१७. रूपवास
१८. बैर।

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्न तथा उत्तर जो कि प्रश्न काल में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

501. (105/R. M.) Shri H. K. Vyas. M. L. A., Div. No. 160—Will the Minister for Agriculture be pleased to answer:—

(a) Did the Govarnment employ some temporary clerks in the Agriculture Department under the Seed and Fertiliser Scheme ?

(b) If so, how many persons were employed and on what date ?

(c) Were these employees given their regular salaries every month ?

(d) On what date did they first receive their pay ?

(e) Have they been paid their salary for February 1954 ?

(f) If not, why not ?

उत्तर

(अ) हाँ।

(ब) १२ आदमियों की नियुक्ति तारीख १४ अगस्त सन् १९५३ को की गई। इसके पश्चात् एक की नियुक्ति १०-११-१९५३ को की गई।

(स) नहीं।

(द) कुल वेतन २०-२-५४ तारीख को दिया गया।

(इ) नहीं।

(एफ) ये नियुक्तियां ६ माह की अवधि के लिये ही की गई थीं जो कि फरवरी के मध्य में पूरी होती हैं और क्योंकि स्कीमें भारत सरकार से स्वीकृत होने को थीं जिससे जब तक की आगे के साल के लिये भारत सरकार इन स्कीमों को स्वीकृत न करले अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं था। इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिये गये हैं और स्वीकृति की इन्तजारी है।

प्रश्न

५०२. (१०६/आर. एम.) श्री नारायणलाल, एम. एल. ए., डिवीजन नंबर ११०—क्या माल मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या ग्राम किरडोली बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ के हरिजनों के खेतों की फसल अभी तक खेतों में पड़ी हुई है ?

(ख) यदि हाँ, तो किस कारण से पड़ी हुई है ?

(ग) इस साल उन हरिजनों के खेतों की गश्त गिरदावरी किसके नाम दर्ज हुई है ?

(घ) क्या बिडदू चमार की फसल खेत में पड़ी हुई है और उस खेत का इन्द्राज जागीरदार के नाम से हुआ है ?

उत्तर

(क) हाँ

(ख) वहाँ तहसील की ओर से एक गिरदावर को भेजा गया था परन्तु हरिजनों ने कोई शादी की वजह से फसल को खलिहान से बाद में हटाने की इच्छा प्रकट की ।

(ग-घ) इस मामले की तहसीलदार द्वारा जाँच की जा रही है ।

प्रश्न

५०३. (६६/सी. एम.) श्री धर्मचन्द (सपोट्रा), एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ३६—क्या मन्त्री देवस्थान यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) करौली महकमा पुन्य में कुल कितने कर्मचारी हैं ?

(ब) उनमें से कितने कर्मचारियों को कबसे वेतन नहीं मिला है ?

(स) उसका क्या कारण है ?

(द) कब तक उन्हें वेतन मिलेगा ?

उत्तर

(अ) देवस्थान विभाग करौली में सिर्फ तीन कर्मचारी हैं ।

(ब) तीनों कर्मचारियों को वेतन बराबर मिलता है ।

(स-द) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

प्रश्न

504. (193/C.M.) Shri Hari Dutta, M. L. A., Div. No. 54—Will the Chief Minister be pleased to state:—

How many cases of promotions, allowances and honoraria, special pays, increments and fixation more than one year old are lying in the appointments

Department for clearance and what is the total amount involved in such claims ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

505. (195/C. M.) Shri Hari Dutta, M. L. A., Div. No. 54—Will the Chief Minister be pleased to answer:—

When cases are decreed with costs against the Government what action is taken by the Government against those due to whose negligence settlement of claims is unduly delayed ?

उत्तर

The question appears to relate to the claims of Government servants against Government. So far there has been no such decree against Government. As such the question of taking action against persons responsible for delay does not arise. If such a case comes to Government's notice and negligence is established, necessary action may be taken against the person concerned in accordance with the Classification, Control and Appeal Rules, 1950.

प्रश्न

५०६. (१५५/एफ. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १५२—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में किस-किस जिला केन्द्र में अब तक बिजली नहीं लगी है ?

(ख) क्या सरकार उन जिला केन्द्रों में इस वर्ष बिजली की व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

उत्तर

(क) राजस्थान में निम्नलिखित जिला केन्द्रों में अब तक बिजली नहीं लगी है :

(१) झुंझुनू ।

(२) सवाई माधोपुर।

(३) जालोर।

(४) नागौर।

(५) चित्तौड़गढ़।

(ख) हाँ। झुंझुनू जिले में बिजली व्यवस्था करने के लिये वहाँ का लोड सर्वे किया जा चुका है। बाकी उपरोक्त चार जिलों का लोड सर्वे आगामी वर्ष किया जायगा।

प्रश्न

४०७. (१५६/एफ एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४२—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर सब डिवीजन में कहाँ-कहाँ सन् १९५३–५४ में सड़कों का निर्माण कराया गया ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन से नगर तक सड़क की हालत सोचनीय है और उसके दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति हो जाने के बावजूद भी वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है ?

(घ) क्या सरकार इस वर्ष सन् १९५४–५५ में खंड़ार सवाई माधोपुर सड़क का निर्माण करा रही है ?

उत्तर

(क) सवाई माधोपुर सब डिवीजन में सन् १९५३-५४ में जिन सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है उनकी सूची इस प्रकार है :—

1. Metalling unmetalled portion of road Lalsote Hindaun.

2. F. W. Road from Karauli Sarmutra.

3. Gravel Road from Morasagar to Bamanwas and there to Gangapur Lalsote Road.

Metalled road from Kotri Karauli Hindaun Road.

5. Fair Weather Road from Bholela Dhawan to Hindaun.

6. Partly gravelled and partly metalled Karauli Machilpur Road.

7. Construction of road from Gangapur Nadoti Gudhachanderji.

8. Construction of a road from Karauli to Sapotra.

9. Construction of an approach road from Gangapur to Rajpur Stone Quarry.

10. F. W. Road from Surwal to Bhagwat Garh Town.

11. Karauli Mandrail Road.

12. Metalling Gangapur Hindaun Road.

13. Town Road Sawai Madhopur.

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से शहर तक की सड़क पक्की डामर की बनी हुई है उस पर पुनः डामर लगाने की आवश्यकता है जिसके लिए कार्यवाही पहले से ही जारी है। रोड़ी एकत्रित करली गई है। डामर का काम गर्म मौसम में हो सकता है और अब यह कार्य शीघ्र समाप्त हो जावेगा।

(घ) प्राथमिकता की दृष्टि से यह सड़क पंचवर्षीय योजना में स्थान नहीं पा सकी है।

प्रश्न

५०८. (१०७/आर. एम.) श्री अर्जुनसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४— क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सिरोही जिले के जटियों से चमड़े का रेवेन्यू टैक्स क्यों लिया जाता है जब राजस्थान में और कहीं भी टैक्स नहीं है?

(ख) क्या सरकार इस टैक्स को हटाना चाहती है?

उत्तर

(क) भूतपूर्व सिरोही राज्य में सन् ४० तक चमड़े के निर्यात का ठेका होता था। इसके बाद से निर्यात के लिए ठेके की प्रथा हटादी गई और हरेक चमड़े के निर्यात की इजाजत दे दी गई और ५) रु० और ३) रु० फी मन हाइड्स पर निर्यात कर वसूल किया जाने लगा जो अभी तक वसूल होता है।

(ख) जैसा कि पहले के उत्तरों में कहा जा चुका है लाग-बागों की जाँच के हेतु एक कमेटी मुकर्रर की गई है। जो ऐसी सब लागों के बारे में विचार-विमर्श करेगी।

प्रश्न

509. (197/C.M.) Shri Hari Dutta, M. L. A., Div. No. 54—Will the Chief Minister be pleased to answer:—

(a) How many employees have been recruited direct on contract or loan without previous reference to Public Service Commission?

(b) Are any of them retired from other States?

उत्तर

Under regulation 8 of the Rajasthan Public Service Commission (Limitations of Functions) Regulations, 1951, it is not necessary to consult P. S. C. in respect of appointment to any post of an officer on deputation from—

(a) Government of India,

(b) from a Part A State, or

(c) from a Part B State.

Under regulation 9 it is not necessary to consult P. S. C. for re-employment of a retired officer for a period not exceeding 2 years. (a) The only case where the P. S. C. should have been consulted but no reference made to them was with regard to re-employment of Col. M. K. Kelavkar, a retired officer who was re-employed as D. M. H. S. for a period exceeding 2 years. He is at present on leave proparatory to termination of his services.

(d) Col. M. K. Kolavakar was an officer retired from Indian Medical Services.

प्रश्न

५१०. (१६८/सी. एम.) श्री भैरू सिंह, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १६—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान निर्माण के पश्चात् किस-किस वर्ष में कितने-कितने व्यक्ति प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में गिरफ्तार किये गये ?

(ख) इन गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने राजस्थान हाई कोर्ट से रिहाई की माँग की ?

(ग) इन गिरफ्तार शुदा व्यक्तिओं में कितनों की हाई कोर्ट से रिहाई हुई ?

उत्तर

(क) राजस्थान निर्माण के पश्चात् सन् १९५० में १६, १९५१ में ७, १९५२ में ४४, १९५३ में १६ तथा सन् १९५४ में फरवरी तक २ व्यक्ति Preventive Detention Act. के आधीन गिरफ्तार किये गये।

(ख) ३५

(ग) १८ व्यक्तियों की।

प्रश्न

५११. (१५८/एफ. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४७—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.95

(क) चम्बल बाँध योजना के अन्तर्गत प्रताप सागर बाँध पर अब तक कितनी रकम खर्च हुई है ?

(ख) क्या इस साल भी इसमें कोई कार्य हुआ है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक चालू होने की आशा है और चालू होने के पश्चात् कितने दिन में सम्पूर्ण हो जायगा ।

(उत्तर उपलब्ध नही हुआ)

प्रश्न

५१२. (१५६/एफ. एम.) श्री भवानी सहाय शर्मा, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १५—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील राजगढ़ जिला अलवर में जो सड़क (माचाड़ी से रेणी) जाती है यह कच्ची सड़क है या पक्की ?

(ख) इस सड़क की मरम्मत किस सन् में हुई थी ?

(ग) माचड़ी से रेणी तक कितने ग्राम इस सड़क के आस-पास पड़ते हैं ?

(घ) यह कितने मील का टुकड़ा है ?

(ङ) क्या इस सड़क को पक्का बनाने का कार्य पंच-वर्षीय योजना में ले लिया गया है ?

(च) यदि नहीं लिया गया है तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(क) कच्ची है ।

(ख) हर बारिश के बाद में गेंग भेज कर सडे बन्द करा दिये जाते हैं और मामूली तौर पर जिस प्रकार इस श्रेणी की सड़कों की मरम्मत की जाती है उसी प्रकार इस सड़क की मरम्मत भी की जाती है ।

(ग) पाचेड़ी से रेनी तक नीचे लिखे ग्राम इस सड़क के आस-पास पड़ते हैं :

बाबेली, मकोर, धोलेरा, जातरा, मनकपुरा और रेनी ।

(घ) इस सड़क की लम्बाई आठ मील है ।

(न) नहीं ।

(च) अन्य विशेष उपयोगी कार्यों के कारण यह प्राथमिकता नहीं पा सकी ।

प्रश्न

५१३. (१०६/आर. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ७२—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की सर्वे होकर पर्चियाँ तकसीम हो चुकी हैं और इसको भी एक लम्बा समय बीत चुका है ?

(ख) यदि हाँ, तो उस तहसील का जमींदार (कृषि भूमि) कच्चा क्यों माना जाता है ?

उत्तर

(क) हाँ।

(ख) जमीदार कच्चा न होकर खातेदार हक का है।

(ग) इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

प्रश्न

५१४. (२०६/सी. एम.) श्री लक्ष्मण हीरात, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ८५—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में आदिवासी गजेटेड ऑफीसर कितने व किस-किस विभाग में हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि आदिवासियों की नौकरियों के स्थान रिजर्व होते हुए भी उन्हें नहीं रखा गया है ?

(ग) यदि नहीं रखे गए है तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) कोई नहीं।

(ख) हाँ।

(ग) पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न

५१५. (२१०/सी. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४७—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान में इस साल जेलों की इमारत बनाने की योजना है ?

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर ?

(ग) क्या चित्तौड़ जिले में बैंगू की जेल की इमारत बनाने की स्वीकृति हुई है ?

(घ) यदि हाँ, तो काम चालू हुआ या नहीं ?

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक चालू होगा और कब तक काम पूरा हो जावेगा और अब तक काम चालू नहीं होने का क्या कारण है ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

५१६. (१६०/एफ. एम.) श्री भवानी सहाय शर्मा, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १५—क्या सार्वजिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम देवती, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में जो देवती से घाटे तक सड़क है उसकी अब क्या हालत है ?

(ख) इस सड़क की मरम्मत किस सन् में हुई थी ?

(ग) इस सड़क की लम्बाई कितने मील है।

(घ) जब कभी इस सड़क की मरम्मत की गई तब सरकार ने कितनी रकम खर्च की ?

उत्तर

(क) हालत ठीक है।

(ख) इस सड़क की मामूली मरम्मत 'गैंग' द्वारा प्रति वर्ष ही होती रहती है।

(ग) इसकी लम्बाई सवा तीन मील है।

(घ) मामूली मरम्मत हर साल होती रहती है जिसका खर्चा लगभग ३०० रु० सालाना होता है।

प्रश्न

५१७. (५४/आर. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १३६—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के अध्यक्ष कृषि विभाग की क्या योग्यता है ?

(ख) अध्यक्ष कृषि विभाग को कितने साल का फील्ड एक्सपीरियेन्स है ?

(ग) क्या किसी विशेष वर्ग के उम्मीदवार को खत्म करने के लिये ऐसा किया गया है ? यदि नहीं, तो कैसे ?

(घ) अध्यक्ष कृषि विभाग ने कृषि ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की है ?

उत्तर

(क) बी० ए०।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) नहीं। कृषि विभाग के स्तर से गिरे हुये प्रशासन को ठीक करने के लिये यह नियुक्ति की गई है।

(घ) कहीं से नहीं।

राजस्थान विधान सभा

१८वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—२५ मार्च, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की सायंकालीन बैठक सभा भवन, जयपुर, में ४ बजकर १५ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माँगों पर मत-दान

भू-राजस्व-१ (क्रम में)

श्री हंसराज आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था सेटलमेंट, जागीरी एरिया में लगान कायम करते समय कितनी गड़बड़ी चली......

श्री अध्यक्ष—आप कितना समय लेंगे ?

श्री हंसराज आर्य—आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।

श्री अध्यक्ष—आप कितना समय चाहते हैं ?

श्री हंसराज आर्य—करीब एक घंटा।

श्री अध्यक्ष—यदि एक-एक कट मोशन पर एक घंटे का समय दिया जायगा तो फिर हाउस को एडजर्न कर दें, फिर आप बोलियेगा। आप सिर्फ दस मिनिट में ही समाप्त कर दें।

श्री हंसराज आर्य—मैं यह अर्ज कर रहा था कि सेटलमेंट का लगान कायम करते समय जागीरदार लोग पैमाइशी अफसरान को धोखा देकर गलत तरीके से लगान कायम करवाते हैं। इसमें खास बात यह होती है कि जो लोग लगान कायम करते हैं उनमें कुछ अनभिज्ञता के कारण किसानों के लिए वह घातक चीज़ हो जाती है। जिला चूरू में जब लगान कायम किया गया था तो उस समय यह बताया गया था कि यह जमीन पाले वाली है और यह बगैर पाले वाली। उन लोगों को पाले की जमीन क्या होती है और बगैर पाले की जमीन क्या होती है, इसकी जानकारी न होने के कारण चक्कर पड़ जाता है और वास्तव में उनको इस बात का अनुभव नहीं है कि पाला क्या बला है। मैं भी एक बार जागीरी एरिया के अफसर साहबान से मिला और इस बारे में चर्चा की कि वहाँ लगान क्यों इतना ज्यादा कायम किया गया। तो हमें बताया गया कि यह लगान वहाँ इसलिये ज्यादा कायम किया गया कि वह जमीन पाले वाली है। माननीय अध्यक्ष, आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने जब यह पूछा कि पाले

[श्री हंसराज आर्य]

से आप क्या मतलब समझते हैं, तो उन्होंने उत्तर में कहा कि पालेवाली वह जमीन है, जिसकी मिट्टी काली हो, जिसमें ज्यादा पैदावार होती हो; उस जमीन को पाले वाली कहते हैं। तो फिर मैंने कहा गैर पाले वाली जमीन से आपका क्या मतलब है, तो बतलाया गया कि जिस जमीन का रंग पीला हो, कमजोर हो, और जहाँ अनाज कम पैदा होता हो, वह जमीन बिना पाले वाली होती है। जिन अफसर साहबान को इतनी भी जानकारी नहीं कि पाले वाली जमीन कौनसी है और बगैर पाले वाली जमीन कौनसी है; यदि उनके हाथ लगान कायम करने का अधिकार दिया जायगा तो फिर तो किसानों का भगवान ही मालिक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मन्त्री महोदय को बता देना चाहता हूँ कि अभी सेटलमेंट चालू है और राजस्थान का बहुत बड़ा, लंबा-चौड़ा भाग सेटलमेंट होने से बाकी है। इसलिये इस तरफ खास तौर से तवज्जुह देने की जरूरत है। इस तरह से पाले और गैरपाले का मतलब लिया जायगा तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

दूसरी बात मुझे अर्ज यह करनी है, माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय से कि गाँवों की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कन्ट्रोल हटने के पहले सब जगह इस बात को माना गया था कि सब जगह कपड़े की इसलिये तंगी बताई जाती रही कि देश की आबादी बढ़ रही है, अनाज की तंगी इसलिये थी कि देश की आबादी बढ़ रही है और सब जगह इस बात को माना गया। इसी तरह से आज गाँवों की जन संख्या भी बढ़ रही है। इस कारण गाँवों के पास जमीन की तंगी हो रही है। इन पाँच-सात सालों में रेवेन्यु विभाग द्वारा गाँवों में आबादी की जमीन नहीं दी गई। जिस अनुपात से जन-संख्या बढ़ रही है, मेरा निवेदन है कि आबादी के अनुपात से गाँवों को जमीन दी जाय। आखिरकार गाँव के लोगों ने तंग आकर बाड़े बनाये; मकान बनाये और नतीजा यह निकला कि जब पटवारियान को किसान रिश्वतें नहीं दे सके तो पटवारियान ने अपनी इच्छा से रिपोर्ट कर दी गिरदावरों को, नायब तहसीलदार को और तहसीलदार को। वहाँ रिपोर्ट जब भेजी गई तो वहाँ से वह रिपोर्ट वास्ते मुनासिब कार्यवाही के हुक्म के लिए आगे डिवीजनल कमिश्नर के पास पहुँचती है तो वहाँ से यह ऑर्डर जारी हो जाता है कि जो जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया है उसको छुड़ा लिया जाय और इतने रुपये जुर्माने के वसूल कर लिये जाँय। इस तरह से काफी संख्या में बाड़े हटाये गये, झोंपड़े और मकानात जो बना लिये गये थे, उन्हें उठा दिया गया। किसान ने देखा कि यह तो परेशान कर रहे हैं तो वे उन जमीनों के १००), १५०), ३००) व ४००) रुपये तक कीमत देने के लिए तैयार थे। ऐसी स्थिति आज गाँवों की है। आबादी जब बढ़ रही है तो उसके हिसाब से गाँव वालों को भी आबादी की जमीन मिलनी चाहिये। अगर आप सही विश्वास करेंगे तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इन पाँच सालों में सिर्फ अकेले बीकानेर डिवीजन में किसानों को एक लाख रुपयों के आस-पास जुर्माना देना पड़ा होगा। इस तरह से जुर्माना भी वसूल किया गया और बाद में उनके झोंपड़े और बाड़े भी हटवाये गये। जहाँ उनका जुर्माना वसूल नहीं हुआ वहाँ उन पर कुर्की तक की नौबत आई।

[श्री हंसराज आर्य]

किसानों को आबाद करने के लिए जमीनें काफी पड़ी हैं, पर आबाद होने के लिए और अपने बाल-बच्चों को बसाने के लिए नहीं मिल रही है। इसके बाद मुझे अर्ज करना है गश्त गिरदावरी के बारे में। गश्त गिरदावरी के दौरान में पटवारी जो कुछ भी करता है माननीय अध्यक्ष, वह वर्णन के बाहर की चीज़ है। इसके बारे में, इसकी रोक-थाम के लिए हमने सुझाव दिये थे, दरख्वास्त भी दी थी कि अगर सरकार ऑर्डर ऐसा जारी कर दे कि एक पटवारी नौ-तोड़ करते हुए उसकी काश्त सुदा भूमि का परचा दे दे। इस साल जो तोड़ की गई या अमुक नम्बर में शिकमी नम्बर दर्ज है, जिससे उसको पता रहे कि मैंने यह जमीन काश्त की थी, चाहे आबपाशी की थी। पर मैंने जमीन काश्त की वह मेरे नाम से दर्ज हो चुकी है। ऐसा अगर हो जावे तो इस तरह के पचास-साठ प्रतिशत मुकद्दमे कम हो जावेंगे। मानो कि मैं खेती कर रहा हूँ, गिरदावरी मेरे नाम से हो रही है, पर दूसरा आदमी तहसीलदार और पटवारी से मिल कर तीन साल, चार-साल तक के पुराने रेकॉर्ड तब्दील करवा लेता है और पैसा देकर, घूँस देकर खेत उसके नाम से दर्ज कर दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि जमीन मैं काश्त करता हूँ, गिरदावरी पहले मेरे नाम से हुई थी, पर जब कागज देखूँगा तो दूसरों के नाम से मिलेगी। इसकी रोक-थाम के लिए हमारी दरख्वास्तें हैं कि पर्चियाँ जारी कर दी जावें। पर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्यों नहीं वह ऑर्डर इतनी दरख्वास्त करने पर भी जारी किया जाता है। अगर ऐसा हो जाता तो सैकड़ों किसान अपनी काश्त की जमीन से महरूम नहीं हो सकते थे। गिरदावरी बदल जाती है पैसे के जोर पर और मेरे पास ऐसे भी सुबूत हैं कि एक गाँव में ५० परसेन्ट गिरदावरियाँ दो साल में तब्दील कर दी गईं। आप चाहें तो मैं पटवारी का नाम बतला सकता हूँ। ये सब तब्दीलियाँ पैसा लेकर की गई हैं, आज से दो साल पहले तक का उस गाँव का सारा रेकॉर्ड पैसा लेकर बदल दिया गया है।

तीसरी बात मुझे अर्ज करनी है कि वसूली के दर्म्यान में भी ऐसी बड़ी-बड़ी गड़बड़ियाँ चलती हैं कि एक पटवारी एक गाँव में जाता है और वसूली की बात करता है। वास्तव में गाँव वाले ऐसी स्थिति में होते हैं कि पटवारी को दो-दो, चार-चार रुपये देने पड़ते हैं और अगर दो-दो, चार-चार रुपये दिये तो रुपये लेकर वह अगले गाँव चला गया। इससे रकम वसूल नहीं होती है और परिणाम इसका यह होता है कि अपने काम के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। अगर इन सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ कर प्रबन्ध किया जावे तो क़र्ज लेने की नौबत ही नहीं आवे। अभी बीकानेर डिवीजन में अकाल पड़ा और अब भी कुछ जगह अकाल है, जिन गाँवों में जमाना था वे दो-चार गाँव ऐसे आ गये हैं जहाँ पटवारी ने लिहाज कर दिया होगा; पर सैंकड़ों गाँव ऐसे हैं जहाँ दुर्भिक्ष है, वहाँ लोगों के पास जो कुछ था आधा जमीन में बो दिया जो अकाल के कारण बेकार गया और आधा पेट में खा लिया। पर, इन पटवारियों ने वहाँ भी आठ-दस आने तक जमाना बता दिया। पटवारियों ने कहा उन गाँव वालों को कि रिश्वत दो, पैसा दो तो हम ऐसा बता सकते हैं कि पैदावार नहीं हुई, नहीं तो हम रकम वसूल करेंगे और चूँकि उनके पास देने को कुछ था नहीं। तब

Page No.102

[श्री खेतसिंह]

ऐसा हुआ और आज भी यही हो रहा है रिश्वत देने को नहीं थी किसानों के पास तो उनके खेत जमाने में दर्ज कर दिए गए और आज वे तंग आकर अपने गांव और मकान भी छोड़कर वहाँ से दूर जा रहे हैं। पटवारियों की मेहरबानी से यह नौबत आई और साथ ही यह नौबत भी आई रेवेन्यू विभाग के इस तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से।

किसान खेती करते समय अपनी खेती के जरूरी औजारों के लिए अपने खेत में से दरख्त नहीं काट सकता, लकड़ी नहीं काट सकता। एक किसान खेत में हल चला रहा है। हल चलाते-चलाते अचानक हल टूट गया, उसकी हाल टूट गयी। इसके लिये अगर उसको लकड़ी की जरूरत पडी तो जल्दी से वह इन्तजाम नहीं कर सकता, इसके लिये उसकी खेती चौपट हो जाती हैं। कायदे के मुताबिक उसे इसके लकड़ी के लिये पटवारी के पास जाना पड़ेगा, रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और तब फिर आगे जाकर उसे हुक्म मिलेगा और इसमें काफी दिन लग जाते हैं। जब तक लकड़ी नहीं मिलेगी तब तक उसकी जमीन सूख जाती है और फिर काश्त नहीं कर सकता और अगर बिना इत्तला दिए जल्दी से अपने खेत में से अपने औजार के लिए लकड़ियाँ काट लेता है तो पटवारी फौरन उसके सिर पर तैयार है। पटवारी को पता चला, वह किसान पकड़ा गया, मुकद्दमा बना, अदालत में जाना पड़ा, तारीखें पड़ीं और इसके बाद जमानत हुई और अन्त में सजा भी होती है।

तो माननीय अध्यक्ष, मुझे अर्ज करना है कि किसान को खेती करने के साथ ही उसे खेत के जरूरी कामों के लिए सामान चाहिए। अपने खेत के लिए, औजारों के लिए तो उसे लकड़ी काटने कि छूट होनी चाहिए। सैंकड़ों पाबन्दियाँ गवर्नमेंट ने लगाई हैं, पर इतना होने पर भी खेतों में से हजारों पेड़ कटते हैं और कट रहे हैं। किसान कहते हैं कि पेड़ मेरे खेत में हैं इसलिए मेरे हैं, मुझे काटने से रोकना नहीं चाहिए। एक तरफ यह हाल है और दूसरी तरफ किसान सोचता है कि अगर इनकी रक्षा करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो नतीजा यह निकलता है कि किसान पेड़ को अपना नहीं समझता है और इसी कारण वह उनकी देखभाल नहीं करता और परिणाम यह निकल रहा है कि आज नाममात्र को भी पेड़ नहीं दिखाई देते। तो मैं यह भी अर्ज करूँगा कि खेती के औजारों के लिए किसान को लकड़ीं काटने की छूट होनी चाहिए। इसके लिए पाबन्दी कम करदी जावे।

इसके साथ यह भी अर्ज करूँ कि बन्दोबस्त का लगान जो कायम किया हुआ है उसमें एक नई चीज़ और हुई। अब तक जो पिचोतरा चौधरी को दिया जाता था वह पाँच पर्सेन्ट दिया जाता था। पहले सो रुपए अगर वसूल होते तो ९५ रुपए सरकार के खजाने में जमा होते थे और पाँच रुपये नम्बरदार व चौधरी को मिलते थे, पर नए बन्दोबस्त में यह और हुआ कि पिचोतरा पाँच पर्सेन्ट गाँव को अलावा रकम के देना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि पहले से जो चल रहा है वही हो। वे रोजमर्रा के काम से ताल्लुक रखने वाले हैं। यह खुशी की बात है की माननीय मन्त्री महोदय चाहते हैं कि किसानों को फायदा हो, किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, पर नीचे के विभागों में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैंने ये कुछ बातें अर्ज की हैं। इन विभागों में बहुत ज्यादा रिश्वत चल रही है और इस तरफ सिर्फ ध्यान ही देने की जरूरत नहीं, बल्कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करने की आवश्यकता है।

Page No.103

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--It has become a general debate.

श्री खेतसिंह--मैं तो दो मिनिट में ही अपनी बातें रक्खूँगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं जानता हूँ कि मन्त्री महोदय जवाब देने के लिए आतुर प्रतीत हो रहे हैं पर जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ उसमें सेटलमेंट चल रहा है। उसमें बड़ी डिफिकल्टीज़ आई हैं। खरीफ सेटिलमेंट के मुताल्लिक अर्ज करूंगा। यों तो बहुत कुछ कहा जा सकता है रेवेन्यू के बारे में, पर खास तौर से आज जो सेटलमेंट हो रहा है उसके लिए सबसे पहले तो यह कहना पड़ रहा है कि जो अमीन हमारे यहाँ जमीन की पैमाइश करने के लिए आये हैं वे कहते हैं कि आप पहले के वर्षों का कुर्सीनामा भी पेश करिए। वे कुर्सीनामा क्यों चाहते हैं। अव्वल में तो सेटलमेंट का काम यह होता है कि वह यह देखें कि आज किसका पजेशन है जमीन पर और जिसके पास कब्जा है उसी का इन्द्राज कर दें, लेकिन ये नए इन्स्ट्रक्शन्स जमीन के पास आए हैं कि कुर्सीनामा भी माँगा जाए और इसके लिए वे कहते हैं कि मान लो कि किन्हीं के फोर-फादर्स (fore-fathers) ने जबर्दस्ती से छीन कर किसी के कब्जे की जमीन अपने कब्जे में ज्यादा करली या जिसको कम देनी चाहिए थी उसको ज्यादा दे दी गई है, तो हम यह सब देखकर सेटलमेंट करेंगे कि जिसके पास ज्यादा जमीन चली गई और जिसको कम रही उसको हम दिलवा देंगे तो मेरा निवेदन है। कि अगर ऐसा किया गया इस वक्त तो इससे कितनी ही भयंकर समस्यायें खड़ी हो जावेंगी और मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसका भी खुलासा अपने जवाब में अवश्य करेंगे कि क्या सेटलमेंट विभाग ने यह भी काम शुरू कर दिया है कि नए झगड़े और खड़े कर दें, इस प्रकार से कुर्सीनामे को मांगकर।

दूसरी जो हमारे वहाँ अभी नई बात पैदा हुई है वह यह है कि जिस वक्त वे सेटलमेंट करते हैं तो सेटिलमेंट की जो लाइन्स खींची जाती हैं तो उन लाइन्स में, मैं मानता हूँ कि मामूली दरख्त आ जाते हैं; हर्ज नहीं कि काट दें, लेकिन यदि गाँव के मकान या झोंपड़े आते हैं तो उन झोंपड़ों के लिए परेशान करते हैं कि इन झोंपड़ों को हटाओ, खाली करो, हम तो यहाँ सीधी लाइन निकालेंगे और उसके लिए लाजमी होगा तुम्हारे झोंपड़े को हटाना और इसके लिए उन लोगो से ५०), ६०) रु० लेना शुरू कर दिया है। इसके लिये उन्हें खास इन्स्ट्रक्शन्स दी जायं कि अगर इस तरह की लाइन आती है तो उसके एंगल (angle) को डाइवर्ट (divert) करके वापिस इस तरह से ले ली जाय। यह नहीं होना चाहिए कि उनको ख्वामख्वाह परेशान किया जाय।

दूसरी चीज़ हमारे वहाँ जो डिफिकल्टी महसूस होती है वह यह है कि सेटलमेंट के अमीन यह कहा करते हैं कि हमें खुश रखोगे, गायें दोगे दूध के लिए तो जमीन की केटेगरीज (Categories) जब तय होंगी उस वक्त हम तुम्हारी जमीन को 'बी-वन' के बजाय 'बी-टू' या 'बी-थ्री' कर देंगे। यह अमीन के अख्त्यार की बात नहीं है। हम कुछ लोग एस. ओ. साहब के पास गये थे लेकिन उन्होंने भी खास सेटिसफेक्ट्री जवाब नहीं दिया, इसलिए मन्त्री महोदय के सामने शिकायत लानी पड़ी है अथवा हम वहां खामोश होकर बैठ जाते हैं। इसलिये हम मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करेंगे कि वे

[श्री खेतसिंह]

ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स जारी करेंगे और गाँव के लोगों को यह बतलायेंगे कि अमीन के हाथ में केटेगेरीज तय करना नहीं है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय कमिश्नर साहब को यह आदेश दें कि वे वहाँ का दौरा करके वहाँ के लोगों को इस बात से सूचित करने की कोशिश करें।

साथ ही जो अभी जोधपुर डिस्ट्रीक्ट और खास तौर से बिलाड़ा और जोधपुर तहसील में रेन्ट रेट्स निकली हैं उनको देखते हुए बड़ा भारी खतरा पैदा हो रहा है। अभी वहाँ पर ऐसा होता था कि एक रुपया बीघे का देते थे और चाहे जितनी जमीन को जोतते थे, क्योंकि वहाँ पर जमीन की कोई खास अहमियत नहीं थी। लगान इतना कम था कि काश्तकार कहीं-कहीं बारह आने व एक रुपए में चाहे जितनी जमीन बो लेता था। जोधपुर तहसील में रेन्ट रेट्स देखने से मालूम हुआ है कि वहाँ के रेन्ट रेट्स बहुत भारी पड़ेंगे। यदि उन रेट्स को मद्देनजर रखते हुए शेरगढ़ में रेन्ट रेट्स मुकर्रर किए गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम आदमी ऐसे होंगे कि वह रेन्ट रेट्स दे सकेंगे और परिणामस्वरूप बहुत ही कम लोग जमीन पर काश्त करेंगे। इसलिए मैं खास तौर से अपील करूँगा कि मन्त्री महोदय उस डेज़र्ट एरिया का दौरा करें और सेटलमेंट कमिश्नर साहब को हिदायत दें कि उस एरिया में जो रेन्ट रेट्स मुकर्रर किये जायं वे लोएस्ट होने चाहिए।

इसके साथ ही...

श्री अध्यक्ष—२ के ४ तो हो गये।

श्री खेतसिंह—तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Go on.

श्री खेतसिंह—इसके साथ ही एक और खास बात है कि जो सेटिलमेंट के अमीन वहां आते हैं उनको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं। गाँव वालों से खाना-खुराक मांगते हैं तो खैर; गाँव वालों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाँव वालों से वे कहते हैं कि हमको इसका ठेका दे दो कि हम गाँव का सेटलमेण्ट ३,४ महीने में कर देंगे, आपको ३-४ महीने में जल्दी से जल्दी निबटा देंगे, वरना १२ महीने व १॥ वर्ष लग जायगा और बारिस का मौसम आयेगा तो भी आपको फ्लेगमैन आदि देने पड़ेंगे और मुश्किल उठानी पड़ेगी। कई गांवों में तो चन्दा भी होना शुरू हो गया है और यह चन्दा करप्शन का नया तरीका है। सेटलमेंट कमिश्नर साहब उनको हिदायत दे, वे एस. ओ. साहबान से कहें कि वे अमीनों को इन्स्ट्रक्ट कर दें कि इस तरह की ज्यादती न करें, गांवों के अनपढ़ आदमियों के साथ में। इतना कहकर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री लालबहादुर—माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ एक बात आपके जरिए मन्त्री महोदय की सेवा में अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि जिला कोटा में तहसील शाहबाद और किशनगंज में एक खास किस्म की डांगाडाई के नाम से काश्त होती थी। वहाँ के आदिवासी सेरिया लोग यह किया करते थे कि थोड़ा सा जंगल जहाँ वे रहते थे काटा और वहीं तिल्ली या ज्वार फैंक देते थे। वह जमीन काबिल काश्त तो होती नहीं थी कि और कोई दूसरा अनाज पैदा किया जाता हो, सिवाय तिल्ली वगैरह

[श्री लाल बहादुर]

के। इस वक्त उन्हें नोतोड़ के लिए कलेक्ट्री से मन्जूरी लेने की आवश्यकता पड़ती है और इस कारण से उन सेरियाओं पर सैंकड़ों की तादाद में मुकद्दमात चल रहे हैं। सेरिया लोग एक जगह तो बसते नहीं हैं। तो डांगाडाई से इन दोनों तहसीलों को मुस्तस्ना किया जाय और आज तक जिस तरह से चला आ रहा है उस तरह से चला जाय।

श्री बलवीरसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी थोड़े दिन पहले सीकर जिले के गाँवों में पैमाइश होने के बाद में उस जिले में पर्चे दिये गये हैं। उसमें १०० में से ९५ गाँव ऐसे मिलेंगे कि जिनमें परचे दिये गये हैं जो पैसा लेकर दिये गये हैं, और यहाँ तक किया गया है कि जिन लोगों की ४ आदमियों के शामलात में जमीन थी उनमें से किसी ने भी यह सोचकर नाम नहीं लिखाया था कि मेरे नाम हो जाय, लेकिन वहाँ जो अमीन गये उसने यह खयाल किया है कि अगर 'ए' के नाम से या एक्स. वाई. ज़ेड. के नाम करवाना है तो उसे पैसा मिलेगा। इसी नीति के आधार पर सीकर इलाके में पर्चे बाँटे गये हैं, जिनमें इतनी ज्यादा रिश्वत का बाजार गर्म रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। जितनी जमीन किसानों के कब्जे में थी सारी की सारी किसानों के नाम दर्ज न होकर उन लोगों के नाम दर्ज हुई जो कि बड़े-बड़े जागीरदार या जमींदार थे। जब उन्होंने शिकायत की तो आज तक उन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। मालगुजारी जहाँ बाँटा लिया जा रहा है, वहाँ एक-एक कोठी पर दो-दो हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं। उसके लिए आज तक सेटूलमेंट ऑफिसर साहब ने कार्यवाही नहीं की है कि उनको परचे दे दिये जायँ, न मिनिस्टर महोदय ने ही कार्यवाही की है। मैं मिनिस्टर साहब और सेटूलमेंट कमिश्नर साहब से मिला और उनको १०-१२ कोठियों के नाम लिखाये जहाँ २-२ हजार रुपये एक-एक फसल पर लगान के वसूल किये जा रहे हैं, और वह सिर्फ इसलिए कि परचे नहीं बाँटे जा रहे हैं।

इसके अलावा जो किसान आपस में सलटना चाहते हैं और A. S. O. साहब से अपनी दुरुस्ती के लिए कहते हैं, A. S. O. साहब कहते हैं कि जयपुर एस. ओ. साहब के पास जाओ दुरुस्ती करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे अफसर कर सकते हैं; हमने तो जो कुछ फैसला दे दिया वह ठीक है। इससे किसानों को इतनी तकलीफ होती है कि जिसकी हद नहीं। सीकर से चलकर यहाँ आने में कितना पैसा बरबाद करना पड़ता है, यह खयाल करने की बात है। जब कि दोनों पार्टीज़, जिनके बीच में तनाजा है वह दोनों के दोनों मन्जूर करते हैं कि जो कुछ लिखा गया है, वह सही नहीं है। वे उसे बताते हैं कि उन दोनों में से किसके पास कितनी है या उनमें से सिर्फ एक ही की है। उनमें से एक यह मन्जूर करने को तैयार है कि यह जमीन मेरी नहीं है बल्कि दूसरे शख्स की है, जिसके नाम नहीं लिखी गई है। इस तरह से रोजाना के झगड़े नजर आते हैं। राधाकिशनपुरा जो कि सीकर के पास में एक गाँव है उसके करीब इस तरह के ५० झगड़े मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि उनको अलग-अलग बताऊँ। इसी राधाकिशनपुरा गाँव में पिछले दिनों उददास की ढाणी को इसी झगड़े के सिलसिले में वहाँ के एक जागीरदार ने जला दिया था, बावजूद इसके कि यह कई वर्षों से इस जमीन में काश्त करते थे। उस ढाणी के अन्दर काफी मकान थे। उनकी २०-३० साल पुरानी खेती का माल तथा चीज थी, यह सब कुछ होते हुए

[श्री बलबीरसिंह]

भी उनकी दाणी को जला दिया गया। बिड़ोली गाँव में ११० साल का काश्तकार था लेकिन उसका नाम सेटूलमेंट में दर्ज नहीं किया गया और उस ११० साल के काश्तकार को हटा दिया गया है। इस तरह की सेटिलमेंट के अन्दर जैसी धाँधली उन अफसरों ने की है वैसी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह डिपार्टमेंट किसानों से सीधा ताल्लुक रखता है तथा इसका किसानों से सीधा सम्बन्ध है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि इस तरह की जो चीजें हमारे सामने रोजाना आती हैं, जिससे कि किसान बरबाद होते हैं, किसानों का पैसा खर्च होता है, वह बिना मतलब के परेशान होते हैं, कम से कम वे उन किसानों को इससे बचावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)--माननीय अध्यक्ष, इस डिमान्ड पर करीब ३॥-४ घंटे तक वाद-विवाद हुआ और अलग-अलग पहलुओं पर अलग-अलग दृष्टिकोण से काफी कहा गया। इतनी बहस होना स्वाभाविक था क्योंकि इस विभाग का सम्बन्ध आम जनता के साथ रहता है। जिन लोगों ने इस पर चर्चा की उनमें से अधिकतर सेटूलमेंट विभाग के लिये बातें कही गईं कि सेटलमेंट विभाग द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें बहुत से व्यक्ति किसानों से काफी रिश्वत लेकर दर्ज करते हैं, और बढ़ा-चढ़ाकर लगान कायम करते हैं। सुबह एक मित्र ने जोधपुर तहसील और मेड़ता तहसील का मुकाबला करते हुए यह बताने की कोशिश की कि जोधपुर तहसील में बहुत ज्यादा रेट्स लगाई गई हैं मेड़ता तहसील के मुकाबले में। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो रेन्ट रेट्स रिपोर्ट्स पब्लिक औपिनियन के लिए पब्लिश की गई हैं, उनके अनुसार केवल अर्बन एरिया (नगर क्षेत्र) के पास चाही इलाका है, उसकी दरें अधिक है, वरना कहीं भी मेड़ता से ज्यादा नहीं है। बारानी कम है और चाही रेट मेड़ता के बराबर है या कम है, वह बात मैं समझता हूँ या तो गलत सूचना के आधार पर कही गई है या क्यों कही गई है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो रेन्ट रेट्स रिपोर्ट है उसको देखने से पता चलता है कि इससे अधिक नहीं है।

और भी बहुत सी जगहों के बारे में कहा गया है। पर्चा तकसीम किया जाता है, उसमें लोगों को गलत परचे मिलते हैं और बाद में समय बताया जाता है। आमेर के बारे में खास तौर से एक मित्र ने जिक्र किया कि वहाँ पर ६-६ सेटलमेंट ऑफिसर्स इसलिये लगाये गये हैं कि वहाँ पर चुनाव होनेवाला है और वहाँ लगान कम करने के बारे में निश्चित सूचना दी गई। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और सदन भी इस बात से परिचित है कि जहाँ तक एक सीट का सवाल है, जहाँ से महारावल साहब सामोद खड़े हुए थे और जीते थे, वह तो बाद में खाली हुई है और सेटलमेन्ट ऑफिसर्स पहले डेप्यूट हुए हैं। इसका कारण है आमेर में सर्वे बहुत वर्षों पहले हुआ था और पर्चे तकसीम किये गये थे। वहाँ के बहुत से लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि उनमें बहुत गलतियें हैं, इसलिए जाँच करानी चाहिये। इसलिये प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करवाई गई तो मालूम हुआ कि दरअसल में करेक्शन की जरूरत है। तब वहाँ पर ४ असिस्टेन्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स मुकर्रर किये गये और इस समय वहाँ पर ३ असिस्टेन्ट सेटूलमेन्ट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। यदि किसी इलाके में गलत दर्ज की गई है, या और गड़बड़ी है तो उसे ठीक किया जाय तो उससे खुश होना चाहिये बजाय इसके कि यह कहा जाय कि १ महीने का ऑब्जेक्शन का समय था उसके

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बजाय बढ़ाकर ३ महीने का कर दिया गया। वह इसलिये बढ़ाया गया कि लोगों को ज्यादा समय मिले ताकि वे दरख्वास्त दे सकें और ठीक करालें।

शुरू में एक मित्र ने कहा था कि भँवर गाँव में बीघोड़ी के पर्चे तकसीम किये थे लेकिन बाद में लटाई करने का ऑर्डर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जब पहले लटाई रोकने का आदेश दिया गया था उस वक्त यह सही है कि एक माननीय मित्र वहां के पुराने पर्चे लेकर मेरे पास आये थे और आकर उन्होंने जो पर्चा बताया वह सं० १९७२ का पर्चा था; उसको देखने से मालूम हुआ कि पुराने पर्चे दिये गये थे। तो फिर कैश रेन्ट के बदले में लटाई फिर कैसे शुरू हो गई? लेकिन जब दूसरी बातों की जानकारी की गई तब कमिश्नर जोधपुर को पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा गया। उन्होंने लैंड रेकॉर्डस डिपार्टमेंट और सब जगहों से पता लगाया तो मालूम हुआ कि संवत् ७३ में पर्चे दिये गये थे और उसके बाद में क्योंकि आधा हिस्सा जागीर में था इसलिये वहाँ के लोगों को पर्चे तकसीम नहीं किये गये। इस बात से संतुष्ट न होकर और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि हरिजनों के सिवाय कई जातियों के लोग पिछले कई वर्षों से लटाई कराते हैं। यह संभव है जैसा कि अन्य हिस्सों में देखने को मिलता है, कई जातियें कैश रेन्ट मुकादे के रूप में देती हैं, इसलिये वहाँ पर लटाई चालू रखी गई न कि जागीरदारों के प्रभाव में आकर लटाई रखी गई। यह कहा जाता है कि अमुक काम जागीरदारों के प्रभाव में आकर किया गया या जागीरदारों को खुश करने के कारण किया गया। अध्यक्ष महोदय, हम जो कुछ करते हैं वह न उधरवालों के प्रभाव से करते हैं और न इधरवालों के प्रभाव से करते हैं। जो वस्तुस्थिति है उसके अनुसार फैसले या कार्य किये जाते हैं। हमारी निश्चित नीति है कि किसानों को अमुक तरीके से राहत देनी है या उनकी असुविधाएँ दूर करनी हैं। हम उसी नीति को कार्यान्वित करते हैं। उसमें यदि कोई व्यक्ति रुकावट डालना चाहता है तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन साथ ही साथ किसी भी तरीके से गलत नीति को अपनाना भी स्वीकार नहीं करेंगे।

एक बात और कही गई कि कंन्सेशन (क्षति-पूर्ति) के ६० लाख रुपये जागीरदारों के लिये रखे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उन सब जगहों की, यदि हम अलग-अलग जागीरों के बारे में या वहाँ इनको जिस नाम से भी पुकारा जाता है उनको देखें तो हमें ज्ञात होगा कि सभी जगहों पर; चाहे आप मध्य भारत को ले लीजिये, हैदराबाद को ले लीजिये, सौराष्ट्र को ले लीजिये या विन्ध्य प्रदेश को ले लीजिये, इन सभी इलाकों में मुआवजा दिया गया है और इसी कारण से राजस्थान में भी मुआवजा तय किया गया है और वह अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक नहीं है। जो मुआवजा उचित समझा गया है जिससे कि राज्य के कोष पर भार न हो, इस बात का ख्याल रखते हुए मुआवजा तय किया गया है। सरकार चाहती है कि हम जागीरी प्रथा को समाप्त करें और उसके साथ-साथ उचित मुआवजा दें जिससे जागीरदार भी बीच के वर्षों में अपने आप का कार्य पर जमा सकें।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात और कही गई कि मुआवजे के प्रश्न पर तो सरकार ने विचार किया पर खुद काश्त के प्रश्न पर सरकार ने कुछ नहीं सोचा। जब तक खुद काश्त का प्रश्न हल नहीं होता तब तक जागीर का प्रश्न हल हुआ नहीं मानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि चाहे राजपूत हो या छोटे जागीरदार हों या भोमिया, चाहे किसी नाम से पुकारे जाते हों उन लोगों के लिये आगे के लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वे काम पर लग कर अपनी जीविका-निर्वाह कर सकें और वे आम तौर से इस काम के लिये जमीन चाहते हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि एक तो उन लोगों से जमीन लेकर दी जाय जो अब तक काश्त करते रहे हैं; वे आज परिवर्तित परिस्थितयों में जब हमने लगान का नियंत्रण किया उसकी वजह से फैसला करें कि उनके पास से जमीन लेकर छोटे जागीरदारों को दें।

एक यह तरीका है कि बंजड़ जमीन या पड़त जमीन उनको दी जाय। एक तरीका यह हो सकता है कि सरकार के पास कहीं भी जमीन उपलब्ध हो वह उन्हें देकर व बसाने के लिये और सुविधाएँ देकर उन्हें वहाँ बसाया जाय।

बहुत से व्यक्ति आज तक बाहर जाते रहे हैं, युद्ध के अन्दर दूर-दूर देशों में जीविकोपार्जन के लिये उन्होंने कार्य किये हैं और देश की सेवा कार्य भी किये हैं। लेकिन जब हम जमीन की बात कहते हैं जो राजस्थान में एक ही जगह पर मौजूद है, पर जरा दूर है उसकी चर्चा करते हैं तो बहुत से मित्र यह कह कर कि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, टाल देते हैं। पर मैं समझता हूँ अगर हमें इस प्रश्न को हल करना है तो हमें मिल कर सोचना होगा कि काम दें। काम देने के लिये हो सकता है कि एक जगह दें या दूसरी जगह दें। सरकार की कभी यह मंशा नहीं कि जमीन न दें। सरकार जमीन देना चाहती है। पंत रिपोर्ट को भी देखा जाय और हमने भी समय-समय पर कहा है। हमने स्वीकार किया है कि हम इनको जमीन देंगे।

आज हमने जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिलों में करीब ३१ गाँवों की जाँच करवाई और पता लगा कि वहाँ के छोटे जागीरदारों के पास और किसानों के पास प्रति व्यक्ति औसतन जमीन क्या आती है। जमीन का औसत आय। १·१ एकड़ इरिगेटेड लैंड का और अनइरिगेटेड लैंड (unirrigated) का ७, ८ एकड़ आता है। दोनों के पास समानता है। एक से लेकर दूसरे को जमीन देंगे इससे कोई प्रश्न हल नहीं होगा, सिवाय इसके कि बेदखली की समस्या हो। और दूसरी समस्याएँ हों।

तो आज जो हमारे पास सरकारी जमीन उपलब्ध है वह हम को बसने के लिये, देने को व मकान बनाने के लिये तकावी देने को तैयार हैं। वे वहाँ जाकर काम पर लगें तो मैं समझता हूँ कि वह चीज उनके लिये भी लाभ-दायक सिद्ध हो सकती है और आज का संघर्ष भी खत्म हो सकता है। एक को बेदखल किया जाय और दूसरे को दिया जाय। संघर्ष हो, इसकी बजाय यह हितकर होगा।

[. श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किसी ने किसी जमीन पर कुए खुदवाये हैं, उनका फायदा उनको नहीं मिला। जिसने पूंजी लगाई है तो उस पूँजी का लाभ उसे मिलना चाहिये या पूँजी मिलनी चाहिये। रिटर्न नही हुआ है उसके बारे में सरकार अवश्य यह करना चाहती है कि उसको उचित मुआवजा मिले।

प्रश्न यह सोचना होगा कि जिसके पास जमीन नहीं है, आगे कैसे काम चलाये। इसके लिये उसके पास कोई जरिया नहीं है, इस प्रश्न का आपस में सहयोग के तरीके से हल करें। हमारी कोई दुर्भावना की नीति हो कि हम काम नहीं देना चाहते, ऐसी बात नहीं है। कई बार सरकार के सामने भी मजबूरी की स्थिति हो सकती है। जहाँ १-१ एकड़ जमीन प्रति व्यक्ति आती हो वहाँ किसी के पास से छुड़ा कर देना सिवाय संघर्ष मोल लेने के कोई फायदा नहीं होगा।

ये कुछ बुनियादी बातें थीं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

एक माननीय मित्र ने कहा कि सरकार जिन कानूनों को पास कर रही है, दूनी जमाँ का कानून और दूसरे कानून जिनसे काश्तकारों को नुकसान होगा। मुझे इससे आश्चर्य हुआ। हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को इससे नुकसान होगा लेकिन देखना होगा कि इससे अधिकांश व्यक्तियों पर, आम जनता पर क्या असर होगा। अलवर-भरतपुर पर हमने यह कानून लागू किया। उससे जनता को फायदा मिला। ५० गुना (अश्रव्य) लगान वहाँ वसूल किया जाता था इस कारण से उस इलाके में हमें यह कानून लागू करना पड़ा, दूसरे इलाकों में सबटिनेट ½ से अधिक लेने का अधिकार नहीं था।

इन सब के पीछे सरकार की एक निश्चित नीति रही है। हम इस बात के पक्षपाती नहीं कि किसान बेदखल हों, किसानों से कोई मन-चाहा लगान ले सकें, सबटिनेन्ट्स का सिस्टम लंबे अर्से तक चलता रहे और किसान यह अनुभव नहीं करें कि जिस जमीन पर वह काश्त करता है उस जमीन का वह अधिकारी नहीं है। हम, जमीन पर किसान का हक हो, इस भावना को पैदा करना चाहते हैं; उसका निश्चित लगान हो, यह भावना पैदा करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई सदस्य इस सदन का इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि जो खुदकाश्त करता है उसका उस जमीन पर हक हो, तो गलत नहीं। बल्कि इससे वही दशा हो सकती है जो दूसरी जगह है।

एक और बात कही गई कि जो कुए खुदवाते हैं काश्तकार उस जमीन पर लगान बढ़ जाता है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। कुए खुदवाने पर कुछ जो पुरानी रियासतें थीं वहाँ उस जमीन पर १५-२० साल बाद लगान बढ़ता था। ६ साल बाद सेटलमेंट होने के समय बढ़ा करता था. कुछ समय के लिये कुए खुदवाने वाले को उसके इम्प्रूवमेंट का फायदा उठाने का मौका दिया जाता है।

सेटलमेंट विभाग के बारे में आज बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, करीब ६०२० सेटलमेंट ओपरेशन्स चल रहे हैं। मैं संक्षेप में इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कुल ३३,३२४ गाँवों में सेटलमेंट ओपरेशन्स किये गये,

२४००० गाँवों में काम पूरा हुआ,

१८५६ गाँवों में पर्चे बट चुके हैं।

बाकी सिर्फ १२१३ गाँव रह गये हैं जहाँ अभी सर्वे और सेटलमेंट शुरू नहीं हुआ है जिनमें ६५१ जेसलमेर के गाँव भी शामिल आ जाते हैं।

इस तरह किसी तरह जल्दी से जल्दी सेटलमेंट का काम पूरा हो, इस ओर सरकार ध्यान दे रही है।

आने वाले दो सालों में यह बहुत ही उलझा हुआ और बहुत जरूरी काम पूरा हो जायगा। एक माननीय सदस्य ने हमारे पुराने शास्त्रों का हवाला देते हुए बतलाया कि यदि लगान बजाय केश रेन्ट के ग्रेन रेन्ट की सेफ में लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और इससे भ्रष्टाचार कम होगा। मगर मैं समझता हूँ कि इस प्रकार लगान ग्रेन रेन्ट की सेफ में लिया गया तो भ्रष्टाचार कभी कम नहीं होगा, बल्कि उल्टा ज्यादा बढ़ेगा। आज भी जिन इलाकों में लगान ग्रेन रेन्ट के रूप में लिया जाता है, वहाँ हमारे सामने कई प्रकार की उलझनें पेश आती हैं। केश रेन्ट का प्रिन्सिपल एक माना हुआ सिद्धान्त है और सारे भारतवर्ष में लागू है। केश रेन्ट से किसानों को यह मालूम रहता है कि उनको क्या लगान देना है और जब उन्हें यह मालूम होता है तो लगान के देन-लेन के बारे में कोई आपसी झगड़े नहीं रहते, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि केश रेन्ट लेना बहुत आवश्यक है।

इसके साथ-साथ हमको रेकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी ठीक तरह से रखने बहुत आवश्यक हैं और इसे राजस्थान में सब जगह जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं। पटवारियों के गलत इन्दराज करने के सम्बन्ध में हमारे सामने कई बार शिकायतें आती हैं और हो सकता है कि उन शिकायतों में कुछ तथ्य भी हो। इस सम्बन्ध में हमारे एक माननीय सदस्य की तरफ से जो सुझाव दिया गया कि अदालतों में जो पटवारियों के खिलाफ गलत इन्द्राजात के मामलों में फैसले किये जाते हैं उसकी एक नकल हम खुद मंगवा कर देखें तो हमें उस सम्बन्ध में जानकारी मिल सकती है कि वास्तव में कितने गलत इन्द्राजात किये जाते हैं; मैं उनकी इस राय का स्वागत करता हूँ और यह बतला देना चाहता हूँ कि हम न केवल उसकी एक नकल अपने पास मंगवाएँगे मगर दूसरे इमीडियेट ऑफिसरों का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करेंगे कि वे लोग भी उन पर सख्ती के साथ कार्यवाही करें। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की कार्यवाही जिससे भ्रष्टाचार बढ़े, चलती रहे। हमने गंगानगर, भरतपुर और एक जगह शायद वह झुंझुनू हो, के अन्दर इस बात की कार्यवाही शुरू की है कि जिस वक्त गिरदावरी की जावे उस समय पटवारी के साथ एक और आदमी को रखा जावे और जो पर्ची दी जाती है वह मौके पर जा कर दी जावे। यह इसलिए किया गया कि इससे सबको मालूम हो जाए कि पर्ची दे दी गई है और जमीन किसके नाम कर्ज की गई है। बहुत सी बार काश्त करने वालों को मालूम नहीं होता कि पर्ची किसके नाम दर्ज है और जब उनको बहुत देरी से पता चलता है तो अदालतों में

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मुकद्दमें होते है। इसलिए किसानों की परेशानी को रोकने के लिए इस प्रकार की शुरुआत फिलहाल २-३ जिलों से की है और बाद में राजस्थान भर में इस पर्ची सिस्टम को शीघ्र ही लागू किया जावेगा जिससे लोगों में ज्यादा झगड़े पैदा न हो सकेंगे।

एक बात जैसी की हमेशा कही जाती है और इस बार भी कही गई है कि पट्टा कमेटी जो बनाई गई उनमें कांग्रेस के कुछ सदस्य होने के कारण यह कहा जाता है कि लोगों के साथ बहुत ज्यादतियें व गैर इन्साफ हुआ है। यह पट्टा कमेटियों का काम गलत आदमियों के हाथ में सरकार ने दे दिया है। इसके अलावा कुछ भ्रष्टाचार की बातें भी इसके साथ जोड़ दी गई हैं। मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन को बतला देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक शिकायत तहसील गंगानगर जिले से आई थी। शायद में नाम भूल नहीं रहा हूँ तो वह रायसिंगनगर ही है। शिकायत आते ही हमने तुरन्त उस पर कार्यवाही की और कार्यवाही उस व्यक्ति के खिलाफ इस हद तक की कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत आई थी हालांकि वह तहसील कॉंग्रेस कमेटी का प्रेसिडेन्ड था, उसको वहाँ से हटा दिया और कॉंग्रेस कमेटी के प्रेसिडेन्टशिप से भी हटा दिया और दूसरों के खिलाफ कार्यवाही की है। फिर भी मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि अगर किसी को इस प्रकार की जानकारी हो और वह जानकारी वह सरकार को देगा और उसकी जाँच में सहायता करेगा तो हम कभी भी उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में नहीं हिचकेंगे। केवल हमारे सामने उनकी चर्चाएँ ही करके छोड़ देने व उनके खिलाफ कोई निश्चित बात न बता कर यह कह देना कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, माननीय अध्यक्ष, काफी नहीं। मैं यह कहूँगा कि हम उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नीति की बात हो उस पर तो सोचा जा सकता है मगर जब व्यक्तिगत बात हो तो वहाँ तो जब तक कोई सुबूत न हो कार्यवाही करना मुश्किल है। श्री महार, जमुआ रामगढ़ ने, एक बात को साबित करने के लिए कहा और वे तैयार हैं तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वे उसे साबित कर देंगे तो हम अवश्य उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अगर वे साबित नहीं कर पावेंगे तो कम से कम इस बात को मानें कि उन्होंने गलत बात सदन के सामने कही।

श्री मानसिंह महार—अस्तीफा दे दूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अस्तीफे की बात तो मैं नहीं कहता मगर फिर कभी सदन में ऐसी गलत बात नहीं कहेंगे।

अभी एक सदस्य ने लाग-बागों के सिलसिले में जो किशनगढ़ और दूसरे हिस्सों में ली जाती है, बातें कहीं कि अभी तक लागे-बागें उसी प्रकार से ली जा रही हैं जिस प्रकार पहले राजाओं के समय में ली जा रही थीं; वे जल्दी से जल्दी समाप्त की जावें। इस सम्बन्ध में मैं आपकी जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूँ कि लागें-बागें बहुत थीं। उनकी लिस्ट तैयार कराई गई। वह लिस्ट अब तैयार हो गई है। वह १५० से भी ज्यादा लागबागों की बड़ी लम्बी लिस्ट है। लागबागों की जाँच के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है और वह कमेटी जाँच कर रही है। हम स्वयं चाहते हैं कि लागबागें जल्दी से समाप्त हों। मैं आशा करता हूँ कि अगले अधिवेशन से पहले हम इस प्रश्न को

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तय कर लेंगे। जो लाग-बाग लगान के रूप में लागू हैं और जिनका रहना जरूरी है उनके अलावा दूसरी जितनी भी लाग-बागें हैं जिनको गलत समझते हैं, वे समाप्त कर दी जावेंगी।

दूसरी बात यह कही गई कि बाड़ों और मकानों के लिए जमीन नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स एक्ट आ रहा है; उसमें निश्चित तौर से इस सम्बन्ध में कदम उठाया गया है।

मैं समझता हूँ कि मुख्य मुख्य बातों का जवाब तो मैंने दे दिया और जो मुख्य-मुख्य बातें थीं उनके बारे में मैंने सदन के सामने संक्षेप में बातें पेश की हैं। लेकिन हमारे एक माननीय सदस्य जो अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने मेवों के बारे में बहुत सी बातें कहीं। जो बातें उन्होंने सदन के सामने रखी हैं मैं उनकी तह में नहीं जाना चाहता और उन बातों में पड़ कर सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता, मगर मैं सदन को माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा यह सूचना दे देना चाहता हूँ कि यहाँ राजस्थान में मेवों की संख्या कुल एक लाख है। उनमें से ६६६४६ मेव परिवारों को अब तक जमीनें दी जा चुकी हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो बातें सदन में कही जा रही हैं वे कहाँ तक सही हैं? इसके अलावा सरकार ने, जिन मेवों को जमीन नहीं मिली है उन्हें जमीन बतला दी है; मगर वे दूर होने के बहाने नहीं ले रहे हैं। ३१ मार्च तक अगर वे जमीनें लेना चाहें तो उनको वे जमीनें दे दी जावेंगी। इसलिए यह कहना कि सरकार मेवों के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है, यह ठीक नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि सरकार को जितना ध्यान मेवों की तरफ देना आवश्यक था दिया है और दे रही है।

इसके अलावा मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जो सुझाव आप देते हैं उससे भी आगे बढ़ कर मैं यह कह सकता हूँ कि कोई भी सज्जन जो इस सदन के सदस्य हों या नहीं यदि कोई ऐसी बात बतावेंगे जिनको वे साबित कर सकें तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार उसकी जाँच करने के लिए तैयार रहेगी और उस पर पूरा ध्यान देगी।

एक बात अभी सदन के सामने यह कही गई कि बहुत से कॉंग्रेसी अपना असर अधिकारियों पर डालने की कोशिश करते हैं जिससे स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय लोगों को नहीं मिल पाता। मगर जैसा कि हम सदन में अभी सुन चुके हैं, अधिकारियों के बारे में दोनों पक्षों की तरफ से दबाव डाले जाने की बातें कहीं गई हैं और शिकायतें हैं। अगर एक ही पक्ष की तरफ से शिकायत होती तो यह कहने की गुंजायश हो सकती थी कि कॉंग्रेस वाले ही ऐसा करते हैं, लेकिन दोनों पक्ष की तरफ से इस प्रकार की शिकायतें हैं। इसलिए यह कहा जाना कि एक पक्ष वालों की सुनी गई और दूसरे पक्ष वालों को सुना नहीं, बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत मामला हुआ हो, इसलिए आपको चाहिये कि आप उसको बतलावें और उसकी जाँच कराने में पूरा सहयोग दें। अगर आप बतलावेंगे तो हम निश्चित रूप से कदम उठावेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बतला देना चाहता हूँ कि हाल ही में सेटलमेंट डिपार्टमेंट के अन्दर १२ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उनमें से ६ या ४ आदमी डिसमिस कर दिए गए हैं और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्य-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

वाही की जा रही है। केवल बातों से ही इस प्रकार के प्रश्न हल नहीं हो जावेंगे। आपको चाहिये कि आप सब मिल कर अगर भ्रष्टाचार आदि को रोकने में मदद देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही कह कर मैं यह निवेदन करूँगा कि मैंने संक्षेप में सब बातें कह दी हैं और जिन सदस्यों ने अपने-अपने कट मोशन मूव किये हैं वे उन्हें वापिस ले लेंगे।

श्री किस्तूरचन्द—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो डिस्कशन किया था उसका उत्तर नहीं मिला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करूं कि कई सदस्यों ने एक-एक व्यक्ति या जागीरदार के खिलाफ केसेज़ जो कि अदालतों में तय किये जा सकते हैं, यहां खड़े कर दिये गये हैं और उनका जवाब वे जानना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता।

श्री चाँदमल मेहता—नम्बरदारों के बारे में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रखा था। उसके जवाब की उम्मीद की जा रही थी। इस प्रकार दूसरे कटौती के प्रस्ताव हैं जिनके बारे में राजस्व मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लाग-बागों वाले प्रस्ताव का तो मैंने जवाब दे दिया था।

श्री चांदमल मेहता—नम्बरदारों के बारे में भी मेरा एक कटौती प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष—सात-आठ कटौती के प्रस्ताव हैं।

(हँसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, जनरल बातें मैंने कह दी हैं और उनमें नम्बरदार भी आ जाते हैं। आपने कहा था कि चुनाव के जरिये नम्बरदार नियुक्त किये जाँय। सरकार की यह नीति नहीं है कि चुनावों के द्वारा नम्बरदार मुकर्रर करें। चुनाव द्वारा करेंगे तो रात-दिन झगड़े और उसके कई परिणाम आते रहेंगे। ठीक नम्बरदार हों, उन पर गाँव वालों का विश्वास हो, ऐसे आदमी ही होने चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि एक लाख रुपयों की रिश्वत वहाँ खर्च हुई। मैं यह जवाब दूँ इसके लिए कि आप साबित करावें, एक्शन लिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—यह मानते हुए कि राजस्व मन्त्री महोदय कहते कम हैं और करते ज्यादा हैं और उन्होंने जो जवाब दिया वह अपूर्ण होते हुए भी इन शब्दों के साथ कि वे कहते कम हैं और करते ज्यादा हैं मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन से वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मेरे १६६ नम्बर के कटौती के प्रस्ताव का जो कि सरकार की पोलिसी के बारे में था, क्या उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—We cannot force him to give any reply.

श्री मानसिंह महार—राइट ऑफ रिप्लाई का मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—आपको जवाब ही नहीं दिया गया तो फिर राइट का सवाल ही नहीं रहता।

(हँसी)

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में मेरा वह प्रस्ताव है।

जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के चुनाव सम्बन्धी

श्री मथुरादास माथुर—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के लिए चुनाव हो चुके हैं और बेलट बोक्सेज़ के सीलें होने जा रही हैं। फिर वे वापिस खोले जावेंगे। मेरा निवेदन है कि काउन्टिंग अभी से शुरू कर दिया जाय, केन्डीडेट्स जो खड़े हुये हैं वे भी सहमत हैं। अतः काउन्टिंग की कार्यवाही के लिए इजाजत दें।

श्री जवानसिंह—माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि आज ही काउन्टिंग करा लिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—I hope both are the candidates and are very anxious to see the results. I have no objection.

माँग संख्या १—भू-राजस्व (क्रम में)

I like all these cut-motions to put to the vote. Is it the leave of the House to allow Shri Chandmal Mehta to withdraw all his Cut-motions ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान हुई।

आप अपने कट मोशन्स वापिस ले सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरे सब कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(श्री एच० के० व्यास को संकेत करके) Should I put your Cut-motions to Vote.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, sir.

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut-motions No. 147, 148 149 and 150 put in by Shri H. K. Vyas, be accepted ?

(अस्वीकृत)

The cut-motions fail.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं मेरे मित्र रेवेन्यु मिनिस्टर से यह चाहता हूँ कि वे यह आश्वासन दें कि जो पट्टा कमेटी बिठाई गई उसको बन्द (समाप्त) कर देंगे और इस आश्वासन पर मैं अपने कट मोशन को वापिस लेता हूँ।

Page No.115

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the Honse ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गोपीलाल यादव—I withdraw.

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, हालाँकि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने गरीब रेवेन्यु कर्मचारियों के पेट की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया है, फिर भी उनको चेतावनी देते हुए कि अगर वे गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आयन्दा चुनावों में मुश्किल आ जायगी; मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House,

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Withdraw your Cut-motion.

श्री मानसिंह महार—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut-motion moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motion fails.

(विराम)

The question is that the Demand for Grant No. 1, Major Head 7-Land Revenue for Rs. 2,08,00,000/- be accepted.

(स्वीकृत)

The Demand is accepted.

माँग संख्या १४--पुलिस

Now we come to Police, The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 3,00,41,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day March, 1955, in respect of Grant No. XIV, Major Head 29-Police."

श्री हरिकृष्ण व्यास—[1. Economy—retrench total expenditure on Guards at Rulers palaces.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

2. To discuss the wrong direction and inefficiency of the Criminal investigation Department.

3. To discuss the high expenditure on maintenance and running of vechicles.

4. To discuss the failure to ensure proper check on purchase of stores.

5. To discuss the failure to show sufficent vigilence aginst thefts, burglaries and such crimes.

6. To discuss the police atrocities in Bikaner.]

माननीय अध्यक्ष, मेरा पहला कट मोशन करीब-करीब दो लाख रुपयों के खर्चे के रिट्रेन्च-मेन्ट के सिलसिले में है और वह ताल्लुक रखता है उनसे जो रूलर्स पेलेसेज़ पर गार्ड मुकर्रर किये जाते हैं और उसका खर्चा जो पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है, उसको कम करने के लिए। मेरा खयाल यह है कि अब इस बात की कोई आवश्यकता नहीं रही है कि ये दो लाख रुपये उन भूतपूर्व राजाओं के महलों के ऊपर गार्ड बिठा-बिठा कर खर्च किये जावें और इसीलिए मैं यह कटौती का प्रस्ताव सदन की अनुमति के लिए उपस्थित करता हूँ।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है, माननीय अध्यक्ष, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट की जो गलत दिशा है उस सिलसिले में। आज राजस्थान में डाकों के बाद और दूसरी नुकसानदेह और खतरनाक लोगों के लिए जन-सुरक्षा के लिए अगर कोई जुर्म है तो वह चोरी है और बर्गलरी है, जिसके सिलसिले में जगह-जगह से रिपोर्ट्स लगातार आती रहती हैं; लेकिन अफसोस तो यह है कि यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट का जो विभाग है और जिसका यह काम है कि इस प्रकार की चीजों के बारे में पता लगाये और सूचना सरकार के पास पहुँचाये, यह विभाग अपना कार्य नहीं कर पाता है और उसका मुख्य कारण यह है, माननीय अध्यक्ष, कि इस विभाग के कार्य की दिशा को गलत रास्ते पर मोड़ दिया गया है या यों समझें कि उसी पुराने ढर्रे पर चलता जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे राजस्थान के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट के कार्य की रूपरेखा खास रिडिकुलस स्टेज (ridiculous stage) पर पहुँच गई है। अपने इस सदन की एक कमेटी, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमेन हैं, जिनसे पत्र-व्यवहार करने का मेरा मौका आया, उस कमेटी की मीटिंग बुलाने के सिल-सिले में और उनका पत्र भी मेरे पास वापिस आया उस कार्य के सिलसिले में वह पत्र सेन्सर होता है और नतीजे में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को इस विभाग के मित्रों ने पब्लिक मीटिंग पढ़ लिया या समझ लिया और उसके साथ-साथ नोमके थाने में जांच होने लगी, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसिडिंग्ज़ होने लगीं कि यह १५ तारीख की कौनसी पब्लिक मीटिंग मुकर्रर हुई जिसमें एच० के० व्यास आने वाला है और किस सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि इसकी दो-तीन दिन तक जांच चलती रही।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कुछ वक्त ही उधर जाया हुआ होगा, कुछ ध्यान ही उधर गया होगा। इस प्रकार वह वक्त एक तरह से बेकार ही गया है। मेरा यह निवेदन है कि सी. आई. डी. के कार्यों की दशा इस तरह की है कि वे उस सिलसिले में सदन की पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की मीटिंग को शायद कोई पब्लिक मीटिंग की योजना समझ बैठे।

मैं इसी प्रकार की एक सूचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ; वह यह है कि आज इस विभाग का कार्य ज्यादातर यह रह गया है कि स्टेट के जो वी. आई. पीज़. हैं यानी मन्त्रीगण होते हैं जब वे कभी दौरे में जाँय, जिस रास्ते से वे गुजरने वाले हैं उस रास्ते पर तीस, चालीस, पचास की तादाद में पुलिस अफसर दौड़-धूप करते फिरते हैं। मैं यह मानता हूँ कि उनमें से कई मेरे जान-पहिचान वाले होते हैं वे ऐसी दौड़-धूप करते हैं तो मेरी नजर में आ ही जाते हैं। तो आज इन वी. आई. पीज़ के प्रोटेक्शन के लिए उन पर यह काम का बोझ पड़ने से इस विभाग का कार्य बढ़ गया है। इसलिये असली जाँच-पड़ताल के लिए, जिससे जनता में शान्ति और सुरक्षा की भावना पैदा हो उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं किन्तु डोरेबाजी और गलत दिशायी की वजह से कभी-कभी रिडियूक्लस रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत हो जाती है। मैंने सुना है कि एक समय गंगानगर में किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा। वहाँ इस विभाग की ओर से रिपोर्ट आई बताते हैं जहाँ उनके गाँव में "more than 32000 people have turned communists." मैं अच्छा नहीं समझता इस प्रकार की रिपोर्ट के रिडिकुलस के सिलसिले में कुछ ज्यादा कहूँ, लेकिन इस बात पर अवश्य जोर दूँगा कि जहाँ चारों तरफ जो आज पुलिस विभाग और खास तौर से सी. आई. डी. विभाग के काम की जो दिशा चल रही है उससे सुरक्षा और शान्ति को नुकसान पहुँच रहा है। यह मामला इसी हद तक बढ़ गया हो, यह बात नहीं। कुछ सरकारी अधिकारी ऐसे रिपोर्टों पर जायज-नाजायज कार्यवाही करने पर उतर आये हैं। भीलवाड़ा का एक केस आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सिनेमा के प्रोप्राइटर को नोटिस दिया गया कि तुम्हारे खिलाफ सिनेमा एक्ट की तहत क्यों नहीं कार्यवाही की जाय क्योंकि तुम्हारे सिनेमा में कॉम्युनिस्ट लोग इकट्ठे होते हैं, तुम्हारे खिलाफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट की मातहत कार्यवाही क्यों न की जाय? अगर माननीय मन्त्रीजी वे लेटरप ढ़ना चाहें तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। यह इस बात का सुबूत है कि इस विभाग का जो कार्य है वह जनता की सुरक्षा के लिए न होकर ऐसी दिशा की ओर जा रहा है जिससे सुरक्षा और शान्ति में कमी आ रही है; इस आशय का मेरा दूसरा कट मोशन था। इसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण विषय और है, जिसका ताल्लुक भी पुसिल विभाग से है; वह विषय है जिसका ताल्लुक सब विभागों से कॉमन है, किन्तु एग्रीकलचर और पुलिस विभाग इन दोका नम्बर अव्वल दर्जे पर आता है; वह विषय है परचेज़ेज़ (purchases) का।

मेरा ख्याल है माननीय अध्यक्ष, कि पुलिस विभाग द्वारा इन तीन सालों के अन्दर जितनी परचेज़ेज़ की गई, कपड़े-ओवरकोट आदि की सिलाई, जीपों की खरीदी की गई; इन चीजों के बारे में जाँच की जाय। इनमें बड़े-बड़े होल्स मिलेंगे। मुझे इसमें ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ एक-दो चीजों का जिक्र करूँगा। छोलदारियों के सिलसिले में तो पहले ही जिक्र कर चुका

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हूँ। उसके पहले इस विभाग द्वारा ओवरकोट की सिलाई की गई और उस सिलाई के काम को ठीक न बताते हुए पेन्डिंग मामला जब पड़ा था; जब सीज़न (season) नहीं चल रही थी उस समय एडहॉक पेमेन्ट ('ad-'hoc' payment) कर दिया गया, यह कह कर कि बाद में दुरुस्ती कर देना। अभी-अभी एक महीने पहले वाटर बोटल्स के लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये। उसमें ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा टेन्डर भी आया। जिस व्यक्ति का टेन्डर स्वीकार कर लिया गया, जब अन्दर फैसला हो रहा था उस समय बाहर पिकेटिंग हो रहा था कि हम इससे भी कम दामों में वाटर बोटल्स सप्लाई कर सकते हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति कहने लगे कि जो माल सप्लाई किया जा रहा है वह नीची क्वालिटी का है, हम इसी भाव में इससे भी अच्छी क्वालिटी का माल देने को तैयार हैं। फिर भी उसी कम्पनी की माँग को मन्जूर किया गया, उसके मुताबिक ऑर्डर वहीं का वहीं प्लेस कर दिया गया। इस प्रकार इस विभाग का लाखों रुपया खरीदी में चला जाता है। इस खरीदी के अन्दर एक बहुत विशेष प्रकार की बद-इन्तजामी है। आज तक ऐसा होता आया था कि साल खत्म होने आया तो उसके दो महीने पहले यानी फरवरी या मार्च के महीने में तीन, चार या पाँच लाख रुपया पुलिस विभाग ट्रेज़री से उठाकर अपने पास रख लेता था। फिर धीरे-धीरे उससे सामान पर्चेज़ किया करता था। कई दफा तो दौड़-दौड़ कर भी सामान पर्चेज़ करने का मौका आया। बगैर टेन्डर्स भी कई दफा सामान खरीदा गया। इस प्रकार यह इस प्रकार का क्रम है जो अभी पूरा नहीं हुआ। इसी आशय से यह कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है सदन के विचार के लिए।

इसके बाद मेरा कटौती प्रस्ताव जो है वह है पुलिस विभाग की ओर से बीकानेर के अन्दर अनाज-निकासी आन्दोलन के सिलसिले में जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार की निन्दा करने के लिए, इस इरादे को व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव रखा है। वैसे तो होना तो यह चाहिये थी कि बीकानेर के उस अन्दोलन के सिलसिले में दमनकारी रुख की चर्चा करने से पहले आज गंगानगर की हालत का जिक्र करूँ। ऐसा भी सुनने में आया कि इसमें इस सदन के एक सदस्य पर भी हाथ उठाया गया......

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या कोई माननीय सदस्य सदन में दूसरे आदमी से बात कर सकता है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं यह अर्ज कर रहा था ऐसा सुना जा रहा है कि करीब तीस आदमियों ने वहाँ भूख हड़ताल कर दी है और ४४ आदमियों की गिरफ्तारी हो गई है और सुना तो ऐसा भी गया है कि इस सदन के एक सदस्य के ऊपर भी हाथ उठाने की नौबत तक आ गई है।

लेकिन आज के दिन तो मैं बीकानेर के अनाज आन्दोलन के लिए ही जिक्र करूँगा और वह इसलिए कि मेरा खयाल है कि इतना गैरजिम्मेवाराना, इतना हृदयहीन और इतना पाशविक व्यवहार सरकार ने जनता के साथ जो इस आन्दोलन के समय किया कम से कम राजस्थान में तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी और हिन्दुस्तान में भी और दूसरी जगह भी ऐसी घटना हुई होगी या नहीं, यह कहना बड़ा कठिन है ।

२२ जनवरी का किस्सा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक जुलूस कचहरी की तरफ जाता है और वहाँ पहुँचता है तो उसका नेतृत्व करते हैं श्री रावतमलजी कोचर, जो आज से कुछ साल पहले तक काँग्रेस के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता गिने जाते थे, जिम्मेदार तो वे आज भी हैं; पर काँग्रेस उन्होंने अलबत्ता छोड़ दी है । वे पुलिस से कहते हैं कि हम जिलाधीश से मिलना चाहते हैं; सीधी बात थी, इसमें कोई जुर्म नहीं था । पर, पुलिस जुलूस को कोर्डन करके खड़ी हो जाती है और जब वे शान्ति से जिलाधीश के दफ्तर की ओर कदम बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो नतीजा यह होता है कि उनके सिर पर लाठियों की वर्षा होती है, पकड़कर जिलाधीश के कमरे के सामने वाले बरामदे में उन्हें गिराया जाता है, ठोकरों से और बूटों से पीटा जाता है, लकड़ी के डण्डों से लगातार उनके साथ मारपीट की जाती है और जो अलफाज़ कहे जाते हैं, जिनके बारे में कहते हुये मुझे अफसोस है कि जो भद्दे से भद्दे किस्म की गालियाँ हैं, मुझे सदन में यह कहते हुए भी संकोच होता है और ये गालियाँ देने वाले कौन हैं, वहाँ के डी. आई.जी. महोदय खुद, मारने वाले कौन हैं बीकानेर पुलिस के डी. आई. जी. महोदय खुद । पड़े हुए रावतमल कोचर के सिर पर एक बूट की चोट की जाती है । सिर में से खून गिरता है और इसके बावजूद भी यह कहा जाता है, "आया था साला इस तरह गड़बड़ करने, गड़बड़ करने वाले की इस तरह अक्ल दुरुस्त की जाती है ।" इस तरह से व्यवहार किया जाता है, बाल नोचे जाते हैं, इसलिए कि वह प्रदर्शन करने के लिए गये थे; जिलाधीश को वह कुछ कहने गये थे, वे जिलाधीश से मिलना चाहते थे ।

माननीय, अध्यक्ष, ऐसी बर्बरता की मिसाल शायद और कहीं नहीं मिलेगी । यह कहकर कि गड़बड़ करना भूल जाओगे उन्होंने मारपीट की और इस तरह से अपना रोब जमाया । एक सज्जन गाँधी टोपी पहने हुए थे तो उनकी टोपी को पैरों तले रोंदा गया और यह कहा गया कि यह पहिन कर तुम क्या कोई रोब दिखाना चाहते हो, डंडे से तुम्हारी अक्ल दुरुस्त की जावेगी । मैंने कहा, उन लोगों के साथ मारपीट की गई । श्री रावतमल हों चाहे और कोई दूसरे प्रमुख व्यक्ति वहाँ के हों, उनके मुँह से सुनी हुई, उनकी आँखों से देखी गई और उनके शरीरों पर घटी गई इन घटनाओं के बारे में यह बात मैंने अर्ज की है और मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने को तैयार हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी अथवा माननीय मन्त्रीजी अगर इस बात की जाँच करवाने को तैयार हों तो कल तक उनके साथी रहे हुए, कल तक उनके साथ काम करने वाले, उन सज्जनों के मुख से निकली हुई बात पर तो कुछ न कुछ एतबार अवश्य करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम आप उठावेंगे, इस प्रकार का आश्वासन सदन को देंगे ।

मैं अन्त में यही अर्ज करूँगा कि इस प्रकार के पुलिस विभाग के प्रति जनता की ओर से इस सदन को, खिलाफ राय व्यक्त करनी चाहिये । यह विभाग निन्दा का पात्र है इसी इरादे से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है। मुझे अपने प्रस्ताव पर इतना ही अर्ज करना है माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष--Shri Jawan Singh.

(अनुपस्थित)

Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह—[1. To discuss the Corruption prevailing in this Department and failure of anti-Corruption Department to uproot the Corruption.]

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य में पुलिस का कार्य उस राज्य के समाज का अमृत बनकर जीने वाले समाज की इज्जत, तन और धन को नाश के भय से बचाना है। यद्यपि शासन और न्याय को कार्यान्वित करने वाली प्रत्यक्ष रूप में पुलिस दिखाई देती है, पर पुलिस का वास्तविक उद्देश्य यही है कि समाज के प्रतीक स्वरूप जन-समूह को, उसकी इज्जत को विनाश के डर से भयमुक्त करे। पर आज किसी भी व्यक्ति को जाकर कहिये कि तुझे तेरे धन की रक्षा के लिए और तेरी जाती हुई इज्जत की रक्षा के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा तो वह कोशिश यह करेगा कि वह किसी भी प्रकार पुलिस से बचकर और किसी तरह से अपनी रक्षा खुद हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो उसे करने को वह पहले तैयार होगा, पुलिस की शरण में वह जाने से बुरी तरह से डरेगा और जब मजबूरी की हालत ही हो जावे और कोई चारा नहीं रहेगा तभी वह पुलिस की शरण में जावेगा। इसका कारण यह है कि पुलिस अपने इतिहास के प्रारम्भ से इसी प्रकार की कार्यवाहियाँ करती आई है, चाहे वह जमाना जनतन्त्र का रहा हो या राजतन्त्र का, इसमें इतिहास के प्रारम्भकाल से ही भ्रष्टाचार का इतना प्रबल बोलबाला रहा कि आज भी प्रत्येक व्यक्ति पुलिस-सहायता लेने में "May I help you" के साइनबोर्डों के लगे रहने के बावजूद, कितने ही बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे जाने के बावजूद भी, हिचकिचाता ही है।

मैं यह मानता हूँ कि राजतन्त्र के जमाने से आज प्रजातन्त्र के जमाने में हालत सुधरी है, कुछ उन्नति हुई है। लेकिन सिर्फ कुछ तथ्यों में ही परिवर्तन हुआ है। राजतन्त्र के जमाने में पुलिस का एक साधारण-सा सिपाही या किसी थाने का अफसर होता था, उस समय वह अपने आपको एक गाँव के ठाकुर के बराबर, बल्कि उससे भी ज्यादा मानता था और वास्तव में था; पर, आज की पुलिस के अन्दर वह एक दास के रूप में ही है। यह परिवर्तन जरूर आया है, पर इन दोनों में भी जो खासियत उनके स्वभाव में थी वह बदली नहीं है। आज के परिवर्तन के साथ, दास कहलाने की बात के साथ-साथ जो दिल में परिवर्तन आना चाहिये था, वह आया नहीं। उसने ठाकुर के रूप में

[श्री तनसिंह]

उस जमाने में लोगों पर दमन किया, रिश्वतें लीं और आज दास के रूप में भी वह आरजू मिन्नत करके अपनी रिश्वत को, अपनी हरकतों को जारी रखने के लिए तैयार रहता है। इसलिए इस भ्रष्टाचार की, इस रिश्वतखोरी की आदत को जो आपस में कहता था उसमें सिर्फ तरीकों में अन्तर पड़ा है। वह यह पहले खुले आम माँग लेते थे, अब कुछ टालमटोल करके अपनी जेब गरम करने की कोशिश करते हैं। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम किया। न मालूम कितने पुलिस के ऐसे कर्मचारियों को पकड़ा होगा, भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट से मिटाने की कोशिश की होगी, न जाने कितनों को सजा मिली होगी? लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस प्रकार के छोटे-छोटे कदम कभी भी समर्थ नहीं हो सकते। यदि किसी बड़े बाँध का पानी टूटने लगे तो हाथों से वह कभी रोका नहीं जा सकता और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वही हालत इस प्रकार के भ्रष्टाचार की है। पुलिस के अन्दर आज जो भ्रष्टाचार के संस्कार हैं वे बहुत पुराने हैं और इतने विकराल रूप में है कि उन्हें पीछे पीछे भागकर मिटाया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ कहावत है "चोर बादशाही माल खावे"; इसका अर्थ होता है कि चोर तभी तक चोर रहता है जब तक लोगों की नजर में वह नहीं आता है और तभी तक बादशाह का माल खाता है, पर जब पकड़ा जाता है तो सजा मिलती है। तो इसी प्रकार चोरों के पीछे पुलिस वाले जाते हैं और पुलिस वालों के पीछे भ्रष्टाचार महकमे वाले। लेकिन पुलिस अपने इन अफसरों को जो भष्टाचार को रोकते हैं या इन सिपाहियों को जो भ्रष्टाचार को रोकते हैं, इनसे अपने आपको बचाकर अपना मार्ग किसी प्रकार साफ करने की कोशिश करते हैं और इसलिए कि यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कार्य शुरू हुआ है इसके बारे में मैं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर, जो सदन में दिये गये हैं समय समय पर यह कह सकता हूँ कि इस विभाग का कार्य नितान्त धीमा है और इसलिए इस प्रकार की चीजों को मिटाने के लिए, मैं समझता हूँ कि इन संस्कारों को जो पुलिस के विभाग में पड़े हुए हैं, ये किसी ऐसे छोटे-मोटे प्रदर्शन से मिट नहीं सकते। इनको तो अच्छे संस्कारों से ही मिटाया जा सकता है और इन बुरे संस्कारों को निकाल कर अच्छे संस्कारों को डालने के लिए हमारी सरकार की ओर से कुछ वास्तविक व्यवस्था होनी चाहिये।

किशनगढ़ की ट्रेनिंग स्कूल में चाहे पुलिस को आगे की ऊँची ट्रेनिंग दी जाती हो, पर मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि यह ट्रेनिंग उन संस्कारों को पैदा नहीं कर सकती जिनका कि मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिसके बिना यह भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता और जनता में पुलिस से सुरक्षा, अपनी जान-माल और इज्जत की सुरक्षा की भावना नहीं पैदा हो सकती। वहाँ यह भले ही सिखाया जाता हो कि लोगों के सामने एक कतार में खड़े होकर किस प्रकार चुस्त बनते हैं, किस प्रकार लोगों के सामने अपना आतंक पैदा किया जा सकता है और किस प्रकार लोगों पर अपना आतंक और रौब जमाया जा सकता है; पर मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इस प्रकार का प्रदर्शन, इस प्रकार का अनुशासन बाहर में दिखावे के तौर पर अच्छा लगता है, पर क्या भीतर से उनके मन को नैतिकता की ओर भी खींच ले जाते हैं या नहीं, यह भी हमें देखना है और यदि इससे उनका मन नैतिकता की ओर नहीं खिंचता है तो चाहे फिर पुलिस का ट्रेनिंग सेन्टर किशनगढ़ हो या चाहे और कोई दूसरा हो, वह वास्तविक सेन्टर नहीं है। वास्तविक सेन्टर वही है जो नैतिकता की शिक्षा भी उसे दे। इसके

[श्री तनसिंह]

अलावा एक बात और भी है कि यदि पुलिस के कुछ अफसरों को ट्रेनिंग दे दी गई, चाहे वे सब इन्सपेक्टर हों या हैड कॉन्स्टेबल तो इससे क्या पुलिस के महकमे के अन्दर भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे के सारे आदि से अन्त तक इस महकमे में इस प्रकार के तत्त्व भरे हुए हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में पुलिस की यदि जानकारी हैं तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात जो आयेगी कि तनख्वाह कितनी और इसके अलावा और कितनी आय। ऐसे महकमे के ऊपर इस प्रकार का कलंक कि जिसके ऊपर समाज का बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है. और मैं इसलिए यह निवेदन करूँगा आपके द्वारा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे कि पुलिस के अफसरों और उनके कार्य करने वालों में इस प्रकार के संस्कार डाले जांय कि जिससे वे न केवल अनुशासन में चलें बल्कि अपने आप संयम और नैतिकता को कुबूल करें। यह मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार आज का नहीं है, कई वर्षों से चला आने वाला है और वह भ्रष्टाचार आज ही किसी बड़े से बड़े आदमी के भाषण देने से नहीं जा सकता; वह एक भाषण से नहीं जा सकता है, वह किसी प्रकार के विशेष कार्य से बदलना चाहिये। उनको मिटाने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। जिस प्रकार कि एक अपराधी का जो कि समाज के विरुद्ध प्रवृत्तियाँ पैदा करता है एक विशेष प्रकार के जेल में प्रबन्ध किया जाता है, उसके रहन-सहन के लिए विशेष प्रकार का सरकार प्रयत्न करती है, उसी प्रकार पुलिस के लोगों को शिक्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इस प्रकार के संस्कारों को डालकर पुलिस में भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, वह एक दिन से नहीं बल्कि निरन्तर के संस्कारों से हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

श्री अध्यक्ष—१० मिनिट हो गये।

श्री तनसिंह—मैं दो ही मिनिट में समाप्त कर दूँगा।

तो, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के ट्रेनिंग केम्प्स पुलिस के महकमे में अरेन्ज किये जाँय कि सालाना या ६ माह या २ साल में जो निरन्तर और नियमित हों। इसके अलावा यह नहीं हो कि एक व्यक्ति ट्रेन्ड हो गया, जीवन भर ट्रेन्ड होने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, सत्य को सर्वोपरि आधार रखना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। यह मानते हुए भी चारों ओर की परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं कि वह रिश्वत लेने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए उनके सामने कि जिससे वह ऐसा न करे। उनमें इस प्रकार के संस्कार उत्पन्न किये जाने चाहिए कि जो बराबर उनको पतन से बचाते रहें। जब तक इस प्रकार का कार्य इस डिपार्टमेंट में नहीं किया जायगा, इस प्रकार दिलचस्पी से काम नहीं लेंगे तो इस पुलिस विभाग के आदमी तैयार नहीं हो सकते। इसलिए इस विषय में मैंने अपना कटमोशन रखा है, जिस पर अवश्य ध्यान दिया जावेगा।

श्री खेतसिंह—[To discuss the inadequate facilities provided by the Government to R. A. C. on the Rajasthan Border]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वामपक्षी मित्रों की तरह बात का बतंगड़ बनाकर सदन के सामने रखना उचित नहीं समझता, और मैं तो कम से कम इस बात में विश्वास नहीं करता कि क्रिटिसिज्म फोर दी सेक ऑफ क्रिटिसिज़्म (Criticism for the sake of criticism) हो, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हम सरकार के सामने रखें । जनता की काफी भलाई कर सकें, उन ही बातों को मैं आपके सामने रखूँगा । जैसा कि मैंने अपना कटमोशन पेश किया है उससे साफ जाहिर है कि हमारे पुलिस विभाग की दृष्टि एक तरफ है यानी वह सिविल पुलिस की तरफ ज्यादा है और आर. ए. सी. की तरफ कम ध्यान देती है और हकीकत में हमारी राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी जितनी रक्षा और सुरक्षा सीमा पर रहकर करती है उतनी हमारी सिविल पुलिस नहीं करती है और इसीलिए हमको सिविल पुलिस से भी ज्यादा आर. ए. सी की ओर ध्यान देना चाहिए । यह मैं जानता हूँ कि आर. ए. सी. की जिन्दगी बहुत छोटी है और अभी खड़ी हुई है और अभी तक परमानेन्ट नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके उन्हें ज्यादा सुविधा देनी चाहिए क्योंकि वह एक ऐसे इलाके में पड़े हुए हैं जहाँ कि इन्सान तो क्या पशु भी अपनी इच्छा से रहना पसन्द नहीं करें । इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाऊँगा कि वह एक बार सारे बोर्डर का दौरा करके उनसे वहाँ की हकीकत मालूम करें, और उनकी जो जेन्युइन डिफीकल्टीज़ (Genuine difficulties) हैं उनको दूर करने की कोशिश करें । जहाँ तक मालूम हुआ है मुझे, वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ ।

जैसलमेर के बोर्डर पर आर. ए. सी. की एक बटेलियन पड़ी हुई है । उसके कई जवानों और अफसरान से मुझे मिलने का मौका मिला है । मैंने उनके चेहरे देखे तो मुरझाये हुए मालूम हुए । वे असंतुष्ट हैं । जब उनसे वार्तालाप किया तो मालूम हुआ कि उन लोगों को वहाँ कई बातों की परेशानियाँ हैं । एक बटालियन के जवानों से मालूम हुआ है कि उनको स्नान करने को पानी नहीं मिलता है । यह सरकार के लिए शोभनीय बात नहीं है । होना तो यह चाहिए था कि अच्छी से अच्छी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ (amenities and facilities) देने के लिए प्रयत्न किया जाय । मोबाइल फिल्म्स (mobile films) वगैरह भेजकर उनको दिखाई जाँय, लेकिन हमारी सरकार बहुत कम ध्यान दे रही है ।

वर्दी का जो गरम कपड़ा मिलता है वह पर्याप्त नहीं है । जब कि वह रेगिस्तान के उस इलाके में रहते हैं, जहाँ सरदी भी बहुत पड़ती है तो गरम कपड़े ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन आज सिविल पुलिस के बराबर ही मिलते हैं ।

उन्हें वहाँ डॉक्टर एक बटालियन में नहीं दिया है । माननीय मुख्य मन्त्री पता लगायें कि यदि वहाँ कोई जवान बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज का बड़ा प्रश्न मालूम होता है । मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर का जल्दी ही प्रबन्ध करें ।

[श्री खेतसिंह]

इसके अलावा वह एक सेमीमिलिट्री फोर्स (Semi military force) है लेकिन उनको सिविल पुलिस की तरह ही एक महीने की छुट्टी बारह महीनों में दी जाती है, जिससे कि यदि भरतपुर का एक जवान बोर्डर से रवाना होता है तो घर पहुँचने में १० दिन लग जाते हैं और वापिस जाने में भी १० दिन लग जाते हैं; मतलब यह है कि १० दिन की छुट्टी ही उसको मिलती है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को खास तौर से ध्यान देकर उनकी छुट्टी बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

उन्हें रेलवे वारन्ट नहीं मिलता है, आने-जाने में काफी किराया खर्च होता है। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि उनको रेलवे वारन्ट वगैरह दिलाने का भी तुरन्त प्रबन्ध करें।

इसके अलावा उनके टी. ए. और तनख्वाह का सवाल है। उसमें उन्हें काफी परेशानी होती है। यों तो वे बोर्डर पर रहते हैं इसलिए उनको इतनी जल्दी तनख्वाह मिल ही नहीं सकती, फिर भी उनको जल्दी से जल्दी हर महीने तनख्वाह और भत्ता पास होकर मिल जाना चाहिए, ताकि उन्हें पैसे की दिक्कत न हो। लंगर की हालत बहुत सोचनीय है। कई दफा ऐसा होता है कि रेत के उड़ने से आटे के अन्दर कंकर मिलते हैं। उनके रहने के लिए पक्की लाइन नहीं बने तो कम से कम लंगर ही पक्का हो जाय ताकि खाने का अच्छा प्रबन्ध रहे। रहने के लिए जो टेन्ट्स मिले हुए हैं उनकी हालत ऐसी है कि वे फटे-पुराने टेन्ट्स हैं; वे गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्द रहते हैं। इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रयत्न करके उनके लिए टेन्ट्स का अच्छा इन्तजाम होना चाहिए।

इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारे बोर्डर की पुलिस है, वह सारे बोर्डर की रक्षा करती है, वह केवल राजस्थान के बोर्डर की रक्षा ही नहीं करती है बल्कि भारतीय बोर्डर की रक्षा करती है। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करके इनकी तनख्वाह आदि का आवश्यक प्रबन्ध सेन्टर से करवायें ताकि उन लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो जाय। बस, मैं इतना ही कहूँगा।

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की पुलिस के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं आपका ध्यान भारतवर्ष के अशोक पीरियड की ओर दिलाना चाहता हूँ। उस वक्त जो एक चीनी यात्री ह्वेनशांग भारतवर्ष में आया था उसने भारतवर्ष के बारे में लिखा था कि भारतवर्ष में घरों में कोई ताला नहीं लगाया जाता है और जन-साधारण शान्ति से निवास करता है। उसके बाद जैसे-जैसे जन-साधारण की मोरेलिटी गिरती गई उसी तरीके से एक ऐसा फोर्स यहाँ पर कायम किया गया जो जन-साधारण की रक्षा व सुव्यवस्था कर सके। इस स्थान पर हम हमारी पुलिस फोर्स को देख रहे हैं। इस लम्बे अर्से में पुलिस विभाग किस स्थिति से किस स्थिति पर पहुँच गया है यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है। एक विभाग जिसका मुख्य उद्देश्य जन-साधारण की रक्षा करना, शान्ति व व्यवस्था कायम करना है, वह खुद इस बात की ओर अग्रसर हो और इसको प्रोत्साहन दे कि शान्ति-व्यवस्था खतरे में पड़ जाय तो यह कहाँ तक अच्छा कहा जा सकता है। इस

[श्री तेजमल बापना]

सम्बन्ध में मैं एक ताजा मिसाल भीलवाड़ा की देता हूँ। वहाँ हर वर्ष मोहर्रम निकला करते हैं और वह सदर बाजार में बड़े मन्दिर के नीचे होकर निकलते हैं। इस साल वहाँ के इने गिने आदमियों ने इस प्रकार का वातावरण पैदा किया कि मोहर्रम को बड़े मन्दिर के नीचे होकर निकलने देने में रोक-टोक करदी, इस बात की जानकारी कि हर साल मोहरम उसी रास्ते से निकला करते हैं। उन आदमियों को ऐसा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये था, लेकिन जहाँ तक सूचना मिली है कि कई पुलिस के कर्मचारी उनको उकसाने में शामिल थे और जब वे उठने लगे तो उनको कहा गया कि बैठ जाओ इससे वहाँ पर सांप्रदायिक दंगा होते-होते बचा। दो रोज तक मोहर्रम वहीं पड़े रहे और दो रोज के बाद वहाँ से उठे। लेकिन स्थिति दो रोज तक इतनी खतरनाक रही कि किसी भी क्षण सांप्रदायिक दंगा हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं है।

इसके साथ-साथ आज भीलवाड़ा जिले में जो पुलिस की व्यवस्था है वह बड़ी सोचनीय है। वहाँ पर भ्रष्टाचार तो बहुत ही बढ़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति यदि पुलिस में, चाहे सच्चा भी हो, जाता है और यदि उसके पास पैसा है तो कुछ काम कर सकता है। यदि पैसा नहीं है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके साथ-साथ वहाँ के जन-साधारण की शान्ति को खतरा होना, जान-माल की हिफाजत के बजाय रात-दिन चोरियें होना, लूट-पाट होना साधारण बात हो गई है। हमारी इस जनतंत्रीय सरकार के पुलिस के सम्बन्ध में इस प्रकार की धारणा लोगों के दिल में पैदा हो गई है कि आज पुलिस केवल पैसा लूटने के लिये है, शान्ति-व्यवस्था कायम करने के लिये नहीं है।

मुझे अफसोस है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध भी पुलिस विभाग से किया गया है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का यदि कोई पता लगाना चाहता है तो वह पुलिस विभाग में ही लगा सकता है। इसका एक कारण है, वह यह है कि बहुत से अधिकार पुलिस के पास हैं। वे जरूरत पर दिये गये थे लेकिन आज उनका सदुपयोग नहीं होता और कर्मचारी उसके बजाय उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि करप्शन दूसरे विभागों में नहीं है, पर सबसे ज्यादा करप्शन इस विभाग में है। जो एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट कायम किया गया है वह पुलिस के अन्दर में रखा गया है, यह उचित नहीं है। एक अधिकारी एक ही डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ कार्य करने को बाध्य हो और गिरफ्तारियाँ करे, यह संभव नहीं है। इसलिये इस एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को अलग ही रखा जाना चाहिये। इस विभाग के लिये जो रकम रखी गई है वह ६६००० ही रखी गई है, गत एक-दो साल से तो ज्यादा रखी गई है। लेकिन यह इस महकमे के लिये नहीं के बराबर है। इससे भ्रष्टाचार रुकने की बनिस्पत बढ़ने को ही अधिक प्रोत्साहन मिलने की गुंजायश है। इसलिये इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये, रकम बढ़ाई जानी चाहिये और इसके लिये एक अलग सीनियर अफसर नियुक्त करना चाहिये और भ्रष्टाचार को जहाँ तक रोका जा सके वहाँ तक रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। इसका कारण यह है कि जन-साधारण के दिल में शान्ति और व्यवस्था की भावना उठती जा रही है और यह सरकार के लिये शोभाजनक चीज़ नहीं है। इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूँगा कि साधारण पुलिस कॉस्टेबल्स ही पैसा लेते हैं, ऐसी

[श्री तेजमल बापना]

बात नहीं है। आज कई डिप्टी एस. पी. और कई एस. पी तक भ्रष्टाचार से नहीं बचे हैं। कइयों के तो माहवारी रुपये बंधे हुए हैं; थानेदारों से मिलते हैं और यदि वे नहीं देते हैं तो उनकी शिकायत हो जाती है। कइयों की शिकायतें भी की गई हैं और साबित भी कराया गया है, लेकिन पता नहीं कि वे कागजात कहाँ ठहर जाते हैं। यदि कुछ समय के लिये किसी को सस्पेन्ड कर भी दिया जाता है तो वापिस बहाल हो जाते हैं, किसी का ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो घूम-फिर कर कुछ समय के बाद वापिस उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं और वापिस मनमानी करने को तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आज भीलवाड़ा में सरे आम लोग पीटे जाते हैं, कई मर्डर्स हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई छानबीन नहीं होती है। कारण इसका यह है कि कई चोरी करनेवाले, शैतानी करनेवाले और मर्डर करनेवाले कुछ पैसा इधर-उधर दे देते हैं और उनके प्रति पुलिस उदासीन हो जाती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ; अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी के सामने कुछ घटनाएं भी निवेदन की गई थीं और वे खुद भी जब भीलवाड़ा पधारे तब बातें देखी थीं; लेकिन अब तक कुछ किया नहीं जा सका। इसका कोई कारण रहा होगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा में पुलिस की स्थिति आज सोचनीय है और दयनीय है। जन-साधारण के जान-माल की हिफाजत का प्रश्न है। यदि पुलिस विभाग जन-साधारण के जान-माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस डिपार्टमेन्ट से फायदा ही क्या? इन्हीं बातों को ध्यान में लाने के कारण मैंने यह कट मोशन प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष—श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री शंभुसिंह।

रावत श्री शंभुसिंह—[To discuss Corruption, Undesirable expenditure and inadequate services rendered by the Department.]

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की डिमान्ड के ऊपर मेरा भी एक कट मोशन है; उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

पुलिस का अमला जो कायम हुआ है वह सुरक्षा की दृष्टि से एक आवश्यक अमला है। यदि पुलिस के कर्मचारी ईमानदारी से अपनी सेवा का अन्जाम देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वह देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि देश की सुरक्षा और देश की सेवा करने के बजाय आज पुलिस के द्वारा जनता में एक प्रकार का त्रास फैला हुआ है और देश की सेवा न होकर उनके द्वारा केवल देश का अहित ही होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे एक मित्र जो इंग्लेण्ड गये थे, उनसे जब बात-चीत हुई तो वे जिक्र करने लगे कि लन्दन में जो पुलिस के सिपाही तैनात होते हैं वे केवल पुलिस के फरायज ही अन्जाम नहीं देते परन्तु जो विदेशी रास्ता भूल जाते हैं तो उनके साथ जाकर घर तक पहुँचा देते हैं, किसी

[रावत श्री शंभूसिंह]

यात्री की कोई चीज़ गिर जाती है तो वे सिपाही वह चीज़ उसको पहुँचा देते हैं। मेरे मित्र कह रहे थे कि एक दिन उनका बटवा जेब से गिर गया तो पुलिस वाला पीछे से आया और उन्हें बटवा दे दिया।

हमारी और वहाँ की पुलिस की तुलना करते हैं तो ईमानदारी से बटवा देना तो दरकिनार सच्चे आदमी को दबा-दबा कर उससे किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ हड़प लेने की कोशिश करते हैं। ताजीरात हिन्द में "दबाकर लेने" का अपराध है, वह पुलिस के काबिल दस्तंदाजी का है परन्तु वह अपराध पुलिस वाले खुल्लमखुल्ला करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों की तह में हो सकता है कि मोरेलिटी (नैतिकता) की कमी हो परन्तु एक बात यह भी नजर आती है कि साधारणतया पुलिस कॉन्सटेबिल की तनख्वाह जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है और वर्तमान तनख्वाह से उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता है। यदि हम अपने पड़ौस की रियासत अजमेर-मेरवाड़ा से राजस्थान का मुकाबिला करें तो राजस्थान की पुलिस के ग्रेड से अजमेर की पुलिस का ग्रेड कहीं बढ़ा-चढ़ा है। अगर इस तरह का आर्थिक असंतोष मिटा दिया जावे तो मैं समझता हूँ कि पुलिस ज्यादा सेवा करेगी। मोरेलिटी के लिये शिक्षा दी जावे तो पुलिस का मोरेल भी बढ़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, देखा जाय तो पुलिस में आजकल केवल जुर्म के इर्तकाब होने के बाद ही तहकीकात की जाती है, पुलिस प्रिवेन्टिव एक्शन बहुत कम काम में लाती है; यदि प्रिवेन्टिव एक्शन पूरी तरह से काम में लाया जावे तो जुर्म के इर्तकाब में बहुत कमी हो सकती है। जैसे कि अङ्गरेजी की प्रोवर्ब है :—

"Prevention is better than Cure"

अध्यक्ष महोदय, आज-कल पुलिस की यह हालत हो रही है कि पुलिस के सामने जो ओनेस्ट आदमी हैं वे तो चुप रहते हैं और जो गुंडे आदमी हैं वे ऊंचा सिर करके चलते हैं और बुरे काम करने से नहीं चूकते। इससे मालूम होता है कि इन गुंडों से पुलिस की साँठ-गाँठ है और इनके मिलाप से वे बुरे काम कर पाते हैं। यदि पुलिस का हाथ न हो तो कोई वजह नहीं कि वे गुंडा-पन कर सकें। आज गुंडों के मारे नागरिक-जीवन खतरे में पड़ गया है और समाज के लिये हिमाकत करते हैं वे। वे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। पुलिस का सेवा में तत्पर नहीं रहना ही इसका एक मात्र कारण हो सकता है।

मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में अनडिज़ायरेबल एक्सपेन्डिचर (Undesirable expenditure) का हवाला दिया था। हमारे राजस्थान में आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी है, वह राजस्थान की सीमा पर हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बोर्डर पर लगी हुई है। यह बॉर्डर भारतवर्ष का बॉर्डर है। उस बॉर्डर की पुलिस का भार केन्द्रीय सरकार के ऊपर डाला जाना चाहिये। यह भार केन्द्रीय सरकार को देने के बाद जो बचत रहे उस रुपये से यहाँ की पुलिस के कॉन्स्टेबिलों की तनख्वाह में ५० प्रतिशत इजाफा होना चाहिये।

[रावत श्री शंभूसिंह]

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद पुलिस जो सर्विस करती है उसमें जहाँ तक नाकामयाब रही है, इस पर दो शब्द प्रकट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कहने को तो कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में डकैतियाँ बहुत गिर गई परन्तु रात-दिन अखबारों में पढ़ते हैं और लोगों के दुख-दर्द क बातें सुनते हैं तो मालूम होता है कि दिन दहाड़े डकैतियाँ भी हो रही हैं। अगर पुलिस प्रिवेन्शन के साथ मुस्तैदी से काम अन्जाम दे तो यहाँ क्राइम्स बहुत कम हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार पुलिस आज-कल अपना मतलब बनाने के वास्ते गुंडों को चाहती है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उनके ऊपर ऑफिसर्स का अंकुश नहीं है।

बहुत बड़े-बड़े थाने हैं, वहाँ पुलिस का दूसरा अमला नहीं रहता, पुलिस का एक ही थाने-दार रहता है पूरा अमला नहीं रहता। इस वजह से वहाँ क्राइम्स के दबाने में कामयाबी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रायपुर थाना है; वहाँ एक ही थानेदार है। वहाँ डकैतियाँ होती हैं तो थानेदार डकैतों का ताअक्कुब करने में रहता है, पीछे थाने में कोई नहीं रहता। पीछे से जरायम होते हैं और जनता को कोई इमदाद नहीं मिलती। इसलिये थानों में दो थानेदार रहने चाहिये ताकि एक थानेदार इन्वेस्टीगेशन करे तो दूसरा मुकामी काम के वास्ते रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—[1. To discuss the failure of the Government in checking of thefts and in removing Corcruption in the Department.

2. To discuss the favouritism in the selection of Candidates for S. I. Training.]

अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं सर्व प्रथम उस कटौती के प्रस्ताव को लाना चाहता हूँ जो कि किशनगढ़ पुलिस ट्रेनिंग के सिलसिले में है। किशनगढ़ पुलिस सब इन्स्पेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिये जो सिलेक्शन केन्डीडेट्स का होता है उसमें पक्षपात बरता जाता है। सब इन्सपेक्टर्स ट्रेनिंग के लिये इस वर्ष केन्डीडेट्स रखे गये हैं जो ऑलरेडी (already) राज्य की नौकरी में हैं और अन्ट्रेन्ड (untrained) हैं। उनमें से ६ केन्डीडेट्स जयपुर डिवीजन में से लिये जाने वाले थे। जो तरीका केन्डीडेट्स के सिलेक्शन का निर्धारित किया गया है उसके लिये एक बोर्ड नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें डी० आई० जी०, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर डिवीजन थे। उन्होंने तजवीज दी कि फलां-फलां लिये जाने चाहिये। परन्तु खेद है कि जो ६ आदमी बोर्ड के इन्टर्व्यू लेने के बाद लिये जाने के लिये तजवीज किये थे उनमें से सिर्फ २ को ही लिया गया, ४ दूसरों को लिया जो उन लोगों के मुकाबिले में, जिनके कि लिये जाने के लिये बोर्ड ने तजवीज की थी, कम क्वालीफाइड थे, कम एक्सपीरियेंस्ड थे और कम सर्विस के थे और उनमें से भी ऐसे थे कि जो इन्टर्व्यू में भी नहीं आये

[श्री चाँदमल मेहता]

थे। दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि उसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको पिछले साल भी बोर्ड ने रिकमेन्ड किया था और जो इस साल भी किये गये उनके नाम नहीं आये। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जितने उम्मीदवार सब इन्सपेक्टरी के लिये भर्ती करने थे वे कर लेने के बाद भी एक व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिये भेजा गया। वे बहुत काफी क्वालीफाइड हों, ऐसी बात भी नहीं थी। बाद में भी एक आदमी को भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूँगा कि इस तरह बोर्ड की रिकमन्डेशन के उपरान्त भी कई केन्डीडेट्स ले लिये जाते हैं और बोर्ड जिसको रिकमन्ड करे उसको नहीं लेते। इससे नीचे के ऑफिसरों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। वे समझते हैं कि बड़े-बड़े ऑफिसर जब रिकमन्ड करके भेज देते हैं और उनकी रिकमन्डेशन सिलेक्शन में काम देती है तो छोटे आदमी भी अपनी कार्यवाही करने में बाकी नहीं रहते। मैं इसका उत्तर नहीं चाहता हूँ। मैंने सिर्फ यह बात चीफ मिनिस्टर की नोलेज (knowledge) में लाने के लिये ही यहाँ पर रखी है और आशा करता हूँ कि आयन्दा पक्षपात नहीं होगा और मेरी मान्यता है कि चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की [illegible] को फौरन रोकने का प्रबन्ध करेंगे और इस पर ध्यान देंगे और खयाल रखेंगे। अगर [illegible] किसी तरह से जवाब दे दिया जावे तो मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करू[illegible] वे उस रिपोर्ट को मंगा कर खुद देख लें और उन नामों को भी देख लें जिनको ट्रेनिंग [illegible] गया है और जवाब दें, तो उसके जवाब दें; वरना वे खुद इस बात का निर्णय करलें कि [illegible]नका हक था उनको वास्तव में लिया गया है या नहीं? एक व्यक्ति को, जिसका जिक्र मैंने किया [illegible] पहले भी बोर्ड ने रिकमन्ड किया था उसको पहले भी रोक दिया और इस साल भी रोक दिया। इस साल भी बोर्ड ने उसको लेने के लिये रिकमन्ड किया था, मगर फिर भी नहीं लिया। बोर्ड सिफारिश करता है उसको आप लेते नहीं और ट्रेनिंग में जितने आदमियों को लेने का तय करने के बाद भी आप दूसरे को ले लेते हैं। यह बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आती? ऐसा क्यों किया जाता है? मुझे जवाब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह बात सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब की नोलेज में लाना चाहता हूँ। अगर, आप जवाब देना चाहें तो असली कागजातों को देख कर दें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह है भ्रष्टाचार और चोरियों के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, पिछले भाषणों में मैंने चोरियों के बारे में चर्चाएँ कीं और प्रश्न भी पूछा गया तो बताया गया कि पेश्तर से चोरिएं कुछ हद तक साबित हुईं, मगर पूरा जवाब नहीं दिया। अभी एक कट मोशन का जवाब देते समय माननीय राजस्व मन्त्री ने यह कहा कि आप साबित करिये, हम उनको सजा देने के लिए तैयार हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह विद फेक्टस एन्ड फिगर (with facts and figures) पर कह रहा हूँ और अगर इसका कोई जवाब भी दिया जाय तो फेक्ट्स एण्ड फिगर्स पर ही दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे कटौती के प्रस्ताव को लेते हुए मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने डकैतों को पकड़ने और उनको आत्म-समर्पण करने के

[श्री चाँदमल मेहता]

लए मजबूर किया और उनको मारने के सम्बन्ध में जो प्रयास किये हैं वे बहुत ही प्रशंसनीय हैं।
लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक चोरियों का सवाल है, मैं निवेदन करूँगा कि चोरियें घटी नहीं, बल्कि
दिनों दिन बढ़ी हैं। हो सकता है कि जो चोरियों की तादाद बताई जाती है वह कम बताई जा सकती
है लेकिन सही माने में देखा जावे तो चोरियों की तादाद घटी नहीं, बढ़ी ही है। आज आम तौर से
लोगों के दिमाग में यह बात रहती है कि अगर कहीं चोरी की गई हो और कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने को
जाता है तो चोर को पुलिस नहीं पकड़ती, उल्टा उसी व्यक्ति को जिसके चोरी हुई है और माल गया
उसको पुलिस परेशान करती हैं और माल गया वह तो गया ही उसके साथ और भी काफी उसको
खर्चा करना पड़ता है। इसलिए पुलिस के इस रवैये से तंग आकर कई लोग तो चोरियों की रिपोर्ट
दर्ज नहीं कराते। लेकिन फिर भी कुछ तो दर्ज कराते ही हैं। अगर आप जयपुर शहर के आँकड़े जो
राष्ट्रदूत अखबार में छपे थे, चोरों के मुतल्लिक, देखें तो आपको मालूम होगा कि चोरियों की संख्या
ज्यादा ही हुई है। अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में चोरियों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि
जितनी चोरियें वहाँ अभी इन दिनों में हुई हैं पहले कभी नहीं हुई। हाल ही में म्युनिसिपल चेयरमेन
के मकान में चोरी हुई, हेडमास्टर के मकान पर चोरी हुई, वाइस प्रिन्सिपल आदि कई प्रमुख
व्यक्तियों के मकानों पर चोरियों हुईं और वे चोरियें अब भी बरामद नहीं हुई हैं। जब चोरियों
के आतंक से जनता घबराती है और पुलिस कुछ इन्तजाम नहीं कर सकती है तो वहाँ के लोग
खुद गश्त लगाकर अपना इन्तजाम करने के लिए प्रबन्ध करते हैं। लेकिन जब यह बात पुलिस वालों
को मालूम होती है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। पुलिस वालों ने यह किया है कि रात को पहरा
लगाने वाले लोगों को पुलिस में बुलाया और बिठला दिया और कहा कि वे लोग पहरा न दें, वे पहरा
देने वाले कौन होते हैं। अध्यक्ष महोदय, चोरी करने वाले पुलिस की वर्दी में जाते थे और यह
सिद्ध होता है इस तरह से कि हमारे एक जिम्मेदार आदमी ने एक पुलिस के वर्दी वाले को अपना
नाम बताने के लिए कहा तो उसने नाम बतलाने से इन्कार कर दिया। मैं तो यह कहूँगा कि वे ही
—लोग जो गश्त लगाते हैं, मौका आने पर चोरियें करते हैं और जब पकड़ने की नौबत आती है तो कह
देते हैं कि हम तो गश्त में जाते हैं। किशनगढ़ में ऐसे कई आदमी जनता में मौजूद हैं। कुछ
पुलिस के कर्मचारी चोरियों को रोकने में मदद करना चाहते हैं लेकिन डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि
शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, रोकते हैं और उनको कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे
आदमी का नाम पूछने वाले और कौन होते हो पहरा देने वाले, हम चोरों से रक्षा करेंगे, चोरों से
रक्षा करना पुलिस का ही जिम्मा है। किशनगढ़ में चोरियों में पुलिस का हाथ होने की शिकायतें
किशनगढ़ के लोगों ने की और माँग की कि किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये और एक
बहुत कोशिश के बाद एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हुई। वे विशेष अधिकारी रिषभदेव से आते
हैं। उन्होंने आते ही थोड़े ही समय में दो साल पुरानी चोरियों का पता चलाया, लेकिन फिर जब
उन्होंने चोरियों का पता लगाना शुरू किया तो वहाँ के पुलिस के कर्मचारियों के दिल में शंका पैदा
हुई और उन्होंने चोरियों की पूरी जाँच होने के पहले ही उन स्पेशल अधिकारी को वहाँ से हटवा
दिया। उनको भय हुआ कि सब चोरियें खुल जावेंगी। उन्होंने रेलवे के एक केश का भी क्लू लगाने
की कोशिश की। मगर उनको जल्दी ही बदल दिया गया। एक बार मेरे इस सम्बन्ध के प्रश्न के

[श्री चाँदमल मेहता]

उत्तर में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि चोरियों में पुलिस का हाथ नहीं था। मान लें कि चोरियों में पुलिस का हाथ नहीं था लेकिन जो आदमी रिखबदेव से कुछ ही समय में आकर बहुत से मामलों को खोल सकता है तो डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि जो लोग किशनगढ़ में रहते हैं, अयोग्य हैं। इतना तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मान ही लेना चाहिये।

मैं यहाँ पर खास तौर से दो-तीन डकैतियों का जिक्र करूँगा। ढसूक डकैती के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस डकैती में पुराने रुपयों की चोरी हुई थी। उन पुराने सिक्कों के रुपयों ने ऐसा जाल फैलाया कि घर घर पुलिस वाले गये। पुलिस वाले यह अच्छी तरह से जानते थे कि किसानों के घरों में पुराने सिक्के जमीन में गढ़े हुए अवश्य मिलेंगे; इसलिए जो रुपया उनको मिलेगा वह वे लोग अपनी जेब में रख लेंगे और हुआ यह कि ढसूक डकैती की तफतीश करने वालों का, किशनगढ़ पुलिस का हेड क्वार्टर हो गया और जो भी किसान आस-पास के गाँवों से रुपया वेच कर अपना सामान खरीदने के लिए आया उसके पुराने सिक्कों के रुपए पुलिस ने फौरन ही पकड़ लिए। वास्तव में किसान लोग पुराने सिक्कों के रुपयों से अपनी खेती का सामान, बैल, बीज आदि खरीदने के लिए आये थे। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उनका खेती का काम खराब हुआ और किसान परेशान हुए। पुलिस ने उनको पकड़ कर फाँस लिया और जब किसानों ने कुछ दिया तब जाकर उनको छोड़ा गया। इस प्रकार किसानों को बहुत तंग किया गया। जब वहाँ के लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, जोरदार आवाज़ बुलन्द की तब कहीं जा कर पुलिस वालों की आँख खुली और बड़े बड़े ऑफिसरों के ध्यान में यह बात आई। मैंने खुद ने इस बारे में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, तब कहीं जाकर किसानों को तंग करना बन्द हुआ। लोगों ने यह कहा कि यह चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिटयुएन्सी है। यहाँ पर सब अयोग्य व्यक्तियों को रखा जाता है। जो लोग किसी के नियन्त्रण में नहीं आ सकते उन्हीं को यहाँ पर रखा जाता है। किशनगढ़ चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिटयुएन्सी होने का यह नतीजा है।

इसके अलावा दूसरी जगह डाका पड़ा और एक किसान की मक्की को जबर्दस्ती ले गये। तीन आदमी: भोपालसिंह, सज्जनसिंह, बनेसिंह आदि लाठियें ले कर जाते हैं और जबर्दस्ती उसकी मक्की उसके घर से ले जाते हैं। किसान पुलिस में पहुँचता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसके बाद पुलिस से उम्मीद यह करता है कि केस चालान किया जावेगा। पुलिस जाती है और उसी गाँव में जाकर सारे गाँव वालों से पूछताछ करती है। सारे गाँव वाले कहते हैं कि किसान की काश्त है हमारे बयान ले लीजिये। पुलिस वाले जो व्यक्ति अनाज किसान का जबरदस्ती ले जाता है उसी के यहाँ ठहरते हैं। कुछ दिन बाद इस केस को फाइल कर देते हैं। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाने की कोशिश की कि वह जागीरदार का हाली था। अगर वे फाइल को अच्छी तरह से देख लेते कि काश्त करने वाले के पास हल है या नहीं, बैल है या नहीं; तो कोई बात उनसे छुपी नहीं रह सकती थी। इसके अलावा सारा गाँव कहता है कि काश्त उसकी थी। उस व्यक्ति ने कई रजिस्टर्ड लेटर्स भेजे, उसने वहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर आदि से भी शिकायतें को गाँव के सारे किसानों ने इन्साफ की माँग को मगर कोई असर नहीं हुआ।

[श्री चाँदमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में वह जागीरदार की फसल थी तो उसको इस प्रकार जबरदस्ती किसान के मकान से ले जाने की क्या आवश्यकता थी? इसके अलावा जो फसल भादों में तैयार होती है उसको पोष में ले जाने की क्या जरूरत थी? वे उसे भादों में ले जाते। किसान ने उसे अपने मकान में ले जाकर रखा था जहाँ से उसे जबरदस्ती ले गये।

मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूँगा कि यह ऐसा मामला है कि जिसकी जाँच के बारे में निष्पक्ष आदमी को वे भेजें और फिर जाँच करावें कि सही माने में काश्त किसकी थी; किसानों की मक्का थी या नहीं और जागीरदार पुलिस की सहायता से किस प्रकार उठाकर ले गए? उपगृहमन्त्री ने जो जवाब दिया है उसका नतीजा भी मिल जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मालूम हो जाने पर निश्चित तौर पर इसकी जाँच होगी। माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पुलिस के बारे में जो शब्द हैं वे मेरे दिमाग में जमे हुए हैं। मेरी मान्यता है कि आज के पुलिस विभाग में ऐसे अफसरों की ज्यादा तादाद है जो निरपराध व्यक्तियों को पकड़ते हैं, रिश्वत लेने के लिए फर्जी मुकद्दमें चलाते हैं और जो चोरी करते हैं या डाका डालते हैं उनमें वे हिस्सा लेते हैं और ऊपर के अफसरों को प्रोत्साहन देते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कई वजुहात हैं कि जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि जिनके यहाँ चोरी हुई उनके घर वालों को परेशान किया जाता है। मैं आपको चेयर मैन, म्युनिसिपल कमेटी, किशनगढ़ के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। उनके यहाँ चोरी हुई। रात को चार बजे चोरी हुई और पुलिस में रिपोर्ट की गई तो जवाब दिया गया कि अभी गश्त से आये हैं और सो रहे हैं, फुरसत नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब जिम्मेदार आदमी के यहाँ चोरी होती है और इस प्रकार का जवाब दिया जाता है तो साधारण आदमी की तो सुने ही कौन? और फिर पकड़े जाते हैं वे लोग जो कि उनके नौकर हैं या उनके पड़ौसी हैं। उनको परेशान किया जाता है। चेयरमैन कहते हैं कि उन पर शंका नहीं है, कोई बात नहीं है; किन्तु फिर भी उनको परेशान किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि चेयरमैन साहब यह कह दें कि मैं इनक्वायरी नहीं कराना चाहता। जो केसेज़ मैं बता रहा हूँ उनमें इस तरह से परेशान करते हैं कि जिसके जरिये से यह कह दें कि इसमें हमारा हाथ है। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके मार्फत माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि यह पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जिससे यह उम्मेद करते हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार न हो, चोरियों में वृद्धि न हो और खास तौर पर उम्मीद करता हूँ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह निश्चित तौर पर बन्द हो और उनको सजा मिले। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से आप नाराज न होइए। यह न माना जाय कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले खुले आम बोलते हैं इसलिए नाराज हो जावेंगे। मैंने पिछले दिनों में, अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में चार बार भ्रष्टाचार को साबित करने की कोशिश की। मामले साबित होते हैं और हुए हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक धन्यवाद का पत्र लिखा गया, उन मामलात के बारे में जो कि साबित हुए हैं। किन्तु वे मामलात आगे जाकर दब गए। मैंने उनकी बार-बार चर्चा की किन्तु कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष, किशनगढ़ में इल्लीगल (illegal) लुटाई हुई है और

[श्री चाँदमल मेहता]

उसकी रकम सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई है; किन्तु इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। यह भी नहीं कहा गया कि इस पर जाँच कराई जावेगी और सजा दी जावेगी। मौका आता है कि दूसरे मामले भी साबित कर दिये जाय किन्तु हाल तो वही होगा। अतः मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि वे पुलिस विभाग की ओर अधिक ध्यान दें; वैसे वे सदैव देते रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हो सकता है कि किशनगढ़ के बारे में ही गड़बड़ी हो। किशनगढ़ के बारे में यह सोच लिया जाय कि यह तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी की कॉंस्टिटुऐन्सी है, और जो अफसर नियन्त्रण से बाहर होते हैं उनको ही वहाँ भेज दिया जाय। हो सकता है कि दूसरी जगहों में सुधार हुए हों। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि अगर दूसरी जगह सुधार हो गए हैं तो किशनगढ़ को वंचित नहीं रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री लाल बहादुर।

श्री लाल बहादुर—[To discuss the wasteful expenditure].

माननीय अध्यक्ष मैंने मोशन ऑफ थैंक्स के बाद कोटेज इन्डस्ट्रीज़ पर प्रकाश डाला और आज पुलिस विभाग के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कुछ मित्रों से बातचीत की जो पुलिस में मुलाजमत करते हैं। उनको तो हम जिम्मेदार ठहराते ही हैं और जैसा कि सदन में मेरे मित्र भी पुलिस को दोनों हाथों से कोस रहे हैं, मैंने कई पुलिस के लोगों से बातचीत की और उनको कहा कि रियासतों के जमाने में तो आप डाकुओं से मुकाबला करते थे, मेहनत से काम करते थे किन्तु जनतन्त्र के युग में आकर क्या आप अपनी जिम्मेदारी को भूल गए? वे यह जवाब देते हैं कि उस वक्त अगर कोई थानेदार, पुलिस अफसर मारा जाता था तो उसकी फुल फेमिली (full family) की परवरिश दी जाती थी और आज सरकार की ओर से कोई ऐसा इन्तजाम नहीं है कि जिसकी वजह से वे अपने बच्चों की ओर से बेफिक्र हो सकें और अपनी जान हथेली पर लेकर डाकुओं से मुकाबला करें। मैंने शाहबाद तहसील में घूमते हुए देखा है कि डाकुओं के लिए जो पुलिस अफसर और कर्मचारी भेजे गये थे उनको मैंने अपने बिस्तर अपने कन्धों पर रख कर जाते हुए देखा है। वह इलाका ही ऐसा है, माननीय अध्यक्ष, कि वहाँ के रहने वाले छः छः मील से पीने के लिए पानी लाते हैं, पुलिस वालों के लिए राशन की ठीक व्यवस्था नहीं थी और उनको ठीक ढंग की सुविधा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वे जनता की हिफाजत नहीं कर सकते। भूखे पेट सेवा नहीं की जा सकती और खाने के लिए हर वक्त पैसे से भी तो काम नहीं चल सकता है।

माननीय अध्यक्ष, एक और बात है और वह यह है कि बड़े बड़े अफसर जो दौरे करते हैं उनको टी. ए. और डी. ए. समय पर मिल जाते हैं, किन्तु छोटे छोटे जो मुलाजिम पुलिस के हैं और जिन पर कि देश की रक्षा का भार है, जैसा कि बड़े अफसरों पर नहीं है, जो थानेदार हैं, हैडकॉनिसटबल और कॉनिसटबल हैं उनके टी. ए. और डी. ए. के बिल हजारों की तादाद में पड़े

[श्री लालबहादुर]

हुए हैं, उनको पेमेन्ट नहीं होता है और न ही हुआ है। तो वे क्या खाकर काम करें ? भत्ते का भी कोई हिसाब नहीं मिलता है। पेन्शन का हिसाब-किताब आज तक नहीं हुआ है और जो अफसर एनकौब हो पेन्शन लेने वाले हैं वे सोचते हैं कि जो हालत हमारे साथियों की हो रही है वही हमारी हालत होगी और इस स्थिति में खूब भ्रष्टाचार किया जा रहा है, खूब रिश्वतें ली जारही हैं ताकि वे साल, दो-चार साल तक पेन्शन न मिलने पर भी अपने बच्चों की तो परवरिश कर सकें। तो माननीय अध्यक्ष, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस की डिमान्ड में जो रुपया उन्होंने मांगा है उससे अगर जरूरत हो तो वे ड्योढ़ा और दुगुना मांग लें, किन्तु ठीक ढंग से व्यवस्था की जाय।

शेर है—मुराआत दहकां कुनअज बहर खेश, कि मज़दूर खुश दिल कुनद कार बेश !!

तो अगर उनकी मांगों को पूरा किया जाय और उनको राहत पहुँचाई जाय तो वे मरने को तैयार हो सकते हैं। भूखे पेट हरगिज सेवा करने को नहीं है यह जो डिमान्ड है वह भी बिलकुल बेकार जायगी और उससे फायदा नहीं होने वाला है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे शाहबाद तहसील की ओर ध्यान दें। मैं सदन के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ कि कोटा सुपरिण्टेण्डेंटपुलिस और सब डिविजन (Sub-division) बांरा की पुलिस बधाई की पात्र है। डकैतियों को बन्द कराने में उन्होंने पूरी दिलचस्पी दिखाई है। अगर उनके पास साधन होते तो शायद इसका पूरा २ इन्तजाम हो सकता था। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जवाब दिया था कि डकैत जो हैं वे उधर बच जाते हैं इसलिए मध्यभारत की पुलिस और राजस्थान की पुलिस दोनों मिल कर कार्य कर रही है। इन्तजाम में जो कमी है उस वजह से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा था और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इन लोगों के दुखों को ध्यान में रखते हुए उनको सुविधा पहुँचावेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मैंने पुलिस विभाग के बारे में जो तीन कटौती के प्रस्ताव भेजे थे उन्हें मैं प्रस्तुत करता हूँ :

(1) "to discuss the training arrangements of the Department with special reference to P. T. S. Kishangarh."

2) "to discuss the low pay of the staff"

(3) "to discuss the discontent and corruption rampant in the Department due to inadequate salaries and import of I. P. S. Officers in large numbers"

Page No.135

[श्री मानसिंह महार]

माननीय अध्यक्ष, मैं आज से पहले पुलिस विभाग के बारे में कई कटौती प्रस्तावों पर बोल चुका हूँ, लेकिन हमेशा मैंने यह कहा है कि रिश्वतखोरी की दौड़ में इस विभाग ने पहला स्थान प्राप्त किया है, लेकिन मुझे आज यह कहते हुए खुशी होती है कि इस विभाग में अब रिश्वतखोरी दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस विभाग की एफीशियेन्सी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; इसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान में जितने डी० आई० जी० नियुक्त हुए हैं सब राजस्थानी हैं, यहाँ की पुलिस की सब अन्दरूनी बातों को जानते हैं, वे उनमें हर प्रकार से सुधार करते जा रहे हैं। इसलिये मैं कहूँगा कि......

श्री खेतसिंह— × × × ×

श्री मानसिंह महार— × × × ×

इसलिये मैं यह कहूँगा कि इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, हमारे पुलिस विभाग की वास्तविकता को देख कर और हमारे यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए ऐसा इन्तजाम किया है कि राजस्थान के मशहूर-मशहूर डाकुओं का करीब-करीब सफाया हो चुका है। यह कहने के बाद मैं अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, जिससे हमारे यहाँ के पुलिस विभाग में खास तौर से एफीशियेन्सी में और तरक्की हो सके। वह है कुछ हमारे पुलिस फोर्स की कमियाँ। उनका मुख्य कारण है हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को और स्टाफ को कम वेतन मिलना। इसके बारे में मैं, माननीय अध्यक्ष से यह निवेदन करूँगा कि राजस्थान के एक सिपाही को ३०) रुपया मासिक तनख्वाह मिलती है, और १५) रुपया मँहगाई भत्ता मिलता है जो सब मिलाकर ४५) रुपये होते हैं। इस प्रकार अगर आप अपने पड़ौसी छोटे से राज्य, जो 'सी' क्लास का राज्य है, देखेंगे तो पता चलेगा कि अजमेर-मेरवाड़ा में पुलिस के एक कर्मचारी कॉस्टेबुल को ४५) रु० तनख्वाह और ४५) मँहगाई मिलता है। यहाँ के वेतन में और वहाँ के वेतन में कितना फर्क है? वहाँ से हमारे यहाँ के सिपाही आधी तनख्वाह पाते हैं। इसी प्रकार से सब इन्स्पेक्टर की भी यही हालत है। राजस्थान के सब इन्स्पेक्टर को ८०=५=१२० का ग्रेड मिलता है, एफीशियेन्सी (efficiency bar) १०) रु० प्रति वर्ष से १६०) तक पहुँचता है, लेकिन अजमेर-मेरवाड़ा के सब इन्स्पेक्टर को स्टार्ट ही १२०) से मिलता है जो २५०) रुपये माहवार तक जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के सर्किल-इन्स्पेक्टर को २५०) रुपये तनख्वाह मिलती है, और अजमेर-मेरवाड़ा के सब इन्स्पेक्टर को २५०) रुपये तनख्वाह है। यह हालत होते हुए भी कुछ मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं चिलम भरना सीख गया हूँ। इतनी कम तनख्वाह होते हुए भी पुलिस डिपार्टमेंट एफीशियेन्टली काम करता है। हमारे पुलिस के कर्मचारी, जिसको कि कम वेतन मिलता है, हमको अवश्य मदद करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष, मैं मुख्य मन्त्रीजी से आपके जरिये अपील करूँगा कि इस वर्ष उनकी

× × × × श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाये गये।

[श्री मानसिंह महार]

तनख्वाह में कुछ न कुछ इजाफा अवश्य करें। इसी प्रकार की बात मैंने रेवेन्यु विभाग के बारे में जो कही थी, लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री ने इसके प्रति बड़ी उदासीनता दिखाई और उन्होंने दो शब्द भी इसी विषय में कहने की हिम्मत नहीं की। किन्तु मैं मुख्य मन्त्री से अवश्य आशा करता हूँ कि वे अवश्य इस बारे में कुछ न कुछ आश्वासन देंगे। वे सिपाही जो डाकुओं का मुकाबला करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं और जनता की रक्षा करते हैं, उनको कम से कम इतना वेतन तो अवश्य दिया जाना चाहिये जिससे वे अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण अच्छी तरह कर सकें। अगर वे डाकुओं का मुकाबला करते हुए मारे जाँय तो उनके स्त्री और बच्चों को इतनी पेन्शन मिल सके जिससे वे आराम से जिन्दगी बसर तो कर सकें। यह मैंने जो सुभाव पुलिस विभाग के बारे में दिये हैं, उन पर हमारी सरकार अवश्य ध्यान देगी, ऐसी आशा है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह है पुलिस ट्रेनिंग का स्कूल, जो किशनगढ़ में है; उसके बारे में है। वहाँ अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि एक सब इन्स्पेक्टर की घोड़े पर से गिर कर मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी उम्र ४५ साल की थी। तो मुझे यह निवेदन करना है कि वह मौत कैसे हुई, इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक इस बारे में इत्तला मिली है मैं यह कह सकता हूँ कि एक आदमी जिसकी आयु ४०-४५ वर्ष की हो उसे घोड़े पर चढ़ा कर ऐसा काम करने को कहा जाय जो उन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं किया हो तो वह काम करना नामुमकिन बात उनके लिए है। अगर आज हमारे सदन के किसी मेम्बर को, जो कभी घोड़े पर न बैठे हों उनको यदि घोड़े पर बैठने को कहा जाय या कुदाई या ऐसे काम कराये जाँय, जो उन्होंने कभी न किये हों तो वे घोड़े से गिर जायेंगे। इसलिए जो हमारे ऐसे थानेदार हैं, जिनको वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उनके साथ कुछ रियायत की जानी चाहिये। एक ऐसा केस हो चुका है जिससे हमारी सरकार को सबक लेना चाहिये और इसमें सुधार करना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान की पी० टी० एस० का संचालन ऐसे अयोग्य हाथों में है जो शख्स १६४६ में एक सब इन्स्पेक्टर था, उसको पी० टी० एस० का प्रिन्सिपल बना दिया गया है। आप यह सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सन् ४६ में पुलिस का सब इन्स्पेक्टर हो, अगर उसको ५४ में पी० टी० एस० का प्रिन्सिपल बना दिया जाता है तो उसमें कितनी काबलियत होगी, यह तो आप जान सकते हैं। पी० टी० एस० एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ सब इन्स्पेक्टरों का निर्माण होता है। ऐसी संस्था का संचालन काफी योग्य व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिये। इसलिए पी० टी० एस० में इस प्रकार के जो सुधार करने की आवश्यकता है उसे करने की बहुत जरूरत है।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष, मैं पुलिस विभाग में जिसके कारण असन्तोष है, उन कारणों का जिक्र करूँगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार--अध्यक्ष महोदय, जब सब को काफी समय दिया गया तो मुझे भी आप कृपा करके कुछ समय और अवश्य दीजिये।

श्री अध्यक्ष--केवल पाँच मिनिट और आपको दिये जाते हैं।

श्री मानसिंह महार--(जारी) माननीय अध्यक्षजी, आपकी कृपा से जो समय मुझे मिला है, उसका सदुपयोग करने की कोशिश करूँगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र ने राजस्थान की सी० आई० डी० के बारे में छींटाकशी की। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सी० आई० डी० विभाग की जो सबसे बड़ी पोलिसी है वह यह कि सी० आई० डी० विभाग की अन्दरूनी बातें किसी को मालूम नहीं होनी चाहिये। किन्तु वे बातें फिफ्थ कॉलमिस्ट (Fifth-Columnist) पार्टी को मालूम हो जाती है, यह उस विभाग की बहुत कमजोरी है। इसलिए इस विभाग को इन बातों की ओर मुस्तैदी से ध्यान देना चाहिये। इसके बाद मेरे मित्र ने बीकानेर आन्दोलन के बारे में कहा। उनको इसके लिए बड़ी शिकायत है। माननीय अध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो छः महिने के अन्दर दूसरी वारदातें हुई हैं, वे मेरे मित्र जोधपुर के होते हुए भी जेल के मालीखाने को बीकानेर में कैसे पहुँच गये और फिर वहाँ से टोंक की जेल में पहुँच कर भी माल-मलीदा खा आये; इस प्रकार की जो सरकार की नीति है वह एक प्रकार से क्राइम को बढ़ावा देती है। इस तरह से हमारे यहाँ हेबीचुअल क्राइम करने वालों को बढ़ावा मिलता है। आगे के लिए सरकार को ध्यान रखना चाहिये। अब तो सेल्स टैक्स का एजीटेशन नजदीक है, इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार एक अच्छा-सा स्थान सुरक्षित कर दें, ताकि फिर चौथी बार जाने की हिम्मत नहीं करेंगे।

तो यह उन मेरे मित्रों ने जो कुछ फरमाया, इसके बारे में सिर्फ कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। अब मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का दुःख-दर्द ही एक मिनिट कह लूँ तो बड़ा ही अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--आपका कट मोशन रह गया आई० पी० एस० अफसरों वाला, वही कह दीजिये।

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्षजी, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में यह एक मैं नई बात देख रहा हूँ कि जब राजस्थान बना उस वक्त यहाँ डी. आई. जी., आई. जी. आदि बाहर से आये। आई. पी. एस भी बाहर के आये और आज ही क्या जिस दिन से आये वे मामूली जो यू. पी. में ए. एस. पी. थे उनको यहाँ लाकर एस. पी. बना दिया गया। इस प्रकार का गड़बड़-गोटाला होने से हमारे राजस्थान के जो वास्तव में हकदार थे इन पोस्टों के उनमें असन्तोष बढ़ा, हमारा कार्य भी इस कारण से बिगड़ा। पर, उनके जाते ही एक सन्तोष की लहर इनमें दौड़ गई और उनके जाने के बाद हमने विश्वास कर लिया कि अब राजस्थान में इस प्रकार के आदमियों को नहीं आने दिया जावेगा। लेकिन अब नई बीमारी फिर से शुरू हुई है कि इस साल, डेढ़ साल में आई. पी. एस. अफसरों को राजस्थान में ले लिया गया है और उनको ले ही नहीं लिया गया है, पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पाँच-पाँच, सात-सात महीने उनको डी. एस. पी. का काम करवा कर डाइरेक्ट प्रोमोशन दे दिया गया और उनको एस. पी. बनाकर डिस्ट्रिक्ट का

[श्री मानसिंह महार]

चार्ज दे दिया गया है। यह हमारे राजस्थान के तजुर्बेकार पुराने अफसर जो हैं उनके साथ सरासर अन्याय है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सरकार और खास कर मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान में ये आई. पी. एस. अफसरों का इम्पोर्ट हो रहा है, जो आई. पी. एस. के अफसर इतनी तादाद में राजस्थान में लिये जा रहे हैं और आने के बाद आप उनको इतनी जल्दी-जल्दी तरक्की देते हैं, इसको रोकिये। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो आपके पुलिस विभाग में असन्तोष बढ़ेगा। आपके जो राजस्थानी अफसर हैं वे यह सोचेंगे कि अब हमारा तो एस. पी. होने का नम्बर ही नहीं आवेगा, हम तो सारी उम्र डी. एस. पी. रहेंगे, हमें तो सारी उम्र इसी डी. एस. पी. शिप में रगड़नी है; तो हम क्यों किसी प्रकार का काम करें? और जब राजस्थान के अफसरों की तरफ कोई कभी झांकता भी नहीं तो फिर वे क्या दिलचस्पी लगाकर अपना काम अन्जाम दे सकते हैं? वे सोचते हैं कि बाहर वालों को हम पर जो लादा जाता है तो वे ही फिर अपना काम दिखावें। इस तरह वे भी निकम्मे साबित होते हैं। तो राजस्थान सरकार की इस प्रकार की नीति का मैं घोर विरोध करता हूँ और इसके लिए सरकार से प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने इन (सदस्यों को सम्बोधित करते हुए) मित्रों से भी जो उस तरफ बैठे हैं अपील करूंगा कि इस नीति के विरोध में जो एक कटौती का प्रस्ताव मैंने रक्खा है, उस मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ताकि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री के हाथ मजबूत हों और वे फिर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कह सकें कि राजस्थान विधान सभा इस बात का बहुत बड़ा विरोध करती है, इसलिये आप हमें बाहर से अफसर न दें और अगर आप भेजेंगे तो उनको हम कतई लेने को तैयार नहीं हैं।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का बड़ा भारी दुख जो है वह निवेदन कर दूं। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा काण्ड हुआ कि एक मीणा चोरी करके एक गाँव से भैंस ले जा रहा था तो उस गांव के बहादुर आदमियों ने उसका मुकाबला किया और इसमें मीणा मर गया। उन लोगों ने चोरी की भैंस छीन ली और उसको घायल अवस्था में अस्पताल में पहुँचाया गया और यहां आकर वह मर गया। मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि अब उन सभी गाँव वालों पर आफत आ रही है। मैं तो यह आशा करता था कि ऐसी वीरता के काम की प्रशंसा की जावेगी और इसके लिए हमारे क्राइम डिपार्टमेन्ट के अफसर वहाँ जावेंगे और उन ग्रामीणों की कुछ इमदाद और प्रशंसा करेंगे और इनाम देंगे, इस बहादुराना काम के लिए ताकि उनका आगे हौसला बढ़े, आइन्दा और भी ऐसे चोरों का मुकाबला करने का। लेकिन इसके विपरीत यह फल हुआ इसका। उन गाँव वालों को जमवा रामगढ़ के थाने में बुलाकर परेशान किया गया और परेशान ही नहीं किया गया पर पुलिस वालों ने उनसे इस मामले में ५००) रु० रिश्वत के भी माँगे जो ग्राम चन्दा करके गाँव वालों ने किसी तरह से उनको यह रिश्वत दी। तो, जो यह इस प्रकार की रिश्वत ली जाती है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातों से बड़ा ही दर्द उपजता है कि जहाँ इनाम देना चाहिये था, उनको वहाँ परेशान करना और रिश्वत लेना, यह सरासर जुल्म है। तो, कहीं-कहीं ऐसी गलती हमारी पुलिस कर देती है, यह नहीं होनी चाहिये। इसके लिए सरकार के मेरे माननीय मन्त्री लोगों को ध्यान देना चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनिट और दीजिये, सिर्फ एक मिनिट।

रामगढ़ के गाँव में एक मीणा की लड़की थी। उसको दो-तीन आदमी फुसला कर ले गये और कसवा हिंडौन के एक गाँव में ले जाकर वहाँ किसी और के साथ शादी कर दी। इसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई और मुझसे भी इस मामले में जितनी दौड़-धूप हुई मैंने की। मैं एस. पी. साहब तक गया, ऊपर तो मेरी चलती नहीं, इसलिए एस. पी. तक चला जाता हूँ। जहाँ तक, जितनी कोशिश सम्भव थी की गई, पर वह लड़की आज तक वापिस उसे नहीं मिली। लड़की को खुले आम उड़ा कर ले गये लोग दूसरे गाँव में। वह इस समय भी मौजूद है और दूसरे आदमी के साथ उसके मा-बाप नहीं चाहते कि उसकी शादी हो। पिता मोजूद है और वह लड़की भी नाबालिग है। उस नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाकर दूसरी जगह शादी कर दी, पर उसको आज तक पुलिस ने बरामद नहीं किया। जब भी कहा जाता है तो उत्तर मिलता है कि इसके लिए पुलिस का पूरा इन्तजाम नहीं है। अगर पुलिस का पूरा इन्तजाम नहीं है, तो और बुलवाई जा सकती है। तो, ऐसी बातों को और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मैं भी निवेदन करूंगा कि पुलिस को जरूर ध्यान देना चाहिये। यह निवेदन करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सही मामला है और मैंने नजदीक से इसको देखा है, मैं आशा करूंगा कि इस पर हमारे माननीय मन्त्री महोदय गौर करेंगे और उस लड़की को अपने पिता के पास, अपने माँ-बाप के पास भेजेंगे।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरे कई मित्रों ने कटौती के प्रस्ताव रक्खे हैं और इन प्रस्तावों के सिलसिले में उन्होंने पुलिस का जो चित्र खींचा है, वह इस प्रकार का है कि जो मेरी समझ में उन लोगों को जो कि जिम्मेदार हैं नहीं खींचना चाहिये।

वैसे पुलिस के कपड़े देखकर पहले लोग डरा करते थे, क्योंकि पुलिस पकड़ती थी। पहले तो लोगों पर पुलिस का रौब भी था, लेकिन बाद में पुलिस थोड़ी सभ्य होने लगी और पुलिस का नाम भी सिविल पुलिस होने लगा; तो वह रौब और डंडा जो पहले चला करता था वह अब पुलिस नहीं चलाती है। फिर भी पुलिस के उस युनीफार्म के लिए लोगों का थोड़ा-सा वही खयाल है जो पूर्व जमाने में था।

एक मजाक है, किसी ने पूछा क्या स्वाराज्य होने के बाद भी पुलिस की जरूरत रह गई है? मानो स्वराज्य होने के बाद में तो पुलिस बिल्कुल रहनी नहीं चाहिये।

तो, यह जो चित्र है पुलिस के सम्बन्ध में एक गलत चित्र है और इस चित्र को, कम से कम मैं यह कहूँगा, कि खींचने वाले अपने दिमाग में जो गलतफहमी लिए हुए हैं उसकी वजह से यह चित्र खींचते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस एकदम देवता बन गई है, मैं यह भी नहीं कहता कि पुलिस में कोई करप्शन नहीं है लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि पुलिस ने अभी जो कार्यवाहियाँ

[श्री जयनारायण व्यास]

की है, खास तौर पर राजस्थान के बनने के बाद में, वे कार्यवाहियाँ प्रशंसा करने के लायक हैं, उत्साह बढ़ाने के लायक हैं और जो सुरक्षितता की भावना इसने पैदा की है उसको देखते हुए जिस तरह से पुलिस का मोरेल गिराने की कोशिश की जा रही है, वह मुनासिब नहीं है।

श्री एच. के. व्यास ने पुलिस का जो चित्र खींचा और ऐसा काला चित्र खींचा कि मानो पुलिस के मुकाबले में तो शायद जो पुराने से प्राचीन काल में राक्षसों का जिक्र किया जाता था वे राक्षस भी वैसे नहीं होंगे और इस चित्र को खींचते समय वे बहुत सी गलतबयानी भी कर गए हैं यह मैं जानता हूँ कि वे गलतबयानी क्यों करते हैं, वे अतिशयोक्ति क्यों करते हैं? उनका एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य यह है कि शान्ति की रक्षा करने वाली पुलिस अगर अपने मोरेल को कायम रख सकी तो जो अशान्ति एक दल कायम करना चाहता है और जो अव्यवस्था से फायदा उठाना चाहता है उसके इस काम में बाधा पड़ेगी।

(श्री मानसिंह द्वारा 'हियर-हियर' की आवाज)

एक पुरानी कहावत है। चाँदनी किसको पसन्द नहीं आती है। चाँदनी उसी को पसन्द नहीं आती जो रात में लुक-छिप कर कुछ गड़बड़ी और असन्तोष आदि का कार्य करना चाहते हैं। तो इसी तरह पुलिस भी कुछ लोगों के लिए चाँदनी रात की तरह है। अगर रात हो अमावस्या की अन्धेरी हो तो वह काम ऐसे लोगों को पसन्द नहीं है। डाकुओं के बारे में मैंने कहा था कि डाकुओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उसको एप्रिशियेट नहीं किया, जब कि इतने डाकू मारे गए, पकड़े गये, गिरफ्तार किये गये, सरेण्डर कराये गये। अगर कोई अच्छी बात भी हुई तो वह ऐसा कहते हैं कि अब तो बाँध भी बनेगा साँकड़ा में। बांध बनेगा, वह असन्तोष के खिलाफ बन रहा है। मैं आपके जरिये बता देना चाहता हूँ कि पुलिस ने जो अब तक कार्यवाही की है अगर हम कृतज्ञ हैं तो उनकी जो कुछ कमियाँ हैं उनकी निन्दा करते हुए भी उनके लिए हमें कृतज्ञता भी जाहिर करनी चाहिये, लेकिन जो लॉ ऑफ अनग्रेटीट्यूड (अहसान फरामोशी के कायदे) से चलते हैं कि अच्छा काम हो तो भी उसकी तारीफ करना ही नहीं, तो उनके लिए यह ऐसा करना भी गलत है। वे खास तौर से टीका-टिप्पणी एक विशेष उद्देश्य से करते हैं। मैं उस उद्देश्य को समझता हूँ और सदन से भी यही प्रार्थना करूँगा, अध्यक्ष महोदय, कि उस उद्देश्य, उस लक्ष्य को समझें, जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर शांत लोगों पर लाठियाँ बरसा दी गईं, गोलियाँ चला दी गईं; इस तरह की बात करते हैं। शाँत लोग कौन थे? वह लोग थे कि जिन्होंने आकर कलेक्टर के दफ्तर पर पत्थर फेंके, जिन्होंने टेलीग्राफ के दफ्तर पर पत्थर फेंके और एक तरह से वातावरण को ऐसा बना दिया कि जिसमें से अधिकारी लोग निकल न जाँय, जिन्होंने पुलिस के अधिकारियों को पत्थर से पीटा, उन लोगों को उकसाया, उन लोगों को जो उकसा कर कहते हैं, ऐसे जो प्रोत्साहन करते हैं, उन लोगों को कहते हैं ये शान्त लोग हैं। मेरे मित्र श्री मानसिंह साहब, जागीरदार साहब थोड़े दिन के लिए कहूँ की बात को बहुत गम्भीर नहीं मानूँगा कि इतनी चिन्ता करें; लेकिन मैं समझता हूँ कि अशान्ति करके जो लोगों को भड़काते हैं, जो लोगों में अव्यवस्था फैलाते हैं, जो राज्य के काम में, अधिकारियों के काम में बाधा

डालते हैं, उनके साथ भी बहुत नरमी से बर्ताव किया गया है और इसलिए किया गया है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डेमोक्रेसी के अन्दर, समाज के अन्दर कई लोग बेचारे अज्ञान में पड़ जाते हैं और उन लोगों के बहकाने में आ जाते हैं जो अव्यवस्था फैलाने के लक्ष्य से लोगों के अन्दर गलतफहमी फैलाते हैं और वे उन भोले लोगों को उकसा कर दूर रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और आगे कर देते हैं उन अज्ञानी लोगों को और हम उन लोगों को सजा नहीं देना चाहते, तकलीफ नहीं देना चाहते, इस वजह से नरमी भी हो जाय तो मुझे मानसिंह जी माफ कर सकते हैं।

मेरे कई मित्रों ने चोरियों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही है कि चोरियाँ बढ़ रही हैं, चोरियाँ बढ़ रही हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अभी भीलवाड़े के दोस्त तेजमलजी बापना ने धूमकेतु का जो बयान दिया था कि हमारे यहाँ ताले नहीं लगते थे, तो झोंपड़ियों में तो अब भी ताले नहीं लगते हैं। वह स्थिति नहीं है जो उन्होंने बयान की। चोरियाँ होती हैं, लेकिन चोरियों की तादाद देखी जाय तो लगातार कम होती जा रही हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि उतना वक्त चोरियों में नहीं लगाया है और न अव्यवस्था फैलाने वाले कुछ मित्रों की ओर लगाया है जितना वक्त डकैतियों को रोकने के लिये लगाया था, लेकिन नं० १ के काम के बाद नं० २ का काम हाथ में लेंगे और फिर बहुत मुमकिन हो कि नं० ३ का काम हाथ में लेने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। नये-नये काम पैदा होते हैं और उन कामों का अनुभव होगा, पुलिस को अनुभव होगा और जो उकसाने का काम-काज करते हैं, अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं उनकी भी व्यवस्था होगी।

मैं चोरियों के बारे में अर्ज कर रहा था। मेरे एक मित्र ने चोरियों की बहुत बातें कह डालीं कि चोरियाँ बढ़ रही हैं। चोरियाँ होती हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन चोरियों की तादाद देखी जाय, उनकी रकम को देखा जाय तो उन चोरियों की तादाद को छोटी मानता हूँ, इसलिए भी ज्यादा नहीं मानता हूँ। लेकिन वह बहुत कम भी हो रही हैं;

एक मेम्बर बर्गलरी के बारे में कह रहे थे। तो सन् ४६ में बर्गलरी की तादाद ८६२८ थी वह धीरे-धीरे सन ५२ में ६४६१ हो गई है और वह लगातार कम होती रही है। कोई कह सकता है कि २ हजार की रिपोर्ट नहीं हुई होगी तो हो सकता है कि उस जमाने में भी २ हजार की रिपोर्ट नहीं हुई होगी। लेकिन बर्गलरी की संख्या बराबर कम हो रही है। जानवरों की चोरियां ३६१० सन् १९४६ में, जो सन् ५२ में २४७२ हो गई है। इसमें भी कमी हुई है। दूसरी तरह की चोरियाँ ४६ में ५७२३ थी, वे २६७७ रह गई हैं। मैं संतोष नहीं करता इस २६७७ से यानी कम होने वाले अंकों से, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बराबर लगातार यह संख्या कम हो रही है और ज्योंही हम दूसरे गोरख-धन्धों से निकल जायेंगे, जैसे ही हम अपने आपको फ्री पायेंगे तो हम कॉन्सेन्ट्रेन्ट (Concentrate) करेंगे इस तरफ भी।

एक बात कहूँगा कि करप्शन बहुत है और पुलिस में करप्शन बहुत है। एक प्रश्न में मुझ से पूछा गया कि करप्शन के केसेज़ के जो आँकड़े हैं उनमें नम्बर किसका ज्यादा है तो मैंने कहा था,

Page No.142

[श्री जयनारायण व्यास]

मैंने स्वीकार किया था कि जो पकड़े गये थे उनमें पुलिस के ज्यादा पकड़े गये थे। यह स्वीकार करने के माने यह नहीं हो जाते हैं कि सारी पुलिस में करप्शन ही करप्शन भरा पड़ा है। एक अपनी पुरानी कहावत है कि मकान के अन्दर कुछ गन्दा हिस्सा भी हुआ करता है। पुलिस के अफसरों में अच्छे आदमी हैं तो कुछ बुरे आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन उनको किसी लिहाज के बिना सजा देने में कोई संकोच नहीं होता। मैं, पुलिस विभाग ने जो डिपार्टमैंटल एक्शन लिया है उनकी तरफ, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और वह एक्शन काफी मजबूती के साथ लिया गया है। मैं सन् ५२ के अंक आपके सामने रखूंगा क्योंकि ५३ के अंकों का अभी तक सम्पादन नहीं हो पाया है।

२८ अफसरों को और १२६८ पुलिसमेनों को डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंटल सजा दी; उनको डिसमिस किया या उनको रिड्यूस किया। उनमें करप्शन के लिए २४८ सकिल इन्सपेक्टर और १४१४ दूसरे अफसर हैं और ३७४ कॉन्सटेबिल्स को डिपार्टमेंट ने सजा दी, अगर उन्होंने लोगों को तकलीफ दी या पैसा लेने की कोशिश की। यह जो अंक हैं ५२ के अंक हैं। यह कुल अंक बता रहा था। अब ५२ के अंक के डिटेल्स बताता हूं:—

डिसमिस किये	सब इन्सपेक्टर	५
,, ,,	असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर	२
,, ,,	हैड कान्स्टेबल	५८
,, ,,	कान्स्टेबल्स	७२६
और	सी० आई० फोर्थ क्लास	३
डिस्चार्ज किये	सब इन्सपेक्टर	३
,, ,,	हैड कान्स्टेबल्स	४६
,, ,,	कान्स्टेबल्स	७०३
,, ,,	सी० आई० फोर्थ क्लास	६

रिडक्शन इन रैंक (रैंक में कमी) की गई:—

१२	सब इन्सपेक्टर
६	ए० एस० आई०
६७	हैड कान्स्टेबल
४६	कान्सटेबल्स

फाइन किये—

सब इन्सपेक्टर	२
असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर	२
हैड कॉन्स्टेबल	२४
कान्स्टेबल्स	१७४

तो अगर पुलिस विभाग अपने लोगों को छिपाने की कोशिश करता, उनकी बात को छिपाने की कोशिश करता तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को डिसमिस करने की, हटाने की, फाइन करने की सजा नहीं देता। पुलिस विभाग जागृत है। जैसा कि मैंने पहले कहा यह देवताओं का विभाग नहीं है कि उसमें इस तरह का अनुशासन है। हमारे इस सदन में जितना अनुशासन है पुलिस विभाग में भी अनुशासन है।

कुछ बातें कही गई हैं, अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के आन्दोलन के सिलसिले में। मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में अपनी नहीं गाऊं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में काफी कह चुका हूँ, और अब गलत फहमी होती है और गलत फहमी में ज्यादा समय खराब करना है और सदन का समय खराब करना है और अपना समय खराब करना है।

सी० आई० डी० के बारे में कहा गया है कि सी० आई० डी० यहाँ की जो है उसे जिस लाइन पर, जिस दिशा में काम करना चाहिए, उस दिशा में वह काम नहीं करती है। यदि इस दिशा में काम नहीं करती तो शायद जो आज पुलिस काम-काज कर पाई है वह काम नहीं कर पाती।

माननीय महार साहब ने यह बताया था कि सी० आई० डी० की बातें फिफ्थ कोलमिस्ट को कैसे मिल जाती हैं? मैं उनसे कहूँगा कि बहुत सारी बातें पैदा की जाती हैं। हमारे कई दोस्तों की कल्पना बहुत बढ़ी-चढ़ी है और उस कल्पना से बहुत-सी नई बातें पैदा कर देते हैं, बहुत से दोष पैदा कर देते हैं और बहुत से सी० आई० डी० पैदा कर देते हैं। "Thanks for your imrgination" इससे ज्यादा और कोई बात इस बारे में नहीं कह सकता।

एक बात और कही गई थी कि जब मिनिस्टर इधर-उधर जाते हैं तो ३०-४० सी० आई० डी० इधर-उधर खड़े हो जाते हैं। मेरे मित्र को पुलिस के साथ रहने का मौका मिला है, यह मुझे पता है। वे गिरफ्तार भी हुए हैं। नागपुर में गिरफ्तार हुए तो राजस्थान में आ गये। यहां ठीक-ठाक चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नागपुर जा सकते हैं। मुझे भी पुलिस के साथ रहने का मौका मिला है। मैं पुलिस की सारी बातें जानता हूँ। कहाँ-कहाँ कितने आदमी खड़े रहते हैं, यह भी जानता हूँ। राजस्थान में मिनिस्टरों के पीछे इतने पुलिस के आदमियों को गलियों में खड़ा रखने की पद्धति नहीं है और यदि उनकी नजरों में ऐसी पद्धति है तो यह सिर्फ उनका क्रिएशन (creation) है।

दूसरी बात रिडिक्युलस रिपोर्ट (ridiculous report) के बारे में कही गई। गंगानगर से रिपोर्ट आई कि वहाँ एच० के० व्यास आये थे और इस कारण से वहाँ के ३००-४०० आदमी कम्युनिस्ट बन गये। पुलिस आपकी बहुत परवाह करती हो, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि वहाँ सारी की सारी आबादी में कोई न कोई फिफ्थ कोलमिस्ट (Fifth Columnist) पुलिस में पहुँच गए हो। पर रिडिकुलस रिपोर्ट मेरे ध्यान में कोई आई नहीं। मैं इतना क्रेडुलस (Credules) नहीं कि इसको मानलूं।

[श्री जयनारायण व्यास]

नोटिस के बारे में मुझे पता नहीं है। कोई सब इन्सपेक्टर क्या नोटिस देता है, इसका पता रखना मुश्किल है। कभी-कभी गलत नोटिस भी दिया जा सकता है। इसमें कोई खास बात नहीं है।

अब मैं थोड़ी बातें करप्शन के सिलसिले में करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में यह कहा गया था कि परचेज़ेज़ में बड़ा करप्शन होता है, बड़े-बड़े सुराख हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी सुराखों की छोलदारियों में से निकलकर मेरे दोस्त आये हैं, वे सुराखों में से बाहर कैसे निकल गये। वे सुराख इतने बड़े नहीं हैं कि उसमें घुसनेवाला छिद्रान्वेषण करके उसमें से निकल सके। यह बात बताई गई कि छोलदारियाँ ले ली गई हैं और ज्यादा कीमत में ले ली गई हैं। मैं नहीं कह सकता कि ज्यादा कीमत में ले ली गई हैं या कम कीमत में। कभी-कभी बिना टेन्डर के भी माल ले लिया जाता है। कभी कोई सामान स्टोर में नहीं है और बड़ी अच्छी दुकान से ले लिया जाय और बाद में उसको रेगुलेराइज़ कर लिया जाय तो यह बुरी बात नहीं है। कभी इमरजेन्सी में ऐसा भी करना पड़ जाता है। वाटर बोटल्स की बात कही गई। यह सही है कि कुछ सप्लाई ली गई और बड़ी सप्लाई के लिये दुबारा टेन्डर भी माँगे गये हैं, लेकिन मेरे मित्र को पता तो है नहीं कि दुबारा टेन्डर माँगना क्या चीज़ है। टेन्डर माँग कर मन्जूर करना जरूरी नहीं है। कभी-कभी व्यापारियों को पता नहीं चलता और ऐसे टेन्डर आ जाते हैं जिससे सरकार को नुकसान होता है। ऐसे टेन्डर सरकार मन्जूर नहीं करती। बिना टेन्डर के भी अच्छी चीज़ मिल जाती है तो अच्छे व्यापारियों से बात-चीत करके ले लेना अच्छी बात है; इसमें बुराई की बात नहीं है।

अब मैं कुछ दूसरे मित्रों की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। किशनगढ़ की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के बारे में तरह-तरह के मित्रों द्वारा तरह-तरह की बातें कही गई हैं। तनसिंहजी ने ऐसा कहा कि वहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है मुमकिन है डिसिप्लिन सिखाया जाता हो, पर उससे मोरल ठीक नहीं होता; वे बातें नहीं सिखाई जाती हैं जिनसे करप्शन नहीं फैले। मैं उनसे यह निवेदन करूँगा कि वहाँ पर सब तरह की बातें सिखाई जाती हैं। उनको फिज़ीकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, करप्शन मिटाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, मोरेलिटी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनका अफसरों और दूसरे लोगों से संपर्क रखा जाता है जिससे वे अच्छा काम करने वाले बनें। किशनगढ़ की हमारी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बहुत पुरानी स्कूल न होते हुए भी वहाँ के लड़कों ने अच्छा काम किया है। एक लड़का तो यहाँ से जाने के बाद ही तुरन्त अच्छा काम कर पाया है। उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर मशहूर डाकुओं का पीछा करके उनको पकड़ा है। चाँदमलजी ने कहा कि किशनगढ़ स्कूल में जो लोग भेजे जाते हैं वे पक्षपातपूर्ण नीति से भेजे जाते हैं, बोर्ड ने जिनको १,२,३, ४ या ५ नम्बर पर रखा है उनको नहीं लिया गया है और दूसरों को ही लिया गया है। मैं थोड़ी टेक्नीक बता देना चाहता हूँ। टेक्नीक यह है चुनने की कि हरेक आदमी के लिये कई तरह के मार्क्स होते हैं। उसने डिपार्टमेंट में क्या-क्या काम किया है उसके नम्बर होते हैं, उसका जो अनुभव होता है उसके जाना होते हैं, उसकी योग्यता के नम्बर होते हैं। ये तो होते ही हैं इसके अलावा इन्टव्यू के भी नम्बर होते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि यह देखने में स्मार्ट है या नहीं। फिर अन्तिम फैसला आई. जी. पी. करते हैं। बोर्ड्स जो मार्क्स देते हैं उनके अलावा इन्टव्यू के मार्क्स का भी प्रभाव पड़ता है।

[श्री जयनारायण व्यास]

योग्यता आदि बोर्ड्स देखती हैं और दूसरी बातें इन्टर्व्यू में आई. जी. पी. देखते हैं और सब नम्बर मिला कर बाद में चुने जाते हैं। मुमकिन है कुछ लोग बोर्ड्स की तरफ से चुने गये हों और इन्टर्व्यू में उनके नम्बर सरों से कम हों, इसलिये वे ट्रेनिंग में नहीं भेजे जा सके हों।

इसी ट्रेनिंग कैंप के सिलसिले में एक बात मानसिंहजी ने भी कही कि एक सब इन्स्पेक्टर घोड़े से गिर गया; उसकी उम्र बड़ी थी ४५-५० वर्ष की थी। उसको वहाँ ट्रेनिंग में नहीं भेजना चाहिये था, आराम देना चाहिये था, उसे गिरने नहीं देना चाहिये था। मैं उनको बताऊँ गा कि वे घोड़े पर से इसलिये नहीं गिर गये कि उनको घोड़े पर बैठना नहीं आता था। आप जानते हैं कि घोड़े से गिरकर मर सकते हैं, हवाई जहाज से गिर सकते हैं, रेल से गिर सकते हैं, मोटर की टक्कर हो सकती है। यह सब इसलिये नहीं होता कि चतुर आदमी नहीं था, पर एक्सीडेन्ट इज़ इक्सीडेन्ट (accident is accident) "गिरते हैं यह सवार ही मैदाने जंग में, वे तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें।" जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको घोड़े पर भी चढ़ाया जाता है, ऊँट पर भी चढ़ाया जाता है, बन्दूक भी चलानी पड़ती है। बन्दूक चलाना जानते हुए भी यदि वह डाकुओं के मुकाबले में चला गया और वहाँ मर गया तो मर गया। क्षत्रियों के लिये मौत सौभाग्य की बात होनी चाहिये, खास कर कर्त्तव्य का पालन करते हुए जो मरता है तो जीते जी संसार का सुख मिलता है और मरने के बाद स्वर्ग का सुख मिलता है।

इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में यह कहा गया कि सिर्फ पुलिस के सब इन्स्पेक्टरों को ही क्यों ट्रेनिंग दी जाती है? मैं कहता हूँ कि सिर्फ पुलिस के सब इन्स्पेक्टर ही नहीं, बल्कि सर्किल इन्सपेक्टर, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, हैड कॉन्स्टेबल्स और कॉन्स्टेबल्स को भी ट्रेन्ड किया जाता है। हम जानते हैं कि जितनी ट्रेनिंग होनी चाहिये उतनी नहीं है, फिर भी हर डिवीज़नल हैड क्वार्टर पर ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ हैड कॉन्स्टेबल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं यह कह सकता हूँ कि पुलिस आज पहले से काफी अधिक ट्रेन्ड है।

अब यह कहा जाता है कि पुलिस में तनख्वाह कम है, अजमेर-मेरवाड़े का मुकाबला किया कि हमारे यहाँ से वहाँ की पुलिस को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। मैं मानता हूँ कि अजमेर-मेरवाड़ा में जितनी तनख्वाह होती है राजस्थान उतना नहीं देता, हालाँकि बी. स्टेट में राजस्थान आ जाता है। पर बात यह है कि अजमेर-मेरवाड़ा को केन्द्र से सहायता मिल जाती है, बल्कि वह राज्य-केन्द्र से ही संचालित है; ऐसा मान लेना चाहिये। हमको भी अगर केन्द्र से सहायता मिल जाय तो मैं भी बहुत खुशी के साथ कॉन्स्टेबल्स, हैड कॉन्स्टेबल्स, सब इन्स्पेक्टर्स, सर्कल इन्स्पेक्टर्स और यहाँ तक कि इत्तला करने वाले इन्फोर्मर जो हैं उनको भी बहुत पैसा दे दूँ। पर एक तरफ तो केन्द्र से हमें इतना पैसा मिलता नहीं है और फिर टैक्स की बात की जाय तो हमारे विरोधी देखते रहते हैं जैसे गिद्ध-मुर्दे की लाश को देखते रहते हैं; और पहले से ही हल्ला मचा देते हैं कि टैक्स आ रहा है, टैक्स आ रहा है। इसलिये हमको तो उतना ही देना पड़ता है जितना कि हमारा साधन हमें अलाउ करता

[श्री जयनारायण व्यास]

है। हम चाहते हैं और हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे साधन बढ़ जाँय और हम उनको अधिक दे सकें। परन्तु एक तरफ तो यह कहा जाता है कि साधन बढ़ावो मत और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको दो, उनको दो।

आई. पी. एस. के बारे में कहा गया कि पुलिस में आई. पी. एस. बुलाए जाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि पुलिस में जितने बाहर के लेएट ऑफिसर्स आये थे वे करीब करीब सब चले गये हैं, अब बहुत कम लेएट ऑफिसर्स (lent officers) रह गये हैं; यहाँ जो आई. पी. एस. ऑफिसर्स हैं वे राजस्थान के अन्दर के हैं। राजस्थान के हों चाहे वे हमारे अलोटमेंट में आये हों तो वे राजस्थान के ही हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो राजस्थान के आई. पी. एस. हो गये वे सारे हिन्दुस्थान के हैं और हिन्दुस्तान में कहीं भी भेजे जा सकते हैं, जैसे कि बाहर के यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए तो हमें खुशी ही होनी चाहिये कि हमारे यहाँ के लोगों को हिन्दुस्तान की पुलिस में आने का मौका मिला है, अभी और बहुत से है जिनको मौका मिलने वाला है। तो इस तरह आई. पी. एस. स्थानीय लोगों के हित में है और जो लोग यहाँ आकर काम करने लग गये हैं वे स्थानीय ही हैं, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।

कुछ परिस्थितियों के बारे में कहा गया कि जो लोग मुकाबिले में मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं उनको पेन्शन कम दी जाती है और आर. ए. सी. को सुविधायें कम मिलती हैं। पेन्शन के बारे में हमारी पुलिस को काफी असुविधा रही है और मुझे अभिमान है कि असुविधा रहते हुए भी पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है। सदन की सूचना के लिये कह दूँ कि जो मुकाबिले में मारे जायं या जख्मी हो जायं उनकी पेन्शन के लिये भी अच्छे रूल्स बने हैं, उन्हें ग्रेच्युटी भी मिल सकेगी, ऐसी व्यवस्था की गई है (करतल-ध्वनि) और भी सुविधाएँ देने के लिए रूल्स बन रहे हैं। टी. ए., डी. ए. अजमेर से बेशक कम हैं, आर. ए. सी. के बारे में कोई शक नहीं कि काफी तकलीफ देह जगहों में पड़े हैं। जैसलमेर की ओर जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया सकता, फिर भी यह खुशी की बात है कि पानी की दिक्कत होते हुए भी वे लोग बहादुरी के साथ न सिर्फ अड़े हुए हैं बल्कि सीमा पर बहुत कीमती काम करते हैं। उनकी जो तकलीफें हैं और उनका जो त्याग है उसको देखते हुए हम उनको सुविधायें कम दे पाये हैं, यह मंजूर करते हुए भी मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उन्हें स्पेशल पे (special pay) मिलती है। कमान्डेन्ट को १००) रुपया, डिप्टी कमान्डेन्ट को ५०)-७५), इन्सपेक्टर को ३०-२५), सब इन्सपेक्टर को २५), हैड कॉन्स्टेबल को १०-१२) और कॉन्स्टेबल को ७) रुपया तक मिलती है और फिर डी. ए. भी इन्सपेक्टर को २०), सब इन्सपेक्टर को १५), हैड कॉन्स्टेबल को ५) और कॉन्स्टेबल को ४) रु० मिलते हैं। उन लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं वे फ्री ही दी जाती हैं। जहाँ बिल्डिंग्ज़ नहीं हैं वहाँ उन्हें टेंट दिये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि उधर मकानात कम हैं। उनको राशन एलाउन्स दें, इसके लिए प्रोवीज़न है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को इस बात के लिए प्रेस किया जा रहा है कि आर. ए. सी. का खर्चा केन्द्र दे, क्योंकि यह केन्द्र का काम कर रही है। आर. ए. सी. का काम करीब-करीब ऐसा है।

खेतसिंह जी ने यह कहा कि छुट्टी में जो जाते हैं तो १० दिन उधर से आने में और १० दिन वापिस जाने में लग जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह थोड़ा ज्यादा कहा गया है, १०-१० दिन

नहीं लगते फिर भी छुट्टी जाने-आने के लिए ४ दिन का बीच का पीरियड भी उनको दे दिया जाता है। फ्री कन्सेशन एक तरफ का देने का भी मामला विचाराधीन है। मैं मानता हूँ कि फिर भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं; ऐसी बात नहीं है।

भीलवाड़े के बारे में मेरे मित्र आपनाजी ने कहा। इसमें शक नहीं कि भीलवाड़ा के ताजिये रुके रहते थे, इसलिये रुके रहते थे कि कुछ सम्प्रदायवादी आ गये और उन्होंने गड़बड़ी की। इससे पहले भी कुछ मुसलमानों के और हिन्दुओं के टक्कर हुई थी। दूसरे मौकों पर हिन्दू-मुसलमानों के बीच वहाँ भीलवाड़ा में आपस में खिंचाव होने लगा। वह वास्तव में ऐसे लोगों की तरफ से हुआ जो कि हिन्दू-मुसलमान दोनों की भलाई नहीं चाहते, जिन लोगों का विघटन का दृष्टिकोण है और जो एक दूसरे के खिलाफ सोचते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भीलवाड़ा में ऐसा वातावरण रहा। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का फर्ज हो जाता है कि वे हमेशा जनता में मेल-जोल रखें और आम लोगों के तबकों में भेद-भाव पैदा हो तो उसको मिटाने का प्रयास करें। उन्हें हमेशा साम्प्रदायिकता से ऊँचा उठाने वाला वातावरण पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये।

अब मैं, पुलिस द्वारा रिश्वत ली जाने की जो बहुत सारी बातें कही गई हैं उनके बारे में इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता कि बहुत सारी बातें कही गई हैं। किसी कॉन्स्टेबल, या सब इन्स्पेक्टर का पता नाम नहीं बताया गया, यह कह दिया कि हर थाने से रिश्वत की शिकायतें हैं। हो सकता है कहीं ऐसा हो भी, खास तौर से ऐसी चीज़ हो तो नोटिस में लाई जाय। तो मैं कह सकता हूँ कि हम उसकी ओपन ही नहीं अगर जरूरत हुई तो गुप्त तौर से भी जाँच कर सकते हैं। जब-जब जहाँ-जहाँ करप्शन की शिकायत मिली है तो जाँच हुई है और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी रिश्वतें पकड़ी गई हैं।

चाँदमलजी ने किशनगढ़ के बारे में कहा कि वह मुख्य मन्त्री की कॉन्स्टीट्युएन्सी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्री की कोई कॉन्स्टीट्युएन्सी नहीं होती। हाँ, जयनारायण व्यास की कॉन्स्टीट्युएन्सी हो सकती है, जिसके लिए उसे श्री चाँदमल मेहता ने खाली किया। मुख्य मन्त्री के लिए सारा राजस्थान का क्षेत्र उसकी कॉन्स्टीट्युएन्सी है।

सांक की चोरी के सिलसिले में सांक के गाँव वालों से सुराग मिला था, उन्हें कुछ लोगों के ऊपर शक हुआ। जिन लोगों पर उन्होंने कुछ शुबहा और शक किया था उन्होंने उनकी तलाशियें लीं। हो सकता है कि कहीं दो सही आदमियों की भी तलाशियें उनके साथ हो गई हों। अगर कोई ऐसी मिसाल हमारे सामने लाई जावेगी तो हम हमेशा उनकी मदद को तैयार हैं।

अब कहा जाता है कि अर्जी दे दी गई थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। एक जमीन के बारे में कहा गया था कि जमीन किसी काश्तकार की थी और उस पर मक्की हुई थी, वह किसान की थी और जागीरदार जबर्दस्ती उठा कर ले गये। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता

[श्री जयनारायण व्यास]

है कि पुलिस को इन मामलों में कोई विशेषअधिकार नहीं है। पुलिस को कोई हक नहीं है कि वह मक्की किसकी है उसकी जाँच करे। जब कभी झगड़े पड़ते हैं तो पुलिस जाँच करने के बाद यह तय कर देती है कि यह मामला पुलिस के समाअत का नहीं है, झगड़े दूसरे हैं। क्योंकि कानून में जमीन किसी दूसरे की होती है उस आदमी की नहीं होती जो पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए जाता है। बहुत मुमकिन है कि यह अज्ञान की वजह से होता है। इसलिए पहले पता लगा लिया जाना चाहिये कि यह जमीन किसकी है और अगर कोई गलती हो तो पहले रेकार्ड को दुरुस्त करने की तरफ ध्यान देना चाहिये और उसके बाद सही जगह पर अर्जी देनी चाहिये। कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग गलत जगह पर अर्जी ले कर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हमें बेदखल कर दिया गया है। उसकी अर्जी पर मान लें कि वहाँ एस. पी. और एस. आई. पहुँच गये और जागीरदार को कहते हैं कि जागीरदार साहब आपने ऐसा क्यों किया; वह जागीरदार कहता है कि जमीन मेरी है, इसकी नहीं है, यह किसान मेरी जमीन में मदाखलत बेजा करता है इसलिए मैंने मदाखलत बेजा नहीं होने दिया। पुलिस चुप हो जाती है क्योंकि पुलिस के अख्तयार का यह मामला नहीं होता। दर असल यह चीज़ एस. डी. ओ. के जानी होती है, ऐसी हालत में हम लोगों को यह सलाह देनी चाहिये कि वे सही जगह जावें। पुलिस का जो काम है वह तो पुलिस करती ही है। फिर भी आप मालूम कर लें कि दर असल मकई किसकी थी? जागीरदार की नहीं थी। जागीरदार उसे जबर्दस्ती ले गए तो पुलिस उसकी फिर से जाँच करने के लिए तैयार है। यों तो हर मुकद्दमे में दुबारा तहकीकात नहीं होती मगर किसान के लिए दूसरी बार तहकीकात की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सी बातें कही गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों में न जाकर यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस इस तरह से कोसने के लायक नहीं है। हो सकता है कि कभी-कभी पुलिस से हमारे काम में या जिस लक्ष्य को लेकर हम उनके पास जाते हैं उनको वे पूरी नहीं करते, ऐसी बातें हो सकती हैं; मगर फिर भी पुलिस इस तरह से कोसने के लायक नहीं। इसके अलावा सी. आई. डी. के बारे में बहुत सी बातें कही गईं। सी. आई. डी. पुलिस ने क्या-क्या किया, मैं उन बातों को चर्चा करना नहीं चाहता। सी. आई. डी. की बातें भी गुप्त होती हैं इसलिए उनको यहाँ कहना नहीं चाहता और न फालतू खाते और गलत बातों में मैं सदन का समय लेना चाहता। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे सदस्य जिन्होंने अपने कट मोशन पेश किये हैं वापिस ले लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं थोड़ा-सा समय लेना चाहता हूँ। अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया उस सिलसिले में। मुझे यह जान कर एक नई जानकारी तो अवश्य प्राप्त हुई कि कल तक के श्री जयनारायण व्यास, जो अपने खुद के साथी और सहयोगी सागरमल गोपा को केरोसीन तेल डाल कर जलाया गया उसकी शहादत में......

श्री जयनारायण व्यास—यह स्टेटमेण्ट गलत है।

श्री अध्यक्ष—(To Shri H K. Vyas) You come to the relevant point. Things which are not relevant to the reply will not be allowed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am just coming to the point.

उस उक्त आप इसी पुलिस के बड़े, कट्टर आलोचक थे और आज वे ही चीफ मिनिस्टर उनके इतने कट्टर समर्थक बन गये। यह मुझे नई जानकारी हुई। अफसोस इस बात का हुआ कि कल्पना की बातें और बेबुनियादी बातें कहते हुए आपने इतनी बड़ी उपाधियें और टाइटिल दिये जिसके लिये उन्हें धन्यवाद दूँ। लेकिन जिस फाइल को चीफ सेक्रेट्री और वे खुद जांच कर चुके हैं उस फाइल के बारे में गलत जानकारी क्यों कर हो सकती है ? जिन छोलदारियों के टेन्डर की लास्ट डेट १० दी, उस समय वे टेन्डर नहीं खोले गये। १० तारीख को लोएस्ट टेन्डर २६५) रुपयों का था मगर टेलीग्राम दे कर (अश्रव्य) दूसरी फर्म से २५७ रुपये का लोएस्ट टेन्डर लिया गया। इसके बाद ११ तारीख को २५१) का नया टेन्डर लेकर उसको इजाजत दी जाती है। छोलदारियों की सप्लाई हुई है। फरवरी के कोटा की सप्लाई अक्टूबर में हुई। १॥ लाख का पेमेन्ट मार्च और अप्रेल में हुआ है।

दूसरी चीज, मैंने यह कभी नहीं कहा कि टेन्डर नहीं मांगे गये। मैंने कहा था कि टेन्डर लोगों ने दिये और टेन्डर वाले मौजूद थे उस दिन जिस दिन कि खोलने की तारीख नियत थी और वहां पर टेन्डर ओपन नहीं किये गये। यह एक महीने पहले की बात है। यदि वे इन तालिकाओं में जाकर गूढ़ जानकारी हासिल करते तो कुछ फायदा होता। इसी प्रकार की बात बीकानेर के सिलसिले में कही गई। मैंने जहां तक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और मेरी जानकारी है, जो सही है, कि जब तक पुलिस ने अश्रु गेस का प्रयोग नहीं किया और जब तक रावतमल कोचर पर ८-१० आदमियों ने हमला नहीं किया उस वक्त तक किसी ने कंकर नहीं उठाया। अगर चीफ मिनिस्टर इस मामले में इतने तसल्लीबख्श हैं तो मैं यह सुझाव दूँगा कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी बिठावें और पता लगावें। आपको पता चल जावेगा कि वास्तव में बात क्या थी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जावेगा। पता लग जावेगा कि गड़बड़ करने वाले कौन थे और मैं यह कहूँगा कि गड़बड़ करने वाले पुलिस के अधिकारी थे उनको सजा दी जावे।

अन्त में इतना ही अर्ज करूँगा कि जवाब देने के बजाय उन्होंने हंसते-हंसते, कुछ धमकी समझियेगा, कुछ चेलेंज समझिये कुछ न कुछ बात फेंकी जरूर है। इशारा किसी की तरफ था, मेरे दूसरे मित्र समझें या न समझें मैं तो अवश्य समझ गया कि यह मेरी तरफ, इशारा मेरी तरफ है। मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि ये धमकी और टेलेन्ट और इशारे हैं इसके लिये धन्यवाद। (घन्टी)

आधा मिनट और बोलना चाहता हूँ। मुझे आपका यह चैलेन्ज स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—The questions is that the cut-motions moved in by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The cut-motions are dropped.

(विराम)

The question is that the cut-motion moved by Shri Tan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motion fails,

(विराम)

Now the question is that the cut-motion moved by Shri Khet Singh be accepted.

श्री खेतसिंह—I want to withdraw.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री खेतसिंह—I withdraw my cut-motion.

श्री तेजमल बापना—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the pleasure of the House.

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री तेजमल बापना—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था वह सिर्फ जानकारी दिलाने के लिये ही रखा था कि जिस व्यक्ति को बोर्ड ने दो दफे ट्रेनिंग के लिये रिकमन्ड किया उसको नहीं भेजा गया और आई. जी. पी. साहब ने बोर्ड की रिकमन्डेशन को नहीं माना। इस बात को कहता हुआ मैं सदन से अपना कट मोशन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ। मुख्य मन्त्रीजी ने मुझे जो आश्वासन दिये हैं उसके आधार पर मैं अपना कटौती का दूसरा प्रस्ताव भी वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री शंभुसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री शंभूसिंह—मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—हालांकि पुलिस के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए माननीय मुख्य मन्त्री ने असमर्थता प्रकट की है फिर भी उन्होंने जो सहानुभूति दिखाई है और आई० पी० एस० के बारे में राजस्थानियों को चान्स देने का वादा किया है, अतः मैं सदन से तीनों कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री मानसिंह महार—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Now I put the Demand for Vote.

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 3,00,41,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XIV, Major Head 29-Police."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

मांग संख्या २८—अकाल

Now we Come to Demand on famine. We can wait till the result (of the elections to the Public Accounts and the Estimates Committees) comes ?

(विराम)

We can go for half-an-hour more.

(विराम)

Yes, the motion is "That a sum not exceeding Rs. 38,40,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XXVIII, Major Head 54-Famine".

Cut-motions by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not want to move my cut-motions.

श्री अध्यक्ष—Shri Tan Singh.

(अनुपस्थित)

Shri Khet Singh.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं दो शब्दों में अपने कटौती के प्रस्ताव पर कह देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—चार कहिए।

(हँसी)

श्री खेतसिंह—[To discuss failure of the Government in completing the Works, especially roads started during the last Famine]

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष फेमिन में कुछ ऐसे वर्क्स, शुरू किए गए हैं जैसे रोड्स हैं
स्पेश्यली, उन सड़कों पर तीस-तीस हजार रुपया खर्च हो गया है और बाद में वर्षा हो गई जिसकी
वजह से वे कम्पलीट नहीं हो सकी हैं और इस वजह से वे वर्क्स वहाँ के वहाँ ही ठप्प रह गए हैं।
दूसरे इलाकों में जहाँ फेमीन नहीं है वहाँ भी सड़कें कम्पलीट नहीं हो पाई हैं और यदि उन सब को
कम्पलीट नहीं किया गया तो जो रुपया उन सड़कों पर २५–३० हजार खर्च हुआ है वह व्यर्थ चला
जावेगा। इसलिए मैं फेमीन मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि उन वर्क्स को, अगर ज्यादा रुपया
उनके पास न हो तो कम से कम उनको पास के गाँव से मिला दें, ताकि कुछ काम शुरू हो जाय।
इसके अलावा हमें यह मालूम हुआ है कि फेमिन मिनिस्टर साहब का यह फरमान है कि जहाँ ७५
परसेन्ट वर्क्स होंगे वे ही वर्क्स लिए जावेंगे, बाद में जो काम शुरू किए गए थे उनमें से २५ परसेंट

Page No.153

श्री खेतसिंह

हुए थे। कम से कम उनको गांवों से मिला दिया जाय तो उनकी युटीलिटी (utility) हो जायगी, उन पर बसें चल सकेंगी वरना वह शेयर वेस्ट (shere waste) होगा।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—[To discuss the failure of Government to render relief in famine striken areas.]

माननीय अध्यक्ष, मेरा सदन के सामने फेमीन के बारे में कटौती का प्रस्ताव रखने का उद्देश्य यह है कि फेमीन एक ऐसी चीज है जो राजस्थान में हर दूसरे-तीसरे वर्ष आती है। इसके लिए हमारे कुछ मित्र उत्सुक रहते हैं कि हमारी कॉन्सटीटुएन्सी में अमुक काम हुए हैं उनको पूरा किया जाय। इन कामों को पूरा करने के लिए अगर सरकार और किसी मद से रकम दे दे तो अच्छा होगा क्योंकि फेमीन रिलीफ का जो पैसा है जिस वर्ष जिस इलाके में फेमीन न हो उसको सुरक्षित रखना चाहिए ताकि फेमीन रिलीफ का पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और किसी वर्ष में ज्यादा बड़ी कोई केलेमिटी आ जाय उसका हम पैसे से काफी मुकाबला कर सकें। एक बात तो यह अर्ज करनी थी।

दूसरी बात यह कहनी है कि पिछले वर्षों में फेमीन रिलीफ का जो काम कराया गया तो कुछ इलाकों में बड़ी-बड़ी मात्रा में रकमें दी गई और कुछ इलाकों में बहुत कम मात्रा में दी गई। अगले वर्ष जो काम किए जांय जैसी कि हमारे राजस्व मन्त्री की विचारधारा है......

श्री हंसराज आर्य—आप चाहते हैं कि फिर अकाल पड़े।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, ये ऐसी बातें है कि जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। इसलिए मैं यह कहूँगा कि अभी जो जवाबात हमको मिले हैं उनसे हमने यह महसूस किया है कि अब हमारे राजस्व मन्त्री कोस्मोपोलिटन होते जा रहे हैं, इसलिए हम यह आशा करेंगे कि अब जो यह रुपया खर्च किया जावेगा वाकई जहाँ जरूरत हो वहाँ ही किया जावेगा। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखी जावेगी कि यह रुपया ऐसे आदमियों की राय से खर्च किया जावेगा जिससे सही तरीके से खर्च हो, जो अव्यवस्था वगैरह होती है वह न हो। ये दो-तीन छोटी सी बातें बता कर के मैं राजस्व मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि जहाँ अकाल की स्थिति कम हो वहाँ इस रकम में से जितनी बचत कर सकें, करें और वह रकम हमारे रिज़र्व फंड में रखें ताकि हमारा रिज़र्व फन्ड काफी बड़ा हो सके।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, सन् ५१–५२ में फेमीन की वजह से राजस्थान

[श्री श्रीदास गोयल]

के कुछ ऐसे प्रान्त थे जिनको राजकीय सहायता देना अनिवार्य हो गया था, और उन सहायताओं के सम्बन्ध में स्थानीय सम्बन्धित कर्मचारियों को काफी फन्ड्स दे दिये गये थे कि उस समय लोगों को राहत पहुँचाने के लिए इनका उपयोग किया जायगा। दुखपूर्ण परिस्थिति रही कि सरकारी ग्रान्ट देने के बावजूद भी सरकारी कामों में दिलाई बरती गई। मैं निवेदन कर सकता हूँ कि कम काम हुए हैं और आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसे दिन देखने न पड़ें। प्रकृति का जो नियम है इसको तो बदला नहीं जा सकता, किन्तु एहतिहात बरतना इन्सान का फर्ज है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सन् ५१-५२ में १ जिले के फिगर्स १८ लाख हैं और उसी जिले के समान आबादी वाले दूसरे जिले के १७००) रुपया हैं, एक जगह १७००) रुपया और दूसरी जगह १८ लाख रुपया खर्चा होता है। ये सही आँकड़े हैं। मुझे निवेदन करना है कि वह सवाई माधोपुर का जिला है जो लापरवाही का प्रतीक रहा है और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी फरमा चुके हैं कि हमारी केबिनेट के जितने भी माननीय सदस्य हैं, वास्तव में सभी राजस्थान की समान और एक दृष्टि से उन्नति चाहते हैं। अतः भविष्य में वे ज्यादा सही ढंग से काम करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मानसिंहजी ने जो सुझाव दिये हैं उनका विरोध करता हूँ और श्री खेतसिंहजी ने जो कट मोशन पेश किया है उसका समर्थन करना चाहता हूँ। वह इसलिए कि गत वर्ष भीलवाड़ा जिले में कुछ ऐसी तहसीलें; मसलन आसीन्द, बदनोर, हुर्डा, रायपुर आदि जहाँ कि अक्सर फेमीन पड़ता रहता है, कुछ रकम इसलिए लगाई गई थी कि दरअसल वहाँ फेमीन था। लेकिन उसके बाद में इस वर्ष कुछ हालत सुधरी है। अभी-अभी मुझे पता लगा है कि वहाँ दो-तीन वर्षा हुई जिसकी वजह से हालत खराब हो गई है; ओले वगैरह भी गिरे हैं जिससे फसल को काफी नुक्सान हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि फेयर वेदर रोड्स या दूसरी जो रोड्स हैं उनमें से कई तो ऐसी हैं कि दो फर्लांग या चार फर्लांग ही बकाया हैं। उन पर कुछ पैसा लगा कर उनको दुरुस्त व पूरा कर दिया जावे जिससे कुछ सड़कें भी दुरुस्त हो जावेंगी और जो पैसा लगा है वह भी बचा रहेगा। इसके साथ ही साथ जहाँ साधन कम हैं, वहाँ थोड़ी सी सहायता भी मिल जायगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि इस विभाग के बारे में जो माँगे रखी गई हैं उनके बारे में अधिक सदस्यों को शायद कुछ कहने के लिए या तो उत्साह नहीं है या विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—टाइम नहीं है।

श्री हंसराज—उत्साह तो है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दोनों बातें कही हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि यह ३८ लाख ४० हजार रुपयों की जो माँग रखी गई है उसमें से २५ लाख रुपया तो फेमीन फन्ड के लिए है और ६ लाख ४० हजार रुपया इस वर्ष के खर्चे के

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

लिए रखा गया है। न मैं पहले कभी यह सोचकर चला कि किसी अलग हिस्से को किसी विशेष स्थान पर अधिक खर्च किया जाय, किसी हिस्से को अधिक मदद दी जाय और किसी को कम और न आगे भी यह सोचने का सवाल है। पहले भी कुछ किया गया और आगे भी कुछ न कुछ होगा ही। यह जो फेमीन रिलीफ के बारे में कार्य किये जाते हैं, हमेशा यह ख्याल रखना होता है किस जगह फेमीन का असर ज्यादा है और कितने आदमियों को काम दिया जा सकता है। पिछले साल राजस्थान के बहुत से हिस्सों में अकाल था किन्तु बीकानेर के इलाके में ज्यादा था। उस अवसर पर आप सबको मालूम है कि बीकानेर में तकावी काफी बड़ी तादाद में दी गई। दूसरे हिस्सों में कम आवश्यकता थी, फिर भी जिन हिस्सों में समझा गया कि यहाँ काम की अत्यंत आवश्यकता है वहाँ काम दिया गया। इस प्रकार इस साल भी जिन इलाकों में अकाल है वहाँ पर काम किया जायगा। सरकार जहाँ-जहाँ काम की आवश्यकता होगी ज्यादा से ज्यादा करने का इरादा रखती है और वह किया जायगा।

आगे के बारे में विचार करना कि फेमीन कहाँ-कहाँ रहेगा, यह अच्छी बात नहीं है। फिर भी इस वर्ष के लिए जितना रुपया रखा गया है वह उचित रूप से रखा गया है और वह उचित तरीके से ही खर्च किया जायगा।

फेमीन के जमाने में और पिछले साल और पहले भी काम किये गये। उन कामों को उपयोगी बनाने के लिए जो अधूरे काम रह गये थे उनको पूरा करने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार कर ली है जो सरकार के विचाराधीन है। मुझे आशा है कि उनमें से जो आवश्यक कार्य हैं उन पर सरकार अधिक खर्च करके उन कामों को पूरा करायेगी। हमारे शेरगढ़ के मित्र ने जो बात कही वह उचित है। वास्तव में पहले जहाँ रुपये खर्च हुए हैं, जो काम अधूरे पड़े हैं, जिन पर थोड़ा और खर्च करने से वे काम पूरे हो जाते हैं और उन कामों को करना बहुत उपयोगी है जिससे राहत जनता को मिल सकती है और वे काम भी पूरे हो सकते हैं, यह ठीक है।

इसके सिवाय एक और बात कही गई कि पिछले दो-तीन रोज में कुछ ज्यादा वर्षा होने से व ओले गिरने से कुछ क्षेत्रों में फसलों को हानि हुई है। मुझे इस बारे में केवल प्राथमिक सूचनायें ही प्राप्त हुई हैं, पूरा विवरण आने के बाद कि कितना नुकसान हुआ; उसकी पूरी जानकारी करने के बाद ही इस सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है। इस अवसर पर कुछ कहना या निर्णय देना उचित नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुए जो माँग सदन के सामने पेश की गई है उसे सदन स्वीकार करे और जो कट मोशन्स रखे गये हैं मैं समझता हूँ उनको वापिस लिया जाकर इस माँग को स्वीकार करें।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, राजस्व मन्त्री ने आश्वासन दे दिया है, इसलिये मैं सदन से अपने कटमोशन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ। -

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(आज्ञा प्रदान की गई)

The Leave is granted.

श्री खेतसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री मानसिंह महार—माननीय राजस्व मन्त्री महोदय के आश्वासन को देखते हुए और उनसे यह अर्ज करते हुए कि डूँगरपुर के खर्चे पर जरा ध्यान रखा जाय, मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(आज्ञा प्रदान की गई)

The Leave is granted.

श्री मानसिंह महार—मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—The question is, "That a sum not exceeding Rs. 39,40,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXVIII, Major Head 54 - Famine."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ४-वन

Now. "Forest" will need certain discussions and the House will not spare the Forest Minister.

We can start discussion ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Let us go up to 8 O'clock.

श्री अध्यक्ष—The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 32,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. IV, Major Head 10 — Forests."

I will call only those Members who are present.

(विराम)

श्री खेतसिंह अपना कटौती प्रस्ताव रखें ।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना भाषण कल शुरू करूँगा ।

श्री अध्यक्ष—But the rule is that after a member is once called and he does not sqeak,............

श्री श्रीदास गोयल—He loses his right !

श्री खेतसिंह—[To discuss the faliure of Government to prevent the growing desert]

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका केवलमात्र उद्देश्य यह है कि राजस्थान वन विभाग की ओर से रेगिस्तान के इलाके की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने इस विषय में एक प्रश्न पूछा था और उस पर काफी चर्चा इस हाउस में हुई है, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा बीज डाले गये; किन्तु हकीकत यह है कि माननीय मन्त्री महोदय ने हवाई जहाज से बीज डाले थे उनमें से एक भी बीज नहीं उगा। जो जमीन इस काम के लिए एक्वायर कर रखी थी, वह बंजर पड़ी है। माननीय मन्त्री ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जागीरदारी साहबान की कृपा थी जिससे वे वहाँ नहीं उगे, यह बिल्कुल गलत बात है। वे बीज इङ्गलेण्ड के बीज थे इसलिये डेज़र्ट में डालने की वजह से वे लू और पानी के अभाव में बिल्कुल भस्म हो गये। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाऊँगा कि डेज़र्ट की प्रोब्लेम को देखते हुए वे ऐसे एक्सपर्ट्स सेन्टर से बुलावें और वहाँ की जलवायु को देखकर, वहाँ की पानी की हालत को देखकर ऐसे बीजों को सजेस्ट करें जो कम पानी की हालत में उग सकें और पनप कर बड़े हो सकें। ऐसे बीज के मुतल्लिक ध्यान नहीं दिया गया और एक्सपर्टस न बुलाये गये तो यह डेज़र्ट सारे राजस्थान में फैल जायगा। माननीय देशमुख साहब ने डेज़र्ट की स्थिति बताते हुए कहा था कि मुझे तो डेज़र्ट कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ बहुत अच्छी फसल देखी है। मैं भी कुछ अंश में इस बात को मानता हूँ कि कहीं-कहीं खरीफ की फसल बहुत अच्छी होती है, उन दिनों सब तरफ काफी हरियाली दिखाई देने लगती है, लेकिन जब गरमी का मौसम आता है, तब आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो एक भी हरा पत्ता नजर नहीं आयगा। पहले जहाँ काफी अच्छी फसल होती थी आज उस इलाके में रेत के टीले बढ़ रहे हैं। माननीय मन्त्री इस बारे में ज्यादा सीरियस नहीं हैं, जैसाकि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राजस्थान सरकार इस ओर एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार डेज़र्ट को मिटाने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है, जो कुछ खर्च हुआ है, वह सेन्टर की तरफ से हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस तरफ तवज्जुह नहीं दी इसलिये मेरा कहना है कि अब इस ओर तवज्जुह दे और एक दफा माननीय मन्त्री सारे डेज़र्ट का दौरा करें, यूनियन से एक-दो एक्सपर्ट बुलावें, उनको साथ लेकर दौरा करें और वहाँ की सोइल को देखकर वे सजेस्ट करें कि इस डेज़र्ट की प्रोब्लेम कैसे सोल्व की जा सकती है। इस ओर प्रयत्न करें।

श्री चांदमल मेहता—मैंने इस डिमान्ड पर तीन कट मोशन दिये थे किन्तु मैं उन कट मोशन्स को ला नहीं सका, यह सोचकर कि इस पर कल विचार होगा। यदि आप मुझे उनकी नकल देने की कृपा करें तो मैं अपने प्रस्ताव पर बोल सकता हूँ।

श्री रोशनलाल—अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत काफी लोग बोलने वाले हैं, अतः यह कल रखा जाय तो अच्छा है।

[श्री मेहता को उनके कटौती के प्रस्तावों की प्रति दी गई]

Page No.158

श्री चाँदमल मेहता—[To discuss the Road fees]

अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मैंने कट मोशन भी भेजे थे दो-तीन। इसमें एक ही मिल पाया है। उसमें से एक पर निवेदन करूँगा। यह छोटा-सा एक कट मोशन है। एक रोड फीज़ के नाम से टैक्स लिया जाता है, खुदियावास की घाटी के रास्ते में से जो निकलते हैं उनसे। मेरे एक प्रश्न के जवाब में माननीय मन्त्रीजी ने यह बतलाया था कि घोड़ा, ऊँट बैलगाड़ी या जानवर कोई वहाँ से निकलते हैं तो उनसे हम फोरेस्ट का टैक्स लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का टैक्स शायद राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा और वह टैक्स फोरेस्ट विभाग में जमा होता है। इसकी आमदनी के बारे में भी यह बताने की कोशिश की कि ४३), ४४) रुपये सालाना आमदनी होती है और ऐसी आमदनी के लिए जो आदमी नोकर रखे जाते होंगे, तो मैं तो समझता हूँ इस आमदनी के बजाय उस आमदनी का खर्चा कहीं ज्यादा हो जाता होगा। तो इस पर मैं निवेदन करूँगा कि यह एक तरह की लाग-बाग है और इस तरह रास्ते में से निकलने का कोई टैक्स वसूल करना न्याय संगत भी नहीं है और सरकार को आमदनी की दृष्टि से भी घाटे की बात है। इसलिए ऐसे टैक्स को हटा लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—श्री सज्जनसिंह जी।

श्री सज्जनसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

जन लेखा समिति के निर्वाचित सदस्य

श्री अध्यक्ष—The following members are declared elected to the Public Accounts Committee :—

1. Shri Kapil Deo Agrawal.
2. Shri Dwarka Das Purohit.
3. Shri Nathu Ram Mirdha.
4. Shri Bhawani Sahai Sharma.
5. Shri Bhairon Singh (Division No. 16)
6. Shri Sajjan Singh.
7. Shri Sri Das Goel.
8. Shri Hazari Lal Sharma.
9. Shri Hari Krishna Vyas.
10. Shri Himmat Singh (Division No. 61)

Page No.159

[अध्यक्ष]

The election result of the Estimates Committee will be declared tomorrow.

(विराम)

We now adjourn for tomorrow at 8.30. A. M.

[सदन की कार्यवाही रात्रि के ७ बज कर ५५ मिनट पर, दिनाँक २६-३-५४ के ८-३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक-२५ मार्च, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।